

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012-13

**Canara Bank Soaring High.
Together We Can.**



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Shri R.K. Dubey
Chairman & Managing Director



श्रीमती अर्चना एस. भार्गव
कार्यपालक निदेशक (22/04/2013 तक)
Smt. Archana S. Bhargava
Executive Director (till 22/04/2013)



श्री अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashok Kumar Gupta
Executive Director



श्री वी. एस. कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक (04/04/2013 से)
Shri V. S. Krishna Kumar
Executive Director (from 04/04/2013)



श्रीमती सुधा कृष्णन
भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक
Smt. Sudha Krishnan
Director Representing Govt. of India



श्रीमती मीना हेमचंद्रा
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक
Smt. Meena Hemchandra
Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. सांबशिव राव
कामगार कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Sambasiva Rao
Workmen Employee Director



श्री जी. वी. मणिमरान
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Manimaran
Officer Employee Director



श्री खालिद लुकमान बिल्ग्रामी
सनदी लेखाकार वर्ग के तहत अंशकालिक
अनधिकारिक निदेशक
Shri Khalid Luqman Bilgrami
Part-time Non-Official Director under
Chartered Accountant Category



श्री सुतानु सिन्हा
अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक
Shri Sutanu Sinha
Part-time Non-Official Director



श्री पी. वी. मय्या
शेयरधारक निदेशक
Shri P. V. Maiya
Shareholder Director



श्री सुनील गुप्ता
शेयरधारक निदेशक
Shri Sunil Gupta
Shareholder Director



वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013



ANNUAL REPORT 2012-2013

वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013

विषयवस्तु

1. नोटिस	4
2. प्रगति की एक झलक	28
3. निदेशकों की रिपोर्ट	29
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	30
• केनरा बैंक वर्ष 2012-13 में	34
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	71
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	72
• धन्यवाद	72
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	73
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	94
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	118
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	121
• तुलन पत्र	124
• लाभ व हानि खाता	125
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	126
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	134
• लेखांकन नीतियाँ	136
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	144
• स्तंभ 3 (बासेल II) प्रकटन	185
• नकद प्रवाह विवरण	217
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	220
• समेकित तुलन पत्र	223
• समेकित लाभ व हानि खाता	224
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	225
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	232
• लेखांकन नीतियाँ	234
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	242
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	255
9. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का शेरधारकों को संबोधन	257
10. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	258
11. नामांकन प्रपत्र	259
12. घोषणा	261
13. प्रत्याशी का बायोडाटा प्रपत्र	263
14. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	269
15. प्रॉक्सी फार्म	271

ANNUAL REPORT 2012-2013

CONTENTS

1. NOTICE	4
2. PROGRESS AT A GLANCE	28
3. DIRECTORS' REPORT 2012-2013	29
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	30
• CANARA BANK IN 2012-2013	34
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	71
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	72
• ACKNOWLEDGEMENT	72
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	73
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	94
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	118
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	121
• BALANCE SHEET	124
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	125
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	126
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	134
• ACCOUNTING POLICIES	136
• NOTES ON ACCOUNTS	144
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	185
• CASH FLOW STATEMENT	217
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	220
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	223
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	224
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	225
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	232
• ACCOUNTING POLICIES	234
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	242
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	255
9. CHAIRMAN & MANAGING DIRECTORS' ADDRESS TO SHARE HOLDERS	257
10. LIST OF DP SERVICE CENTRES	258
11. NOMINATION FORM	260
12. DECLARATION	262
13. FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE	264
14. ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS	270
15. PROXY FORM	272


नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 22 जुलाई 2013 को पूर्वाह्न 10.00 बजे ज्ञानज्योति सभागृह, सेन्ट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001 में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावर्तित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्राहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी. बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केन्द्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए।

"संकल्प किया जाता है कि तन्निहित योजना और विनियमों के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2013 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात् 26 जुलाई, 2016) तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।"

निदेशक मंडल के आदेशों के द्वारा



राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 10-6-2013

NOTICE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Monday, the 22nd July 2013 at 10.00 am at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2013, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2012-13.
3. To elect three Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder and Notifications be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2013 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2016)"

By Order of the Board of Directors



R. K. DUBEY
Chairman and Managing Director

Place : Bengaluru
Date : 10-6-2013

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 17 जुलाई 2013 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 17 जुलाई 2013 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 22 जुलाई 2013, सोमवार को पूर्वाह्न 08.30 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रॉक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश,

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 17 July 2013.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 17 July 2013.

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.30 a.m. Monday, 22nd July 2013 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be

जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोजित पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल वैध उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क:

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
प्लॉट संख्या 17-24, विठ्ठल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद- 500 081

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 6 जुलाई 2013 से सोमवार, 22 जुलाई 2013 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

8. लाभांश का भुगतान / अभिलेख तिथि:

बैंक ने वर्ष 2012-13 के लिए प्रति ईक्विटी शेयर ₹13.00 (130%) का लाभांश घोषित किया है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर या यथा शुक्रवार, 5 जुलाई 2013 (आगे से अभिलेख तिथि लिखा जाएगा) को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में हैं।

बैंक द्वारा लाभांश राशि शेयरधारकों के बैंक खाते में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से जमा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने पते का परिवर्तन तथा

subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar
Madhapur
HYDERABAD – 500 081

Further, the shareholders are advised to inform/ register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, 6th July 2013 to the Monday, 22nd July 2013 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board has recommended a dividend of ₹13.00 per equity share (130%) for the year 2012-13. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Friday, 5th July 2013 (hereinafter referred to as Record Date).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change

बैंक खाता विवरण (नए खाता संख्या, यदि है तो, बैंक का एमआईसीआर व आईएफएस कूट) एनईएफटी / एनईसीएस द्वारा जमा सुनिश्चित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी को सूचित करें। विभौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी के पास ही जाएं।

भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारक अपने बैंक खाते संबंधी विवरण बैंक के सचिवीय प्रभाग को या शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को इस नोटिस में दी गई पते पर प्रदान करें।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्मूल्यांकन / डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता।

11. वार्षिक रिपोर्ट:

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ।

of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site ie., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by taking up with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों (यथा संशोधित व 18.01.2013 से प्रभावी) के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) के अनुसार धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयर धारक को, जो वार्षिक आम बैठक के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

निदेशकों का चुनाव

बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 8वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से दो निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और दो प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2010 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2013 को समाप्त हो रही है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार यदि जनता को जारी की गई प्रदत्त पूंजी 32% से ज्यादा है तो, शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को निर्वाचित किया जाना है। वर्ष 2011 में की गई योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारी के पश्चात जनता द्वारा धारित बैंक का प्रदत्त पूंजी 32.28% है और शेयरधारक बैंक के तीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अर्ह है।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में, केन्द्र सरकार से अन्य, बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों को चुनने के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है।

समझा जाएगा कि ऐसा निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई, 2013 को कार्यग्रहण कर लिया है और ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक अधिकार में रहेगा।

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act (as amended and effective from 18.01.2013), no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Cl. 68(i) of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2000, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

ELECTION OF DIRECTORS

The Bank, as part of the Eighth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for two Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and two candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2010 and the said term is expiring on 26.07.2013.

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 32%, three (3) Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves. Consequent to the issue of shares pursuant to a Qualified Institutional Placement made in 2011, the paid-up capital held by Public is 32.28 % of the Bank and the shareholders are entitled to elect 3 Directors of the Bank.

In line with Section 9 (3) (i) of the Act, the Bank has as a part of Eleventh Annual General Meeting of shareholders of the Bank, decided to conduct the election of three Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2013 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

विधिक प्रावधान:

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिया गया है:

अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20	सामान्य निदेशक का निषेध किसी निदेशकों को या किसी निदेशकों की ओर से ऋण व अग्रिमों की मंजूरी के लिए प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ई) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3ए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा। सत्य के रूप में निष्ठा व गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना निदेशक के पद को रिक्त किया जाना निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्तियों को भरना अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 (यथा संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग आम बैठकों में मतदान आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक शेयरधारकों की सूची निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामंकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन विवाद मतदान अधिकार संकल्प प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान प्रॉक्सियाँ
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 05, 2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड
भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 02 जून, 2012 (आरबीआई / 2012-13/79 डीबीओडी सं. डीआईआर.बीसी. 4/13.03.00/2012-13)		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिमों की मंजूरी

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT, SCHEME, REGULATIONS, NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	Prohibition of Common Director Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of vacancy in the office of an elected director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (as amended)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of nationalized banks
RBI Master Circular dated 2 nd June 2012 (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir. BC.4/13.03.00/2012-13)		Granting loans and advances to relatives of Directors

संबद्ध अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं आदि के उद्धरण:

शेयरधारकों के सुविधार्थ संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं, विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के उद्धरण इस नोटिस के अंत में पुनः दिया गया है। ऐसे उद्धरण बैंक के सचिवीय प्रभाग को प्रत्याशियों से नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को या उसके पहले, अर्थात् 06 जुलाई, 2013 तक अनुरोध की प्राप्ति पर ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

13. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता:

क) अधिनियम की धारा 9(3-ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है, को:

क) निम्न विषयों में से एक या अधिक में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:-

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख. जमकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

ख) अधिनियम की धारा (3-ए ए) की उपधारा (3 ए) के प्रावधानों की पूर्वाधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विरुद्ध होने वाले से कोई तालूकात नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार कोई अन्य मानकों के आधार पर

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 are reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Secretarial Department of the Bank, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 06th July, 2013.

13. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

a) In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-

A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small-scale industry
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

b) In terms of Section (3-AA) of the Act, without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify

कोई व्यक्ति योग्य और उचित हैसियत वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी।

ग) अधिनियम की धारा (3-ए बी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है।

14. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना:

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहरा जाएगा:

क. यदि उसे कभी दिवालिया निर्णित किया गया हो या उसके लेन दारों को चुकता नहीं किया हो या

ख. उसे विधुब्धमना पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो

ग. यदि उसे नैतिक उल्लंघन अंतर्गत किसी अपराध के तहत अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गया हो।

घ. बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धरने को छोड़कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभदायक अधिकार में हो; और

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी.बीसी सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा उसे योग्य और उचित नहीं पाया गया तो

from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

c) In terms of Section (3-AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the 'fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

14. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or

d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.; And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

15. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता:

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची सोमवार, 1 जुलाई 2013 से लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी ताकि बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर (रविवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर), अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 तक और शनिवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक को रजिस्टर की प्रति या रजिस्टर की हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता है तो प्रति 1000 शब्द या उसके हिस्से के लिए ₹5/- के पूर्वभुगतान पर आपूर्ति किया जाएगा।

16. चुनाव में प्रतिभागिता / आंतरिक कट-ऑफ तिथि:

सदस्यों के रजिस्टर / एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा दी गई लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दिनांक शुक्रवार, 21 जून 2013 (आगे आंतरिक कट-ऑफ तिथि लिखा जाएगा) के कारोबार समय के पश्चात नाम है तो चुनाव में प्रतिभागिता, अर्थात् नामांकन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तथा केन्द्र सरकार के अलावा तीन निदेशकों को चुनने के लिए मतदान देने के लिए पात्र हो जाएगा

17. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

क. चुनाव में भाग लेने की गणना करने लेने के लिए आंतरिक कट-ऑफ तिथि / चुनाव में भाग लेने के लिए गणना की जा रही तारीख शुक्रवार, 21 जून 2013 को केनरा बैंक के 100 शेयर नहीं रखता हो।

ख. उसे अधिनियम या योजना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख शनिवार, 6 जुलाई 2013 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

ग. निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्ते

15. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Monday, 1st July 2013 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bangalore.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

16. PARTICIPATION IN ELECTION/INTERNAL CUT-OFF DATE:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours on the date i.e Friday, 21st June 2013 (hereinafter referred to as the Internal Cut-Off Date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in election of three directors from amongst Shareholders other than Central Government.

17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

- he/she is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Friday, 21st June 2013, being the Internal Cut-Off Date/Date of reckoning for participating in the election;
- he/she is as on Saturday, 6th July 2013 being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme or RBI Notification;
- the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be

कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति महा प्रबंधक, केनरा बैंक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूर-560 002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा।

घ. नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी की वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो-डाटा), उसकी जानकारी और विश्वास के हद तक सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बारे में बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।

ङ. उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचनाएं डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 व डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के अधीन उसे अयोग्य नहीं किया गया।

18. नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण:

केंद्र सरकार से अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक शेयरधारकों को अपने नामांकन पत्र [न्यूनतम 100] घोषणा और संबंधित दस्तावेज

made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the General Manager, Canara Bank, CMD's Secretariat, Head Office, 112, J C Road, Bangalore – 560002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

d) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director. His/her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

e) he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007 and DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11, dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India, from being a director.

18. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along

जैसे बायो डाटा, योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, पैन की प्रति, नवीनतम आय कर विवरणी आदि के साथ

महा प्रबंधक

सचिवीय प्रभाग

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,

112, जे सी रोड

बैंगलूर - 560 002

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिनों के पहले अर्थात् अपराह्न 2 बजे, 6 जुलाई 2013 को बैंक कार्य समय के समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्रारूप में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

19. नामांकनों की समीक्षा:

क. नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस 8 जुलाई 2013 को उनकी समीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को विधिन्मान्य नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लेखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2007 तथा 23 मई, 2011 को जारी संवीक्षा के योग्य व उचित मार्गनिर्देश के अनुसार और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में अनधिकारिक निदेशकों के नामांकन के लिए सामान्य नीतियों के अनुसार नामांकनों की समीक्षा बोर्ड नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।

ग. चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए तीन ही नामांकन हैं तो ऐसे नामांकित प्रत्याशियों को तत्काल चुना गया समझा जाएगा और तदनुसार उनके नाम और पते प्रकाशित किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा।

घ. चुनाव आयोजित की जाने वाली स्थिति में चुने जाने वाले निदेशों की संख्या की तुलना में विधिमान्य अधिक हैं तो बहुमत प्राप्त होने वाले प्रत्याशी चुना गया समझा जायेगा और उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, qualification certificates, experience certificates, copy of PAN, latest Income Tax Return etc to

General Manager

Secretarial Department,

C&MD's Secretariat

Canara Bank, Head Office,

112, J C Road

Bangalore - 560002

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 2 pm on 6th July 2013. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

19. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

a) Nominations shall be scrutinized on Monday, 8th July 2013 the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 01st November, 2007 and 23rd May, 2011 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time.

c) If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall be no election at the meeting.

d) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

ड. ऐसे चुने गये निदेशकों के बारे में समझा जायेगा कि उन्होंने 27 जुलाई, 2013 को कार्यग्रहण कर लिया है।

च. कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटा दिया जायेगा।

e) The directors so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2013.

f) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

20. निर्वाचन कार्य 22 जुलाई 2013 को

निदेशकों का निर्वाचन हाथ दिखाने के आधार पर नहीं होगा बल्कि यह गुप्त मतपत्र द्वारा होगा।

मतपत्रों का वितरण अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की इस संबंध में घोषणा के तत्काल बाद आरंभ होगा जो अपराह्न 2.30 बजे तक या निर्वाचन के संचालन के लिए नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित विस्तारित समय तक जारी रहेगा। मतदान पत्रों का वितरण इस कार्य के लिए स्थापित काउंटरो पर शेयर धारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पंजीकरण के समय जारी की गई मतपत्र को वापस किए जाने पर किया जाएगा। वोटों की संख्या उनके द्वारा 21 जून 2013 को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारकों द्वारा मतपत्र में अपनी पसंद के तीन उम्मीदवारों के नाम के सामने खंड की मुहर (X) लगाकर उन्हें मत पेटिका(ओं) में डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

वोटों की गिनती होने के बाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा परिणामों की घोषणा की जाएगी।

निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन इस कार्य के लिए बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इसका पर्यवेक्षण केन्द्र सरकार के नामिती द्वारा की जाएगी जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

20. POLL PROCESS on 22nd July 2013

The Voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 2.30 p.m or such other extended time as may be decided by the Chief Returning Officer appointed for the conduct of Election. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / Proxy holders / authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 21st June 2013.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by Chief Returning Officer, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

21. निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के परिणाम स्वरूप चुना गया निदेशक तीन वर्षों के लिए पद का धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करता हो।

21. TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3 बी) की ओर श्रेयधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

22. नामांकनों का वापस लिया जाना:

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेना चाहता है तो वह अपराह्न 2 बजे, शनिवार 20 जुलाई 2013 को बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

23. अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों के सेवानिवृत्ति के तरीके

क) बैंक में गैर सरकारी धारण बैंक के प्रदत्त पूँजी के 16% व 32% से कम है तो बैंक बोर्ड में केवल एक / दो निदेशक को निर्वाचित करने के लिए अर्ह होंगे।

ख) योजना के खंड 4ए के अनुसार अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार किया जाता है तथा ऐसे श्रेयधारकों (केन्द्र सरकार से अन्य) द्वारा निर्वाचित निदेशक के तुल्य निदेशक सेवानिवृत्त होंगे और सेवानिवृत्ति का क्रम सबसे अधिक कार्यकाल समाप्त निदेशक से शुरू होगा; बशर्ते कि, यदि दो या दो से अधिक निदेशक के कार्यकाल तुल्य है तो, उन निदेशकों में से अधिक आयुवाले निदेशक पहले सेवानिवृत्त होंगे।

24. निदेशकों के हित

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ता है तो ऐसे समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त कारोबारी मदों में हित रखेंगे।

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

22. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on i.e., 2.00 p.m. on Saturday, the 20th July 2013.

23. MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR

a) In the event of the non governmental holding in the Bank reducing below 16% / 32% of the paid-up capital of the Bank, the Bank will be entitled to have only one / two Directors on the Board of the Bank.


b) In terms of Clause 4A of the Scheme the number of excess director(s) shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first."


24. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

निदेशक मंडल के आदेशों के द्वारा


राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

By Order of the Board of Directors


R. K. DUBEY
Chairman and Managing Director

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 10-6-2013

Place : Bengaluru
Date : 10-6-2013

निदेशकों का निर्वाचन-संबद्ध अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सारांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुरूप धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गई पूंजी की व्याप्ति के आधार पर श्रेयधारक निदेशकों को नियुक्त किया जाना है। बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 की संबद्ध धाराओं और केनरा बैंक (श्रेय व बैठकें) विनियम 2000 की संबद्ध विनियमों को श्रेयधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर निषेध: धारा 16 (1)

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध

धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के विरुद्ध होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी-
 - क. अपने खुद के श्रेयों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी।
 - ख. निम्नों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी:
 - (i) उनके किसी निदेशक
 - (ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हित रखता हो, या
 - (iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो, या
 - (iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Companies Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and relevant regulations of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors: Section 16 (1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on loans and advances:

Section 20:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
 - i) any of its directors
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो की जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय अनुबद्ध अवधि के अंदर या ऐसी अवधि अनुबद्ध नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे।

बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते कि संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद को रिक्त कर देता है तो यह उपधारा लागू नहीं होगी।

3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण शून्य और निष्प्रभावी होगा।
4. किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने कथित तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में

- क. "ऋण या अग्रिम" में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.

Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation – In this Section

- a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having

परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

ख. “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

5. इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण होता है या अग्रिम इस बारे में कोई प्रश्न पृच्छता है तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित करना है उस पर जिनका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2 ई)– केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धरे गये शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9 (3)(i): जहाँ धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड सी में निर्गत पूँजी:

- कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक न हो तो एक निदेशक।
- कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक लेकिन 32% से अधिक न हो तो दो निदेशक।
- कुल प्रदत्त पूँजी के 32% से अधिक हो तो तीन निदेशकों को अपने में से केन्द्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर चुना जाना है।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के सम संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.

b) “Director” includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restriction on Voting Rights :

Section 3 (2E) – No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- More than sixteen per cent but not more than thirtytwo percent of the total paid-up capital, two Directors.
- More than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

विश्वसनीयता और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13 (2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीक बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी सूची में रूपायित पत्र में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 11: निदेशक आदि के पद रिक्त करना

- कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अयोग्यता के दौर से गुजरता हो या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वाधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोड़कर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।
- निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ति उद्भूत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

खंड 11 ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटा देना:

केन्द्र सरकार से अन्य शेरधारक ऐसे शेरधारकों द्वारा भरी गई शेर पूँजी के एक – आधे से कम नहीं होने वाली शेर पूँजी का धारण करने वाले शेरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा

Obligation as a Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders,

9 की उपधारा 3 के खंड (ए) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ति को भरने के लिए उसके बदले में अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

खंड 11 बी: निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ति को भरना:

1. निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा; बशर्ते कि रिक्ति अवधि छः महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।
2. जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकट किया जाना:

खंड 12(8): राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि वह:

- (i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशतता से अनधिक धारण करने वाला शेरधारक (निदेशक से अन्य) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो।
- (ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो तो ऐसे निदेशक पर ऐसे उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election;

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000

अध्याय II

शेयर व शेयर पंजियाँ

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध कोई और मामलों में एकल शेयरधारक है।

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठक

61. सामान्य बैठक में मतदान

- (i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा सामान्य बैठक के सामने प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) उप विनियम (i) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा की हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।
- (iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।
- (v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी वापस ली जा सकती है।
- (vi) बैठक के आस्थगन या अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर माँग गया चुनाव तत्काल होगा।

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

61. Voting at General Meeting.

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।
- (viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय V

निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:

- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले के द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।
- किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

64. शेयरधारकों की सूची:

- इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुनाया जाना है।
- सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धरे गये शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी। और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

- निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमाम्यता के बारे में कोई संदेह या

- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

- A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

- For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

- If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the

विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और कथित सूचना में जिन बातों के आधार पर निर्वाचन की विधिमान्यता पर वह संदेह कर रहा है या विवाद खड़ा कर रहा है।

- ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ-ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।
- iv) इस विनियम के परिणामतः ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI

शेयरधारकों के मतदान अधिकार:

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

- i) अधिनियम की धारा 2(ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिशः या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्रधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। जैसे उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताया गया है।

validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के लिए "कंपनी" का अर्थ किसी भी नैगम निकाय से है।

- iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- i) केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया)। प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों के उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यक्ति शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।
- ii) कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में उसे पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसके सत्य प्रतिलिपि होने के आशय का प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत देगा।

70. प्रॉक्सियाँ:

- i) व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक के रूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।

बशर्ते कि कोई प्रॉक्सी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त: हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिह्न उस पर अंकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एग्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।

Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a ‘duly authorized representative’ in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

- ii) विधिवत स्टैम्प होकर उसकी प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से चार दिन पहले ऐसे मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि है तो) पहले ही केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत नहीं किया गया है तो, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति जिसे सत्य प्रतिलिपि होने के आशय से नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हो के साथ केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो कोई भी प्रॉक्सी विधिमान्य नहीं होगी।
- iii) फॉर्म 'बी' में न हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।
- v) विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं होंगे।
- vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिशः मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii) केनरा बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी की विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्ति नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना – डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007 और डीबीओडी सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नगत अधिसूचित किया है:

इसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा योग्य और उचित है सियत नहीं दी जाती तो कोई भी नामांकन विधिमान्य नहीं होगा। नामांकनों के साथ शिक्षा योग्यता, अनुभव और विशेष ज्ञान का क्षेत्र और प्रत्याशियों की विश्वसनीयता के मामले में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समर्थ बनाने के लिए प्रत्याशियों के बारे में अतिरिक्त सूचना होनी चाहिए। किसी प्राधिकार या नियंत्रक एजेंसी के प्रतिकूल अवलोकन या किसी बैंक या वित्त संस्था के ऋण की चूक या दिवालिया संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बनायेगा।

ऋणों व अग्रिमों पर मास्टर परिपत्र (आरबीआई/2012-13/79 डीबीओडी सं. डीआईआर.बीसी.4/13.03.00/2012-13) दिनांक 02 जुलाई, 2012- निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिमों की मंजूरी

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 & DBOD No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01st November, 2007 and DBOD No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011:

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless "Fit and Proper" status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

Master Circular on Loans and Advances (RBI/2012-13/79 DBOD.No.Dir.BC.4/13.03.00/2012-13) dated 2nd July 2012 - Granting loans and advances to relatives of Directors.

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

	2010-11	2011-12	2012-13
प्रदत्त पूँजी / Paid-up Capital	443	443	443
आरक्षित निधियाँ / Reserves	19597	22247	24435
कुल जमाएं / Aggregate Deposits	293437	327054	355856
वृद्धि (%) / Growth (%)	25.05	11.46	8.81
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	12884	13762	17164
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	124095	144662	143795
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	211268	232490	242177
वृद्धि (%) / Growth (%)	24.76	10.04	4.17
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	25259	24782	23084
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	62108	67383	78998
कृषि / Agriculture	26305	31946	40786
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	22374	27327	33730
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises	37684	34893	37016
डी आर आई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	52	58	67
अजा / अजजा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	5087	4293	5179
निर्यात साख / Export Credit	10489	10382	10067
कुल आय / Total Income	25752	33778	37231
कुल व्यय / Total Expenditure	19660	27835	31341
परिचालन लाभ / Operating Profit	6091	5943	5890
निवल लाभ / Net Profit	4026	3283	2872
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	3257	3600	3728
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	2216	2858	3526
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In crore)	3.87	4.20	4.70
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	43397	42272	42693
स्वयं सहायता समूह (संख्या) / Self Help Group (Nos.)	351000	371000	398000
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूँजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	15.38	13.76	12.40
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings Per Share (₹)	97.83	74.10	64.83
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	359.25	429.51	490.56
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) / Business Per Employee (₹crore)	11.96	13.74	14.20
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) / Profit Per Employee (₹ lakh)	9.76	8.21	6.96
औसत आस्तियों पर रिटर्न / Return on Average Assets	1.42	0.95	0.77
लागत-आय अनुपात / Cost-Income Ratio	42.05	44.02	46.61
सकल एन पी ए अनुपात / Gross NPA Ratio	1.49	1.73	2.57
निवल एन पी ए अनुपात / Net NPA Ratio	1.10	1.46	2.18
साख- जमा अनुपात / Credit - Deposit Ratio	72.00	71.09	68.05
प्राथमिकता साख- समायोजित निवल बैंक साख / Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	38.69	33.45	35.30



निदेशकों की रिपोर्ट

2012-2013

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2012-13

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2013 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 44वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. वित्तीय परिवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे वर्ष में भी मॉडरेट रहा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी की गई अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए जीडीपी वृद्धि वर्ष 2011-12 की 6.2% की तुलना में 5% अनुमानित है। कृषि और उद्योग क्षेत्र क्रमशः 1.9% (3.6%) व 2.1% (3.5%) वृद्धि प्राप्त की। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कम होकर 7.1% (8.2%) रही। उद्योग क्षेत्रों के तहत बिजली, गैस और जल आपूर्ति 4.2% (6.5%), निर्माण क्षेत्र 1% (2.7%) वृद्धि दर्ज की। सेवा, व्यापार, होटल, परिवहन व संचार 6.4% (7%) वृद्धि दर्ज की, वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा व कारोबार सेवाएं 8.6% (11.7%) वृद्धि दर्ज की तथा समुदाय, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा 6.6% (6%) वृद्धि दर्ज की।

2012 के दौरान ऊँचा स्तर पर बनी रही मुद्रास्फीति, वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में ढीला हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष की 8.9% की तुलना में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 7.3% पर मॉडरेट रहा। वर्ष के दौरान समग्र स्फीति मुद्रा ऊपर बने रहने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन में हुई मुद्रास्फीति थी तथा वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में गैर खाद्य उत्पादों के मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

वर्ष के दौरान विदेशी व्यापार क्षेत्र एक निराशाजनक प्रदर्शन देखा और इसमें सुधार का संकेत वित्तीय वर्ष 13 के चौथी तिमाही में ही देखा। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महा निदेशालय से जारी की गई अनंतिम डाटा के अनुसार, अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान भारत के माल का निर्यात 1.8% घटकर 301 बिलियन यूएस \$ हो गया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं तथा कमजोर बाहरी मांग के कारण वर्ष के लिए निर्धारित की गई 360 बिलियन यूएस \$ की लक्ष्य से काफी कम है। अन्यो के साथ घरेलू विकास में मंदी वर्ष के दौरान निर्यात को प्रभावित किया, जिसका मूल्यंकन लगभग 0.4% फ्लैट वृद्धि के साथ 491 बिलियन यूएस \$ किया गया था। व्यापार घाटा वर्ष 2011-12 की 183 बिलियन यूएस \$ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 191 बिलियन यूएस \$ तक बढ़ी। चालू खाता घाटा में वृद्धि चिंता का अन्य क्षेत्र था जो वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में 6.7% तक बढ़ गया जो वर्ष 2012-13 के लिए 5% अनुमानित था।

DIRECTORS' REPORT: 2012-13

The Board of Directors have pleasure in presenting the 44th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2013 and Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2013.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Indian economy moderated for the second consecutive year. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), GDP growth for 2012-13 estimated at 5% compared to 6.2% in 2011-12. Agriculture and industrial sectors grew by 1.9% (3.6%) and 2.1% (3.5%) respectively. Growth in services sector decelerated to 7.1% (8.2%). Under industry segments, while electricity, gas and water supply grew by 4.2% (6.5%), manufacturing sector grew by 1% (2.7%). Under Services, trade, hotels, transport and communications grew by 6.4% (7%), financing, insurance, real estate and business services grew by 8.6% (11.7%) and community, social and personal services grew by 6.6% (6%).

Inflation, which remained at an elevated level during 2012 eased significantly during the last quarter of the financial year. During 2012-13, WPI inflation moderated to an average of 7.3% as compared to 8.9% in the previous year. Food and Fuel price inflation was the source of upward pressure on overall inflation during the year though non-food manufactured products inflation declined in the latter half of the financial year.

External trade sector witnessed a dismal performance during the year with signs of recovery seen only during Q4 FY13. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), during April-March 2012-13, merchandise exports of India declined by 1.8% to US\$301 billion much lower than the US\$360 billion exports target set for the year, owing mainly to global uncertainties and weak external demand. Slowdown in domestic growth, among others, affected imports during the year, which was valued at US\$491 billion, with almost flat growth at 0.4%. Trade deficit widened to US\$191 billion in 2012-13, higher than US\$183 billion deficit in 2011-12. Rising current account deficit was another area of concern, which rose to an all time high of 6.7% in Q3 FY13, is expected to be 5% for 2012-13.

वैश्विक व देशी क्षेत्रों में विकास के साथ भारतीय वित्तीय बाज़ार भी आगे बढ़ता रहा। वर्ष के दौरान ईक्विटी, म्यूचुअल फंड तथा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन जारी करने के माध्यम से संसाधन एकत्रीकरण के कारण प्राथमिक बाज़ार सामान्यतया धीमी रही। मजबूत एफआईआई अंतर प्रवाह, विशेषतया वित्तीय वर्ष के द्वितीय अर्धवर्ष में विदेशी विनिमय तथा ईक्विटी बाज़ार को पूर्वाभासित किया। चलनिधि दबावों के बावजूद भी मुद्रा बाज़ार स्थिर रहा। वर्ष के अंतिम तिमाही में जी-सेक आय कम रहा लेकिन वर्ष की समाप्ति पर कुछ वृद्धि देखा गया। रुपए वर्ष के दौरान और मूल्यहासित होकर मार्च 2012 के ₹51.16 की तुलना में मार्च 2013 में ₹54 रहा।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक भारत में सर्वाधिक विकासशील राज्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचना व जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विख्यात यह राज्य विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों, प्रख्यात अनुसंधान व विकासशील संस्थाओं व कुशल मानवशक्ति का केंद्र है। कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमान लगाया गया है कि सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) में वास्तविक वृद्धि पिछले वर्ष की 5.5% की तुलना में 5.9% होगी। केनरा बैंक का उद्गम कर्नाटक राज्य में होने के नाते उसने इस राज्य में अपना नेतृत्व स्थान बनाये रखा। बैंक, राज्य में अपनी 706 शाखाओं तथा 725 एटीएम के ज़रिए पर्याप्त संख्या में लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करता आ रहा है। बैंक के कुल देशी कारोबार में राज्य का योगदान 16% रहा। राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹88738 करोड़ रहा जिसमें यथा मार्च 2013 को ₹55031 करोड़ जमा और ₹33707 करोड़ अग्रिम रहे।

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2012-13 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और सक्रिय तरलता प्रबंधन है हालांकि, वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम को संबोधित करने की दिशा में बदलाव वित्तीय वर्ष 13 के अंतिम तिमाही में किया गया था।

नकद आपूर्ति (एम₃) वृद्धि जो वित्त वर्ष के आरंभ में 13.7% था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की 13% की संकेत प्रक्षेप से कम होकर वर्ष के दौरान तथा दिसंबर 2012 के अंत तक 11.2% रहा और मार्च 2013 की समाप्ति तक 13.3% हो गया।

The financial markets in India moved in tune with the developments witnessed in the global and domestic fronts. Primary markets generally remained subdued during the year, though resource mobilization through equity issue, mutual funds and qualified institutional placements was witnessed during the year. Strong FII inflows, especially during the second half of the financial year, augured well for the foreign exchange and equity markets. Money markets remained stable, despite liquidity pressures. G-sec yields softened during the last quarter of the year, with some increase noticed at the year-end. Rupee has further depreciated during the year from ₹51.16 in March 2012 to ₹54 level in March 2013.

Economic Environment in Karnataka

Karnataka is one of the progressive States in India. Widely acclaimed for its internationally reputed Information and Bio-technology companies, the State is home to varied industrial activities, leading research and development institutions and a pool of skilled manpower. As per the Economic Survey of Karnataka 2012-13, the real growth in Gross State Domestic Product (GSDP) is estimated at 5.9% during 2012-13 compared to 5.5% recorded during last year. Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in extending financial services to large number of people through its 706 branches and 725 ATMs, spread across the State. The State contributes about 16% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹88738 crore, comprising ₹55031 crore under deposits and ₹33707 crore under advances as at March 2013.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2012-13 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity, though the shift towards addressing downside risks to growth was undertaken during Q4FY13.

Money supply (M₃) growth, which was 13.7% at the beginning of the financial year, moderated during the course of the year to 11.2% by end-December 2012 and rose to 13.3% by end-March 2013, slightly higher than the Reserve Bank of India's (RBI) revised indicative trajectory of 13%.

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समुच्चय जमा 2011-12 में रिकार्ड किये गये 13.5% की तुलना में वर्ष के दौरान 14.3% तक बढ़े। पिछले साल के 17% की तुलना में बैंक ऋणों की वृद्धि 14.1% रही। कम जमा वृद्धि के साथ ऋण जमा अनुपात यथा 22 मार्च, 2013 को 77.95% के साथ उच्चतम रहा।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र देशी विकास मंदी के कारण आस्ति गुणवत्ता में संवर्धित तनाव का अनुभव किया और बैंकों की लाभप्रदता उच्च निधीयन के लागतों के कारण घट गए।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 50 आधार बिंदुओं को कम करके रेपो दर और प्रति रेपो दर को क्रमशः 7.50% और 6.50% किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआर के 75 आधार बिंदुओं को उनके एनडीटीएल के 4.75% से 4.00% तक घटा दिया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएलआर के 100 आधार बिंदुओं को 11 अगस्त, 2012 को शुरू हुए पखवाडा से 23% तक घटा दिया गया।

वर्ष के दौरान सी.आर.आर. और रेपो दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो	सी.आर.आर.
17 अप्रैल, 2012	8.00 (-0.50)	4.75
22 सितंबर, 2012	8.00	4.50 (-0.25)
03 नवंबर, 2012	8.00	4.25 (-0.25)
29 जनवरी, 2013	7.75(-0.25)	4.25
09 फरवरी, 2013	7.75	4.00 (-0.25)
19 मार्च, 2013	7.50 (-0.25)	4.00

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी।

- देयताओं के मूल्यन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति होनी चाहिए तथा ₹1.5 मिलियन व उससे ऊपर के एकल सावधि जमाओं तथा अन्य सावधि जमाओं के ब्याज दरों में न्यूनतम परिवर्तन सुनिश्चित करें।
- एकल एनबीएफसी, जिनके कुल वित्तीय आस्तियों के 50% या उससे अधिक स्वर्ण ऋण है, के विनियामक ऋण सीमा वर्तमान 10% से घटाकर बैंक के पूँजी निधि के 7.5% कर दिया गया। तथापि, ऋण सीमा 5% तक अधिक, अर्थात् यदि अतिरिक्त ऋण आधारभूत संरचना क्षेत्र के निधीयन के लिए है तो, बैंक के पूँजी निधि के 12.5% तक हो सकता है।

During the year, Scheduled Commercial Banks' (SCBs) aggregate deposits increased by 14.3% as against 13.5% recorded in 2011-12. The growth in credit was at 14.1% compared to 17% a year ago. With lower deposits growth, the credit-deposit (C-D) ratio remained high at 77.95% as on March 22, 2013.

The banking sector in India experienced increased stress levels in the asset quality due to domestic growth slowdown and the profitability of banks came under pressure owing to higher funding costs.

The year 2012-13 saw the following key policy measures announced by the RBI.

- Reduced the Repo rate and Reverse Repo rate by 100 basis points to 7.50% and 6.50% respectively.
- Reduced the CRR by 75 basis points from 4.75% to 4% of NDTL.
- Reduced the SLR by 100 bps to 23%, w.e.f the fortnight beginning August 11, 2012.

Changes in CRR and Repo Rate during the year

Effective Since	Repo	CRR
April 17, 2012	8.00 (-0.50)	4.75
September 22, 2012	8.00	4.50 (-0.25)
November 3, 2012	8.00	4.25 (-0.25)
January 29, 2013	7.75(-0.25)	4.25
February 9, 2013	7.75	4.00 (-0.25)
March 19, 2013	7.50 (-0.25)	4.00

During the year, RBI made the following major policy announcements:

- Banks to have Board approved transparent policy on pricing of liabilities and also ensure that variation in interest rates on single term deposits of ₹1.5 million and above and other term deposits is minimal.
- The regulatory exposure ceiling in a single NBFC, having gold loans to the extent of 50% or more of its total financial assets, reduced from the existing 10% to 7.5% of bank's capital funds. However, exposure ceiling may go up by 5%, i.e., up to 12.5% of bank's capital funds if the additional exposure is on account of funds on-lent by NBFCs to the infrastructure sector.

- ऐसे सभी एनबीएफसी, जिनका कुल आस्तियों के 50% या उससे अधिक का स्वर्ण ऋण है, को दी जानेवाली सकल ऋण के लिए बैंक का एक आंतरिक उप-सीमा होनी चाहिए।
- कार्यशील पूँजी के अलावा किसी भी रूप में स्वर्ण खरीदने के लिए बैंक वित्त प्रदान करने के लिए अनुमत नहीं है।
- मुद्रा प्रबंधन पर, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि काउंटर्स पर प्राप्त नोटों का पुनःपरिचालन मशीनों द्वारा उचित प्रमाणीकरण प्राप्त होने के पश्चात ही किया गया है।
- साझेदारी फर्म, भागीदारी के तहत कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में लगे हुए सहकारी संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट, ग्रामीण सहकारी संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट श्रेणी को दी जानेवाली ₹20 मिलियन तक के ऋणों को कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आवास वित्त कंपनियों को, आवास निर्माण के लिए ₹1 मिलियन तक उधारकर्ताओं को प्रदान करने के लिए दी गई ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किया गया है, बशर्ते कि आवास वित्त कंपनी द्वारा उधारकर्ताओं पर प्रभारित ब्याज दर आवास ऋणों पर उधार देनेवाले बैंक के न्यूनतम ब्याज दर से 2 प्रतिशत बिन्दु से अधिक नहीं हो।
- पुनर्संरचित मानक खातों के लिए प्रावधान वर्तमान 2% से 2.75% तक बढ़ा दिया है।
- देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय बैंकों से अन्य) प्रशासनिक व नियंत्रण कार्य संभालने के लिए टायर 1 केन्द्रों में, रिपोर्टिंग के अधीन कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय व मंडल कार्यालय) खोलने के लिए अनुमत किए गए।
- बैंकों में ग्राहक सेवा समिति (श्री एम दामोदरन) के 10 सिफारिशों विनियामक दिशानिर्देश जारी करके कार्यान्वित किए गए जिसमें गृह ऋणों के अस्थिर ब्याज दरों पर पूर्वभुगतान प्रभारों का उन्मूलन, आधारभूत बचत खाता का प्रारंभ, सादा खाता खोलने के लिए केवाईसी दस्तावेज के रूप में यूआईडी संख्या और डेबिट कार्डों के लिए विभेदक व्यापारी छूट / शुल्क आदि के लिए बैंकों को अनुदेश शामिल है।
- Banks should have an internal sub-limit on their aggregate exposure to all such NBFCs, having gold loans to the extent of 50% or more of their total financial assets, taken together.
- Other than working capital finance, banks are not permitted to finance purchase of gold in any form.
- On currency management, banks are advised to ensure that the notes received over the counters are re-circulated only after ensuring their proper authentication through machines.
- Loans up to ₹20 million to partnership firms, cooperatives and corporates directly engaged in agriculture and allied activities under partnership, rural co-operative and corporate categories will also be classified as direct finance to agriculture.
- Bank loans to Housing Finance Companies (HFCs) for on-lending for housing up to ₹1 million per borrower will be included under the priority sector, provided the interest rate charged to the ultimate borrower by the HFC does not exceed two percentage points above the lowest interest rate of the lending bank for housing loans.
- The provision for restructured standard accounts increased from the existing 2% to 2.75%.
- Domestic scheduled commercial banks (other than RRBs) permitted to open offices performing purely administrative and controlling functions (Regional Offices and Zonal Offices) in Tier 1 centres, subject to reporting.
- Ten recommendations of the Committee on Customer Service in Banks (Shri M. Damodaran) implemented by issue of regulatory guidelines include instructions to banks on abolition of foreclosure charges on floating rate home loans; introduction of Basic Savings Account; Unique Identification Number (UID) as Know Your Customer (KYC) for opening of No Frills Account and differential merchant discount/fee for debit cards.

वर्ष 2013-14 के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं धीरे धीरे मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन नकारात्मक जोखिम ऊँचे स्तर पर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वैश्विक वृद्धि को वर्ष 2013 के लिए 3.3% और 2014 के लिए 4% दर्शाया है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की गति को बनाए रखेगी और वैश्विक वृद्धि का नेतृत्व करेगा। तथापि, कई अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित कमजोर बाह्य माँग तथा व्यापक आर्थिक असंतुलन त्वरित निपटान को प्रभावित कर सकता है।

OUTLOOK FOR 2013-14

Global growth prospects show signs of slow recovery yet downside risks to growth remain elevated. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook, April 2013 projected global growth at 3.3% for 2013 and 4% for 2014. Emerging and developing economies are regaining growth momentum and are likely to continue to lead global growth. However, weak external demand and domestic macroeconomic imbalances in many of these countries threaten faster recovery.

वर्ष 2013-14 में भारत की जी डी पी वृद्धि में सुधार प्रत्याशित है। सकारात्मक कारकों में मॉडरेट मुद्रास्फीति, निर्यातों में संवर्धन, वित्तीय बाजार में अनुकूल स्थिति तथा मजबूत पूंजी प्रवाह शामिल है। तथापि, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश दृष्टिकोण में संरचनात्मक बाधाओं के कारण गिरावट रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में वर्ष 2013-14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5.7% दर्शाया है। वार्षिक नीति का मुद्रास्फीति को 5% के आसपास रखने का प्रयास है।

वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वृहद आर्थिक विकास की संभावनाओं में सुधार के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं। बैंकों के सामने 2013-14 में रहनेवाली मुख्य चुनौती बढ़ती जानेवाली एनपीए, संवर्धित पुनर्संरचना तथा ऋण वृद्धि में निधीयन के लिए उच्च जमाओं को एकत्रित करने के प्रति आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने में बनी हुई है। वृद्धि और मुद्रा स्फीति के दृष्टिकोण के अनुरूप नकद आपूर्ति (एम 3) को करीब 13% पर प्राकलित किया गया है। 2013-14 के लिए समूचे जमाओं को 14% और समायोजित खाद्येतर ऋण के 15% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

III. वर्ष 2012-13 में केनरा बैंक

केनरा बैंक भारत के अग्रणी बैंकों में से एक है जिसका 3723 शाखाएं और 3526 एटीएम है जो 4.7 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों के बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए डिलीवरी चैनल, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, कर्मचारी ज्ञान तथा नए उत्पाद / सेवा प्रक्रियाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। वर्ष के दौरान बैंक 128 शाखाएं तथा 668 एटीएम खोले हैं।

India's GDP growth is expected to improve in 2013-14. Positive factors include moderating inflation, pick up in exports, favorable financial market conditions and strong capital flows. However, industrial activity and investment outlook remains subdued in view of the structural bottlenecks. The RBI, in its Annual Monetary Policy Statement for 2013-14, placed real GDP growth at 5.7%. The annual policy also endeavors to contain inflation at 5% by March 2014.

Indian banking industry is likely to perform better during the year based on improvement in macro-economic growth prospects. However, major challenges before the banks in 2013-14 would be addressing the issues of asset quality on the backdrop of mounting NPAs, increased restructuring and mobilizing higher deposits for funding credit growth. RBI envisages containing money supply (M3) at 13% in consonance with the outlook on growth and inflation. SCBs growth in aggregate deposits and growth in adjusted non-food credit is projected at 14% and 15% respectively for 2013-14.


III. CANARA BANK IN 2012-13

Canara Bank is one of the leading banks in India with 3723 branches and 3526 ATMs catering to more than 4.7 crore customers. The Bank continues to invest in delivery channels, information technology, customer service, staff knowledge and new products/ service process to strengthen its position in the market. During the year, the Bank opened 128 branches and 668 ATMs.

वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान, अल्पावधि अप्रतिभूत कॉर्पोरेट ऋणों तथा जमा प्रमाणपत्र सहित उच्च लागत थोक कारोबार के बड़े हिस्से को निकालकर तुलन पत्र को जोखिम से बचाने का एक सचेत निर्णय लिया। कारोबार, लाभ तथा लाभप्रदता में बैंक का निष्पादन निम्नानुसार रहा।

बैंक वर्ष 2012-13 के लिए पिछले वर्ष की ₹3283 करोड़ की तुलना में ₹2872 करोड़ निवल लाभ प्राप्त किए। परिचालन लाभ पिछले वर्ष की ₹5943 करोड़ की तुलना में ₹5890 करोड़ रहा। वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर अर्जन 0.77% रहा। वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी लाभ ₹6.96 लाख रहा।



FINANCIAL PERFORMANCE

During the year, the Bank took a conscious decision to de-risk the balance sheet by shedding a substantial portion of bulk business both on high cost, including Certificate of Deposits as well as short term unsecured corporate loans. The performance of the Bank on the business, profits and profitability fronts are as under.


The Bank earned a net profit of ₹2872 crore for 2012-13 compared to ₹3283 crore last year. Operating profit of the Bank stood at ₹5890 crore compared to ₹5943 crore last year. Return on average assets (RoAA) for the year stood at 0.77%. Profit per employee worked out to ₹6.96 lakh for the year.

शेयरधारक मूल्य में वृद्धि

Enhancing Shareholders' Value

2012-13 के लिए 130% लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले वर्ष की 110% की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए 130% लाभांश की सिफारिश की है। यथा मार्च 2013 को पिछले वर्ष की ₹429.51 की तुलना में बही मूल्य ₹490.56 हुआ। यथा मार्च 2013 को ईपीएस ₹64.83 रहा। वर्ष 2012-13 के लिए ईक्विटी पर अर्जन 14.03% रहा।



The Bank's Board of Directors recommended a dividend of 130% for 2012-13 as against 110% last year. While Book Value increased to ₹490.56 as at March 2013 compared to ₹429.51 for the previous financial, EPS stood at ₹64.83 as at March 2013. Return on Equity stood at 14.03% for 2012-13.

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2012	मार्च 2013
निधि लागत	6.72	6.96
निधि से प्रतिफल	8.95	9.05
जमा राशियों की लागत	7.35	7.72
अग्रिमों से प्रतिफल	10.93	11.13
निवेशों से प्रतिफल	7.96	8.12
औसत कार्य निधि (एडब्ल्यूएफ) के लिए स्प्रेड % के रूप में	2.23	2.09
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.50	2.40
औसत कार्य निधि के लिए परिचालन व्यय	1.35	1.37
औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आरओएए)	0.95	0.77
ईक्विटी पर प्रतिलाभ	18.75	14.03
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ों में)	13.74	14.20
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में)	8.21	6.96
बही मूल्य (₹)	429.51	490.56
प्रति शेयर अर्जन (₹)	74.10	64.83

ए डब्ल्यू एफ- औसत कार्यशील निधि

Key Financial Ratios (%)	March 2012	March 2013
Cost of Funds	6.72	6.96
Yield on Funds	8.95	9.05
Cost of Deposits	7.35	7.72
Yield on Advances	10.93	11.13
Yield on Investments	7.96	8.12
Spread as a % to AWF	2.23	2.09
Net Interest Margin (NIM)	2.50	2.40
Operating Expenses to AWF	1.35	1.37
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.95	0.77
Return on Equity	18.75	14.03
Business per Employee (₹ in Crore)	13.74	14.20
Profit per Employee (₹ in Lakh)	8.21	6.96
Book Value (₹)	429.51	490.56
Earnings per Share (₹)	74.10	64.83

AWF - Average Working Funds

आय व व्यय विश्लेषण

बैंक की ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹30851 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 10.5% वृद्धि करते हुए ₹34078 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। ब्याजेतर आय ने पिछले वर्ष की ₹2928 करोड़ की तुलना में बढ़ते हुए ₹3153 करोड़ की महत्तर वृद्धि दर्ज किया है।

वर्ष के दौरान ब्याज दरों में बढ़त के कारण बैंक की जमा लागत 7.72% बढ़ गया। अग्रिमों पर प्रतिफल पिछले वर्ष की 10.93% की तुलना में यथा मार्च 2013 को 11.13% रहा। ब्याज अंतर यथा मार्च 2012 की 2.23% की तुलना में 2.09% रहा।

13% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ब्याज व्यय ₹26199 करोड़ तक बढ़ा जबकि बैंक का परिचालनात्मक व्यय 10% बढ़कर ₹5142 करोड़ तक बढ़े। बैंक की निवल ब्याज आय ₹7879 करोड़ तक पहुंची तथा निवल ब्याज मार्जिन 2.40% रहा।


पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ

यथा मार्च 2012 की निवल मालियत ₹19027 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2013 की निवल मालियत ₹21732 करोड़ बनी है। प्रदत्त पूँजी ₹443 करोड़ रहा, आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ₹24435 करोड़ तक बढ़े हैं। यथा मार्च 2013 को बैंक में सरकारी शेयर धारण 67.72 % रहा।


(राशि ₹ करोड़ में)

पूँजी का विन्यास	मार्च 2012	मार्च 2013
जेखिम भारित परिसंपत्तियाँ	210875	243348
टायर I पूँजी	21829	23776
सीआरएआर (%) (टायर I)	10.35	9.77
टायर II पूँजी	7179	6388
सी आर ए आर(%) (टायर II)	3.41	2.63
कुल पूँजी	29008	30164
सीआरएआर (%)	13.76	12.40

Composition of Income: 2012-13



Composition of Expenditure: 2012-13



Interest Margin (NIM) worked out at 2.40%.

Income and Expenditure Analysis

The Bank's interest income recorded a y-o-y growth of 10.5% to reach ₹34078 crore compared to ₹30851 crore recorded during the previous financial year. Non-interest income increased to ₹3153 crore compared to ₹2928 crore recorded last year.

The Bank's cost of deposits increased to 7.72% due to high interest rates prevailing during the year. The yield on advances improved to 11.13% as at March 2013 compared to 10.93% last year. Interest spread stood at 2.09% compared to 2.23% as at March 2012.

While interest expenditure increased to ₹26199 crore with a y-o-y increase of 13%, the Bank contained its increase in operating expenses at 10% amounting to ₹5142 crore. The net interest income of the Bank stood at ₹7879 crore and Net

Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2013 increased to ₹21732 crore compared to ₹19027 crore as at March 2012. While total paid-up capital of the Bank was ₹443 crore, reserves and surplus increased to ₹24435 crore. The Government Shareholding in the Bank stood at 67.72% as at March 2013.

(Amt. in ₹ crore)

Composition of Capital	March 2012	March 2013
Risk Weighted Assets	210875	243348
Tier I Capital	21829	23776
CRAR (%) (Tier I)	10.35	9.77
Tier II Capital	7179	6388
CRAR (%) (Tier II)	3.41	2.63
Total Capital	29008	30164
CRAR (%)	13.76	12.40

यथा मार्च 2013 को 9.77% टायर I पूंजी अनुपात के साथ बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.40% रहा। कारोबार में वृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए टायर II के ज़रिए पूंजी जुटाने के लिए बैंक के पास अब भी गुंजाइश है।

Capital Adequacy Ratio stood at 12.40%, with Tier I capital ratio at 9.77% as at March 2013. The Bank has adequate headroom available under both Tier-I and Tier-II options to raise capital to support business growth momentum.

कारोबार संवृद्धि

जमाएँ

पिछले वर्ष की ₹327054 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2013 को बैंक के कुल जमाएँ 8.8% वृद्धि दर्ज करके ₹355856 करोड़ तक पहुँची। वर्ष के दौरान बैंक ने जमा का प्रमाणपत्र सहित ₹74500 करोड़ के उच्च लागतवाली जमा राशि को निकाल दिए। परिणामतः सीडी सहित उच्च लागतवाली थोक जमाओं के हिस्सा मार्च 2012 के 45% से घटकर यथा मार्च, 2013 को 20% हो गया।

बैंक के कासा जमाएँ यथा मार्च 2013 को ₹86061 करोड़ हुए। देशी जमाओं में कासा का हिस्सा 25.12% रहा। यथा मार्च 2013 को बचत जमाएँ 9.8% बढ़कर ₹71168 करोड़ हुए। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कासा जमाएँ जुटाने के लिए देशभर में अभियान चलाए। कुल मिलाकर अभियान अवधि के दौरान बैंक ने ₹6100 करोड़ के कारोबार के साथ 30 लाख नए कासा ग्राहकों को जोड़ा।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, सभी शाखाओं ने कुल 42 लाख से अधिक जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 4.17 करोड़ तक पहुँच गयी।

अग्रिम (निवल)

वर्ष के दौरान बैंक का निवल अग्रिम पिछले वर्ष की ₹232490 करोड़ की तुलना में ₹242177 करोड़ पहुँच गया। अग्रिम संविभाग में मॉडरेट वृद्धि थोक अग्रिम जैसे ₹22000 करोड़ के अल्पावधि अप्रतिभूत अग्रिम को निकालने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ।

बैंक के विविधकृत ऋण संविभाग में अर्थव्यवस्था के उत्पादक खंड जैसे कृषि तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कॉर्पोरेट तथा आधारभूत संरचना खंड को ऋण आदि शामिल है। यथा मार्च 2013 को बैंक के उधार खातों की संख्या पिछले वर्ष के 45 लाख से 53 लाख तक बढ़ी।

BUSINESS GROWTH

Deposits

Total Deposits of the Bank registered a growth of 8.8% to reach ₹355856 crore as at March 2013 compared to ₹327054 crore a year ago. During the year, the Bank shed about ₹74500 crore of high cost deposits, including Certificate of Deposits. As a result, the share of high cost bulk deposits including CDs came down from 45% as at March 2012 to 20% as at March 2013.



The Bank's CASA deposits reached ₹86061 crore as at March 2013. The Bank's CASA deposits to domestic deposits stood at 25.12%. Savings deposits rose by 9.8% to ₹71168 crore as at March 2013. During FY13, the Bank launched nationwide campaigns to mobilize CASA deposits. During the campaign period, the Bank brought in about 30 lakh fresh CASA clientele and about ₹6100 crore CASA deposits in the new accounts.

Pursuing a strategy of broad-basing deposit clientele, all the branches together added 42 lakh deposit accounts, taking the total number of deposit accounts to 4.17 crore.

Advances (Net)

During the year, the Bank's net advances reached ₹242177 crore compared to ₹232490 crore a year ago. The moderate growth in advances was due to shedding of bulk advances viz., short term unsecured corporate loans amounting to ₹22000 crore.

The Bank's diversified credit portfolio include all productive segments of the economy like agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), exposure to corporates and infrastructure segments. As at March 2013, the number of borrowal accounts increased to 53 lakh from 45 lakh last year.



प्रति कर्मचारी कारोबार द्वारा मापी जानेवाली उत्पादकता पिछले वर्ष के ₹13.74 करोड़ की तुलना में ₹14.20 करोड़ तक बढ़ी। वर्ष के दौरान बैंक का ग्राहक आधार पिछले वर्ष के 4.2 करोड़ से 4.7 करोड़ तक बढ़ा।

खुदरा ऋण परिचालन

बैंक के खुदरा ऋण दान यथा मार्च 2013 को ₹23084 रहा। खुदरा ऋण दान में संवितरण ₹8710 करोड़ रहा। बकाया आवास ऋण संविभाग ₹13134 करोड़ तक बढ़े जो कुल खुदरा ऋण संविभाग की 57% होती है। आवास ऋण संविभाग (प्रत्यक्ष) के तहत बैंक का अग्रिम ₹8688 करोड़ तक बढ़ा।

बैंक ने वर्ष के दौरान खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय अपनाये हैं। बैंक ने नए खुदरा ऋण उत्पाद जैसे केनरा गृह प्लस, केनरा उपभोक्ता ऋण तथा संपत्ति के एवज में ऋण प्रारंभ किए। दो केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयों को खुदरा आस्ति केन्द्रों में स्तरोन्नयन किए गए जिससे देशभर के मुख्य केंद्रों में बैंक के 42 खुदरा आस्ति केन्द्र तथा 3 केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई हो गई है।

शिक्षा ऋण

भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक का शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर ₹4343 करोड़ किया है। यथा मार्च 2013 को बैंक ने 2.17 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया। शिक्षा ऋणों पर ब्याज अनुदान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत अनुदान अनुप्रयुक्त करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया।

कोष

यथा मार्च 2013 को बैंक के समूचे निवेश (निवल) ₹121133 करोड़ रहे। संविभाग संशोधित अवधि पिछले वर्ष मार्च 2012 के 4.62 से 4.73 तक बढ़ गया। कम दिनांकित प्रतिभूतियों के छुड़ाने और मध्यम और दीर्घ दिनांकित प्रतिभूतियों में नए सिरे से निवेश करने के कारण बिकवाली के लिए उपलब्ध संशोधित अवधि यथा मार्च 2012 की 3.23 से यथा मार्च 2013 को 4.16 हुई। वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ पिछले वर्ष की ₹324 की तुलना में ₹676 करोड़ था। निवेशों पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 7.96% की तुलना में यथा मार्च 2013 को 8.12% तक बढ़ा।


Productivity, as measured by business per employee, increased to ₹14.20 crore from ₹13.74 crore a year ago. During the year, the Bank's total clientele base increased to 4.7 crore from 4.2 crore last year.

Retail Lending Operations

Outstanding retail lending of the Bank reached ₹23084 crore as at March 2013. The disbursements under the retail lending stood at ₹8710 crore. The outstanding housing loan portfolio stood at ₹13134 crore, constituting 57% of the total retail lending portfolio. The Bank's advances under Housing Loan (direct) increased to ₹8688 crore.

The Bank took several measures during the year to expand retail credit. The Bank introduced new retail loan products, viz., Canara Home Loan Plus, Canara Consumer Loan and Canara Loan against Property. Two Central Processing Units (CPUs) at Bhopal and Ludhiana were upgraded as Retail Asset Hubs, taking the total tally under Retail Asset Hubs to 42 and 3 CPUs at major centres across the country.

Education Loans



Over the years, the Bank has supported lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹4343 crore. The Bank has financed more than 2.17 lakh students as at March 2013. The Bank is designated as the nodal bank for administering subsidy under the Central Sector Scheme for Interest Subsidy on education loans.

TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank was at ₹121133 crore as at March 2013. Portfolio modified duration increased to 4.73 years from 4.62 years as at March 2012. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio increased to 4.16 years as at March 2013 from 3.23 years as at March 2012 due to redemption of short dated securities and fresh investments made in medium and long dated securities. The trading profit for the year was ₹676 crore as against ₹324 crore last year. The yield on investments improved to 8.12% compared to 7.96% a year ago.

सरकारी प्रतिभूतियों में बड़े व्यापारी के रूप में बैंक सक्रिय भाग लेता रहा। हमीदारी वचनबद्धताओं की कुल राशि ₹107103 करोड़ था, जिसमें से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हमीदारी के लिए स्वीकृत वचनबद्धता राशि ₹69347 करोड़ के थे। द्वितीय अर्ध वर्ष के दौरान प्रधान व्यापारी के रूप में बैंक ने 40% अद्यादेशी प्रतिशतता की तुलना में 51.84% सफलता अनुपात हासिल किया।

यथा मार्च 2013 को बैंक का समूचे विदेशी कारोबार पण्यवर्त ₹143795 करोड़ रहा जिसमें ₹54328 करोड़ निर्यात, आयातों में ₹40391 करोड़ और प्रेषणों के तहत ₹49076 करोड़ रहे। यथा मार्च 2013 को बैंक का बकाया निर्यात ऋण ₹10067 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

लंदन व लीसेस्टर (यू.के.), होंग कोंग व शंघाई (चीन) और मनामा (बहरीन) में एक-एक शाखा तथा शारजाह (यू.एई) में प्रतिनिधि कार्यालय के साथ बैंक 6 देशों को प्रावरित करती है। इसके अलावा माँस्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (एल.एल.सी.) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम भी परिचालन कर रहा है।

वर्ष के दौरान समस्त विदेशी शाखाओं ने संवर्धित कारोबार कार्यनिष्पादन दर्ज किया। मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पाँच विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹28786 करोड़ रहा, जो बैंक के कुल कारोबार का 4.8% है।

कतर, जोहनेज़बर्ग (दक्षिण आफ्रीका), फ़्रांक फ़ुर्ट (जर्मनी), न्यू यॉर्क (यू.एस.ए.), सावो पौलो (ब्राज़ील), दार-ई-सलाम (तानज़ानिया), टोकियो (जापान), अबुजा (नाइजीरिया) और जेद्दाह (साउदी अरेबिया) जैसे 9 अन्य अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में विस्तारण के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया। बैंक ने जोहनेज़बर्ग में शाखा खोलने के लिए साउथ आफ्रीकी रिज़र्व बैंक से सहमति पत्र प्राप्त किया है।

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को 373 संपर्ककर्ता बैंकों के विस्तृत तंत्र का अच्छा समर्थन मिल रहा है जो 79 देशों में फैले हुए हैं। बैंक ने अनिवासियों के सहज धनप्रेषण हेतु मध्य पूर्व के 30 विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों सहित 16 मध्य पूर्वी बैंकों से रुपये आहरण की व्यवस्था की है। बैंक क्रमशः अन्यत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति एवं प्रबंधन करार के अधीन दो विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों, अर्थात् अल रजौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज कम्पनी, दुबई और ईस्टर्न एक्सचेंज इस्टैब्लिशमेंट, कतर का प्रबंधन कर रहा है।

The Bank continues to be an active player in Government Securities as a primary dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹107103 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹69347 crore. During the second half year, the Bank achieved 51.84% success ratio as against minimum success ratio of 40% of its obligation as a Primary Dealer.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹143795 crore, comprising ₹54328 crore under exports, ₹40391 crore under imports and ₹49076 crore under remittances as at March 2013. Outstanding export credit of the Bank stood at ₹10067 crore as at March 2013.

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank's overseas operations covered 6 countries with one branch each at London and Leicester (UK), Hong Kong, Shanghai (China) and Manama (Bahrain), a Representative Office at Sharjah (UAE) and a joint venture Bank, namely, Commercial Bank of India LLC in Moscow in association with State Bank of India.

All overseas branches recorded improved business performance during the year. Total business of the five overseas branches aggregated to ₹28786 crore for the financial year ending March 2013, constituting 4.8% of the Bank's total business.

The Bank has approval from RBI for expansion in 9 other international centres, namely, Qatar Financial Centre (Qatar), Johannesburg (South Africa), Frankfurt (Germany), New York (USA), Sao Paulo (Brazil), Dar-es-Salaam (Tanzania), Tokyo (Japan), Abuja (Nigeria) and Jeddah (Saudi Arabia). In this regard, the Bank has filed application with regulators of Qatar, Germany and USA. The Bank has already received consent from South African Reserve Bank for opening a branch at Johannesburg.

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 373 Correspondent Banks, spread across 79 countries. Rupee Drawing Arrangement has been made with 30 Exchange Houses and 16 Overseas Banks in the Middle East for channelizing the remittances of Non-Resident Indians. The Bank has been managing two Exchange Houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreement respectively.

बैंक ने वर्ष के दौरान 'मुद्रा विप्रेषण' के अधीन वेब आधारित उत्पाद का विस्तार 29 एक्सचेंज कम्पनियों तथा 4 विदेश शाखाओं जैसे लंदन, लीसेस्टर, शांघाई और होंग कोंग में किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने यू ए ई के 3 विनिमय घरों के साथ विप्रेषण व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं अनुमोदित की है।

अन्य सेवाएं

बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पूंजीगत लाभ बंध पत्रों के जारी किए जाने का काम संभाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पूंजीगत लाभ बंध पत्र जारी करने से व्यापार बैंकिंग विभागों द्वारा एकत्रित की गई राशि ₹83.95 करोड़ थी। वर्ष के दौरान "ईक्विटी के उचित मूल्यांकन" के 7 विशेषीकृत समनुदेशनों को भी संभाला है।

तीन निजी प्लेसमेंट इश्यू के लिए बैंक वसूलीकर्ता बैंकर के रूप में काम किया जिसमें ₹1285.78 करोड़ की निधियाँ शामिल हैं। नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा ए एस बी ए के तहत संचालन की गई इश्यूओं की संख्या 30 है तथा ₹44.12 करोड़ राशि कमाया गया। यथा मार्च 2013 को ए एस बी ए के तहत नामोद्दिष्ट शाखाओं की संख्या 152 से 1874 हुई।

वर्ष के दौरान **सिंडिकेशन ग्रुप** ने ₹3283 करोड़ लगनेवाली परियोजनाओं को संभाला जिनमें ₹2257 करोड़ कुल बकाया लगते हैं। ग्रुप ने सिंडिकेशन परिचालनों से बड़े पैमाने पर शुल्क आधारित आय अद्यत की है। सड़क, शक्कर, मेट्रो रेल आदि जैसे विभिन्न विभागों में परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रबंधन किया।

"**बैंक एश्यूरेंस**" विभाग के तहत जीवन और जीवनेतर बीमा दोनों विभागों में गठ-जोड़ प्रबंध है। केनरा एच.एस.बी.सी. ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी के साथ गठ-जोड़ से ₹25.90 करोड़ कमीशन के रूप में कमाई। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत अपने संयुक्त वेंचर केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹4.95 करोड़ प्राप्त की। बैंक ने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कम्पनी लि. से जेनरल इन्श्यूरेंस व्यवसाय हेतु गठ-जोड़ किया और परिणामस्वरूप इस वर्ष ₹11.92 करोड़ कमीशन आय कमाया। बैंक ने पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से निर्यात नीतियों के विपणन हेतु मेसर्स भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया है।

'Remit Money', a Web Based Speed Remittance product has been extended to 29 Exchange Houses and to 4 overseas branches, viz., London, Leicester, Shanghai and Hong Kong. During the year, the Bank has approved arrangements under Remit Money with three more Exchange Houses in UAE.

OTHER SERVICES

The Bank's Merchant Banking Division handled Private Placement Capital Gain Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC) as Arrangers. The amount mobilized in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹83.95 crore. Seven specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year.

The Bank acted as Collecting Banker for 3 Private Placement Issues, involving an amount of ₹1285.78 crore. The number of Public and Debt Issues handled under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) by designated Branches was 30 and the amount blocked was ₹44.12 crore. The number of designated Branches under ASBA increased from 152 to 1874 as at March 2013.

The **Syndication Group** handled projects, involving project cost of ₹3283 crore during the year, with a total debt size of ₹2257 crore. The Group generated fee-based income from the syndication operations. The funds are arranged for projects in various segments like Road, Sugar, Metrorail, etc.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its '**Bancassurance**' arm. The Bank earned a commission income of ₹25.90 crore from its joint venture viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹4.95 crore from its joint venture viz., Canara Robeco Asset Management Company Ltd. The Bank's tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL) for Non-Life (General) Insurance business has resulted in a commission income of ₹11.92 crore during the year. The Bank has also Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

बैंक ने **कार्ड कारोबार** के अधीन क्रेडिट और डेबिट-सह-एटीएम कार्ड का आधार बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है। यथा मार्च 2013 को बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार 95.53 लाख तक बढ़ी। वर्ष के दौरान कार्ड कारोबार में ₹131 करोड़ का आय हुआ।

बैंक 46 **निक्षेपागार सेवा केन्द्रों** के साथ देश के 36 केन्द्रों में निक्षेपागार सेवाएँ दे रहा है। बैंक मेसर्स केनरा बैंक सेक्यूरिटिज़ लिमिटेड, मुंबई नाम के दलाली अनुषंगी के ज़रिए डी.पी. ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

निष्पादक, न्यासी और कराधान सेवाएँ जैसी बैंक की इकाइयाँ डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासिता, वसीयतनामा एवं निष्पादक, न्यासिता, व्यक्तिगत कर सहायता तथा मुख्तारनामा सेवाएँ दे रही हैं। वर्ष के दौरान इसने ₹1.52 करोड़ रुपए के शुल्क आधारित आय प्राप्त किए हैं।

सरकारी कारोबार के अधीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, विभिन्न विभागों को पेंशन का भुगतान, मंत्रालय के खाताएँ, डाक विभाग, लोक भविष्य निधि योजना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार के बांड की बिक्री से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹72.43 करोड़ का आय अर्जित किया।

बैंक मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कला विभाग – भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय तथा खेल व युवा मामले मंत्रालय के मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में प्राधिकृत है। बैंक ने मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय के लिए वेब-पोर्टल विकसित किया है जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान योजना की निधियों का ई-ट्रैकिंग किया जा रहा है जिसका बैंक ने देश के सारे राज्यों में अमल किया है। बैंक ने महाराष्ट्र, तमिल नाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली राज्यों में विक्रय / वाणिज्य करों का ई-भुगतान, महाराष्ट्र में विचुल कोष पैकेज, तमिल नाडु परिवहन विभाग के करों का ई-भुगतान तथा चेन्नई निगम के लिए संपत्ति कर का ई-भुगतान अमल किया। बैंक ने सीपीपीसी पैकेज के लिए ई-चालन / स्कॉल तथा एन पी एस के ऑनलाइन संस्करण के लिए स्वीकृति भी प्रारंभ किया।

युनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के लिए अधिग्रहण बैंकरों के रूप में बैंक को प्राधिकृत किया गया। भारत में बहु प्रयोजनकारी राष्ट्रीय पहचान पत्र या यू.आई.डी. अमल करने के लिए भारत सरकार की एजेंसी के रूप में फरवरी 2010 में यू.आई.डी.ए. स्थापित किया गया। अब यह परियोजना 8 केन्द्रों में अमल

Under **Card Business**, the Bank took several initiatives to expand credit and debit-cum-ATM card base. The total debit card base of the Bank increased to 95.53 lakh as at March 2013. Income under card business during the year was at ₹131 crore.

The Bank offers its **Depository Services** from 46 DP Service Centres spread across 36 centres in the country. Through these Centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients from its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Limited, Mumbai.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. During the year, it generated fee based income of ₹1.52 crore.

Under **Government Business**, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions of various departments, Ministry Accounts, Postal Department, Public Provident Fund Scheme and issue of bonds of RBI and Government of India, the Bank earned an income of ₹72.43 crore during the year.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), handling Department of School Education and Literacy, Department of Higher Education, Department of Arts – Archeological Survey of India, Ministry of Culture and Ministry of Youth Affairs and Sports. The Bank has developed a Web-Portal for Ministry of HRD for e-tracking of funds under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Scheme and implemented the web portal in all the States. The Bank has implemented E-payment of Sales Tax/ Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, E-Payment of Taxes to Transport Department in Tamilnadu and Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamilnadu. The Bank has also introduced E-challans/Scrolls for CPPC Package and acceptance of online subscription for NPS.

The Bank is authorized as one of the accredited Bankers for **Unique Identification Authority of India (UIDAI)**, New Delhi. The UIDAI was established in February 2010, as an agency of Government of India, responsible for implementing the Multipurpose National Identity Card or Unique Identification Card (UID Card) project in India. The project is implemented in 8 Centres at present and the

की गई है और उन केंद्रों में बैंक की शाखाएं यू.आई.डी.ए. खातों को संभालने के लिए नामोद्दिष्ट की गई है।

वर्ष के दौरान मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप, 6 यूजीसी छात्रवृत्ति योजनाएं तथा छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित की है।

बैंक ने 16.01.2012 से केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के निदेशों के अनुसार 103 केंद्रों में **उत्पादन शुल्क की ई-भुगतान** कार्यान्वित की है।

बैंक ने बेंगलूर नगर की 10 शाखाओं में **ई-स्टाम्पिंग** परियोजना शुरू की है और इसे कर्नाटक राज्य के 26 जिला मुख्यालय स्थित शाखाओं में अमल किया जा रहा है।

कृषि परामर्शी सेवाएँ (एसीएस) इकाई समीक्षा वर्ष में 86 समनुदेशनों का संचालन किया। इन 86 समनुदेशन कार्य में 42 मूल्यांकन, 10 वैधता अध्ययन, 27 पुनरीक्षण तथा 7 अन्य अध्ययन व प्रशिक्षण शामिल है। इन समनुदेशन कार्यों के कुल आय ₹709 करोड़ के सावधि ऋण व प्रसंस्करण शुल्क के रूप में बैंक द्वारा वसूल की गई ₹7.09 करोड़ की गैर-ब्याज आय है।

आस्ति गुणवत्ता व जोखिम प्रबंधन

₹4006 करोड़ – अब तक की सर्वाधिक नकद वसूली

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने एन पी ए नियंत्रित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है तथा रिकॉर्ड नकद वसूली की है। यथा मार्च 2013 को बैंक के सकल एन पी ए स्तर 2.57% के सकल एन पी ए अनुपात के साथ ₹6260 करोड़ रहा। बैंक का सकल एन पी ए अनुपात अन्य महत्वपूर्ण बैंकों से कम रहा। ₹5278 करोड़ निवल एन पी ए स्तर के साथ इसका अनुपात 2.18% रहा।

वित्तीय वर्ष 12 के ₹3296 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सर्वाधिक ₹4006 करोड़ की नकद वसूली हुई। इसमें से ₹1488 करोड़ की वसूली बट्टे खाते डालने से व अनुप्रयोजित खातों की वसूली से हुई।

वर्ष के दौरान सरफेसी अधिनियम के तहत ₹1560 करोड़ की वसूली की गई। बैंक ने 22500 वसूली बैठक आयोजित की जिसके परिणाम स्वरूप ₹1250 करोड़ की वसूली हुई। लोक अदालत के तहत 820 मामले निपटा गया जिसमें से ₹14.50 करोड़ वसूल के गई। वर्ष के

Bank's branches at these Centres have been designated as the branches for handling the UIDAI accounts.

During the year, the Bank has entered into a MoU with Ministry of HRD for implementing Maulana Azad National Fellowship, 6 UGC Scholarship Schemes and National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education (NSIGSE).

The Bank has implemented **E-payment of Customs** in 103 locations as per the direction of the Central Board of Excise and Customs, New Delhi, with effect from 16.01.2012.

E-stamping project is introduced in 10 branches in Bangalore. The project is under implementation at other 26 branches situated in the District Head Quarters in the State of Karnataka.

Agricultural Consultancy Services (ACS) outfit of the Bank handled 86 assignments. These 86 assignments consisted of 42 appraisals, 10 viability studies, 27 vettings and 7 other studies and trainings. The total outlay of the assignments works out to a term loan component of ₹709 crore and non-interest income derived by the Bank in the form of processing fee was ₹7.09 crore.

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

All Time High Cash Recovery at ₹4006 crore

Asset Quality

The Bank has performed well in containing Non-performing Assets (NPA) and made record cash recoveries. The gross NPA level of the Bank stood at ₹6260 crore, with a gross NPA ratio at 2.57% as at March 2013. The Bank's gross NPA ratio continues to be one of the lowest among peers. With a Net NPA level of ₹5278 crore, the net NPA ratio was at 2.18%.

Cash Recovery during FY13 aggregated to a record ₹4006 crore compared to ₹3296 crore for FY12. Out of this, recovery from written off accounts at branches, write-back and unapplied interest together amounted to ₹1488 crore.

During the year, recovery amounting to ₹1560 crore was made under SARFAESI Act. The Bank conducted 22500 recovery meets, which resulted in a recovery of ₹1250 crore. Under Lokadalat, 820 cases were settled

दौरान ₹851 करोड़ की राशि वसूली / पुनर्वास के रूप में स्तरोन्नत किया गया। साथ में बैंक ने फिसलन को रोकने तथा अतिदेय ऋण खातों से त्वरित वसूली करने के लिए कई पहल की। इसमें समय में पुनर्संरचना / पुनःचरणबद्धता के लिए खातों का पहचान, शाखा स्तर पर केन अदालतों का आयोजन तथा अंचल कार्यालय स्तर पर एकमुश्त निपटान के लिए मेगा अदालतों का आयोजन, कॉल सेंटर व ई-नीलाम के जरिए अतिदेय ऋण खातों का नियमित अनुवर्तन आदि शामिल है। ₹1 करोड़ से कम के एन पी ए तथा एम एस एम ई के निपटान के लिए बैंक ने एक विशेष योजना रूपायित की है।

जोखिम प्रबंधन

पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क तथा भावि रणनीतियाँ

पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के कार्यान्वयन के लिए प्रधान कार्यालय में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। एकीकृत मध्य कार्यालय (देशी व विदेशी कोष) निवेशों तथा विदेश विनिमय कार्य के बाज़ार जोखिम के प्रभावी व स्वतंत्र पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत कार्यरत है। जोखिम प्रबंधन विभाग के एक विस्तारित इकाई के रूप में सभी 34 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत है।

बैंक में जोखिम प्रोफाइल के सभी पहलुओं तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन नीतियाँ उपलब्ध है। इसमें साख जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियाँ शामिल है।

बैंक में बासेल II मानकों के स्तंभ 2 के तहत एक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक, इनके अनुषंगियों, प्रायोजित निकायों तथा सहबद्ध संस्थाओं के देशी, समुद्रपारीय परिचालनों को प्रावित करता है। आईसीएएपी में तनाव परीक्षण परिदृश्य के संबद्धता भी दर्ज किया गया है। आईसीएएपी दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है जिसका अनुमोदन बैंक के बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

प्रधान कार्यालय में एक पूँजी आयोजना समिति कार्यरत है और यह समिति कारोबार रणनीतियों के अनुरूप बैंक के पूँजी आवश्यकताओं तथा विस्तृत आर्थिक परिदृश्य को परिलक्षित करता है। समिति सीआरएआर के उचित स्तर के रख-रखाव तथा पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन भी करता है।

covering ₹14.50 crore. During the year, an amount of ₹851 crore was upgraded on account of recovery/rehabilitation. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include identification of stressed accounts for restructuring/rephasing in time, conduct of Canadalats at branch level and mega adalats at Circle level for one time settlements, regular follow-up of overdues in loan accounts through Call Centre and e-auctions. The Bank also formulated a special scheme for settlement of small NPAs and for MSMEs below ₹1 crore.

Risk Management

Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An Independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Integrated Mid-Office (Domestic and Forex Treasury) is functioning under the Risk Management Wing for effective and independent supervision and monitoring of Market Risk in investment and forex functions. Risk Management Sections are functioning at all the 34 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing.

The Bank has in place Risk Management Policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Market Risk Management and Operational Risk Management.

An Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel II Norms is in place. The ICAAP exercise covers the domestic, overseas operations of the Bank, the subsidiaries, sponsored entities and associates. Linkages to Stress Test Scenarios are also documented in ICAAP. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

A Capital Planning Committee is operational at Head Office and this Committee articulates the macro economic scenarios vis-à-vis the Capital requirements of the Bank in tune with business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of CRAR and evaluates various options for raising Capital.

बासेल II के तहत एडवांस्ड दृष्टिकोण को अपनाना

बासेल II के तहत एडवांस्ड दृष्टिकोण में अंतरण हेतु साख के लिए पूँजी, बाज़ार तथा परिचालनात्मक जोखिम आदि के परिकलन के लिए, बैंक में तथा इसके निकायों में एंटरप्राइस वाइड एकीकृत जोखिम प्रबंधन सॉल्यूशन के कार्यान्वयन के लिए एक परामर्शदाता के सेवा, बैंक को आवश्यक जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु, नियोजित किया गया है।

बैंक ने साख जोखिम के लिए पूँजी प्रभाओं का परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए आशय-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को दर्ज किया है तथा बाज़ार जोखिम व परिचालन जोखिम हेतु एडवांस्ड दृष्टिकोण में अंतरण के लिए आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

बासेल III के लिए तैयारी

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के दिशानिर्देशों के जवाब के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 02 मई, 2012 को बासेल III दिशानिर्देशों को जारी किया है। बासेल III पूँजी विनियमों पर अंतिम दिशानिर्देश एक चरणबद्ध तरीके से दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2018 तक बासेल III दिशानिर्देशों का संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए, भारतीय बैंकों को 5.50% का न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टायर I पूँजी, 7.00% टायर I पूँजी, 9.00% का कुल पूँजी तथा 2.50% की पूँजी संरक्षण बफर की आवश्यकता है। बैंकों को भी 01 जनवरी, 2013 से 01 जनवरी, 2017 तक के समांतर रन के दौरान 4.5% का न्यूनतम टायर I लाभ अनुपात को, जोखिम आधारित पूँजी आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में बनाए रखना चाहिए।

बासेल III के प्रभावों के निर्धारण के लिए बैंक के आंतरिक अनुमान के अनुसार बैंक निर्धारित आवश्यकता के ऊपर सीईटी I व टायर I पूँजी के साथ पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहेगा। साथ में बैंक के पास भविष्य में किसी कमी के मामले में पूँजी जुटाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश भी उपलब्ध है।

बैंक द्वारा अपनी बहियों में होनेवाली पूँजी की प्रमाणा और गुणवत्ता के साथ ऐसा उम्मीद किया गया है कि बासेल III में अंतरण को किसी भी कठिनाई के बिना वित्तीय वर्ष 2014 तक पूरा किया जाएगा। आगे हमारे बैंक की पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति नए ईक्विटी पूँजी जोड़ने से, लाभ का प्रतिधारण, कारोबार लीवर का अनुकूलन व प्रो एक्टिव पूँजी आयोजना तथा प्रबंधन आदि के माध्यम से किया जाएगा।

साख जोखिम प्रबंधन

बैंक में साख जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक नीतियाँ और प्रक्रियाओं सहित कई जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है। बैंक द्वारा लिए गए विभिन्न पहल निम्नानुसार है।

Adoption of Advanced Approaches under Basel II

In the Bank's endeavor to move towards Advanced Approaches under Basel II for computation of Capital for Credit, Market and Operational Risk, the service of a Consultant for implementation of Enterprise Wide Integrated Risk Management solution in the Bank and its Group Entities is engaged to provide assistance to the Bank in building the requisite risk management framework.

The Bank has submitted Letter of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk and applications for moving over to advanced approaches for Market Risk and Operational Risk shall be submitted in a phased manner.

Preparedness for Basel III

In response to Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) guidelines, RBI issued the Basel III guidelines on May 2, 2012. The final guidelines on Basel III Capital Regulations is effective from 1st April, 2013 in a phased manner. As per RBI guidelines, with full implementation of Basel III guidelines by March 31, 2018, banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.5% during parallel run from 1st January, 2013 to 1st January, 2017, as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

As per Bank's internal estimate carried out to assess the impact of Basel III, the Bank shall remain adequately capitalized with CET 1 & Tier 1 capital well above the stipulated requirement. Also, sufficient headroom is available with the Bank to raise the capital in case of any shortfall in future.

With the quantum and quality of capital that the Bank is having in its books, it is expected that the transition to Basel III regime would be met without any difficulty upto FY 2014. Moving ahead, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profit, optimization of business levers and proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Bank has various risk management systems for managing Credit Risk with comprehensive policies and procedures in place.

- साख जोखिम रेटिंग के आधार पर मूल्यन
- जोखिम रेटिंग के आधार पर प्रवेश बाधाओं को तय किया गया है।
- उधारकर्ताओं के आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों को साख मंजूरी अधिकारों को प्रत्यायोजित किया गया।
- शाखा अधिकार के परे साख मंजूरी के लिए समिति दृष्टिकोण को प्रारंभ किया गया।
- बैंक में एक विशिष्ट साख निगरानी नीति उपलब्ध है। बैंक के साख निगरानी नीति में सुस्पष्ट किया गया ऋण समीक्षा तंत्र समीक्षा के सभी पहलुओं को प्रावरित करते हैं तथा लगातार ऋण बही के मूल्यांकन के लिए निगरानी एक प्रभावी उपकरण है और साख लेखा परीक्षा सहित साख प्रशासन, जो साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा प्रशासित है, में गुणात्मक सुधार लाने का इरादा है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाज़ार जोखिम ढाँचा बाज़ार जोखिम के ऋण सीमा से संबंधित निवेश, संविभागों के निष्पादन की तुलना में ऋण जोखिम व तुलनीय मानदंडों को प्रदान करके अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने का लक्ष्य करते हैं।

जोखिम प्रबंधन विभाग के एकीकृत मध्य कार्यालय बाज़ार जोखिम की निगरानी कर रहे हैं। ऋण सीमाएं जैसे व्यापार बही में हानि रोध सीमा, विभिन्न मुद्रा स्थितियों के लिए अंतरदिवसीय व रातों-रात सीमा, क्रेतावार सीमा, कुल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालन पर सीमा, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा तथा वीएआर सीमा आदि जोखिम प्रशामक / चालक के रूप में कार्य करने के लिए तय किए गए हैं। अन्य चालकों के साथ इन सीमाओं को दैनिक आधार पर ट्रैक करते हैं तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। प्रभावी बाज़ार जोखिम प्रबंधन की रिपोर्टिंग प्रणाली मजबूत की गई है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन ढाँचा कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण की संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिकता आयोजन से जुड़ी हुई नैतिकता, संगठन की संस्कृति तथा मजबूत परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम की प्रबंधन के लिए नीतियाँ, जो जोखिम प्रबंधन संरचना, बीमा, कारोबार निरंतरता योजना, आउटसोर्सिंग व विधि जोखिम जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रावरित करनेवाले, अपनाए हैं।

- Pricing based on credit risk rating.
- Entry barriers fixed based on risk rating.
- Credit sanctioning powers are delegated to various authorities based on internal risk rating of the borrowers.
- Committee approach for credit sanctioning beyond branch powers have been introduced.
- An exclusive Credit monitoring policy has been put in place. The loan review mechanism articulated in the Credit Monitoring Policy covers the entire gamut of review and monitoring to be an effective tool for evaluating the loan book continuously and intends to bring out qualitative improvements in credit administration including Credit Audit duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at maximizing the return by providing inputs regarding the extent of market risk exposures, the performance of portfolios *vis-a-vis* the risk exposure and comparable benchmarks.

Integrated Mid-Office at Risk Management Wing is monitoring Market Risk Exposure. Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on trading book, Intraday and overnight limit for various currency positions, Dealer-wise limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified-duration limits for Investment portfolio and VaR limits are fixed to act as risk mitigants/ triggers. These limits along with other triggers are tracked daily and necessary actions are initiated. Reporting system is strengthened for effective Market Risk Management.

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities, Business Continuity Plan, Insurance and Legal Risks.

अब बैंक "बेसिक इंडिकेटर एप्राच" से बासेल II ढांचा के "एडवांस्ड एप्राच" में अंतरण के लिए अपनी यात्रा शुरू की है। एडवांस्ड एप्राच के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने प्रक्रियाएं / गतिविधियाँ प्रारंभ की है।

आस्ति देयता प्रबंधन

एक प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संतुलन, लाभप्रदता तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए तरलता एवं ब्याज दर जोखिम संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। बैंक के निदेशक मंडल ने, आस्ति तथा देनदारी के विभिन्न घटकों के ब्याज दर निर्धारण, इसकी संरचना, परिपक्वता व अवधि आदि सहित एएलएम की कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है।

समूह जोखिम

बैंक को विभिन्न अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाईयाँ आदि हैं जो विभिन्न विविध गतिविधियों में सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक को इन समूह इकाईयों में पर्याप्त शेर होने के कारण बैंक ने अंतर समूह लेन-देनों तथा ऋणों में जोखिम को पहचानना तथा प्रबंधन करने, समूह इकाईयों के बीच के हितों के संघर्षों को कम करने / से बचने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के स्तर को बढ़ाने तथा कारोबार मानदंडों के अनुसार इकाईयों में "आर्म्स लेंथ सिद्धांत" को सुनिश्चित करने के लिए समूह जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक कृषि, सूक्ष्म व लघु उद्यम, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्ग, अजा / अजजा और विशेषीकृत अल्प संख्यक समुदायों को शामिल करके राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता आ रहा है।

बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम यथा मार्च 2013 को 48 लाख उधारकर्ताओं को प्रावित करते हुए ₹78998 करोड़ पहुंच गया।

(राशि ₹ करोड़ों में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च		वृद्धि	
	2012	2013	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	67383	78998	11615	17.24
कृषि	31946	40786	8840	27.67
प्रत्यक्ष कृषि	27848	37984	10136	36.40

कृषि को साख प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि संविभाग के तहत बैंक का कुल ऋण वितरण ए एन बी सी के 18% के अधिदेशी लक्ष्य के स्तर को पार करके 18.22% प्राप्त करके, 40 लाख किसानों को प्रावित करते हुए को ₹40786 करोड़ पहुंच गया।

At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approaches of Basel II framework from Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has initiated process/activities for implementation of Advanced Approaches.

Asset Liability Management

An effective Asset Liability Management (ALM) system, addresses issues related to liquidity and interest rate risks in order to maintain a good balance among spreads, profitability and long-term viability. The Board of Directors of the Bank has constituted an Asset Liability Management Committee (ALCO) to oversee ALM functions, including fixation of interest rates for various components of assets and liabilities, its composition, maturity and duration.

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, it has adopted a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in Intra-Group transactions and exposures, to raise the standard of Corporate Governance by reducing / avoiding conflicts of interest between the Group Entities and to ensure 'Arms Length Principle' among the entities in regard to business parameters.

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro & small enterprises, education, housing, micro-credit, weaker sections, SC/STs and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2013 reached ₹78998 crore, covering over 48 lakh borrowers.

(Amt. in ₹Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2012	2013	Amount	%
Total Priority Sector	67383	78998	11615	17.24
Agriculture	31946	40786	8840	27.67
Direct Agriculture	27848	37984	10136	36.40

With a focus on credit delivery to agriculture, the Bank's advances under agriculture portfolio increased to ₹40786 crore, covering over 40 lakh farmers and achieved 18.22% of ANBC, surpassing the mandatory target of 18%.

प्रत्यक्ष कृषि के तहत अग्रिम ₹37984 करोड़ रहा। कृषि के तहत महत्वपूर्ण अभिवृद्धि प्रत्यक्ष कृषि के तहत किया गया है। ए एन बी सी के अनुपात रूप में कृषि साख 16.97% हो गया जो कि 13.50% के अधिदेशी लक्ष्य के स्तर को पार कर गया है। प्रत्यक्ष कृषि को अग्रिम 36.4% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹10136 करोड़ हो गया। बैंक ने किसानों / गैर-किसानों को फसल ऋण / सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाई है।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक 35.96 लाख किसानों को प्रावरित करके 23.4% की वृद्धि के साथ ₹33730 करोड़ वितरित किए हैं।

योजना के प्रारंभ से लेकर बैंक ₹26524 करोड़ के 41.27 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी की है। वर्ष के दौरान ₹4826 करोड़ के 3.90 लाख केसीसी वितरित किए। यथा मार्च 2013 को केसीसी के तहत ऋण बकाया ₹5969 करोड़ रहा। बैंक ने सभी पात्र किसानों को एक लाख से अधिक नए केसीसी रुपये डेबिट कार्ड (एटीएम) वितरित किए।

वर्ष के दौरान बैंक अन्य प्राथमिकता क्षेत्र जैसे अजा / अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संगठन, आवास तथा सूक्ष्म ऋण को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

बैंक सक्रिय रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं, जैसे प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पी एम ई जी पी), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार (एस जे एस आर वाई) और डी आर आई में भाग लेती है।

डीआरआई को अग्रिम 57232 लाभार्थियों के साथ ₹66.89 करोड़ रहा जिसमें से ग्रामीण व अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा वितरित अग्रिम ₹46.43 करोड़ रहा।

यथा मार्च 2013 को इन योजनाओं के तहत वितरित अग्रिम की कुल राशि 1.33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के साथ ₹652 करोड़ हुई है।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन

योजना का नाम	खातों की संख्या	राशि ₹ करोड़ों में
पी एम आर वाई	21088	148.77
पी एम ई जी पी	5857	163.32
एस जी एस वाई	35518	196.36
एस जे एस आर वाई	13150	75.61
एस एल आर एस	195	1.25
डी आर आई	57232	66.89
कुल	133040	652.20

Advances under **Direct Agriculture** stood at ₹37984 crore. The major accretion under Agriculture was under Direct Agriculture lending. The Bank crossed the mandated level of 13.50% of ANBC, by reaching 16.97%. Advances to Direct Agriculture increased by ₹10136 crore, showing a growth rate of 36.4%. The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans/General Credit Cards (GCCs) facility to all farmers/non-farmers.

The Bank disbursed ₹33730 crore under Agriculture, covering 35.96 lakh farmers during the financial year, registering an increase of 23.4%.

Since inception of the Scheme, the Bank has issued a total of 41.27 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹26524 crore. During the year, the Bank disbursed 3.90 lakh KCCs, amounting to ₹4826 crore. As at March 2013, the credit outstanding under KCCs was ₹5969 crore. The Bank has issued more than one lakh new KCCs RuPay debit cards (ATM) to all eligible farmers.

During the year, the Bank also extended financial assistance to other priority sectors, such as, state sponsored organization for SC/ST, housing and micro credit.

The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Guarantee Programme (PMEGP), Swarnajayanthi Gram Swarozgar Yojana (SGSY), Swarnajayanthi Shahri Rozgar Yojana (SJSRY) and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

Advances to DRI stood at ₹66.89 crore, consisting of 57232 beneficiaries, of which advances by rural and semi-urban branches constitute ₹46.43 crore.

As at March 2013, the outstanding advances under the following Schemes aggregated to ₹652 crore, involving 1.33 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes

Name of the Scheme	No. of Accounts	Amt. in ₹Crore
PMRY	21088	148.77
PMEGP	5857	163.32
SGSY	35518	196.36
SJSRY	13150	75.61
SLRS	195	1.25
DRI	57232	66.89
Total	133040	652.20

बैंक द्वारा समाज के वंचित वर्गों को सहायता के रूप में अजा / अजजा लाभार्थियों को दी गई अग्रिम यथा मार्च 2013 को 5.31 लाख उधारकर्ताओं को प्रावरित करते हुए ₹5179 करोड़ तक पहुंचा। अजा / अजजा लाभार्थियों को दी गई अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के 6.56% है।

कमजोर वर्ग को अग्रिम 17.5% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹26244 करोड़ रहा। कमजोर वर्ग को अग्रिम ए एन बी सी द्वारा निर्धारित 10% मानक के एवज में 11.73% रहा।

यथा मार्च 2013 को कमजोर वर्ग अग्रिम के विभिन्न खंड निम्नानुसार है:

क्षेत्र	बकाया
छोटे व सीमांत कृषकों, भूमि हीन मजदूर, काश्तकार तथा शेयर फसलकार	22050.00
कारीगरों, ग्राम व कुटीर उद्योगों	646.57
अजा / अजजा लाभार्थियाँ	5178.97
डी आर आई ऋण	66.89
एस जी एस वाई लाभार्थियाँ	196.36
एस जे एस आर वाई लाभार्थियाँ	75.61
एस एच जी / एन जी ओ / एम एफ आई	1331.42
एस एल आर एस को अग्रिम	1.25

यथा मार्च 2013 को विशेषीकृत अल्पसंख्यक समुदायों को कुल अग्रिम ₹14369 करोड़ रहा, जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत निर्धारित 15% के एवज में कुल प्राथमिकता क्षेत्र के 18.19 % है।

एम एस एम ई ऋण

यथा मार्च 2013 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए अग्रिम ₹37016 करोड़ पहुंच गया। सी जी टी एम एस ई के ऋण गारंटी योजना के तहत यथा मार्च 2013 को बैंक ₹2528 करोड़ के साथ 73083 खातों को प्रावरित किया गया।

एम एस एम ई क्षेत्र के साथ संबंध रहने के महत्व को नज़र में रखते हुए बैंक ने अतिरिक्त 7 एस एम ई सुलभ खोली है, अर्थात ऋण प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण इकाइयाँ और 2012-13 के दौरान 21 विशेषीकृत एस एम ई शाखाएं खोली है। यथा मार्च 2013 को देश भर में बैंक को 41 एस एम ई सुलभ है। आगे, एम एस एम ई क्षेत्र के तहत ऋण देने के लिए 6 क्षेत्रीय/ विशेषीकृत क्लस्टर योजनाएं रूपायित की है। बैंक ने 0.25% से 2.50% तक की घटती ब्याज दरें प्रभावित किए तथा सीजीटीएमएसई योजना के तहत प्रावरित ₹100 लाख तक के ऋणों के लिए 0.25% ब्याज दर कम किए गए। महिला उद्यमियों को आधार दरों पर ₹5 लाख तक के ऋण प्रदान किए तथा उनके द्वारा उपलब्ध सभी ऋणों के लिए ब्याज अनुदान भी प्रस्तावित है। एमएसएमई इकाइयों के रेटिंग के लिए बैंक ब्रिकवर्क्स इंडिया लिमिटेड, केयर, क्रिसिल, इकरा तथा स्मेरा के साथ समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट हुए हैं।

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's **advances to SC/ST** beneficiaries reached ₹5179 crore as at March 2013, covering 5.31 lakh borrowers. The advances to SC/ST comprised 6.56% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections aggregated to ₹26244 crore, with a y-o-y growth of 17.5%. Advances to weaker sections formed 11.73% of ANBC against the norm of 10%.

Various components of Advances to Weaker Sections as at March 2013 is as under:

Sectors	Outstanding
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	22050.00
Artisans, Village and Cottage Industries	646.57
SC/ST Beneficiaries	5178.97
DRI Loans	66.89
SGSY Beneficiaries	196.36
SJSRY Beneficiaries	75.61
SHGs/NGOs/MFIs	1331.42
Advances to SLRS	1.25

As at March 2013, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹14369 crore, accounting for 18.19% of the total priority sector advances against the stipulated level of 15%.

MSME Lending

Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reached ₹37016 crore as at March 2013. The Bank has covered 73083 accounts with a loan amount of ₹2528 crore as at March 2013 under the Credit Guarantee Scheme of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

Considering the importance attached to MSME sector, the Bank opened additional 7 SME Sulabhs, i.e., Centralized Loan Processing Units for faster clearance of loan proposals and opened 21 Specialized SME branches during 2012-13. As at March 2013, the Bank had 41 SME Sulabhs across the country. Further, the Bank formulated six area/ cluster specific schemes for exclusive lending under MSME sector. The Bank effected substantial reduction in interest rates varying from 0.25% to 2.50% and also reduced interest rate by 0.25% for loans upto ₹100 lakh covered under CGTMSE Scheme. Women entrepreneurs are offered loans upto ₹5 lakh at base rate and also interest concession is available for all other loans availed by them. The Bank also entered into MoU with BRICKWORKS India, CARE, CRISIL, ICRA and SMERA for rating of MSME units.

बैंक को वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से एक नोडल एजेंसी के रूप में ऋण संबद्ध पूँजी अनुदान योजना (सीएलसीएसएस) के तहत एस एम ई इकाईयों के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के लिए ₹20.82 करोड़ प्राप्त हुए हैं तथा वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को खर्च भी किया गया।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन का संपूर्ण समाधान

बैंकिंग मुख्य धारा के तहत एक बड़े वंचित समूह को लाने के मूल उद्देश्य के साथ बैंक गरीबों को वित्तीय उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने के अधिक समावेशित विकास करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक चार समूहों में मुख्य व्यवधानों अर्थात् बैंकिंग संरचना का विस्तार, पर्याप्त वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी का व्यापक व गहन प्रयोग करना और पक्षसमर्थन व हितधारक सहभागिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन की कार्यसूची का सक्रियता से अनुसरण कर रहा है।

बैंक ने बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आबंटित 1624 गांवों (24 राज्यों में) को सफलतापूर्वक प्रावरित किया। 2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में प्रावरण सुनिश्चित करने के पश्चात बैंक ने 2000 से कम आबादीवाले 1255 गांवों को भी प्रावरित किया।

आगे, आनेवाले तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 5867 गांव (1600-2000 आबादीवाले 465 गांव, 1000-1599 आबादीवाले 1324 गांव और 1000 से कम आबादीवाले 4078 गांव) और शहरी क्षेत्रों में 150 वार्ड भी आबंटित किए गए हैं।

शाखा मॉडल के तहत वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन गांवों में 64 शाखाओं को जोड़ने के साथ वित्तीय समावेशन गांवों में बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 275 हो गई। पिछले 2 वर्षों के दौरान खोली गई शाखाओं की 50% वित्तीय समावेशन गांवों में खोली गई। कारोबार संपर्क मॉडल के तहत बैंक 1426 कारोबार संपर्ककर्ताओं को नियोजित किए। बैंक द्वारा बीसीए की निकट निगरानी तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा गांवों के निवासियों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 542 अति लघु शाखाएं खोली गई जिसमें से एक का उन्नयन नियमित शाखा के रूप में किया गया है।

नई वित्तीय समावेशन शाखाओं में कारोबार प्रचार

बैंक द्वारा टायर V तथा टायर VI केंद्रों में 25% शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारण के एवज में वित्तीय समावेशन गांवों में 64 शाखाएं खोली गई जो बैंक द्वारा 2012-13 के दौरान खोली गई

The Bank received an amount of ₹20.82 crore from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, during the year as a Nodal Agency for Technology Upgradation of SMEs under Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) and fully released the amount during the year.

Financial Inclusion

A Complete Solution for Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to the poor in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions in four groups, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive and intensive use of technology and through advocacy and stakeholder participation.

The Bank has successfully covered all the allotted 1624 villages (spread across 24 States) with population above 2000 for providing banking facilities. After ensuring coverage of villages in the more than 2000 population category, the Bank has covered 1255 villages in the less than 2000 population category.

Further, 5867 villages (465 villages with 1600-2000 population, 1324 villages with 1000-1599 population and 4078 villages with less than 1000 population) and 150 Wards in urban centres have been allotted for providing banking services during the next three years.

During the year, the Bank added 64 branches in financial inclusion villages, taking the total tally of FI branches to 275 under branch model. During the last two years, 50% of the new branches opened are located in FI villages. The Bank has engaged 1426 Business Correspondents Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. Considering the need for close supervision and mentoring of BCAs and in order to ensure that a range of banking services are available to residents of villages, the Bank has set up 542 Ultra Small Branches, of which, one has already been upgraded to a regular branch.

Business canvassed in the new FI Branches

During 2012-13, the Bank opened 64 branches in FI villages, forming 50% of the total 128 branches opened as against RBI stipulation of 25% of new branches required

128 शाखाओं के 50% है। वित्तीय समावेशन गाँवों में वर्ष 12 तथा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान खोली गई 235 शाखाएं औसतन 3562 खातों व ₹5.95 करोड़ कारोबार के साथ 8.37 लाख से भी अधिक खातों और ₹1399 करोड़ के कारोबार दर्शाए।

आधारभूत बचत बैंक खाता की स्थिति

वर्ष के दौरान हमारे बैंक द्वारा लगभग 17.31 लाख आधारभूत बचत बैंक खाता खोले गए जिसमें से 8.12 लाख खाते वित्तीय समावेशन गाँवों में खोले गए। वर्ष के दौरान बीएसबी खाते में ₹323 करोड़ की अभिवृद्धि हुई। तथा मार्च 2013 को बैंक के कुल बीएसबी खातों की संख्या ₹1143 करोड़ जमा के साथ 60.55 लाख हुई।

एक परिवार एक खाता अभियान

"एक परिवार एक खाता" योजना के तहत 10883 सेवा क्षेत्र गाँवों में से 9966 (92%) गाँवों में अभियान चलाए गए और 80% गाँवों से प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए।

सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) मॉडल

बैंक ने 3.48 लाख ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। वर्ष के दौरान स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ₹35.15 करोड़ के 3.40 लाख लेन देन किए गए।

सूक्ष्म बीमा

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा समूह के 31117 सदस्यों को सूक्ष्म बीमा पॉलिसी के तहत प्रावरण प्रदान किए गए तथा बीमा प्रावरित सदस्यों की संचित संख्या 51185 है।

इलेक्ट्रॉनिक हितलाभ अंतरण (ई बी टी)

कर्नाटक के चित्रदुर्गा, बेलारी, गुलबर्गा व यादगिर जैसे जिलों में हमारे बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन व एन आर ई जी पी वेतन के भुगतान का कार्यान्वयन किया गया है। तमिल नाडु राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए ई बी टी कार्यान्वित किया है।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं

बैंक ने शहरी केंद्रों में 19 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं, जिनका कुल कारोबार में योगदान ₹211 करोड़ है।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ एल सी)

केनरा बैंक द्वारा अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभानेवाले 26 जिलों में हमने एफ एल सी प्रारंभ किया है और बैंक ने सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों के लिए टैबलेट कंप्यूटर के ज़रिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है।

to be opened in tier V and VI centres. 235 branches opened in the FI villages during FY12 and FY13 have shown good results with more than 8.37 lakh accounts and ₹1399 crore business, working out to an average of 3562 accounts and ₹5.95 crore business per branch.

Position of Basic Savings Bank Accounts

The Bank opened about 17.31 lakh Basic Savings Bank (BSB) accounts during the year, of which, 8.12 lakh BSB accounts were opened in FI villages. There was an accretion of ₹323 crore in BSB accounts during the year. As at March 2013, the total number of BSB accounts stood at 60.55 lakh with total deposits of ₹1143 crore.

One Family One Account Campaign

Under "One Family One Account" Scheme, out of 10883 service area villages, Campaign is completed in 9966 villages (92%) and Certificates are obtained in 80% of the villages.

Information and Communication Technology (ICT) Model

The Bank issued Smart Cards to 3.48 lakh customers. During the year, 3.40 lakh transactions involving an amount of ₹35.15 crore were done through Smart Cards.

Micro Insurance

During the year, the Bank provided life coverage to 31117 group members under Micro Insurance Policy and 51185 group members cumulatively.

Electronic Benefit Transfer (EBT)

The Bank has taken up implementation of EBT for payment of MGNREGA wages and Social Security Pension (SSP) in Chitradurga, Bellary, Gulbarga and Yadgir districts in Karnataka. In Tamil Nadu, the Bank implemented EBT for the payment of SSP.

Micro Finance Branches

The Bank has opened 19 Micro Finance Branches in urban centres, which contributed a total business of ₹211 crore.

Financial Literacy Centres (FLCs)

The Bank has set up FLCs in 26 Lead Districts and provided financial education to 38153 persons and conducted financial literacy programmes for children studying in government schools, using Tablet PC.

किसान क्लब

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 123 किसान क्लबों का गठन किया गया जिससे देशभर में बैंक का 1500 किसान क्लब हो गया है। इन्हीं किसान क्लबों के माध्यम से ग्रामीण जनताओं को बैंकिंग उत्पादों तथा नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में सूचित किया जाता है।

केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी:

बैंक ने ग्रामीण जनता के बीच बैंक के उत्पादों और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में 35 जिलों में केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी उपलब्ध कराई है।

बायो मेट्रिक ए टी एम

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान बैंक ने 6 बायो मेट्रिक एटीएम इंस्टॉल किए हैं जिनकी कुल संख्या 29 है। यह बायो मेट्रिक एटीएम बायो मेट्रिक लक्षणों जैसे अंगुलियों के निशान का इस्तेमाल कर अपना खाता देखने व राशि आहरित करने या रंग कूटों का इस्तेमाल कर शेष राशि पुष्टिकरण करने में ग्रामीण अनपढ़ ग्राहकों को सक्षम बनाती है।

ऋण सहबद्धता

बचत बैंक खाता खोलने के साथ-साथ बैंक, केनरा नई दिशा योजना के तहत कई सारी सुविधाएं जैसे अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड, डी आर आई योजना, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त समूह, सूक्ष्म बीमा व सूक्ष्म पेंशन आदि भी प्रदान कर रहे हैं।

- **आईओडी** – अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा ₹466 लाख के साथ 13621 लाभार्थियों को अनुमत किए हैं।
- **जीसीसी** – वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹276 करोड़ के साथ 1.24 लाख सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। वर्ष के समाप्ति पर 2.85 लाख खाते में जीसीसी बकाया ₹600 करोड़ है।
- **केसीसी** – वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹4826 करोड़ के कुल संवितरण के साथ 3.90 लाख केसीसी जारी किए गए। वर्ष के समाप्ति पर 6.14 लाख खाते में केसीसी बकाया ₹5951 करोड़ है।
- **डीआरआई** – वर्ष के दौरान डीआरआई के तहत 0.26 लाख व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए गए तथा ₹36 करोड़ वितरित किए गए। वर्ष के समाप्ति पर 0.57 लाख खाते में डीआरआई बकाया ₹67 करोड़ है।

Farmers' Clubs

During FY13, 123 farmers' clubs were formed, taking the total tally to 1500 spread all over the country. These farmers' clubs disseminate information to the rural people about the banking products and advanced technology.

Canara Gramin Vikas Vahini

The Bank has provided Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles in 35 Districts across the country, with an objective of providing awareness about bank's products and banking facilities among the rural households.

Biometric ATMs

The Bank has installed 29 biometric ATMs as at March 2013. These biometric ATMs enable the rural illiterate customers to access their accounts using biometric features like finger prints and withdraw the amount or get balance confirmation, using color codes.

Credit Linkage

Besides opening BSB accounts, the Bank endeavored to provide host of other facilities like In-Built Overdrafts (IODs), Kisan Credit Cards (KCCs), General Credit Cards (GCCs), Differential Rate of Interest Scheme (DRI), Self Help Groups (SHGs), Micro Credit Groups (MCGs), Micro Insurance and Micro Pension under Canara Nayee Disha Scheme.

- **IOD** - In built OD facility permitted to 13621 beneficiaries, amounting to ₹466 lakh.
- **GCC** - During the year, the Bank issued 1.24 lakh GCCs, with total disbursement of ₹276 crore. GCCs outstanding at the end of year was 2.85 lakh accounts, with balance of ₹600 crore.
- **KCC** - During the year, the Bank issued 3.90 lakh KCCs, with total disbursement of ₹4826 crore. KCCs outstanding at the end of year was 6.14 lakh accounts, with a balance of ₹5951 crore.
- **DRIs** - During the year, the Bank financed 0.26 lakh persons under DRI Scheme, with total assistance of ₹36 crore. DRI outstanding at the end of year was 0.57 lakh accounts, with balance of ₹67 crore.

- **एसएचजी** – वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 26000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किए गए। ₹648 करोड़ के साथ 32000 एसएचजी को ऋण सहबद्ध किए गए। वर्ष के समाप्ति पर 82000 खाते में एसएचजी बकाया ₹1331 करोड़ है।

पिछड़े जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों का नियोजन

बैंक को कर्नाटक के चित्रदुर्गा, केरल के वायनाड व पालक्काडु जिले में अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया है, जो पिछड़े जिले के रूप में वर्गीकृत हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए चित्रदुर्गा जिले में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ, वायनाडु जिले के वायनाडु सामाजिक सेवा सोसाइटी, मानंतवाडी के साथ तथा पालक्काडु जिले के जन सेवा समिति व आशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरित किए हैं। बैंक ने तमिल नाडु के कन्याकुमारी जिले के, साक्षरता जागरूकता व अधिकार के लिए, महालीर संघ के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं जहाँ पर बैंक की उपस्थिति ज्यादा है।

एसकेडीआरडीपी ने चित्रदुर्गा जिले में लगभग 8018 महिला स्व.स.समूह का गठन किए हैं तथा दिनांक 31.03.2013 तक 6071 समूहों को ऋण सहबद्ध किए हैं। वायनाडु जिले में 615 स्व.स.समूहों का गठन किए गए तथा बचत खाता खोले गए और पालक्काडु जिले में 210 म.स्व.स.समूहों का गठन किए गए।

आधार नामांकन

आधार नामांकन के पायलट परियोजना के तहत 8 राज्यों को तथा 1.95 लाख निवासियों को प्रावर्तित किए गए। बैंक यूआईडीआई के साथ आधार उपयोगकर्ता प्रामाणीकरण के लिए करार में प्रविष्ट हुए हैं और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ए ई पी एस) तथा आधार भुगतान ब्रिड्ज प्रणाली के लिए एनपीसीआई के साथ भी करार में प्रविष्ट हुए हैं। एलपीजी अनुदान के सीधी जमा के पायलट परियोजना में भी बैंक भागीदार है।

बैंक में डीबीटी योजना का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा चुने गए 43 जिलों में "एक परिवार, एक खाता" अभियान चलाए गए तथा 2.71 लाख खाता खोले गए। बैंकों ने सुनिश्चित किया है कि सीबीएस आधार संख्याओं को कैप्चर कर सकता है और बैंक द्वारा लाभार्थियों को अपने सुविधानुसार नकद आहरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शाखाएं, एटीएम, नकद डिस्पेंसर, बीसीए आदि समर्थित किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है:

- **SHGs** - 26000 SHGs have been formed during the year. Credit linked 32000 SHGs, with credit of ₹648 crore. The outstanding SHG balance at the end of the year stood at 82000 accounts, with balance of ₹1331 crore.

Engaging Anchor NGOs for promoting Women SHGs (WSHGs) in Backward Districts

The Bank has the lead bank responsibility in Chitradurga district in Karnataka, Waynad and Palakkad districts in Kerala, which are classified as backward districts. As per the guidelines of the Ministry of Finance, Govt. of India, the Bank has signed MoU with Shree Kshetra Dharmasthala Rural Development Programme (SKDRDP) in Chitradurga district, Waynad Social Service Society Manantwadi in Waynad District, People Service Society and Hope Foundation in Palakkad district in Kerala for implementation of the Scheme. The Bank has also signed MoU with Mahalir Association for Literacy Awareness and Rights (MALAR) in Kanyakumari district of Tamil Nadu for implementation, since the Bank has major presence in the district.

SKDRDP has formed about 8018 WSHGs in Chitradurga district and credit linked 6071 WSHGs till 31.03.2013. 615 SHGs formed and opened SB accounts in Waynad district and in Palakkad (Kerala), 210 WSHGs are formed.

AADHAAR Enrolments

Pilot Project for Aadhaar enrollments is undertaken in 8 States, covering 1.95 lakh residents. The Bank has already entered into agreement with UIDAI by signing Aadhaar User Authentication (AUA) Agreement and with NPCI for Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) & Aadhaar Payment Bridge System (APBS). The Bank is on-board with NPCI & UIDAI. The Bank is also participating in pilot project for direct credit of LPG subsidy.

Implementation of DBT Scheme

The Bank has already campaigned for 'One Family One Account' in 43 identified Districts and opened over 2.71 lakh new accounts. The Bank has ensured that CBS can capture Aadhaar numbers and provided adequate number of access points i.e., branch, ATM, cash dispenser, BCA, etc. to enable the beneficiaries to withdraw the money as per their ease and convenience.

समग्र बैंक	यथा 31.03.2013 को
जिलों की संख्या	43
सहभागी शाखाओं की संख्या	483
आबंटित गाँवों की संख्या	864
आबंटित वार्डों की संख्या	596
खोले गए नए खातों की संख्या	271396
आधार प्रविष्ट किए गए खातों की संख्या	362610
नए एटीएम की संख्या	109
43 जिलों में कुल एटीएम की संख्या	483

यथा 31.03.2013 को बैंक द्वारा डीबीटी के तहत ₹38.54 लाख के 1649 लेनदेन किए गए।

अग्रणी बैंक योजना

देश भर में केनरा बैंक के 26 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभा रहा है, जिनमें से आठ कर्नाटक में, सात तमिलनाडु में, पाँच केरल में, पाँच उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में है। बैंक केरल राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजन कार्य भी कर रहा है।

महिलाओं में उद्यम विकास

प्रधान कार्यालय बंगलूर और 34 अंचल कार्यालयों में महिला उद्यम विकास केंद्र स्थापित हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों ने वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उद्यम जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, रोजगार मार्गदर्शी कार्यक्रम, विभिन्न उद्यमों में कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं तथा महिला उद्यमियों को विपणन सहायता प्रदान करने हेतु केनउत्सव/केनबाजार आदि का आयोजन किया गया। महिला उद्यम विकास केंद्रों ने स्वयं सहायता समूह के गठन में और उन्हें ऋण सुविधाएँ प्रदान करवाने में भी सहयोग दिया। महिलाओं को कौशल उद्यम विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें स्व रोजगार उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु हारोहल्ली में एक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया है। इस संस्थान ने अपनी स्थापना से अब तक कौशल ईडीपी में 16486 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। यथा मार्च 2013 को महिला लाभार्थियों को निवल ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 5% लक्ष्य के एवज में 14% हासिल किया है। 17.76 लाख से भी अधिक महिलाओं को ₹31340 करोड़ की सहायता प्रदान किए गए। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए बैंक द्वारा वार्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गया है जिसमें ₹25000, ₹50000 तथा ₹100000 के तीन नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। महिला ग्राहकों की आवश्यकताओं को केंद्रीकृत ध्यान देने के उद्देश्य से बैंक 10 महिला शाखाएँ प्रारंभ किए हैं। बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के रूप में 130 छात्रा विद्यालयों में, 26 अग्रणी जिलों के 5 विद्यालयों में, ₹1 करोड़ खर्च करके शौचालय बनाने का परियोजना प्रारंभ किया है।

Bank as a Whole	As on 31.03.2013
No. of Districts	43
No. of Branches participating	483
No. of Villages allocated	864
No. of Wards allocated	596
No. of New accounts opened	271396
No. of A/cs seeded with AADHAAR	362610
No. of new ATMs installed	109
Total No. of ATMs in 43 Districts	483

As on 31.03.2013, 1649 transactions were carried out under DBT, amounting to ₹38.54 lakh.

Lead Bank Scheme

Canara Bank has lead bank responsibilities in 26 Districts in the country, viz., eight in Karnataka, seven in Tamil Nadu, five in Kerala, five in Uttar Pradesh and one in Bihar. The Bank works as the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the State of Kerala.

Entrepreneurship Development among Women

Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at Head Office, Bangalore and Centres at 34 Circle Offices are working towards economic empowerment of women. These Centres conducted several training programmes during the year, including general Entrepreneurship Development Programmes (EDP), Entrepreneurship Awareness programmes, Seminars, Career Guidance programmes, Skills and provided marketing support to women entrepreneurs by organizing Canutsav/ Canbazar. CEDW Centres have also assisted in formation of SHGs and credit linkages. A Rural Self Employment Training Institute has been set up at Harohalli to provide EDP skill trainings to women in various vocations and enable them to take up self employment ventures. The Institute has so far trained 16486 women in EDP skill since inception. As against RBI's requirement of 5% of Net Credit to women beneficiaries, the Bank has achieved 14% as at March 2013. Over 17.76 lakh women assisted to the tune ₹31340 crore. In order to encourage entrepreneurship and reward successful women entrepreneurs, the Bank launched an Annual Award Scheme for successful women entrepreneurs financed by the Bank with 3 cash awards of ₹25000, ₹50000 and ₹100000. To give focused attention to the needs of women clientele, the Bank is dedicating 10 all women employee branches. As a CSR initiative, the Bank would also take up a project for construction of toilets in 130 girl schools, 5 each in all its 26 lead districts with a financial outlay of ₹1 crore.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में आदर्श बनना

शताधिक वर्षों की परंपरा और स्थापना सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए बैंक कई विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप अपना रहा है। बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल बहु आयामी है जिनमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेय जल, सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण और अन्य क्रियाकलाप शामिल होते हैं।

ग्रामीण विकास

बैंक ने अपने "केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास" द्वारा ग्रामीण युवाओं में उद्यमी विकास प्रोत्साहित करके उन्हें स्वरोजगार कार्य अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए 24 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थानों एवं 4 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ 31 विशेष प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इन प्रशिक्षण संस्थाओं ने 26075 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। इससे इनके आरंभ किए जाने से लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या 1.76 लाख हुई, जिनमें से 73% ने अपनी जीविका बसाई है।

बैंक 17 राज्यों में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी) का सह-प्रायोजक है जो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए तैयार करते हैं। 2012-13 के दौरान इन संस्थानों ने 34779 से भी अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है। इन सभी संस्थानों ने अब तक 3.21 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 73% ने अपनी जीविका बसाई है।

बैंक ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण व उद्यम विकास संस्थान और कर्नाटक सरकार के साथ हलीयाल, कर्नाटक के उत्तर केनरा जिले के पिछड़े क्षेत्र, में देशपांडे स्मारक न्यास, एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का सह-प्रायोजन कर रहा है। जम्मू व कश्मीर में उद्यम विकास प्रशिक्षण संस्थान, बागलकोट में कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र के गठन के लिए बैंक सहयोग दे रहा है और तमिलनाडु के पुदुरपुर के अंबेडकर स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को प्रायोजित भी किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने पंजाब के बर्नाला जिले के तपा मंडी में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया। संस्थान का उद्घाटन दिनांक 16.12.2012 को माननीय केन्द्र रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल द्वारा किया गया।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following the century old tradition and founding principles, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 31 exclusive training institutes, including 24 Rural Self Employment Training Institutes, 3 Artisan Training Institutes and 4 Institutes of Information Technology to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. During 2012-13, these training institutes trained 26075 candidates, taking the tally to 1.76 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2012-13, these institutes trained 34779 candidates. These RUDSETIs have, so far, trained over 3.21 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development with Government of Andhra Pradesh at Hyderabad and co-sponsored Deshpande Memorial Trust, a rural self-employment training institute with Government of Karnataka at Haliyal, a backward region of North Canara District. The Bank has supported the setting up of Entrepreneurship Development Institute at Jammu and Kashmir, Karnataka Farmers Resource Centre at Bagalkot and sponsored Dr Ambedkar Self Employment Training Institute, Pudukkottai, Tamil Nadu.

During the year, the Bank set up its first Rural Self Employment Training Institute in Punjab at Tapa Mandi, Barnala District. The Institute was inaugurated by Shri Pawan Kumar Bansal, Hon'ble Union Minister for Railways on 16.12.2012.

संचित रूप से बैंक द्वारा प्रायोजित / सह-प्रायोजित, सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 61 है जिसने अब तक 5 लाख से भी अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया और उनमें से 73% ने अपनी आजीविका बसाई है।

केनरा बैंक के ग्रामीण अस्पताल सेवा योजना मौलिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं रहने वाले दूरस्थ प्रांतों में मौलिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। बैंक ने अब तक देश भर में 39 ऐसे क्लीनिक चलाने के लिए 565 डॉक्टरों को सहायता प्रदान किए हैं।

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए हार्ड-टैक सुविधाओं यथा कस्टम्बिल्ट, सौर-ऊर्जा से युक्त "मोबाइल सेल्स वैन" दान में दी हैं।

वर्ष के दौरान प्राकृतिक विपदाओं से दुष्प्रभावित लोगों की सहायता करते हुए बैंक के सामाजिक कार्य कक्ष ने रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि आयोजित किया। समाज के सुविधाहीन वर्गों को मदद दे रहा है और विभिन्न कार्यक्रम और क्रियाकलाप आयोजित करते हुए छात्रों को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

संसदीय समितियों के दौर

वर्ष 2012-13 के दौरान अजा / अजजा कल्याण पर संसदीय समिति, श्रम पर स्थायी समिति, सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय पर स्थायी समिति और वाणिज्य पर स्थायी समिति ने बैंक का दौरा किया।

संगठन व समर्थन सेवायें

शाखा तंत्र

भारत भर में विस्तृत उपस्थिति

वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार अभियान चलाकर अन्य 128 घरेलू शाखाएं जोड़ीं। यथा मार्च 2013 तक 5 समुद्रपारीय शाखाओं के साथ बैंक की 3728 शाखाएं हैं।

शाखा तंत्र की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या	
	31.03.2012	31.03.2013
महानगरीय	777	811
शहरी	792	795
अर्धशहरी	1019	1055
ग्रामीण	1007	1062
समुद्रपारीय	5	5
कुल शाखायें	3600	3728

Cumulatively, the Bank has sponsored/ co-sponsored/ supported 61 training institutes which have trained more than 5 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.

The Bank has a noble scheme of Rural Clinic Services at remote villages, lacking basic medical facilities. The Bank has so far assisted over 565 doctors to run 39 such clinics across the country.

The Bank has donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

During the year, the Bank's Social Action Cell organized blood donation camps, health camps and assisted people affected by natural calamities and challenged section of the society. It has also encouraged students by conducting various programmes and activities.

Visits by Parliamentary Committees

During 2012-13, Parliamentary Committee on Welfare of SC/ST, Standing Committee on Labour, Standing Committee on Social Justice and Empowerment and Standing committee on Commerce visited the Bank.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

Continuing its branch expansion drive, the Bank added 128 domestic branches during the year. As at March 2013, the Bank had 3728 branches, including 5 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches	
	31.03.2012	31.03.2013
Metropolitan	777	811
Urban	792	795
Semi-urban	1019	1055
Rural	1007	1062
Overseas	5	5
Total Branches	3600	3728

बैंक की 161 विशेषीकृत शाखायें विभिन्न ग्राहक संवर्गों की विनिर्दिष्ट वित्तीय आवश्यकतायें पूरी कर रही हैं।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2013
1. ल म उ	72
2. समुद्रपारीय	16
3. कृषि वित्त	10
4. सूक्ष्म वित्त	19
5. बचत	6
6. अनिवासी भारतीय	6
7. आस्ति वसूली प्रबंधन	8
8. प्राइम कॉर्पोरेट	10
9. औद्योगिक वित्त	4
10. स्टॉक विनिमय	2
11. पूंजी बाजार	3
12. महिला बैंकिंग	2
13. आवास वित्त	1
14. शारीरिक रूप से अक्षम के लिये शाखा	1
15. विशेषीकृत सरकारी कारोबार शाखा	1
कुल	161

सूचना प्रौद्योगिकी प्रगति

बैंक ने वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाये थे। बैंक अब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेफ्ट और आर.टी.जी.एस. के ज़रिए निधियों का अंतरण, एस.एम.एस. अलर्ट, आई.वी.आर.एस. के ज़रिए पूछताछ आदि जैसी प्रौद्योगिकी बैंकिंग सेवाओं की पेश-कश करता है। बैंक अपने खुद की अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ के ज़रिए ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

यथा मार्च 2013 को 1296 केंद्रों में बैंक के 3526 ए टी एम स्थित थे। वर्ष के दौरान बैंक ने 668 ए टी एम जोड़े। हाई-टैक बैंकिंग सुविधाएं, जैसे एटीएम, नकद / चेक स्वीकृतकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन व्यापार तथा टेली बैंकिंग, युक्त ई-लॉन्ज का गठन बेंगलूर तथा दिल्ली में किया गया है और वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे कई ई-लॉन्ज खोलने की योजनाएं हैं। मोबाइल बैंकिंग के तहत बैंक ने आईएफएससी कूट व खाता संख्या इस्तेमाल करके एमएमआईडी का उल्लेख के बिना निधि अंतरण के लिए अंतरबैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और आईवीआरएस पर आईएमपीएस के माध्यम से एम-कॉमर्स (मोबाइल टॉप-अप) व व्यापारी भुगतान समर्थित किया है।

बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के तहत कुछ मूल्य वर्धन किए जिनमें आईएमपीएस के माध्यम से 24x7 निधि अंतरण, एग्रीगेटर्स टाइम्स मनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान इंटरफेस, टैकप्रॉ, यूटिलिटी बिलों के

The Bank has 161 specialized branches, catering to the specific clientele segment.

Categories of Specialized Branches	31.03.2013
1. SMEs	72
2. Overseas	16
3. Agri-Finance	10
4. Micro Finance	19
5. Savings	6
6. NRIs	6
7. Asset Recovery Management	8
8. Prime Corporate	10
9. Industrial Finance	4
10. Stock Exchange	2
11. Capital Market	3
12. Mahila Banking	2
13. Housing Finance	1
14. Branch for Physically Challenged	1
15. Specialized Govt Business Branch	1
TOTAL	161

InfoTech Progress

The Bank took several initiatives on the InfoTech front during the year. The Bank now offers several technology banking services, such as, Internet Banking, Mobile Banking, Funds Transfer through NEFT and RTGS, SMS Alerts, IVRS based enquiry across all its branches. The Bank also offers online trading facility to its clients through its own subsidiary M/s Canara Bank Securities Ltd.

As at March 2013, the Bank had 3526 ATMs spread across 1296 centres. During the year, the Bank added 668 ATMs. E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, Cash/ Cheque Acceptor, Passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking have been set up in Bangalore and Delhi and more such lounges are planned during 2013-14. Under mobile banking, the Bank enabled interbank mobile payment service (IMPS) using IFSC code and account number for transfer of funds without mentioning MMID, M-commerce (mobile top up) and merchant payments (mobile top up) through IMPS on IVRS.

The Bank has made a few value additions under internet banking that include 24X7 fund transfer facility through IMPS, Electronic Payment Interface for Aggregators Times

भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए एटम व सीसी एवेन्यू धारणों के विवरण देखने के लिए 'डीमैट व्यू', नियमित अंतरालों में खाता विवरणी पाने का विकल्प और ऋण खातों के लिए स्थायी आदेश सुविधा आदि शामिल है।

ब्याज दर में परिवर्तन, अपरिचालित कासा खाते, जमाओं के अतिदेयता तिथि अनुस्मारक, चेक बुक जारी करते समय एसएमएस अलर्ट्स, ऋण किस्तों पर अलर्ट्स और ग्राहकों को अन्य अलर्ट्स आदि के लिए एसएमएस / ई-मेल अलर्ट्स समर्थित किया गया है। इंटरनेट आधारित ऑनलाइन ऋण आवेदनों तथा स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली विकसित किए गए और उपभोक्ता ऋण, शिक्षा ऋण, किसान क्रेडिट कर्ड, कृषि मशीनरी ऋण, डायरी ऋण, कॉर्पोरेट ऋण आदि 15 ऋण उत्पादों के लिए जारी किए गए।

आंतरिक तौर पर केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित किया गया है और सामान्य जनता को अपने शिकायत रजिस्टर करने के लिए समर्थित किया गया है।

कई सरकारी कारोबार मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए जिसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भुगतान प्राधिकरण के माध्यम से निधियों का अंतरण के लिए कोर लेखांकन सॉल्यूशन (सरकारी ई-भुगतान गेटवे), प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के ई-भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का विमोचन, पेंशन भुगतानों के प्रतिपूर्ति के दावे के लिए केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र में ई-स्कॉल कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान हुई प्रमुख विकास भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वचालित डाटा प्रवाह (ए डी एफ) की प्रक्रिया थी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को मानवीय हस्तक्षेप के बिना समय पर ठीक डाटा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्रबंधन निर्णय सहयोग व कारोबार विस्तारण के लिए कारोबार प्रज्ञता/कारोबार विश्लेषिकी वाले प्रभावी ईडीडब्ल्यू स्थापत्य के गठन के लिए सभी प्रयोजनमूलक विभागों से आवश्यक जानकारी एकत्रित करके इंटरप्राइज वाइड डाटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) के नाम की एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की है।

मानव शक्ति

यथा मार्च 2013 को बैंक में 42693 कर्मचारी कार्यरत हैं।

	मार्च 2012	मार्च 2013
कर्मचारियों की कुल संख्या	42272	42693
अधिकारी	17419	17835
लिपिक	15802	16095
अधीनस्थ कर्मचारी*	9051	8763

*अंश-कालिक कर्मचारी सहित

बैंक में 41.8% अधिकारी, 37.7% कामगार तथा 20.5% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। बैंक में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 10849 है जो

Money, Techpro, Atoms and CC Avenue for providing wide range of utility bill payments facility, 'Demat View' enabled to view the details of holdings, option to subscribe for account statements at customized intervals and standing instructions facility for loan accounts.

SMS/ E-mail alerts have been enabled on rate of interest changes, inoperative CASA accounts, deposits due date reminder, reminder alerts on the issuance of cheque books, alerts on loan installment and arrears for customers. Internet based online loan applications and status tracking system was developed and released for 15 loan products including consumer loans, education loans, kisan credit card, farm machinery loan, diary loan, corporate loans, etc.

Canara Public Grievances Redressal System has been developed in-house and enabled for general public for registering grievances online.

Several Government business modules were implemented including core accounting solution (Govt. E-payment gateway) for disbursement of funds through digitally signed payment authorizations, software module for E-payment of Prime Minister's National Relief Fund, release of National Pension System online software, E-scroll functionality implementation in Central Pension Processing Centre for claiming reimbursement of pension payments.

The notable development during 2012-13 was the completion of Automated Data Flow (ADF) process, ensuring accurate and timely data flow to the Reserve Bank of India without manual intervention. Enterprise-wide Data Warehouse (EDW) project has already been initiated for setting up an effective EDW architecture, with Business Intelligence/ Business Analytics modules for management decision support and business expansion.

Manpower Profile

As at March 2013, the Bank had 42693 employees on its rolls.

	March 2012	March 2013
Total No. of Employees	42272	42693
Officers	17419	17835
Clerks	15802	16095
Sub-Staff*	9051	8763

* includes part-time employees (PTEs)

The Bank's staff comprised 41.8% Officers, 37.7% Clerks and 20.5% Sub-Staff. Women employees comprising

बैंक के कुल कर्मचारियों का 25.4% है। वर्ष के दौरान बैंक ने 1003 महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया है और 131 महिला कर्मचारियों को पदोन्नत किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 3374 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किया जिनमें 511 अनुसूचित जाति के हैं और 205 अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हैं। यथा मार्च 2013 को बैंक के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 2427 है और उनमें से 285 वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में भर्ती हुए हैं। बैंक के कर्मचारी गण में 941 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं।

अ.जा. और अ.ज.जा. के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2013 को बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 25.92% है। यथा मार्च 2013 को बैंक में अ.जा. / अ.ज.जा. कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	3150	1200
लिपिक	2875	957
अधीनस्थ कर्मचारी + अं.का.क.	2499	384
कुल	8524	2541

बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में आरक्षण नीति का अनुपालन सख्ती से करता आ रहा है।

क) आरक्षण नीति पद आधारित तालिका तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन पद आधारित तालिका तंत्र के द्वारा सभी संवर्गों के लिए किया जाता है।

ख) भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अ.जा. / अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण / छूट / रियायत दी जाती है।

ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व और पदोन्नत-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिकीय और अधिकारी श्रेणियों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन में अ.जा. / अ. ज.जा. / भौ.विकलांग / अल्पसंख्यक वर्ग / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विशिष्ट उल्लेख किया जाता है। भर्तीपूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 6 दिन है।

10849, constituted 25.4% of the Bank's total staff. The Bank recruited 1003 women employees and promoted 131 women employees under various cadres during the year.

During the year, the Bank recruited 3374 persons in various cadres, out of which 511 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 205 to Scheduled Tribes (STs) categories. The total number of ex-servicemen staff as at the end of March 2013 stood at 2427. Out of which, 285 were recruited in various cadres during the year. There were 941 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

Reservation Policy in respect of SCs and STs

As at March 2013, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 25.92% of total staff strength of the Bank. The composition of SC/ST employees in the Bank as at March 2013 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	3150	1200
Clerks	2875	957
Sub-staff + PTEs	2499	384
Total	8524	2541

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. of India guidelines.

- Reservation Policy is implemented through mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Bank has since switched over to Post Based Rosters for all cadres.
- The Bank has been extending Reservation/Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. guidelines.
- Pre-recruitment and Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisement inviting for the application from the eligible candidates for recruitment to Clerical and Officer cadres, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD / Minority Communities / Ex-Servicemen. Such of those candidates who opt for pre-recruitment training will be given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is 6 days.

सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक संभव है, संबंधित राज्य सरकार भी, सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टलों में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

घ) बैंक के द्वारा प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालय स्तर पर अ.जा. / अ.ज.जा. कक्ष की स्थापना, तालिका का रख-रखाव तथा आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए की गयी है।

ड) प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी तथा अंचल कार्यालय स्तर पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

आगे, अ.जा. / अ.ज.जा. संघों के ज़रिए या सीधे प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर संपर्क अधिकारी / मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक आवश्यक है पूछताछ और उचित कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को रिकार्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा गया है और की गई कार्रवाई भी उस रजिस्टर में दर्ज की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा बहुसंख्यक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को आरक्षण नीति के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ चर्चा करने हेतु तिमाही बैठक में आमंत्रित किया जाता है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं जहाँ तालिका का रख-रखाव होता है और कोई शिकायत है तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।

च) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति की समीक्षा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक अंतराल पर करते हैं।

मानव संसाधन विकास (एच आर डी) गतिविधियाँ

बैंकिंग जैसे सेवा उन्मुख उद्योग के लिए मानव संसाधन मूल आधार जीवन रेखा होती है। बदलते हुए बैंकिंग परिवेश के अनुरूप होने के लिए बैंक में मानव संसाधन नीतियों को पुनः खोजा गया है और बारंबार केंद्रित किए गए हैं। प्रथम पंती के कर्मचारियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए "स्पंदन" और प्रसिद्ध संस्थाओं के माध्यम से कार्यपालकों में गुणवत्ता लाने और क्वालिटी सर्किल, स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक, मस्तिष्क मंथन सत्र आदि जैसे मानव संसाधन साधन कारगर टीम निर्माण और सामूहिक सर्वोत्कृष्टता के लिए कार्यान्वित किए गए।

बैंक को अपने गतिविधियों के 4 शैलियों, जैसे आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण, को प्रावरित

Study materials, note book, stationeries are provided free of cost to all the participants. Wherever possible, respective State Governments are also providing the Lodging Facilities in Government / backward class hostels.

(d) The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.

Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy on half yearly and yearly basis.

Human Resource Development (HRD) Activities

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR interventions like SPANDAN for bringing attitudinal change among front line staff and Executive grooming through reputed institutes and other significant HR tools like Quality Circles, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence.

The Bank has an exhaustive training process covering 4 genres of activities, viz., Internal Training, External

करनेवाली व्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। बेंगलूर में बैंक का कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और 13 अन्य केन्द्रों में क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए तथा बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट संसूचनाएं जारी किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 31100 कर्मचारियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र जैसे साख अभिविन्यास, काउंटर कर्मचारियों के लिए विपणन तथा लिपिकों, अधिकारियों, ग्रामीण अधिकारियों व तकनीकी क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम आदि को प्रावर्तित करते हुए प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में 6452 अ.जा. श्रेणी के कर्मचारी, 1829 अ.जा.जा. श्रेणी के कर्मचारी और 7528 महिला कर्मचारी शामिल हैं। बैंक ने 2 नए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे "जागरण" व "आधारभूत साख मूल्यांकन व निगरानी" कार्यक्रम रूपायित व कार्यान्वित किया।

'जागरण' आवासीय आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से बहरी स्थानों पर कर्मचारियों को तनाव से मुक्त करने के लिए आयोजित "सॉफ्ट स्किल" कार्यक्रम था। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 7584 अधिकारियों व लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया।

बैंक ने सामान्य प्रवर्ग के अधिकारियों को चुने गए 10 क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, "प्रतिभा बैंक (टैलेंट बैंक)" रूपायित किया है। आनेवाले वर्षों में एक उचित प्रतिभा प्रबंधन व पुरस्कार प्रणाली स्थापित करने के लिए बैंक का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें संभावित लीडरों की पहचान करने के लिए तथा अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए ठोस प्रयास किया जाएगा।

आईआईएम, जेएनआईबीएफ, आईएसबी, एक्सएलआरआई, एनआईबीएम इत्यादि प्रतिष्ठित विभिन्न संस्थाओं में आवश्यकता आधारित और केंद्रित प्रशिक्षणों के ज़रिए कार्यदल की क्षमता में संवर्धन करने की बैंक की खोज जारी रहेगी। जोखिम प्रबंधन, राजकोष परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आवश्यकता के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधक स्तर / उच्च प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण के ज़रिए बैंक अपने अधिकारियों के ज्ञानवर्धन में और उनको नए जोश तथा उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सका है।

बैंक ने वर्तमान मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा व सुधार तथा कर्मचारी वचनबद्धता पहलों में तेजी लाने वाले सुझावों को सामने लाने के लिए मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की एक उप समिति का गठन किया है।

Training, In company Training and Foreign Training. The Bank has Staff Training College at Bangalore and 13 Regional Staff Training Colleges. Various corporate communications are brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking.

The Bank trained 31100 employees during the year, covering a wide range of functional areas including Credit Orientation, Marketing for Counter Staff and Induction Programme for Clerks, Officers, Rural Officers and Technical Field Officers. Out of the trained staff, 6452 personnel belonged to the Scheduled Caste category, 1829 belonged to the Scheduled Tribe category and 7528 were women employees. The Bank designed and implemented 2 new training programmes, viz., Jagaran and Basic Credit Appraisal and Monitoring.

'Jagaran' was a soft skills training programme conceived to de-stress employees through the institutes of repute at external venues on residential basis. During the year, 7584 Officers and Clerks were trained under this programme.

The Bank has envisioned a novel programme, viz., Talent Bank to provide opportunities for generalist officers to assume the role of specialists in 10 identified streams. Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based trainings at various institutes of repute like IIMs, JNIBF, ISB, XLRI and NIBM. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas like Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level/ Top Management Level Executives are conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its officials through this training intervention and motivating them to perform with renewed vigor and enthusiasm.

The Bank has formed a Sub-Committee of the Board of Directors on HR to review and improvise the existing HR policies and make suggestions to accelerate the employee engagement initiatives.

संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन

संगठनात्मक रूप व ढाँचे पर दोबारा ध्यान दिया गया और उसका अध्ययन किया गया और उसकी कार्यात्मक उत्कृष्टता पर ध्यान दिया गया।

व्यापार जटिलताओं, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता आदि के मद्देनजर प्रधान कार्यालय के विभागों का पुनर्गठन किया गया। वर्ष के दौरान एक नया विभाग, विपणन व कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास विभाग, का गठन किया गया।

ग्राहकोन्मुखता

तत्पर सेवा उपलब्ध कराने, विविध उत्पाद / सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी 'ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता' बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट में एक 'ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र' उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 15.11.2012 से 30.11.2012 तक एक ग्राहक पखावाडे का आयोजन किया गया।

ग्राहकों को उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए ग्राहक सेवा अनुभाग, प्रधान कार्यालय में टॉल फ्री संपर्क संख्या उपलब्ध कराई गई। ए टी एम परिचालन व कार्ड से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए ए टी एम स्विच कक्ष, कार्ड प्रभाग में भी टॉल फ्री संपर्क संख्या उपलब्ध कराई गई है।

कॉल सेंटर ग्राहकों को 6 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल 10.28 लाख से अधिक थे और ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 98% रहा। वर्ष के दौरान 5075 शिकायत प्राप्त किए गए तथा 4968 का निवारण किए गए। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्राप्त व निवारित शिकायतों की संख्या 1300 है।

केन्द्र सरकार पेंशन का संचालन व पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष का गठन किया गया। खाता खोलने संबंधी कार्यों के लिए चुनिंदा जगहों पर केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र का भी गठन किया गया। बैंक द्वारा केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा कार्यान्वित किया गया।

बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बीसीएसबीआई के तत्वावधान में मुंबई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, मदुरै व विशाखपट्टणम सहित विभिन्न केन्द्रों में "टाउन हॉल ग्राहक बैठक" का आयोजन किए गए।

Changes in the Organizational Setup

The organizational design and structure are continuously revisited and studied for functional excellence.

Keeping in view the increased business complexities, the need for more focus on certain key functional areas, the re-organization/re-aligning functions of Wings at Head Office was undertaken. A new Wing, namely, Marketing and Business Process Reengineering Wing was formed during the year.

Customer Orientation

The Bank has taken several initiatives to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customer's queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by BCSBI is made available in the Bank's website. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get feedback, "Customer Satisfaction Survey Form" is made available in the Bank's website. Customer's Fortnight was conducted from 15.11.2012 to 30.11.2012 inviting suggestions from customers.

Toll free contact at Customer Service Section, Head Office, is provided to facilitate the customers to represent their grievances. Toll free contact facility at ATM switch room and Card Division are provided to the users to represent the matters pertaining to ATM operations and Card business.

Call Centre is functioning to cater to customers in 6 regional languages for redressal of grievances. The number of calls received by the Call Centre during the year is more than 10.28 lakh and percentage of complaint redressal is 98%. During the year, 5075 complaints were received and 4968 complaints have been redressed. 1300 Banking Ombudsman cases were received during the year and resolved.

Centralised Pension Processing Cell has been established exclusively for handling Central Government pensions and resolving pension related grievances. Central Processing Centres are established at selected places for account opening purposes. The Bank has implemented online grievance redressal facility for customers in the Website, to lodge their grievances online under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS).

"Town Hall Customers Meets" were held at different Centres including Mumbai, Delhi, Trivandrum, Mysore, Madurai and Vishakapatnam in association with the Banking Ombudsman, RBI and BCSBI.

पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ

वर्ष के दौरान ऑन-साइट आरबीआईए के लिए तैयार 2327 शाखाओं/इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) आयोजित की गई। आरबीआईए के साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी आयोजित की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक दिसानिर्देशों के अनुसार यथा 31.03.2012 तक बैंक के 730 शाखाओं / इकाइयों (जमाओं का 70.2% और अग्रिमों का 80.5% प्रावरित करते हुए) का संगामी / सतत लेखापरीक्षा की गई। जिलानी समिति की सिफारिशों के अनुसार 543 चुनिंदा शाखाओं का तिमाही आधार पर आय / राजस्व लेखापरीक्षा की गई। वर्ष के दौरान 26 अंचल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के 15 विभागों में आरबीआईए का आयोजन किया गया।

ऑफसाइट लेनदेन निगरानी कक्ष (ओटीएम कक्ष) के साथ-साथ बैंक ने वर्ष के दौरान ऑफसाइट निगरानी व असाधारण लेनदेनों को ट्रैक करने के लिए अंचल कार्यालयों में भी ऑफसाइट निगरानी कक्ष का गठन किया है। शाखाओं में जोखिम का आवाजाही की निगरानी के लिए दिशानिर्देशानुसार शाखाओं / कार्यालयों का मध्यावधि ऑफसाइट जोखिम निर्धारण किए गए।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से चुनिंदा क्षेत्रों में विचलन की स्थिति, यदि है तो, का पता लगाने के लिए सैंप्लिंग तकनीक का प्रारंभ किया गया। आरबीआईए, एलएफएआर तथा एएफआई टिप्पणियों के पश्चात हासिल की गई प्रगति की समीक्षा के लिए निर्वाह लेखा परीक्षा शुरू की गई। आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं के आरबीआईए के दौरान ईएमटी परिसंपत्तियों / दस्तावेजों के 100% सत्यापन भी शुरू की गई।

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और धनशोधन निवारक से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कई उपाय किए गए हैं और सभी शाखाओं में के.वाई.सी. का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

के.वाई.सी. / ए.एम.एल. दिशानिर्देशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

- बैंक वित्तीय खुफिया इकाई (एफ आई यू) को नकद संव्यवहार रिपोर्टों (सीटीआर) व गैर लाभ संगठन संव्यवहार रिपोर्ट (एन टी आर) का 100% प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर रहा है।
- संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टों (एस टी आर) व जाली मुद्रा रिपोर्टों (सीसीआर) का प्रस्तुतीकरण एफ आई यू (आई एन डी) को किया जाता है।
- केवाईसी / एएमएल मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन के लिए सभी अंचल कार्यालयों को प्रावरित करते हुए यादृच्छिक ढंग से चुनी गई 80 शाखाओं में मासिक आधार पर अकस्मात लेखा परीक्षा की जाती है।

Systems and Procedures

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in 2327 branches / units programmed for on-site RBIA during the year. Information Security Audit was conducted along with RBIA. Concurrent / Continuous Audit is conducted in 730 identified branches / units (covering 70.2% of deposits and 80.5% of advances) as on 31.03.2012 as per RBI guidelines. Income / revenue audit was conducted on quarterly basis in 543 identified branches as per Jilani Committee Recommendations. RBIA was also conducted in 26 Circle Offices and 15 Wings of Head Office during the year.

Besides having an Offsite Transaction Monitoring Cell (OTM Cell), the Bank opened Offsite Monitoring Cells at all Circle Offices during the year to strengthen the offsite surveillance and to track exceptional transactions. Mid-term Offsite risk assessment of branches/offices was carried out as per guidelines, to monitor movement of risk at branches.

Sampling Technique was introduced in select areas to know the extent of deviation, if any, in order to take corrective action immediately. Sustenance Audit was introduced to review the progress made in respect of RBIA, LFAR and AFI observations. 100% verification of EMT properties / documents during RBIA of branches was introduced to ensure safety of assets.

Know Your Customers (KYC)

The Bank took several measures for the effective implementation of Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) guidelines and for ensuring KYC compliance by all branches.

To ensure better compliance of guidelines on KYC / AML, following steps have been initiated.

- The Bank has ensured 100% submission of Cash Transaction Reports (CTRs) and Non-profit Organizations Transactions Reports (NTRs) to Financial Intelligence Unit (FIU).
- Suspicious Transaction Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports (CCRs) are submitted to FIU promptly.
- Snap Audits conducted every month at 80 randomly selected branches, covering all Circles to verify adherence to KYC/AML norms.

- समस्त भौगोलिक क्षेत्र को प्रावरित करते हुए यादृच्छिक ढंग से चुनी गई 343 शाखाओं में प्रणाली में केवाईसी डाटा का अद्यतन का सत्यापन के लिए एकमुश्त विशेष केवाईसी लेखा परीक्षा आयोजित की गई ।
- आईबीए कार्यदल के द्वारा सिफारिश की गई हाइब्रिड मॉडल के अनुसार ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण केन्द्रीकृत तौर पर किया गया है ।
- धन शोधन निवारण के दृष्टिकोण से लेनदेनों की निगरानी के लिए बैंक में एक वेब आधारित एएमएल पैकेज है । एएमएल पैकेज आईबीए कार्यदल द्वारा सिफारिश की गई चेतावनी परिदृश्यों के आधार पर अलर्ट सृजित करता है ।
- A onetime Special KYC audit was conducted at 343 randomly selected branches covering entire geographic area during July 2012 to verify updation of KYC data (document details) in the system.
- Risk Categorization of customers has been done centrally as per Hybrid Model recommended by the IBA Working Group.
- The Bank has a web based AML package to monitor transactions from the anti-money laundering angle. The AML package is generating alerts based on alert scenarios recommended by the IBA Working Group.

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनका समर्थन 34 अंचलों, प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग का उद्देश्य अनुशासन व विकास को सुनिश्चित करना तथा हमारे बैंक को महान ऊंचाईयों तक ले जाना है।

सतर्कता जागरूकता अभियान के अंश के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2012 तक "सार्वजनिक खरीद पर पारदर्शिता" पर अधिक ध्यान के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर " सार्वजनिक खरीद पर निवारक सतर्कता " विषय पर श्री आर राधाकृष्णन, भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवा निवृत्त महा प्रबंधक तथा भारतीय स्टेट बैंक / बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा बैंक के बेंगलूर, गुडगाँव तथा दिल्ली स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम सार्वजनिक खरीद के बारे में बैंक अधिकारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा सार्वजनिक खरीदी के समय सतर्कता बरतने के लिए बैंक अधिकारियों को लाभदायक सिद्ध हुआ ।

सतर्कता जागरूकता अभियान को जारी रखते हुए प्रधान कार्यालय के कार्यपालकों के लिए दिनांक 03.11.2012 को " सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता" विषय पर श्री श्रीनिवास गलगली, आईटीएस मुख्य सतर्कता अधिकारी, कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा भाषण भी आयोजित किया गया ।

महा प्रबंधक व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान दौरा की गई अंचल कार्यालयों में "धोखाधड़ी का निवारण व सतर्कता " विषय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जहाँ अंचल कार्यालय से संबंधित लंबित अनुशासनिक मामलों की समीक्षा के अलावा बैंक में निवारक सतर्कता तंत्र, सीबीएस वातावरण में धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों में अधिक जोर, अनुशासनिक मामलों का संचलन तथा सामयिक निपटान

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) in the rank of General Manager. The CVO is assisted by Vigilance Officers stationed at all Circles, Head Office, RRBs and the Bank's Subsidiaries. The objectives of the Vigilance Wing are to ensure that discipline and development, go hand in hand and help the Bank to reach greater heights.

As a part of the Vigilance Awareness campaign, as per the directives of the Central Vigilance Commission, the Bank observed Vigilance Awareness Week from 29th October to 3rd November 2012, with more focus on the theme "Transparency in Public Procurement". On this occasion, a two days programme on 'Preventive Vigilance in Public Procurement' by Shri R Radhakrishnan, Retired General Manager of RBI and ex-Chief Vigilance Officer of State Bank of India/Bank of India, was conducted at the Bank's Staff Training Colleges, Bangalore, Gurgaon and Delhi. The Programme was extremely beneficial to the Bank's officials to take precautionary measures in the procurement process as also to bring general awareness amongst the Bank officials about Public Procurement.

Continuing the vigilance awareness campaign, a speech by Shri Srinivas Galgali, ITS Chief Vigilance Officer, Kudremukh Iron Ore Company Ltd, Bangalore on 'Transparency in Public Procurement' was arranged on 03.11.2012 for the Executives of Head Office.

GM & CVO conducted "Seminars on prevention of frauds and Vigilance" at the Circles visited during the year, wherein, apart from reviewing the pending disciplinary matters pertaining to the Circle, the CVO also dwelt upon various aspects related to Preventive Vigilance Mechanism in the Bank, fraud prone areas with special

की आवश्यकता, कंप्यूटरीकृत वातावरण में पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता और शाखाओं में सतर्कता निवारक समिति की प्रभावी भूमिका आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

बेंगलूर सतर्कता स्टडी सर्किल के तत्वावधान में बैंक द्वारा कई कार्यक्रमों, जैसे दिनांक 22.06.2012 को "चुनाव सुधार" विषय पर प्रो.एम वी राजीव गौड़ा, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर द्वारा व्याख्यान सत्र, "नैतिकता व मूल्य" विषय पर प्रो.(डॉ) आर वेंकटराव, इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलूर के नेशनल लॉ स्कूल के उप कुलपति द्वारा भाषण और दिनांक 08.01.2013 को बेंगलूर स्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि, के मेजबानी किए गए।

'विजय' प्रॉजक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा बैंक की शाखाओं में 'सतर्कता निवारक समिति' के गठन के लिए विशेष जोर दिए गए।

सुरक्षा प्रबंध

वर्ष के दौरान सुरक्षा प्रबंध को और मजबूत बनाया गया। शाखाओं में सुरक्षा को सुधारने के लिए 1554 शाखाओं में सी सी टी वी सिस्टम इंस्टॉल किए गये। उक्त के अतिरिक्त सुरक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी सिस्टम के साथ 1021 ए टी एम भी उपलब्ध कराए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 85 मुद्रा तिजोरियों में में बायो मेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध कराए गए।

प्रवर्धमान परिवेश

वर्ष के दौरान बैंक की 200 से अधिक शाखाओं में परिवेश में सुधार का काम किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1000 अधिक शाखाओं को वातानुकूलित करके परिवेश में सुधार के लिए कदम उठाए गए।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी 34 अंचलों में जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 3352 सूचना का अधिकार आवेदन, 520 प्रथम अपील तथा 65 द्वितीय अपीलें प्राप्त कीं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है और विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए। बेंगलूर प्रधान कार्यालय, करनाल व मदुरै अंचल कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया

emphasis on CBS environment, handling of disciplinary matters and need for timely disposal, maintaining secrecy of passwords in computerized environment and effective role of Preventive Vigilance Committee at branches.

Under the auspices of the Vigilance Study Circle Bangalore, the Bank hosted series of programmes, such as, a lecture session by Prof. M V Rajeev Gowda, from Indian Institute of Management, Bangalore (IIMB) on "Electoral Reforms" on 22.06.2012; a speech on "Ethics & Values" by Prof. (Dr) R Venkata Rao, Vice Chancellor of National Law School of India University, Bangalore on 26.12.2012 and Quiz competition for students of various Schools in Bangalore on 08.01.2013.

Special emphasis was laid on popularizing the project 'VIGEYE' and also the formation and activation of Preventive Vigilance Committees at all branches of the Bank.

Security Arrangements

During the year, security measures have been strengthened. To improve the security at branches, CCTV systems are installed in 1554 branches. In addition to the above, 1021 ATMs are also provided with CCTV system to monitor the security. 85 Currency Chests are provided with Biometric Access Control System as per RBI guidelines.

Ambience Improvement

During the year, ambience improvement work was carried out in more than 200 branches of the Bank. The Bank has initiated steps for ambience improvement including air conditioning in 1000 more branches during the current financial year.

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. As per the requirement of the RTI Act, the Bank has nominated Public Information Officers and Appellate Authorities at Head Office and in all its 34 Circle Offices to provide information to the applicants. During the year, the Bank received 3352 RTI applications, 520 First Appeals and 65 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review. The Bank was awarded first prize by Town Official Language Implementation Committees at Bangalore (Head Office), Karnal and Madurai Circles. Apart from this, many Circles

गया। इसके अलावा कई अंचलों व शाखाओं को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुए।

यथा मार्च 2013 को लगभग 98% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 2379 शाखाओं को बैंक ने अधिसूचित किया है। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त बैंक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 238 से अधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने "यूनिकोड" का प्रयोग बढ़ाया और बैंक के एटीएम स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेनदेन का प्रावधान जारी रखा। टेली बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ प्रमुख 6 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिन्दी में एस एम एस भी भेजता है। 1 जुलाई 2011 से बैंक ने कोर बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया है। हमारे बैंक की इलेक्ट्रॉनिक द्विभाषी पता पुस्तिका "केनपता" को सभी शाखाओं व कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया।

राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा "केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना" के तहत 164 पुरस्कार अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शाखाओं व कार्यालयों के अनुभागों को प्रदान किए गए। "केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना" के तहत 107 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक "अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता" भी आरंभ की है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

श्री संदीप, वरिष्ठ प्रबंधक, अग्रिम अनुभाग, अंचल कार्यालय, आगरा को "कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता" के तहत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारे बैंक के राजभाषा अधिकारियों का 30वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन 04 व 05 मार्च, 2013 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगाँव में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बैंक की वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'केनराज्योति' के दसवें अंक का विमोचन किया। केनराज्योति हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए निकाली जाती है। इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखित बैंकिंग संबंधी लेख समाहित होती है। दिनांक 06.03.2013 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में राजभाषा अधिकारियों के लिए "राजभाषा प्रबोधन कार्यक्रम" का भी आयोजन किया गया।

and branches have received awards from respective Town Official Language Committees.

As at March 2013, around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 2379 branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in Hindi workshops. During the year under review, the Bank has conducted more than 238 refresher training programmes for such employees.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank increased the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Telebanking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is fully in bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions. With effect from 1st July, 2011, the Bank has provided Hindi option in Core Banking System. The Bank's bilingual address booklet 'CANPATHA' is made available to all our branches and offices in electronic form.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 164 prizes were given to Circles, Branches, RSTCs and Sections of offices under the Award Scheme formulated by the Bank viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 107 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. The Bank has also started an annual "All India Hindi Essay Competition" for its employees and handsome cash prizes were given to prize winners.

Shri Sandip, Sr Manager, Advances Section, Circle Office, Agra has been awarded with Encouragement Prize under All India Hindi Essay writing Competition organised by RBI-College of Agricultural Banking (CAB), Pune.

The 30th All India OL Conference of OL Officers of the Bank was held at RSTC, Gurgaon on 4th and 5th March 2013. The Bank's annual Hindi journal "Canarajyoti" – 10th issue – was released on the occasion by the Executive Director Shri. Ashok Kumar Gupta. Canarajyoti is brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles written by employees on banking related subjects in Hindi. On 06.03.2013, a Programme called "Rajbhasha Prabodhan Karyakram" was also conducted for the OL Officers at RSTC, Gurgaon.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने बैंक की न्यू टिहरी और ऋषिकेश शाखाओं का दौरा किया और साक्ष्य एवं आलेख समिति द्वारा प्रधान कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की। बेंगलूर, कोयंबतूर व तिरुवनंतपुरम में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व मार्गदर्शन देने के लिए बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित हैं।

खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक ने हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहन तथा समर्थन दिया है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया।

बैंक में 6 क्षेत्र में अर्थात् क्रिकेट, हॉकी, महिला अथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन व टेबल टेनिस में 40 खिलाड़ी कार्यरत हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी – श्री बी के वेकटेश प्रसाद, श्री सुनिल जोशी, सुश्री शंता रंगास्वामी वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं।

इसके अलावा श्री यू विमल कुमार (शटल बैडमिंटन), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा तथा श्रीमती एच एम ज्योति (अथलेटिक्स) और श्री भरत छेत्री, श्री पी षण्मुगम, श्री के एम सोमण्णा, श्री के पी दिनेश (हॉकी जूनियर इंटरनेशनल) भी बैंक में कार्यरत हैं।

सालों से खेलकूद के क्षेत्र में केनरा बैंक ने कई श्रेष्ठ उपलब्धियाँ हासिल की हैं और बैंक की क्रिकेट, बॉल बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस टीम कर्नाटक राज्य में अनन्य स्थान पर हैं।

2012-13 के दौरान श्री भरत छेत्री को लंदन में होने वाले समर ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय हॉली टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया।

बैंक के क्रिकेट टीम पटना में आयोजित प्रथम बिहार टी-20 गोल्ड कप जीते। बैंक के श्री रघु मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से पुरस्कृत किए गए। शटल खिलाड़ी श्री डी गुरुप्रसाद और श्री विनीत मैनुअल (युगल जोड़ी) को कर्नाटक में प्रथम रैंक तथा भारत में द्वितीय रैंक प्राप्त है। क्रिकेटर श्री एन सी अय्यप्पा, श्री के बी पवन, श्री राजू भटकल व श्री दीपक चौगुले कर्नाटक रनजी टीम के भाग हैं।

बैंक प्रधान कार्यालय की टीमों के अलावा क्षेत्रीय अंतर बैंक टूर्नामेंटों के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर भी टीमों को प्रायोजित करता है। बैंक के 50% से अधिक खिलाड़ी अपने संबंधित खेल क्षेत्रों में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

The 3rd Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected our new Tihri and Rishikesh Branches and Head Office was inspected by Drafting & Evidence Committee and lauded the efforts put by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Bangalore, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Govt. of India.

Promotion of Sports

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports. A Sports Council at Head Office was set up in the year 1982 to monitor and encourage sports in the Bank.

The Bank has on its rolls 40 sports persons in six disciplines, viz., Cricket, Hockey, Women's Athletics, Shuttle Badminton, Ball Badminton and Table Tennis.

International Cricketers Shri B K Venkatesh Prasad, Shri Sunil Joshi, Ms Shantha Rangaswamy are presently in the Bank's fold.

Besides the Cricketers, Shri U Vimal Kumar, (Shuttle Badminton), Smt M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna and Smt H M Jyothi (Athletics) and Shri Bharat Chhetri, Shri P Shanmugam, Shri K M Somanna, Shri K P Dinesh, Jr International, (Hockey) are also on the Bank's rolls.

Over the years, Canara Bank has secured several distinctions in the sporting arena and the Bank's Cricket, Ball Badminton, Shuttle Badminton and Table Tennis Teams rank numero uno in the State of Karnataka.

Notably during 2012-13, Shri Bharat Chhetri was nominated as the Captain of the Indian Hockey Team for the Summer Olympic Games, London, 2012.

The Bank's Cricket Team won the 1st Bihar T-20 Gold Cup held at Patna. Shri C Raghu of the Bank's Cricket Team won the Man of the Series Award. Shuttlers Shri D Guruprasad and Shri Vineeth Manuel (doubles pairing) were ranked 1st in Karnataka and 2nd in India. Cricketers Shri N C Aiyappa, Shri K B Pawan, Shri Rajoo Bhatkal and Shri Deepak Chougule are part of the Ranji Trophy squad.

Apart from the Teams at Head Office, the Bank is also sponsoring Teams at Circle Office level for the local/regional Inter Bank Tournaments. More than 50% of the Bank's sports personalities are representing the State of Karnataka in their respective sporting discipline.

वित्तीय सुपर बाजार

अनुषंगियां, प्रायोजित संस्थाएं और संयुक्त उद्यम

केनरा बैंक अपने ग्राहकों को 'वन स्टॉप बैंकिंग मार्ट' पेश करने के उद्देश्य से गत 1980 दशकों के दौरान अनुषंगियाँ आरंभ करने के द्वारा विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों में पदार्पण किया। आज, विभिन्न क्षेत्रों में नौ अनुषंगियों / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ 'वित्तीय सुपर बाजार' के रूप में काम कर रहा है। भारत में एक शक्तिशाली वित्तीय सुपर बाजार के रूप में उभरने के लिए इन निकायों की मौलिकताओं को मजबूत करने की दिशा में बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक की सभी अनुषंगियों, प्रायोजित संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा।

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (सीबीआईएल):

भारतीय स्टेट बैंक के साथ केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम सीबीआईएल ने अप्रैल 2004 के दौरान मॉस्को, रूस में कारोबार की शुरुआत की। कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को कर के बाद 4.11 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल) के न्यासी व प्रबंधक, सीवीसीएफएल बैंक की पूर्णतया स्वाधिकृत अनुषंगी है। 2012-13 वर्ष के लिए कंपनी ने 2011-12 के ₹7.06 करोड़ के मुकाबले कर के बाद ₹7.19 करोड़ का लाभ प्राप्त किया। वर्ष 2012-13 हेतु कंपनी का लाभांश 400% रहा।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

सीएफएचएल देश के प्रख्यात वित्तीय निकायों में से एक है, जिसका प्रायोजन केनरा बैंक द्वारा किया जाता है। यथा 31.03.2013 तक सीएफएचएल में बैंक का हिस्सा 42.35% रहा। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹2092.65 करोड़ का ऋण मंजूर किया, संचित वितरण ₹1813.77 करोड़ रहा। कंपनी ने मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद ₹54.12 करोड़ का लाभ दर्ज किया। वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी का लाभांश 40% रहा।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक प्रमुख फैक्ट्रिंग संस्था है। 2012-13 के दौरान कंपनी ने ₹3123 करोड़ का कुल कारोबार प्राप्त किया। मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने कर के बाद ₹15.98 करोड़ का लाभ दर्ज किया है। 2012-13 के लिए कंपनी ने 20% लाभांश की सिफारिश की। कंपनी को अपनी अल्पावधि ऋण कार्यक्रम के लिए क्रिसिल द्वारा 'P1+' रेटिंग प्राप्त हुई।

FINANCIAL SUPERMARKET

Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket' with as many as nine subsidiaries / sponsored entities / joint ventures in diversified areas. The Bank has taken significant steps towards strengthening fundamentals of these entities so as to emerge as a strong 'Financial Supermarket' in India. All the subsidiaries / sponsored entities / joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the reporting year.

Commercial Bank of India LLC (CBIL)

CBIL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational since April 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of US\$4.11 million as on 31st March, 2013.

Canbank Venture Capital Fund Limited (CVCFL)

CVCFL, the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund (CVCF), is a wholly owned subsidiary of the Bank and is providing Venture Capital assistance. The Company recorded a profit after tax of ₹7.19 crore for the year 2012-13 as against ₹7.06 crore for 2011-12. The Company has proposed a dividend of 400% for the year 2012-13.

Can Fin Homes Limited (CFHL)

Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank, is one of the premier housing finance entities in the country. As on 31.03.2013, the Bank's stake in CFHL is 42.35%. The Company sanctioned loans amounting to ₹2092.65 crore and disbursed loans amounting to ₹1813.77 crore during the year. The Company earned a profit after tax of ₹54.12 crore for the year ended March 2013. The Company has proposed a 40% dividend for the year 2012-13.

Canbank Factors Limited (CFL)

Canbank Factors Limited is a factoring subsidiary of the Bank. During 2012-13, the Company achieved a total business turnover of ₹3123 crore. The Company has earned Profit after Tax of ₹15.98 crore for the year ended March 2013. The Company has proposed 20% dividend for 2012-13. The Company enjoys the highest rating of "P1+" by CRISIL for its short term debt programme.

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

सीसीएसएल, देश में किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की एक ही सॉफ्टवेयर अनुषंगी है। सीसीएसएल मूलतः आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं, प्रशिक्षण / परामर्श एवं रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज में लगा हुआ है। सीसीएसएल "नासकॉम" (NASSCOM) का सदस्य है और विश्व बैंक की परियोजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करनेवाले के रूप में पंजीकृत है। वर्ष के लिए कंपनी ने कर के बाद पिछले वर्ष के ₹3.10 करोड़ की तुलना में ₹4.25 करोड़ का लाभ अर्जित किया। कंपनी द्वारा केनरा बैंक की कॉल सेंटर गतिविधि और केनरा बैंक के 1200 से अधिक एटीएमों के लिए एटीएम आउट सोर्स सर्विस को सफलता से निभाया जा रहा है।

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (सी बी एस एल)

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2007 से पूंजी बाजार संबंधित क्रियाकलापों को प्रधानतया स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं का विविधीकरण किया है।

कंपनी द्वारा संस्थागत और खुदरा दोनों ग्राहकों के लिए स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 'Canmoney.in' पोर्टल के तहत खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर इसका प्रधान उत्पाद है। कंपनी का मुद्रा व्युत्पन्न में विविधीकरण है। कंपनी ने 2012-13 के लिए कर के बाद ₹8.08 करोड़ लाभ अंकित किया है तथा ₹6.00 करोड़ का 15% लाभांश अदा किया गया।

केनबैंक फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

डिक्रीकृत खातों के अधीन देयों की वसूली और पट्टेदार किराये की वसूली पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेनों से उत्पन्न हुए कानूनी मामलों के क्रियाकलापों तक केनबैंक फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने कार्य को सीमित रखा है। वर्ष 2012-13 के दौरान केनफिना ने कर के बाद ₹1.49 करोड़ लाभ अंकित किया है। बैंक द्वारा निधि समर्थन में प्रदत्त ₹376.45 करोड़ में से, केनफिना ने ₹351.45 करोड़ की चुकौती की है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹25 करोड़ की संपूर्ण देयता का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए मेसर्स केनबैंक इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड 1993 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबंधन कंपनी के 49% भाग को मेसर्स रोबेको ग्रुप के पक्ष में अंतरित कर दिया है कि वे केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करें। अब इस कंपनी का केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनर्नामकरण किया गया।

बैंक के विस्तृत तंत्र के समर्थन के साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय आचरणों को अपनाकर म्यूचुअल फंड उद्योग के अर्थयुक्त बाजार हिस्से को

Canbank Computer Services Limited (CCSL)

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a public sector bank in the country. CCSL is primarily engaged in IT and Software development services, training/consultancy and registrar and share transfer agency. The Company is a member of the NASSCOM and Registered as a software solution provider for World Bank projects. The Company has achieved the Profit after Tax of ₹4.25 crore for the year against ₹3.10 crore in the previous year. The Company has been successfully managing the Call Centre activity and ATM outsource services for 1200 plus ATMs of the Parent Bank.

Canara Bank Securities Limited (CBSL)

Canara Bank Securities Limited, (formerly Gilt Securities Trading Corporation Limited) has diversified into capital market related activities, mainly stock broking since 2007.

The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product under portal 'Canmoney.in'. The Company has diversified into Currency Derivatives. The Company has posted a Profit after Tax of ₹8.08 crore and paid 15% dividend of ₹6.00 crore for 2012-13.

Canbank Financial Services Limited (Canfina)

Canbank Financial Services Ltd has confined its activities to legal matters arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed accounts. During 2012-13, Canfina recorded a profit after tax of ₹1.49 crore. It has repaid ₹351.45 crore out of the hand holding support of ₹376.45 crore given by the Bank and proposes to clear the entire liability of ₹25 crore outstanding during the current fiscal year.

Canara Robeco Asset Management Company Limited (CRAMC)

To manage assets of Canbank Mutual Fund, M/s Canbank Investment Management Services Limited (CIMS) was established in 1993. In the year 2007, Canara Bank divested 49% stake of Asset Management Company in favour of M/s Robeco Groep N V forming a joint venture for managing the assets of Canbank Mutual Fund. The Company has since been renamed as Canara Robeco Asset Management Company Limited.

The JV aims to capture a worthwhile market share of mutual fund industry by bringing best international

हथियाना इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य है। 51% का बहुमत हिस्सा बैंक में रहने के साथ कंपनी के प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियाँ ₹8550 करोड़ रही जिसके 5.52 लाख निवेशक थे। अब कंपनी 24 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। वर्ष 2012-13 के लिए इसने ₹13.55 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।

केनरा एच एस बी सी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एच एस बी सी बीमा (एशिया पसिफिक) धारण और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ बीमा संयुक्त उद्यम रूपायित किया गया है। कंपनी में बैंक के 51% प्रधान शोधर धारण के साथ सितंबर 2007 के दौरान कंपनी को निगमित किया गया तथा कंपनी ने अपना कारोबार परिचालन दिनांक 16.06.2008 से प्रारंभ किया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹1894 करोड़ का वार्षिक प्रीमियम पर पहुंचा है। कंपनी ₹14.80 करोड़ का लाभ पंजीकृत किया है। भारत में बीमा क्षेत्र में 23 निजी संस्थाओं में से हमारी कंपनी 12वां स्थान प्राप्त कर चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी)

केनरा बैंक ने 963 शाखाओं के साथ तीन राज्यों में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है नामशः कर्नाटक राज्य में प्रगति ग्रामीण बैंक, केरल राज्य में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य में श्रेयस ग्रामीण बैंक। यथा मार्च 2013 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ कमा रहे हैं और पूंजी पर्याप्तता अनुपात अधिदेशी 9% से अधिक है। यथा 31.03.2013 को इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र व्यापार स्तर ₹25000 करोड़ का अंक पार करके ₹25106 करोड़ तक रहा जिसमें ₹13488 करोड़ के जमाएँ और ₹11618 करोड़ के अग्रिम रहे। कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में प्रगति ग्रामीण बैंक का दूसरा स्थान है और केरल राज्य में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक का प्रथम स्थान है। वर्ष के दौरान तीनों क्षेत्रीय बैंकों ने मिलकर 77 नई शाखाएं और 926 अति लघु शाखाएं खोली हैं।

सभी क्षेत्रीय बैंकों ने वित्तीय समावेशन गाँवों (2000 से अधिक आबादीवाले) का 100% प्रावरण कारोबार संपर्ककर्ताओं के माध्यम से सुनिश्चित किए। मंत्रालय द्वारा निर्धारित 60% के स्थान पर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 85% रहा। यथा मार्च 2013 को कृषि ऋण बकाया ₹7630 करोड़ रहा। प्रौद्योगिकी प्रगति के तहत सभी क्षेत्रीय बैंक सीबीएस प्लैटफॉर्म में अंतरित हुए, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, एसएमएस अलर्ट्स, केसीसी रूपे कार्ड आदि प्रौद्योगिकी उत्पाद कार्यान्वित किए। आगे, सभी खातों के लिए अनर्जक आस्ति की प्रणाली आधारित मान्यता कार्यान्वित किया गया है।

practices and expertise supported by the vast network of the Bank. With a majority share of 51% held by the Bank, the Assets under Management (AUM) of the Company increased to ₹8550 crore, with an investor base of ₹5.52 lakh. The Company is currently managing 24 Mutual Fund Schemes. The Company posted a net profit of ₹13.55 crore for the year 2012-13.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited

An Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with internationally reputed HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce. The Company was incorporated during September 2007 and commenced its business operations from 16.06.2008, with a majority shareholding of 51% held by the Bank.

During the year, the Company reached total business premium of ₹1894 crore. The Company recorded profit of ₹14.80 crore. Out of the 23 private players in the insurance field in India, the Company ranked 12th position.

Regional Rural Banks (RRBs)

The Bank sponsored three Regional Rural Banks in three states viz., Pragathi Gramin Bank (Karnataka), South Malabar Gramin Bank (Kerala) and Shreyas Gramin Bank (Uttar Pradesh), with a total network of 963 branches. As at March 2013, all the RRBs were profit making and the capital adequacy ratio is above the mandatory norm of 9%. The aggregate business of the RRBs crossed the milestone mark of ₹25000 crore and stood at ₹25106 crore, comprising ₹13488 crore under deposits and ₹11618 crore under advances as at 31.03.2013. Pragathi Gramin Bank ranks 2nd position amongst RRBs of Karnataka and South Malabar Gramin Bank ranks 1st position amongst RRBs of Kerala. 3 RRBs opened 77 new branches and 926 ultra small branches during the year.

All the RRBs ensured 100% coverage of all FI villages (population of more than 2000) with Business Correspondents. The priority sector advances were at 85% as against the norm of 60% set by the Ministry. Agriculture Credit outstanding stood at ₹7630 crore as at March 2013. Under technology advancements, all the RRBs have migrated to CBS platform, implemented IT products like NEFT, RTGS, ATM, SMS alerts, KCC RuPay cards, etc. Further, system based recognition of non-performing assets for all the accounts has been implemented.

वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या एफ.सं.7/9/2011-आरआरबी (यूपी-1) दिनांक 01.04.2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2013 से केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित श्रेयस ग्रामीण बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आर्य वर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्य वर्त किया गया। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थित है।

पुरस्कार तथा प्रशस्तियाँ

पुरस्कार तथा प्रशस्तियाँ

विभिन्न पहलुओं की पहचान के रूप में बैंक को वर्ष के दौरान निम्न पुरस्कारों से नवाजा गए-

- बड़े बैंकों की श्रेणी में "वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी पहल" के तहत आईडीआरबीटी द्वारा सर्वोत्कृष्ट निष्पादन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका वितरण डॉ डी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया।
- वित्तीय समावेशन के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा पुरस्कार वितरण डॉ.सी रंगराजन, अध्यक्ष, पीएमईएसी द्वारा किया गया।
- बिहार राज्य में वर्ष 2011-12 के लिए स्वयं सहायता समूहों की सहबद्धता के लिए प्रथम रैंक
- आई बी ए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2011 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में "उत्तम ऑनलाइन बैंक" के लिए पुरस्कार।
- आई बी ए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2011 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में "उत्कृष्ट ग्राहक संबंध पहल" के लिए पुरस्कार।
- विश्व एच आर डी कांग्रेस, 2003 द्वारा गठित लीडरशिप इन बैंकिंग पुरस्कार- दि ग्रेटस्ट कॉर्पोरेट लीडर्स ऑफ इंडिया पुरस्कार।
- मेसर्स ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा मानव संसाधन उन्मुख सी ई ओ के तहत प्लैटिनम ग्रीनटेक एच आर पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया।
- मेसर्स ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा सर्वोत्तम मानव संसाधन रणनीति तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दो प्लैटिनम पुरस्कार
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में सतर्कता स्टडी सर्कल, हैदराबाद से लगातार द्वितीय बार राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार - 2012

Shreyas Gramin Bank and Aryavart Kshetriya Gramin Bank were amalgamated into a single Regional Rural Bank vide Ministry of Finance notification F No.7/9/2011-RRB (UP-1) dated 01.04.2013 under the sponsorship of Bank of India and has been renamed as Gramin Bank of Aryavart with its Head Office situated at Lucknow.

AWARDS/ACCOLADES

Awards and Accolades

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards -

- Best Bank Award among large banks by IDBRT for "Use of Technology for Financial Inclusion" handed over by RBI Governor Dr. D Subbarao.
- Skoch Award for Financial Inclusion, handed over by Dr. C Rangarajan, Chairman, PMEAC.
- 1st Rank for Self Help Groups Linkage for the year 2011-12 in the State of Bihar.
- Award for 'Best Online Bank' among Public Sector Banks- IBA Banking Technology Awards 2011.
- Award for 'Best Customer Relationship Initiative' among Public Sector Banks - IBA Banking Technology Awards 2011.
- The Greatest Corporate Leaders of India – Leadership in Banking Award, instituted by World HRD Congress, 2013.
- Prestigious Platinum Greentech HR Award 2013 under HR Oriented CEO by M/s Greentech Foundation, New Delhi.
- Platinum Award, for Best HR Strategy and Training Excellence by M/s Greentech Foundation, New Delhi.
- National Vigilance Excellence Award – 2012 for the second consecutive year from Vigilance Study Circle, Hyderabad under the auspices of the Central Vigilance Commission.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की संयुक्त परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमक अपेक्षाओं, भारत सरकार के निर्देशों और वर्तमान संदर्भ में बैंक की उभरती हुई अपेक्षाओं के आलोक में वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप देने के समस्त प्रयास किए गए हैं। तदनुसार, अन्यो के साथ-साथ ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन, देश जोखिम, प्रतिपक्षीय बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबंधन, स्ट्रेस परीक्षण, अनुपालन कार्य, आपदा रिकवरी और व्यापार निरंतरता योजना, कारोबार प्रकार, आउटसोर्सिंग व आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी), अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण, वसूली और निवेश संबंधी नीतियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2012-13 ने बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन देखे।

- सेवानिवृत्ति के कारण बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में श्री एस रामन का कार्यकाल दिनांक 30.09.2012 को समाप्त हुआ।
- दिनांक 16.11.2012 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्रीमती सुधा कृष्णन को डॉ. थामस मैथ्यू के स्थान पर नामित किया गया, जिनका कार्यकाल 15.11.2012 को समाप्त हुआ।
- श्री राजीव किशोर दुबे दिनांक 11.01.2013 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के बोर्ड के नव नियुक्त निदेशकों की संक्षिप्त जीवनी

श्रीमती सुधा कृष्णन

वर्तमान में श्रीमती सुधा कृष्णन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के संयुक्त सचिव (कार्मिक) है।

श्री राजीव किशोर दुबे

वर्ष 1977 में श्री राजीव किशोर दुबे पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त हुए और 2008 में महा प्रबंधक के पद में पदोन्नत हुए। वर्ष 2010 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

व्यापक बहु आयामी बैंकिंग परिचालन अनुभव रखने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी ज्ञान रखनेवाला बैंकर, श्री दुबे में वैयक्तिक संबंध, संप्रेषण व नेतृत्व कौशल के साथ टीम प्रबंधन व ग्राहक संबंध प्रबंधन में

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Know Your Customers (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2012-13 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

- The tenure of Shri S Raman as Chairman & Managing Director ended on superannuation on 30.09.2012.
- Smt Sudha Krishnan was nominated as Government of India Nominee Director w.e.f. 16.11.2012 in place of Dr Thomas Mathew, whose term as Government of India Nominee Director consequently ended on 15.11.2012.
- Shri R K Dubey was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank w.e.f 11.01.2013.

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2012-13

Smt Sudha Krishnan

At present, Smt Sudha Krishnan is the Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

Shri R K Dubey

Shri R K Dubey joined Punjab National Bank in the year 1977 as a Management Trainee and moved up to the ranks of a General Manager in 2008. He was appointed as Executive Director of Central Bank of India in 2010.

A techno-savvy banker with extensive multi-dimensional banking operational experience, Shri Dubey possesses enormous inter-personal, communication and leadership skills with proven abilities in team management and

सिद्ध क्षमताएं हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने लक्ष्य निर्धारित करने में विश्वास रखते हैं।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य


निदेशक, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

धन्यवाद

अपने सभी हितधारकों यानि शेयरधारकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कर्मचारियों व मुख्य रूप से जनता को अधिकतम प्रतिफल देने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए।

संरक्षण के लिए ग्राहकों, सहयोग के लिए शेयरधारकों, मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों व भारतीय रिज़र्व बैंक, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए देश व विदेश में बैंक के संपर्ककर्ताओं और विकास व तरक्की की इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी कर्मचारी सदस्यों की बोर्ड प्रशंसा करना चाहता है।



राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

customer relationship management. He takes challenges and believes in setting own goals.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Bank made several initiatives to maximize rewards for all its stakeholders, viz., shareholders, customers, investors, Government, RBI, employees and the public at large.

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the journey towards growth and excellence.



R K DUBEY
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

करोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2012-13

(सूचीकरण समझौता की धारा 55 के अंतर्गत)

1. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – लागू नहीं
2. कंपनी का नाम: केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता: केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड बेंगलूर – 560002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल: edscrt@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष: 2012-13
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार): वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग।
8. कंपनी द्वारा निर्मित/उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद/सेवाएं (तुलन-पत्र के अनुसार): 1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग।
9. कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है
 - i. कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थल (5 मुख्य स्थल बताएं)
यूके (लंदन व लीसेस्टर), हंगकांग, चीन (शिंघाई), बहरीन (मनामा)।
 - ii. कुल राष्ट्रीय स्थल: 3723
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट: – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय।

ऊपर वर्णित बिन्दु 9 (i) के स्थानों के अतिरिक्त बैंक का प्रतिनिधित्व कार्यालय शारजाह, यूएई में है तथा बैंक का संयुक्त उद्यम बैंक, कॉमर्स बैंक ऑफ इंडिया, एतएतसी मास्को रूस में है।

भाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (रु. में): ₹443 करोड़
2. कुल करोबार (₹ में): कुल करोबार ₹598033 करोड़ (कुल जमाएं: ₹355856 करोड़ + निवल अग्रिम ₹242177 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (₹ में): ₹2872 करोड़
4. कर पश्चात लाभ का कितना प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च: (%): 0.39%

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2012-13

(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company: Not Applicable
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bangalore - 560002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: edscrt@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2012-13
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise): Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet): 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations (Provide details of major 5)
UK (London and Leicester), Hong Kong, China (Shanghai) and Bahrain (Manama).
 - ii. Number of National Locations: 3723
10. Markets served by the Company – National and International

Besides, locations mentioned under point No. 9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE and a Joint Venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹443 Crore
2. Total Turnover (INR): Total Business: ₹598033 Crore (Total Deposits: ₹355856 Crore + Net Advances: ₹242177 Crore)
3. Total profit after taxes (INR): ₹2872 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): 0.39%

5. उक्त मद 4 में किए गए खर्च के क्रियाकलापों की सूची:

क्र. सं.	कार्य	प्रायोजित संख्या	राशि (₹ लाखों में)
क	शिक्षा	220	74.68
ख	स्वास्थ्य	67	101.71
ग	दान	68	27.29
घ	सामाजिक कल्याण व सहायता	294	55.17
ड.	ऊर्जा संरक्षण	12	6.68
च	महिला कल्याण	32	33.00
छ	कौशल विकास	5	831.00
	कुल	697	1129.53

स्वीकृत प्रायोजन का खंड वार वर्गीकरण:

क. शिक्षा

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंगारपेट और बिदादी	स्कूल बस्ते, विद्यार्थियों को पढाई की सामग्री	1.58
2	श्री महागणपति उच्च विद्यालय, सिद्धपुर	कंप्यूटर, स्कैनर व यूपीएस	1.00
3	स्वामी विवेकानंद युवा अभियान, मैसूर	डिजिटल पुस्तकालय	15.00
4	भारिबैं का आउटरीच कार्यक्रम	केनरा बैंक शाखाओं द्वारा 26 लड़कियों को गोद लेना	1.04
5	केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड	डिजिटल पुस्तकालय व कंप्यूटर	4.50
6	विद्यापोशक कलारंग, उदुप्पि	छात्रों के लिए सौर गृह बिजली	1.50
7	मे. चेतन्य सेवा समिति, जल्लहल्ली, बेंगलूर	कंप्यूटर, स्कैनर व यूपीएस इत्यादि	1.06

5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-

SI No.	Activity	No. of Sponsorships	Amount (₹ lakh)
a	Education	220	74.68
b	Health	67	101.71
c	Charities	68	27.29
d	Social Welfare & Relief	294	55.17
e	Energy Conservation	12	6.68
f	Women Welfare	32	33.00
g	Skill Development	5	831.00
	Total	697	1129.53

Segment-wise classification of Sponsorships sanctioned:

a. Education

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Govt. Primary School Bangarpet and Bidadi	School bags, teaching aids to school children	1.58
2	Shri Mahaganapathi High School, Siddapur	Providing Computers, scanner and UPS	1.00
3	Swami Vivekananda Youth Movement, Mysore	Digital Library	15.00
4	Outreach Programme of RBI	26 Girls adopted by Canara Bank branches	1.04
5	Canara Bank Jubilee Education Fund	Digital Library and Computers	4.50
6	Vidyaposhak Kalarang, Udupi	Solar Home lights for students	1.50
7	M/S Chaithanya Seva Samithi Jalahalli, Bangalore	Providing Computers, Scanner and Printer, etc.	1.06

8	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल बस्ते, स्कूल वर्दी, पढाई की सामग्री, फर्नीचर, जल शोधक,	20.92
9.	श्री अर्बिंदो कॉलेज, दिल्ली	सभागार का सज्जीकरण	12.28
10.	संस्कृत भारती, बेंगलूर	अक्षराम में श्रेष्ठता केंद्र की स्थापना	10.00
11.	रागिगुडा प्रसन्ना अंजनया मंडली, बेंगलूर	अन्नपूर्णेश्वरी भवन की स्थापना	5.00
12.	एकल विद्यालय भारत शिक्षा परिषद, दिल्ली	एकल विद्यालय मूवमेंट	0.80
	कुल		74.68

ख. स्वास्थ्य

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	शंकर नेत्रालय, बेंगलूर	दृष्टि उपकरण उपलब्ध कराना	1.00
2	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं और कुछ गैर सरकारी संगठन	स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, दंत जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, अस्पतालों को उपकरण उपलब्ध कराना।	5.55
3	श्री शंकर कैंसर फाउंडेशन, बेंगलूर	5 बिस्तरों वाला जनरल वार्ड का निर्माण	11.00

8	Various branches of Canara Bank	School bags, School Uniform, Teaching aids, furniture items, Water purifier to children of different schools	20.92
9.	Sri Aurobindo College, Delhi	Furnishing of Auditorium	12.28
10.	Sanskriti Bharathi, Bangalore	Establishing Centre of Excellence at Aksharam	10.00
11.	Ragigudda Prasanna Anjaneya Mandali, Bangalore	Construction of Annapoorneshwari Bhavan	5.00
12.	EKAL Vidyalaya Bharath Lok Shiksha Parishad, Delhi	EKAL Vidyalaya Movement	0.80
	Total		74.68

b. Health

Sl. No.	Name of the Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Shankar Eye Hospital, Bangalore	Providing functional Vision unit	1.00
2	Various branches of Canara Bank and few NGOs	Conducting health check up camps, Blood donation camps, Dental check up camps, Eye check up camps, Providing medical instruments to Hospitals, etc.	5.55
3	Shri Shankara Cancer Foundation, Bangalore	Construction Of One General Ward Room With 5 Beds	11.00

4	विट्टल नेत्रालय, बेंगलूर	“नयन” गाडी का निर्माण	8.00
5	रंगाडोर मेमोरियल हॉस्पिटल, बेंगलूर	स्ट्रोस्कोपी उपकरणों की खरीद	5.00
6	श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बेंगलूर	दो इको डोपलर मशीन की खरीद	50.00
7	कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद	कैंसर हॉस्पिटल में 20 बिस्तरों का जनरल वार्ड बनाना	6.16
8	कांची कामाकोटी मेडिकल ट्रस्ट, कोयंबतूर	40 सीट वाली बस की खरीद	15.00
	कुल		101.71

4	Vittala Eye Hospital, Bangalore	Construction of Mobile Unit 'Nayana'	8.00
5	Rangadore Memorial Hospital, Bangalore	Purchase of Hysteroscopy Equipment	5.00
6	Sri Jayadeva Institute Of Cardiology, Bangalore	Purchase of Two Echo Doppler Machines	50.00
7	Kamala Nehru Memorial Hospital, Allahabad	Establishing New 20 Bed General Ward to Cancer Hospital	6.16
8	Kanchi Kamakoti Medical Trust, Coimbatore	Purchase of 40 Seater Bus to the Hospital	15.00
	Total		101.71

ग. दान

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	रामकृष्णा मठ, हैदराबाद	मठ को कंप्यूटर देना	1.84
2	वरिष्ठ नागरिकों, अनार्यों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सहायता	व्हील चेयर, चारपाई, फ्रीज, पंखे, लाइट आदि	16.70
3	इस्कॉन आपकी रसोई, दिल्ली	भूख मुक्त दिली अभियान, आपकी रसोई	3.75
4	आशा कम्यूनिटी सोसायटी, दिल्ली	परोपकार कार्य	5.00
	कुल		27.29

घ. सामाजिक कल्याण व सहायता

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	वेकटरमना गोशाला करकला, उडुप्पि	गोशाला के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	1.00

c. Charities

Sr. No.	Name of the Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Ramakrishna Mutt, Hyderabad	Providing computers to the Mutt	1.84
2	Assistance to NGOs working for the welfare of Senior citizens, orphans	Providing wheel chairs, Cot, fridge for hostel, Fans, Lights, etc	16.70
3	ISKCON- AAPKI RASOI, Delhi	Hunger Free Delhi Campaign-Aap Ki Rasoi	3.75
4	ASHA Community Society, Delhi	Charity Activities	5.00
	Total		27.29

d. Social Welfare & Relief

Sr. No.	Name of the Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Venkataramana Ghoshala Karkala, Udupi	Financial support for construction of Ghoshala	1.00

2	हमारी विभिन्न शाखाओं के द्वारा	शारीरिक अक्षम, मानसिक अक्षम, बाढ़ व अकाल पीड़ितों आदि के लिए सहायता	37.18
3	रागिगुडा श्री प्रसन्ना अंजनया स्वामी ट्रस्ट, बेंगलूर	प्रसाद भवन का सज्जीकरण	0.99
4	स्नेहा किरण ऑफ मैसूर स्पैस्टिक सोसायटी, मैसूर	सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को पुनर्वास सेवाएं	11.00
5	एसजीएस ट्रस्ट, मैसूर	अस्पताल का निर्माण	5.00
	कुल		55.17

2	Through Canara Bank Branches	Assistance to physically challenged, mentally challenged, assistance to flood & famine victims, etc	37.18
3	Ragi Gudda Sri Prasanna Anjaneya Swamy Trust, Bangalore	Furnishing of Prasada Bhavana	0.99
4	Sneha Kiran of Mysore Spastic Society, Mysore	Rehabilitation Services to Children of Cerebral Palsy	11.00
5	SGS Trust, Mysore	Construction of Hospital	5.00
	Total		55.17

ड. ऊर्जा संरक्षण

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	कलाकंकर फाउंडेशन, नई दिल्ली	प्रतापगढ़ गांव को सौर लालटेन उपलब्ध कराना	5.00
2	केनरा बैंक शाखाओं के सेवा क्षेत्र की विभिन्न स्कूल	सौर बिजली, लैंप आदि उपलब्ध कराना.	1.68
	कुल		6.68

e. Energy Conservation

Sr. No.	Name of the Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Kalakankar Foundation, New Delhi	Providing Solar Lanterns to villagers of Pratapgarh	5.00
2	Different Schools of service areas of Canara Bank branches	Providing Solar lights, lamps, Solar water heaters, etc.	1.68
	Total		6.68

च. महिला कल्याण

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	विभिन्न अंचल कार्यालयों के सीईडी कक्ष	महिलाओं के लिए ईडीपी कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को परामर्श, महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग आउटलेट का आयोजन	33.00

f. Women Welfare

Sr. No.	Name of the Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Canara Bank's Circle Offices-CEDW Centres	Organising Entrepreneurship Development programmes to women, Counseling of Women, organising Marketing camps outlet for women entrepreneurs	33.00

छ. कौशल विकास

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (₹ लाखों में)
1	ग्रामीण विकास व स्वराजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) उजिरे, कर्नाटक	संपूर्ण भारत की सभी 27 रूडसेटी के प्रशिक्षण खर्च का 40%	300.00
2	देशपांडे ग्रामीण विकास व स्वराजगार प्रशिक्षण संस्थान (डी-रूडसेटी) हलियाल, कर्नाटक	देशपांडे रूडसेटी हलियाल के प्रशिक्षण खर्च का 50% उपलब्ध कराना	15.00
3	आंध्रप्रदेश ग्रामीण व उद्यमशीलता विकास बैंकर्स संस्थान (एपीबीआईआरडी) हैदराबाद	एपीबीआईआरडी संस्थान के प्रशिक्षण खर्च का 10% उपलब्ध कराना	10.00
4	केनरा बैंक सहस्रान्दि ग्रामीण विकास न्यास (सीबीसीआरडी) बेंगलूर	24 आरसेटी, 3 शिल्प प्रशिक्षण संस्थान, 4 सीबीआईआईटी का प्रशिक्षण खर्च उठाना	418.00
5	केनरा वित्तीय परामर्श न्यास	वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण	88.00
	कुल		831.00

g. Skill Development

Sl. No.	Name of Donee	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI), Ujire, Karnataka	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	300.00
2	Deshpande Rural Development and Self Employment Training Institute (D RUDSETI), Haliyal, Karnataka	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RUDSETI, Haliyal	15.00
3	Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED), Hyderabad	Providing 10% of the training cost of the APBIRED Institute	10.00
4	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRD), Bangalore	Providing Training cost of 24 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 4 CBIITs all over India	418.00
5	Canara Financial Advisory Trust	Providing Training on financial literacy	88.00
	Total		831.00

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम हैं -

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

ख) केनबैंक फैक्टर लि.

ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.

घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विस लि.

ड.) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि.

च) केनरा रोबेको एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी लि.

छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लि.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

b) Canbank Factors Ltd.

c) Canara Bank Securities Ltd.

d) Canbank Computer Services Ltd.

e) Canbank Financial Services Ltd.

f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.

- h) केनफिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
- i) एस्बीआई के साथ मास्को में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)
2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हां तो ऐसी अनुषंगी(यों) की खंख्या दें।
- हां, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।
3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)
- शून्य

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक

- क) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण:

क्र. सं.	ब्योरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या	00016704
2	नाम	श्री अशोक कुमार गुप्ता
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्योरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एस एस भट्ट
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	08022128840
5.	ई-मेल	pcfiw@canarabank.com

- h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
- i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint venture).

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity/entities (e. g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

- a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1	DIN Number	00016704
2	Name	Shri Ashok Kumar Gupta
3	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri S S Bhat
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	08022128840
5.	e-mail id	pcfiw@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियां (हां/ना में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1.	क्या आपके पास के ---- लिए पॉलिसी/पॉलिसियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी श्रेयरधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यावयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयरधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित श्रेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियावयन के लिए ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? \$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2a. यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिन्ह लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाने व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)	बैंक वर्ष 2013-14 से मूल्यांकित रिपोर्ट प्रकाशित करेगा								

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is "No", please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)	The Bank will publish the evaluated Report from 2013-14 onwards.								

3. बीआर से संबंधित शिकायतें

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा
- क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?

बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के निदेशक रिपोर्ट में बीआर से संबंधित सूचना संक्षिप्त में दी थी। वर्ष 2012-13 के लिए बैंक ने बीआर रिपोर्ट को निर्दिष्ट फॉर्मेट में बनाया है। वर्ष 2013-14

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The Bank, as part of the Directors Report of the Bank's Annual Report provided brief information on the BR Report for the year 2011-12. For 2012-13, the Bank has prepared the Report as per the specified format. From 2013-14 onwards, the Report will be published

से, रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी और उसे केनरा बैंक की साइट www.canarabank.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग ड.: सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

1. क्या नैतिकता, विश्वतुष्टि और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावर्तित है? हां/नहीं, क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित “कॉर्पोरेट प्रशासन नीति” है जो कि सभी श्रेयधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज, को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं/यूनिट/कार्यालयों का सूचना प्रणाली ओडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें: वर्ष 2012-13 में बैंक ने श्रेयधारकों से 1616 अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित श्रेयधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने,

annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes / No. Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

The Bank is having a Board approved “Corporate Governance Policy”, which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stakeholders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries / Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / Units / Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 1616 representations / grievances from Shareholders during 2012-13 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their

बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 5075 शिकायतें प्राप्त की तथा 98% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद/सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देने व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत2: कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।
- i. **वित्तीय समावेशन अभियान** – विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कारोबार संपर्कियों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खाते खोलना, केसीसी व जीसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण विकास वाहिनी चलाना और ग्रामीण जनता के लिए ऋण परामर्श देना।
- ii. **ग्रामीण विकास** – बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 61 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 5 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 73% है।
- iii. **हरित बैंकिंग** – बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए सौर ऊर्जा युक्त बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ दो स्थानों पर ई-लाउंज बैंक ने स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई-लाउंज की स्थापना करने के योजना है। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है।

addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

Customer Complaints: During 2012-13, the Bank received 5075 complaints and 98% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
- i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as, increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs and GCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhar enrollment, forming farmers' clubs, deploying Gramin Vikas Vahini for enhancing financial literacy and credit counseling among rural folks.
- ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored/ co-sponsored / supported 61 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 5 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.
- iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash / cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas.

2. ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन के संबंध में निम्न सूचित करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) (वैकल्पिक):
 - i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के समय आई कमी?
लागू नहीं
 - ii. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?
लागू नहीं
3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है(परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें।
लागू नहीं
4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
लागू नहीं
5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है(5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग – अलग बताएं)। 50 शब्दों में विवरण दें।
लागू नहीं

सिद्धांत 3: कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं
कुल कर्मचारियों की संख्या 42693 है।
2. कृपया अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 204 है।
3. कृपया नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या 10849 है।
4. कृपया नियमित विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
नियमित विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 941 है।

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):
 - i. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
Not Applicable
 - ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
Not Applicable
3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.
Not Applicable
4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?
Not Applicable
5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.
Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the total number of employees.
Total number of employees is 42693.
2. Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.
Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis is 204.
3. Please indicate the number of permanent women employees.
The number of permanent women employees is 10849.
4. Please indicate the number of permanent employees with disabilities.
The number of permanent employees with disabilities is 941.

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हां 2 संगठन हैं 1. अधिकारी कर्मचारी 2. कामगार कर्मचारी

6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	78.85%
कर्मचारी यूनियन	73.89%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित संख्या कितनी है।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	2	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निर्मांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

नियमित कर्मचारी	70% (32595)
नियमित महिला कर्मचारी	69% (7432)
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	52% (490)

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षितों के प्रति

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है?हां/नहीं

हां, बैंक के श्रेयधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।

5. Do you have an employee association that is recognized by management.

Yes. 2 Associations. 1. Officer Employees 2. Workmen Employees.

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	78.85%
Workmen Union	73.89%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S.No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	2	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	70% (32595)
Permanent Women Employees	69% (7432)
Casual/Temporary/ Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	52% (490)

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?

हां.

3. क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर व उपेक्षित श्रेयधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/वेतन दिया जाता है। बैंक, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उदान परियोजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित व भर्ती कर रहा है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का सम्मान करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियों केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. The Bank, as part of Corporate Social Responsibility, is training and recruiting unemployed graduates from the State of Jammu and Kashmir under the project 'Udaan'.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, general credit cards, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की नीति लागू की गयी है। पॉलिसी के अनुसार, महा प्रबंधक की रैंक वाली महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न पर दो शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका निपटान बिना समय गंवाए किया गया।

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो।

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्यो पर भी भागू है?
नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction / electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labor laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

Two complaints on sexual harassment were received during the year which was resolved without any loss of time.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.
The Policy covers only the Bank.

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है? हां/नहीं, यदि हां तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हां

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसी नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन – 11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. – 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लो 2 रोफॉर्म, हेलॉन – 1211, 1301, 2402 जो फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन इकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दवाब डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता ने केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हां/नहीं

हां

4. क्या कंपनी में स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें। और, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?

हां

बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल को गयी हैं जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई- लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हां/नहीं, यदि हां तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हालांकि बैंक ने अभी तक किसी भी तरह की पहल सीधे शुरू नहीं की है, बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन चक्की / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि।

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon – 11 (CFC – 11), CFC – 12, Mixtures of CFC – 11 and CFC – 12, CFC – 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons – 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Though the Bank has not undertaken any such initiatives directly, yet the Bank gives due weightage and preference to the environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills / Solar Power projects.

इसके अलावा, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटिंग) अपने सभी परिसर लगाने के लिए अग्रसर है। बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है अर्थात् एयर कंडीशनर।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी नियम (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं? बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अतः यह लागू नहीं है।
7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)
शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आमजनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?
हां .
क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई)
च) भारतीय समाशोधन निगम(सीसीआई)
छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई
2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हां/नहीं, यदि हां तो मॉटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय

Further, the Bank is changing over to CFL's (Compact Fluorescent Lightings) in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?
The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.
7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.
Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:
Yes.
a) Indian Banks' Association (IBA)
b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
d) National Institute of Bank Management (NIBM)
e) National Payments Corporation of India (NPCI)
f) The Clearing Corporation of India (CCI)
g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)
The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further,

क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय – समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत है:

बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्र के उपेक्षित वर्गों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने 24 राज्यों के 2000 जनसंख्या से अधिक वाले 1624 गाँवों में वित्तीय समावेशन योजना का कार्यावयन किया। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यावयन दो मॉडल के तहत किया गया यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल।

275 गाँवों को ब्रिक और मॉर्टर मॉडल और बचे हुए 1349 गाँवों को कारोबार संपर्की की मदद से बैंकिंग सेवा उपलब्ध करायी गयी। इन 1349 गाँवों में से, 542 गाँवों में कारोबार संपर्की अति लघु शाखाओं द्वारा एक निश्चित स्थान पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएँगे।

2013-14 के लिए योजना: वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक 3794 गाँवों (2000 से कम की आबादी) , वर्ष 2014-15 में 4212 गाँवों तथा वर्ष 2015-16 में 419 गाँवों को 421 ब्रिक व मॉर्टर शाखाएं खोलते हुए और 2489 कारोबार संपर्की एजेंटों को नियुक्त करते हुए कवर करने की योजना है।

वर्ष 2013-14 के दौरान 28 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। शुरुआत में आगरा जिले के सरकारी विद्यालयों में 30000 छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की योजना बनायी गयी है। गत वर्ष स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं के नेताओं लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल रहा। इस वर्ष भी हर प्रकार के 30 कार्यक्रमों को 4 राज्यों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। जिससे 1000 सदस्य प्रशिक्षित होंगे जो 20000 स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य को प्रशिक्षित करेंगे। कॉमिक पुस्तक “पैसे व बचत” को बंगाली व उडिया भाषा में भी निकाला जाएगा।

the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes/ projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

The Bank has implemented financial inclusion plan in 1624 villages with more than 2000 population across 24 States, to provide banking services to the excluded category of people in unbanked areas. The objectives are to provide them the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

275 unbanked villages are covered through brick and mortar model and the remaining 1349 villages are provided banking services through engaging business correspondents. Out of 1349 villages, the business correspondent agents are providing the banking services in a fixed place through Ultra Small Branches in 542 villages.

Plan for 2013-14: The Bank has planned to cover 3794 villages (with less than 2000 population) during 2013-14, 4212 villages during 2014-15 and 419 villages during 2015-16 by opening 421 brick and mortar branches and engaging 2489 business correspondent agents.

It is proposed to open 28 Financial Literacy Centers during the year 2013-14. The financial literacy programme for the school students is planned in Agra district covering 30000 students in Govt. schools on pilot basis. The training programme for the SHG/NGO leaders was successful in the last year. This year also, it is proposed to conduct 30 such programmes in four States covering 1000 members who in turn train 20000 members of SHGs. The comic books ‘Money’ and ‘Savings’ will be brought out in Bengali and Oriya languages for free distribution to the public.

बैंक ने ग्राम अंगीकरण योजना – अकोला मॉडल को बैंक के 31 अंचलों के 62 गाँवों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की है। प्रत्येक गाँव के विकास के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये का अनुदान रखा गया है। यह योजना दो वर्ष के लिए है तथा योजना को ध्यान में रखते हुए इसे एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है।

3. क्या अपने प्रयास का आपने प्रभाव मूल्यांकन किया है ?
हां

हाँ, बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 17.31 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों तथा योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 62 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 235 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली और 2012-13 के दौरान हमने 8.37 लाख खाते से 1399 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा 830 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 1.54 लाख गैर बैंकिंग लोग लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, ऋण सुविधाएँ जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभेदक ब्याज दर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण स्वेपिंग योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने मे. केनरा एचएसबीसी ओबीसी इश्योरेंस कंपनी के समूह बीमा योजना के तहत ऋण प्रदत्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के जीवन को कवर किया गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य के जीवन को 25000 रुपये तक 100 रुपये के मामूली प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। लगभग 30000 व्यक्ति इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

बैंक ने कर्नाटक के चार जिलों और तमिलनाडु के सभी जिलों में “एक जिला कई बैंक मॉडल” के तहत सरकारी लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तान्तरण के कार्यान्वयन में भाग लिया है। कर्नाटक के चार जिलों में मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए खातों के खोलने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से लाभार्थियों को उनके दरवाजे / गांवों में समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिली है।

The Bank has introduced the Village Adoption Scheme – Akola model in 62 villages in 31 Circles of the Bank for overall development. A grant of ₹3 lakh is earmarked per village per year for the development activities. The Scheme is for a period of 2 years and can be extended for 1 more year depending upon the merits of the case.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes.

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 17.31 lakh unbanked people during the year 2012-13 and 62 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

235 Financial Inclusion branches opened during 2011-12 and 2012-13 have garnered a business of ₹1399 Crore in 8.37 lakh accounts and provided credit of ₹830 Crore benefitting 1.54 lakh unbanked persons.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, Inbuilt Overdraft Facilities, credit facilities under products like General Credit Card Schemes, Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme and various other credit products.

The Bank has also covered the lives of the members of credit linked SHGs under Group Insurance Scheme by M/s Canara HSBC OBC Insurance Company, covering the lives of the individual members to the extent of ₹25000 for a nominal premium of ₹100. About 30000 persons have been benefitted out of the Scheme.

The Bank has participated in implementation of Electronic Benefit Transfer of Govt. benefits like Social Security Pension in four districts of Karnataka and all districts of Tamil Nadu under “One District Many Bank Model”. The enrollment is in progress for opening of accounts for disbursement of wages under MGNREGA in four districts of Karnataka. This has helped the beneficiaries under the Scheme in getting the timely payment at their doorsteps/ villages.

बैंक ने पहले चरण में 43 चयनित जिलों में और द्वितीय चरण में 78 चयनित जिलों में सरकारी लाभ को सीधे स्थानांतरित करने में भाग लिया है। अब तक इस योजना के तहत हस्तांतरित लाभ 1 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

बैंक ने 35 सशक्त जिलों में “केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन” नामक समावेशी विकास वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तार अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं जिन्हें बैंक की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होती है और ये नियमिततौर पर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्फलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? राशि रूप्यों में तथा परियोजनाओं का विवरण।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक – आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे 697 संगठनों को 1129.53 लाख रुपये की राशि वितरित की। (कृपया बिंदु 5 का भाग 3 का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक दानग्राही संगठन / संस्थान से सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो पुष्टि करता है कि जिस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दान मंजूर किया गया था उसका अंतिम उपयोग किया गया है।

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 5075 ग्राहक शिकायतों की 2.11% (107) शिकायतें लंबित थी। हालांकि, वर्ष 2012-13 की सभी लंबित शिकायतों को अबतक निपटाया जा चुका है।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचनाएं)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

The Bank has also participated in implementation of Direct Benefit Transfer of Govt. Benefits in 43 identified districts in Phase I and 78 identified districts in Phase II. So far, benefits transferred under the Scheme reached ₹1 Crore.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called “Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles” in 35 potential districts. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank’s various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company’s direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank disbursed a sum of ₹1129.53 lakh (697 Sponsorships) engaged in various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank is obtaining a Certificate issued by a Chartered Accountant of the donee organization/ Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

2.11% (107) of the 5075 customer complaints received were pending as at the end of the financial year. However, all the pending customer complaints of 2012-13 have since been redressed.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks (additional information)

The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank’s website.

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी श्रेयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का पता लगाया है?

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व-निहित, स्टांपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. 96% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
2. 92% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
3. कुल 98% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे।

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the Survey is as under:

1. 96% of the customers were satisfied with ATM related services.
2. 92% of the customers were satisfied with internet services.
3. Overall 98% of the customers were satisfied with the Bank's services.



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट

2012-2013

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सारे श्रेयधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा श्रेयधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभर आना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वातालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने श्रेयधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक—जमाकर्ताओं, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उन की उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट “क” व “ख” में दिये गये हैं।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

“Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.”

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders—depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertaking) Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

3) लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों द्वारा प्रशासित है।

- i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निर्देश भी प्रदान करती है।
- ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्न कार्य शामिल हैं:

क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।

ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा

ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

- iii) यह समिति बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा की जाती है।
- iv) यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों/टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है।
- v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसी संख्या:4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं।

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and Listing Agreement with Stock Exchanges.

- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The main functions of the committee are as under:

a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.

b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and

c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.

- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO.4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। तथापि, वर्ष के दौरान किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान:

5.1 निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत् है:

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राजीव किशोर दुबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3,73,921.41
श्रीमती अर्चना एस भार्गव कार्यपालक निदेशक	14,63,308.72
श्री अशोक कुमार गुप्ता कार्यपालक निदेशक	14,70,997.90
श्री एस रामन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.09.2012 तक)	14,40,437.00

5.2 गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

6) (1) शेयर धारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, शेयर प्रमाण पत्र / धन वापसी आदेश / लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि के संबंध में शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों के निवारण का अनुप्रवर्तन किया जाता है।

4) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007 Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. However during the year there is no performance linked incentives paid to any of the whole time director. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) Remuneration to Directors.

5.1 Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2012-13 are as under.

Name & Designation	Amount (₹)
Shri R K Dubey Chairman & Managing Director	3,73,921.41
Smt Archana S Bhargava Executive Director	14,63,308.72
Shri Ashok Kumar Gupta Executive Director	14,70,997.90
Shri S Raman Chairman & Managing Director (upto 30.09.2012)	14,40,437.00

5.2 Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Independent Directors is given in the Appendix C.

6) (1) Shareholders' / Investors' Grievances Committee:

The Shareholders'/Investors' Grievances Committee has been constituted in terms of Clause 49 of the Listing Agreement. The Committee monitors the redressal of the Shareholders'/Investors' grievances like transfer of shares, non-receipt of shares certificate/refund order/dividend warrants, etc.

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	1616
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

सूचीकरण करार के खंड 47(ए) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारक / निवेशकों की शिकायत समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(2) अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints Received	1616
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

In terms of Clause 47(a) of the Listing Agreement, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Shareholders'/Investors' Grievances Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

(2) Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, तीन उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

- क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- ड) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

7) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

दिनांक	समय	स्थान
19.07.2010	10 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर- 560 001
18.07.2011	04 अपराह्न	चौडय्या मेमोरियल हॉल, जी डी पार्क एक्सटेंशन, व्यालिकावल, बेंगलूर- 560 003
28.06.2012	04 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर- 560 001

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, three high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The C&MD or ED of the Bank is the Chairman for all the three Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by C&MD or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- A) Liquidity risk management
- B) Management of market risk
- C) Trading risk management
- D) Funding and capital Planning
- E) Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

7) General Body meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
19.07.2010	10 am	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001
18.07.2011	4 pm	Chowdaiah Memorial Hall, G.D. Park Extension, Vyalika-val, Bangalore – 560 003
28.06.2012	4 pm	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001

पिछली आम वार्षिक बैठक (अर्थात दिनांक 28.06.2012 को आयोजित बैंक की दसवीं आम बैठक) में कोई विशेष संकल्प नहीं रखा गया था तथा डाक मतदान भी नहीं किया गया।

दसवीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

8) प्रकटन:

बैंक के संबंधित रिपोर्ट से लेनदेन यथा 31.03.2013 के तुलनपत्र के लेखा पर टिप्पणी अनुसूची 18 में प्रकट किये गये हैं।

बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्न हद तक किया गया है:

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु अर्ह होंगे।	बैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। लेकिन दिनांक 01.10.2012 से 10.01.2013 तक की अवधि के दौरान बैंक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नहीं थे। बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के अनुसार किया गया है। अतः यह खंड बैंक के लिए लागू नहीं है।
2.	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति गठित की गई है, जिसका ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

No special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 10th AGM of the Bank held on 28.06.2012) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 10th Annual General Meeting are given in Appendix B.

8) Disclosures:

The related party transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2013.

The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of non-mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement, are as under:

Sl. No.	Non Mandatory Requirement	Status of Implementation
1.	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office.	The Bank is having a whole time C&MD. However for a duration from 1.10.2012 to 10.01.2013 the bank was not having a whole time C&MD. Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. Hence this clause is not applicable for the Bank.
2.	Remuneration Committee	Remuneration committee has been constituted as per the guidelines of GOI, as detailed elsewhere in the Annual Report.

3.	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है।
4.	लेखा परीक्षा योग्यतायें	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यताएं जारी नहीं की है।
5.	बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण	प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करने के जरिए बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उनकी जिम्मेदारियाँ और आचार संहिता संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ कारोबार संबंधी नमूने की सम्पूर्ण समीक्षा भी प्रदान की जाती है।
6.	बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों की मूल्यांकन पद्धति	निदेशक मंडल का सम्मिश्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार नियोजित है, अतः यह खंड हमारे लिए लागू नहीं है।
7.	व्हिसिल ब्लोअर नीति	व्हिसिल ब्लोअर नीति का कार्यान्वयन बैंक में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है और सूचना देने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3.	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
4.	Audit qualifications	Statutory Auditors have not issued any qualifications in their audit report for the year ended 31.03.2012
5.	Training of Board Members	The Board Members are imparted training, by deputing them for training programmes conducted by Reputed Agencies. A complete overview of Business Model along with the Government Guidelines regarding their responsibilities and code of conduct is given to each Member.
6.	Mechanism for evaluating non-executive Board Members	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Hence this clause is not applicable for us.
7.	Whistle Blower Policy	Bank has implemented the GOI Guidelines on Whistle Blower policy and the protection has been extended to the Whistle Blower.

9) संप्रेषण का माध्यमः

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं www.canarabank.com नामक वेबसाइट आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2012	11.05.2012	उदयवाणी	बिजनेस स्टैंडर्ड
30.06.2012	25.07.2012	उदयवाणी	बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि बिजनेस लाइन, इकॉनॉमिक टाइम्स व लोकमत (हिन्दी)
30.09.2012	07.11.2012	विजय कर्नाटक	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड
31.12.2012	09.02.2013	उदयवाणी	बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स, दि हिन्दू, हिन्दुस्थान टाइम्स व मिनट

9) Means of communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2012	11.05.2012	Udayavani	Business Standard
30.06.2012	25.07.2012	Udayavani	Business Standard, Financial Express, The Business Line, Economic Times and Lokmat (Hindi)
30.09.2012	07.11.2012	Vijay Karnataka	Financial Express and Business Standard
31.12.2012	09.02.2013	Udayavani	Business Standard, Business Line, Financial Express, Economic Times, The Hindu, Hindusthan Times and Mint

10) शेयरधारकों को सामान्य सूचना:
वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2012-2013
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	06.07.2013 - 22.07.2013
प्रॉक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	17.07.2013
वार्षिक आम बैठक की तारीख	22.07.2013
लाभांश भुगतान की तारीख	22.07.2013
लाभांश वारंटों के प्रेषण की संभावित तारीख	29.07.2013

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2012-13 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

10) General Shareholders' Information:
Financial Calendar

Financial year	2012-2013
Book closure Date (Both days inclusive)	06.07.2013 - 22.07.2013
Last Date for receipt of proxy forms	17.07.2013
Date of Annual General Meeting	22.07.2013
Dividend Payment Date	22.07.2013
Probable date of dispatch of dividend warrants	29.07.2013

Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2012-13 have been paid within the prescribed due date.

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2012	489	420	7,39,587	489	419	96,77,450
मई	2012	442	356	13,93,819	443	366	1,52,65,584
जून	2012	436	383	7,90,627	438	385	1,09,40,853
जुलाई	2012	439	344	15,76,417	439	344	2,03,13,299
अगस्त	2012	370	306	11,44,755	371	306	1,37,51,288
सितंबर	2012	455	310	21,81,024	456	310	2,45,50,676
अक्तूबर	2012	454	350	11,99,187	454	390	1,45,75,447
नवंबर	2012	468	400	19,02,375	468	400	1,74,83,673
दिसंबर	2012	500	376	15,80,892	500	452	1,85,77,634
जनवरी	2013	550	465	22,30,752	533	462	2,03,56,826
फरवरी	2013	490	408	15,99,643	486	408	1,56,16,122
मार्च	2013	444	356	13,14,019	442	356	1,45,89,898

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2012	489	420	7,39,587	489	419	96,77,450
May	2012	442	356	13,93,819	443	366	1,52,65,584
June	2012	436	383	7,90,627	438	385	1,09,40,853
July	2012	439	344	15,76,417	439	344	2,03,13,299
August	2012	370	306	11,44,755	371	306	1,37,51,288
September	2012	455	310	21,81,024	456	310	2,45,50,676
October	2012	454	350	11,99,187	454	390	1,45,75,447
November	2012	468	400	19,02,375	468	400	1,74,83,673
December	2012	500	376	15,80,892	500	452	1,85,77,634
January	2013	550	465	22,30,752	533	462	2,03,56,826
February	2013	490	408	15,99,643	486	408	1,56,16,122
March	2013	444	356	13,14,019	442	356	1,45,89,898

अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

खण्ड 5ए: बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और विभौतिक दोनों रूपों में जारी किये।

सूचीकरण करार के खंड 5ए के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचित खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बंगलूर में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है :

खाते का नाम: केनरा बैंक - अदावी उचित खाते - भौतिक शेयर डीपीआईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या: 301356 / 20552606

यथा 31.03.2013 को शेयरों के लिए 500 शेयरों वाले 1 शेयर प्रमाणपत्र ही शेयरधारक द्वारा अदावी / प्रेषण के लिए लंबित रह गये हैं।

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के शुरुआत में	4(अदावी)	2200
अदावी उचित खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामला	1	500
पहचान किए गए / प्रेषित नहीं किए गए	1	500

Other Disclosures:

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein

Clause 5 A - The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.



In terms of Clause 5A of the Listing Agreement, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under :







Name of the Account: Canara Bank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares DPID ID / Client ID Number: 301356 / 20552606

As on 31.03.2013, there was only 1 share certificate of 500 shares which was unclaimed by the shareholders/ pending to be dispatched.

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
At the beginning of the year	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above)	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified / not dispatched	1	500

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices





रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
प्लॉट सं.17-24, विट्टल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद- 500 081

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: Canara Bank
Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar
Madhapur
HYDERABAD – 500 081

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) विभौतिक रूप में शेयर:

विभौतिक रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सिफुर्दगी अनुदेश देने हैं।

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

शेयर धारण का संवितरण

श्रेणीवार (31.03.2013)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	300000000	67.72
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	37148110	8.39
3	म्युचुअल फंड	22009299	4.97
4	कॉर्पोरेट निकाय	8330143	1.88
5	एन आर आई / ओ सी बी	362557	0.08
6	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	21202966	4.78
7	विदेशी संस्थागत निवेशक	53946925	12.18
8	कुल	443000000	100

प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य ₹10/- है

Distribution of Shareholding

Category wise (31.03.2013)

Sl No.	Category	# No. of shares	% of shareholding
1	Government of India	300000000	67.72
2	Banks & Financial Institutions	37148110	8.39
3	Mutual Funds	22009299	4.97
4	Bodies Corporate	8330143	1.88
5	NRIs/OCBs	362557	0.08
6	Resident Individuals/ HUF /Trust etc.	21202966	4.78
7	Foreign Institutional investors	53946925	12.18
8	TOTAL	443000000	100

Nominal value of each share is ₹10/-

मूल्य वार: (31.03.2013)

शेयर धारण का नाममात्र मूल्य (₹)	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	109495	93.45	13289046	3.00
5001 से 10000	5867	5.01	4882601	1.10
10001 से 20000	861	0.74	1284718	0.29
20001 से 30000	189	0.16	485746	0.11
30001 से 40000	85	0.07	298935	0.07
40001 से 50000	99	0.08	433007	0.10
50001 से 100000	142	0.12	1059168	0.24
100001 व उससे अधिक	433	0.37	421266779	95.09
कुल	117171	100	443000000	100

Value wise: (31.03.2013)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	109495	93.45	13289046	3.00
5001 to 10000	5867	5.01	4882601	1.10
10001 to 20000	861	0.74	1284718	0.29
20001 to 30000	189	0.16	485746	0.11
30001 to 40000	85	0.07	298935	0.07
40001 to 50000	99	0.08	433007	0.10
50001 to 100000	142	0.12	1059168	0.24
100001 and above	433	0.37	421266779	95.09
TOTAL	117171	100	443000000	100

शेयरों का विभौतिकीकरण और नकदी:

बैंक के शेयरों का खरीद-फरोख्त अनिवार्यतया विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के विभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नैशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉसिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आर्बिट आर्इएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का विभौतिकीकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का विभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2013)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	29467	25.15	6855406	1.55
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	68472	58.44	132100184	29.82
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	19232	16.41	304044410	68.63
कुल	117171	100	443000000	100

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बैंगलूर- 560 002
ई-मेल पता: hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2013)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	29467	25.15	6855406	1.55
Electronic-NSDL	68472	58.44	132100184	29.82
Electronic-CDSL	19232	16.41	304044410	68.63
TOTAL	117171	100	443000000	100

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
C & MD'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112 J C ROAD
BANGALORE - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2013)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री राजीव किशोर दुबे	अ व प्र नि	11.01.2013-30.09.2014	6
2.	श्रीमती अर्चना एस भार्गव	का नि	01.04.2011-28.02.2015*	4
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	का नि	28.07.2011-31.10.2014	2
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	भा स	16.11.2012 को नामित	1
5.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	भा रि बै	13.10.2011 को नामित	शून्य
6.	श्री जी वी सांबाशिव राव	काम नि	21.10.2011-20.10.2014	शून्य
7.	श्री जी वी मणिमरान	अ नि	14.12.2010-13.12.2013	शून्य
8.	श्री खालिद लुकमान बिलग्रामी	गैर का नि	22.06.2010-21.06.2013	1
9.	श्री सुतानु सिन्हा	गैर का नि	17.10.2011-16.10.2014	शून्य
10.	श्री पी वी मय्या	शे नि	27.07.2010-26.07.2013	4
11.	श्री सुनील गुप्ता	शे नि	27.07.2010-26.07.2013	3

*22.04.2013 तक

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2013)

Sl No.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI R K DUBEY	C&MD	11.01.2013-30.09.2014	6
2.	SMT ARCHANA S BHARGAVA	ED	01.04.2011-28.02.2015*	4
3.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	ED	28.07.2011-31.10.2014	2
4.	SMT SUDHA KRISHNAN	GOI	Nominated on 16.11.2012	1
5.	SMT MEENA HEMCHANDRA	RBI	Nominated on 13.10.2011	Nil
6.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	WD	21.10.2011-20.10.2014	Nil
7.	SHRI G V MANIMARAN	OD	14.12.2010-13.12.2013	Nil
8.	SHRI KHALID LUQMAN BILGRAMI	NED	22.06.2010-21.06.2013	1
9.	SHRI SUTANU SINHA	NED	17.10.2011-16.10.2014	Nil
10.	SHRI P V MAIYA	SD	27.07.2010-26.07.2013	4
11.	SHRI SUNIL GUPTA	SD	27.07.2010-26.07.2013	3

*till 22.04.2013

ii. 2012-13 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्यौरा

1.	श्री एस रामन	अ. व प्र.नि.	01.09.2010-30.09.2012	ला.न.
2.	डॉ थामस मैथ्यू	भा स	29.10.2010-15.11.2012	ला.न.

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2012-2013

1.	SHRI S RAMAN	C&MD	01.09.2010-30.09.2012	N.A.
2.	DR. THOMAS MATHEW	GOI	29.10.2010-15.11.2012	N.A.

संकेत / KEY

अ व प्र नि / C&MD	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर कानि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों का सम्मिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष/ CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री राजीव किशोर दुबे Shri R K Dubey	श्रीमती अर्चना एस भार्गव* / Smt Archana S Bhargava* श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री जी वी सांबशिव राव / Shri G V Sambasiva Rao श्री खालिद लुकमान बिलग्रामी / Shri Khalid Luqman Bilgrami श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya श्री सुनील गुप्ता / Shri Sunil Gupta
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री राजीव किशोर दुबे Shri R K Dubey	श्रीमती अर्चना एस भार्गव* / Smt Archana S Bhargava* श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री जी वी सांबशिवराव / Shri G V Sambasiva Rao श्री सुतानु सिन्हा / Shri Sutanu Sinha श्री सुनील गुप्ता / Shri Sunil Gupta
लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	श्री खालिद लुकमान बिलग्रामी Shri Khalid Luqman Bilgrami	श्रीमती अर्चना एस भार्गव* / Smt Archana S Bhargava* श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्रीमती सुधा कृष्णन / Smt Sudha Krishnan श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री सुतानु सिन्हा / Shri Sutanu Sinha
शेयरधारकों / निवेशकों के शिकायत समिति Shareholders'/Investors' Grievances Committee	श्री पी वी मय्या Shri P V Maiya	श्रीमती अर्चना एस भार्गव* / Smt Archana S Bhargava* श्री अशोक कुमार गुप्ता / Shri Ashok Kumar Gupta श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	श्रीमती सुधा कृष्णन Smt Sudha Krishnan	श्रीमती मीना हेमचंद्रा / Smt Meena Hemchandra श्री सुतानु सिन्हा / Shri Sutanu Sinha श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya

*22.04.2013 तक / till 22.4.2013

परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आई.जी. सी. बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक आम बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित		
1.	श्री राजीव किशोर दुबे	3/3	5/5	--	--	--	--	शून्य
2.	श्रीमती अर्चना एस भार्गव*	9/13	11/17	7/11	2/3	2/5	✓	130
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	13/13	17/17	11/11	3/3	5/5	✓	शून्य
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	4/5	--	0/3	--	--	--	शून्य
5.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	11/13	11/17	9/11	--	--	X	शून्य
6.	श्री जी वी सांबशिव राव	12/13	6/7	--	1/2	3/3	X	शून्य
7.	श्री जी वी मणिमारन	13/13	10/10	--	1/1	2/2	✓	50
8.	श्री खालिद लुखमान बिलग्रामी	9/13	12/17	10/11	--	2/2	✓	200
9.	श्री सुतानु सिन्हा	12/13	13/14	5/5	--	1/1	X	शून्य
10.	श्री पी वी मय्या	11/13	4/6	--	1/1	2/4	✓	200
11.	श्री सुनील गुप्ता	12/13	11/12	9/9	2/2	2/3	✓	500

*22.04.2013 तक

वर्ष 2012-2013 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

1.	श्री एस रामन	7/7	7/7	--	--	3/3	✓	शून्य
2.	डॉ थामस मैथ्यू	0/8	--	0/8	--	--	X	शून्य
विभिन्न बैठकों की तारीख								
		25.04.12	25.04.12	03.04.12	28.06.12	25.04.12	28.06.12	
		10.05.12	23.05.12	09.05.12	25.08.12	28.06.12		
		23.05.12	20.06.12	23.05.12	23.03.13	24.09.12		
		20.06.12	23.07.12	31.05.12		19.11.12		
		24.07.12	24.08.12	23.07.12		23.03.13		
		10.09.12	24.09.12	24.08.12				
		29.09.12	29.09.12	24.09.12				
		06.11.12	25.10.12	05.11.12				
		03.12.12	06.11.12	16.01.13				
		01.02.13	04.12.12	31.01.13				
		08.02.13	17.12.12	07.02.13				
		27.02.13	28.12.12					
		23.03.13	16.01.13					
			15.02.13					
			27.02.13					
			15.03.13					
			23.03.13					

कुंजी: एस आई जी सी: शेयरधारक / निवेशक परिवार समिति की बैठक
ला न: लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SIGC MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI R K DUBEY	3/3	5/5	--	--	--	--	Nil
2.	SMT ARCHANA S BHARGAVA*	9/13	11/17	7/11	2/3	2/5	✓	130
3.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	13/13	17/17	11/11	3/3	5/5	✓	Nil
4.	SMT SUDHA KRISHNAN	4/5	--	0/3	--	--	--	Nil
5.	SMT MEENA HEMCHANDRA	11/13	11/17	9/11	--	--	X	Nil
6.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	12/13	6/7	--	1/2	3/3	X	Nil
7.	SHRI G V MANIMARAN	13/13	10/10	--	1/1	2/2	✓	50
8.	SHRI KHALID LUQMAN BILGRAMI	9/13	12/17	10/11	--	2/2	✓	200
9.	SHRI SUTANU SINHA	12/13	13/14	5/5	--	1/1	X	Nil
10.	SHRI P V MAIYA	11/13	4/6	--	1/1	2/4	✓	200
11.	SHRI SUNIL GUPTA	12/13	11/12	9/9	2/2	2/3	✓	500

*till 22.04.2013

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2012-2013

1.	SHRI S RAMAN	7/7	7/7	--	--	3/3	✓	Nil
2.	DR THOMAS MATHEW	0/8	--	0/8	--	--	X	Nil

DATES OF VARIOUS MEETINGS

	25.04.12	25.04.12	03.04.12	28.06.12	25.04.12	28.06.12	
	10.05.12	23.05.12	09.05.12	25.08.12	28.06.12		
	23.05.12	20.06.12	23.05.12	23.03.13	24.09.12		
	20.06.12	23.07.12	31.05.12		19.11.12		
	24.07.12	24.08.12	23.07.12		23.03.13		
	10.09.12	24.09.12	24.08.12				
	29.09.12	29.09.12	24.09.12				
	06.11.12	25.10.12	05.11.12				
	03.12.12	06.11.12	16.01.13				
	01.02.13	04.12.12	31.01.13				
	08.02.13	17.12.12	07.02.13				
	27.02.13	28.12.12					
	23.03.13	16.01.13					
		15.02.13					
		27.02.13					
		15.03.13					
		23.03.13					

KEY: SIGC: Shareholders' / Investors' Grievances Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट ग

वर्ष 2012-13 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री जी वी सांबशिव राव	2,15,000
2	श्री जी वी मणिमारन	2,25,000
3	श्री खालिद लुकमान बिलग्रामी	2,15,000
4	श्री सुतानु सिन्हा	2,80,000
5	श्री पी वी मय्या	1,65,000
6	श्री सुनील गुप्ता	2,60,000

Appendix C


SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2012-13

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri G.V. Sambasiva Rao	2,15,000
2	Shri G.V. Manimaran	2,25,000
3	Shri Khalid Luqman Bilgrami	2,15,000
4	Shri Sutanu Sinha	2,80,000
5	Shri P. V. Maiya	1,65,000
6	Shri Sunil Gupta	2,60,000

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 07 मई, 2013



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DECLARATION BY C & MD

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2013**.

Place : Bangalore

Date : 7th May, 2013



Chairman & Managing Director

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि शेयरधारकों व निदेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते एस पी चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव गुप्ता
साझेदार

एम. नं. 83364

एफ आर एन नं. 00365एन

बेंगलूर

01.05.2013

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2013 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders and Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S.P.Chopra & Co.,
Chartered Accountants

Sanjiv Gupta
Partner

M.No.83364

FRN No.00365N

Bangalore

Date: 01.05.2013



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2012-2013



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

2012-2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2013 को केनरा बैंक के संलग्न वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2013 का तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारीयों शामिल हैं। इन वित्त विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1875 शाखाओं की और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखा परीक्षा नहीं की गई 1698 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की हैं। लेखा परीक्षा नहीं की गई शाखायें 5.85% अग्रिम, 18.40% जमा, 4.65% ब्याज आय और 15.87% ब्याज गठित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व:

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

Independent Auditors' Report

To
The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as at 31st March 2013, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2013 and Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, a summary of significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1875 branches audited by Branch Auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statement of Profit & Loss Account are the returns from 1698 Branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.85 percent of advances, 18.40 percent of deposits, 4.65 percent of interest income and 15.87 percent of interest expenses.

Management's responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।
5. लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार

6. हमारा विचार है, जैसे बैंक बहियों में दिखाई देता है और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
 - (i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2013 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - (ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।
 - (iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाएँ

7. तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा अपेक्षित अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि :

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2013, in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit & Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:



क. हमने अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख. बैंक के संव्यवहार जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही है।

ग. हमारी लेखा परीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं।

9. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं – यह हमारा विचार है।

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एच के चौथरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 006154एन

कृते वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 004610एस

For H K Chaudhry & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 006154N

For K. Venkatachalam Iyer & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004610S

डी एन भार्गव
साझेदार
स सं. 010005

ए गोपालकृष्णन
साझेदार
स सं. 018159

D N Bhargava
Partner
Membership No. 010005

A Gopalakrishnan
Partner
Membership No. 018159

कृते एस पी चोपडा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 000346एन

कृते लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 000172डब्ल्यू

For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

For Loonker & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000172W

संजीव गुप्ता
साझेदार
स सं. 083364

एस सी लूकर
साझेदार
स सं. 010135

Sanjiv Gupta
Partner
Membership No. 083364

S C Loonker
Partner
Membership No. 010135

कृते पी चोपडा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 004957एन

कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 306109ई

For P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004957N

For A. R. Das & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 306109E

प्रदीप कुमार चोपडा
साझेदार
स सं. 082598

श्यामल कुमार नायक
साझेदार
स सं. 051353

Pradeep Kumar Chopra
Partner
Membership No. 082598

Syamal Kumar Nayak
Partner
Membership No. 051353

बेंगलूर
02 मई, 2013

Bangalore
May 02, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2013 As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 As at 31.03.2012 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	443 00 00	443 00 00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	24434 78 89	22246 95 56
जमा / DEPOSITS	3	355855 99 13	327053 72 71
उधार / BORROWINGS	4	20283 37 38	15525 39 16
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	11325 45 46	8891 11 84
जोड़ / TOTAL		412342 60 86	374160 19 27
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	15405 93 03	17795 13 57
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	19308 77 23	10384 26 51
निवेश / INVESTMENTS	8	121132 83 03	102057 42 82
अग्रिम / ADVANCES	9	242176 62 46	232489 81 85
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	2862 71 84	2857 53 68
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	11455 73 27	8576 00 84
जोड़ / TOTAL		412342 60 86	374160 19 27
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	249707 54 69	192871 24 75
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		13997 78 94	12496 51 17
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
एस पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

डी एन भार्गव
साझेदार

ए गोपालकृष्णन
साझेदार

संजीव गुप्ता
साझेदार

एस सी लूकर
साझेदार

प्रदीप कुमार चोपड़ा
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

बेंगलूर
02 मई, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2012 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	34077 93 50	30850 62 15
अन्य आय / OTHER INCOME	14	3153 00 78	2927 59 65
जोड़ / TOTAL		37230 94 28	33778 21 80
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	26198 94 33	23161 31 16
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	5141 98 99	4673 74 34
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		3017 90 67	2660 45 00
जोड़ / TOTAL		34358 83 99	30495 50 50
III. वर्ष का निवल लाभ / III. NET PROFIT FOR THE YEAR		2872 10 29	3282 71 30
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		720 00 00	825 00 00
पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		43 06 84	5 15 00
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		205 00 00	--
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		530 03 45	1185 26 30
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		700 00 00	700 00 00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		576 00 00	487 30 00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		98 00 00	80 00 00
जोड़ / TOTAL		2872 10 29	3282 71 30
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (SHARE BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		64.83	74.10

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

K MANICKAM
GENERAL MANAGER

V S KRISHNAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

SUDHA KRISHNAN
DIRECTOR

MEENA HEMCHANDRA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

KHALID LUQMAN BILGRAMI
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SUNIL GUPTA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For
K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For
S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

D N BHARGAVA
Partner

A GOPALAKRISHNAN
Partner

SANJIV GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

PRADEEP KUMAR CHOPRA
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

BANGALORE
MAY 02, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹10/ के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर i) 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	300 00 00	300 00 00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 14,30,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS	143 00 00	143 00 00
	443 00 00	443 00 00
अनुसूची 2 आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		
(बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	5933 00 00	5108 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	720 00 00	825 00 00
जोड़ / TOTAL	6653 00 00	5933 00 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / a. REVALUATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	2065 13 95	2098 35 79
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	--	--
	2065 13 95	2098 35 79
घटायें: लाभ व हानि खाते को अंतरित LESS : TRANSFERRED TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	31 89 92	33 21 84
जोड़ / TOTAL	2033 24 03	2065 13 95
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ / b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	77 66 88	16 93 90
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	21 62 96	60 72 98
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	99 29 84	77 66 88
ग. अन्य / c. OTHERS		
अथशेष / OPENING BALANCE	1225 70 23	1220 55 23
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	43 06 84	5 15 00
जोड़ / TOTAL	1268 77 07	1225 70 23

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM :		
अथशेष / OPENING BALANCE	2235 20 00	2235 20 00
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	2235 20 00	2235 20 00
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क राजस्व आरक्षित निधियाँ / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	7910 24 50	6724 98 20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	530 03 45	1185 26 30
	8440 27 95	7910 24 50
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	8440 27 95	7910 24 50
ख विशेष आरक्षित निधियाँ / b. SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के अनुसार} {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
अथशेष / OPENING BALANCE	2800 00 00	2100 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	700 00 00	700 00 00
जोड़ / TOTAL	3500 00 00	2800 00 00
ग निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	--	92 78 76
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	205 00 00	--
	205 00 00	92 78 76
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	92 78 76
जोड़ / TOTAL	205 00 00	--
जोड़ / TOTAL	24434 78 89	22246 95 56

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	235 93 87	146 41 65
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	14657 21 00	14672 09 69
जोड़ / Total	14893 14 87	14818 51 34
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	71168 18 72	64792 21 94
जोड़ / Total	71168 18 72	64792 21 94
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	12104 88 42	9763 93 30
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	257689 77 12	237679 06 13
जोड़ / Total	269794 65 54	247442 99 43
जोड़ / Total (I, II and III)	355855 99 13	327053 72 71
B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	342106 93 24	316092 56 48
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	13749 05 89	10961 16 23
जोड़ / Total	355855 99 13	327053 72 71
अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	127 18 75
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	3526 13 29	820 76 25
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	7353 55 00	7693 55 00
जोड़ / Total	10879 68 29	8641 50 00
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	8046 53 27	5610 32 22
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (SUB-ORDINATED DEBT)	1357 15 82	1273 56 94
जोड़ / Total	9403 69 09	6883 89 16
जोड़ / Total	20283 37 38	15525 39 16

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1057 20 00	1105 20 44
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	42 85 26	55 42 41
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1152 83 78	764 41 10
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	326 97 00	263 14 00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	8745 59 42	6702 93 89
जोड़ / TOTAL	11325 45 46	8891 11 84
अनुसूची 6-भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1128 79 19	1003 20 91
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	14277 13 84	16791 92 66
जोड़ / TOTAL	14277 13 84	16791 92 66
जोड़ / TOTAL	15405 93 03	17795 13 57
अनुसूची 7- बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन / SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	1592 43 73	1183 23 19
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	--	--
जोड़ / TOTAL	1592 43 73	1183 23 19
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	860 00 00	--
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	4307 62 91	550 00 00
जोड़ / TOTAL	5167 62 91	550 00 00
जोड़ / TOTAL (i and ii)	6760 06 64	1733 23 19
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	4467 17 58	2853 55 05
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	7288 96 91	5797 48 27
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	792 56 10	--
जोड़ / TOTAL	12548 70 59	8651 03 32
जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)	19308 77 23	10384 26 51

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल		
I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	120666 58 84	102012 58 26
घटाये: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	121 92 61	481 32 98
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	120544 66 23	101531 25 28
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /		
i. GOVERNMENT SECURITIES	101991 77 45	88763 90 46
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /		
ii. OTHER APPROVED SECURITIES	1 49 87	9 68 18
iii. शेयर /		
iii. SHARES	1557 76 73	1172 43 95
iv. डिबेंचर और बाण्ड /		
iv. DEBENTURES AND BONDS	3375 58 34	2605 48 26
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम /		
v. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	672 97 36	581 30 11
vi. अन्य /		
vi. OTHERS	12945 06 48	8398 44 32
जोड़ / Total	120544 66 23	101531 25 28
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	72699 14 65	70611 90 90
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	47104 81 48	29771 41 45
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	740 70 10	1147 92 93
जोड़ / Total	120544 66 23	101531 25 28
II. भारत के बाहर निवेश- सकल /		
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	683 95 49	674 75 01
घटाये: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS :	95 78 69	148 57 47
भारत के बाहर निवल निवेश /		
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	588 16 80	526 17 54
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	--	--
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम /		
ii. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	36 57 20	36 57 20
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	551 59 60	489 60 34
जोड़ / Total	588 16 80	526 17 54
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	75 37 36	72 98 38
बिक्री के उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	512 79 44	453 19 16
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	--	--
जोड़ / Total	588 16 80	526 17 54
जोड़ / Total	121132 83 03	102057 42 82

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	7054 16 53	7097 24 18
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	105478 48 48	107788 44 62
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	129643 97 45	117604 13 05
जोड़ / Total	242176 62 46	232489 81 85
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	191224 74 05	168722 38 35
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	8793 07 00	6746 26 29
iii. मीयादी ऋण / iii. UNSECURED	42158 81 41	57021 17 21
जोड़ / Total	242176 62 46	232489 81 85
ग. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	82048 77 57	69270 88 78
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	29096 02 86	34567 59 11
iii. बैंक / iii. BANKS	14 75 78	43 08 27
iv. अन्य / iv. OTHERS	115980 50 16	117614 77 02
जोड़ / Total	227140 06 37	221496 33 18
II. भारत से बाहर / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / i. Due from Banks	--	--
ii. अन्यो से देय / ii. Due from Others		
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल/ a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	271 40 13	239 20 71
ख. मीयादी और समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	5087 97 80	4339 39 88
ग. अन्य / c. OTHERS	9677 18 16	6414 88 08
जोड़ / Total	15036 56 09	10993 48 67
जोड़ (I और II) / Total (I and II)	242176 62 46	232489 81 85

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / I. PREMISES		
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2901 28 96	2881 66 20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	17 83 43	19 64 04
	2919 12 39	2901 30 24
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	--	--
	2919 12 39	2901 30 24
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	10 68	1 28
	2919 01 71	2901 28 96
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	481 72 74	441 20 48
	2437 28 97	2460 08 48
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	1875 94 35	1723 34 27
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	211 47 97	184 84 86
	2087 42 32	1908 19 13
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	91 05 55	32 24 78
	1996 36 77	1875 94 35
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1573 12 90	1480 68 15
	423 23 87	395 26 20
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	81 14 04	81 14 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	--	--
	81 14 04	81 14 04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
	81 14 04	81 14 04
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	74 28 49	73 11 87
	6 85 55	8 02 17
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	4 66 55	5 83 17
	2 19 00	2 19 00
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II and III)	2862 71 84	2857 53 68

यथा 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED	3341 94 25	2911 45 98
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवत्त)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	2424 26 89	1749 53 81
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	6 63 80	8 14 56
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ / IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33 09	33 09
V. अन्य / V. OTHERS	5682 55 24	3906 53 40
जोड़ / TOTAL	11455 73 27	8576 00 84
अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	4737 86 41	4625 69 67
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	--	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	196249 12 20	138706 01 42
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	23457 79 30	23301 22 02
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	39 40 68	33 18 85
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	23497 19 98	23334 40 87
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	24657 21 61	23636 40 07
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	--	--
ख. अन्य / b. OTHERS	566 14 49	2568 72 72
जोड़ / TOTAL	249707 54 69	192871 24 75

यथा 31 मार्च, 2013 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)		यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)	
अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / कटौती / I. INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		24379 90 78		23443 42 01
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		9112 42 43		7044 73 08
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		585 22 53		362 21 48
IV. अन्य / IV. OTHERS		37 76		25 58
जोड़ / TOTAL		34077 93 50		30850 62 15
अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		798 14 42		796 93 32
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	682 44 38		457 22 54	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	6 70 05	675 74 33	133 56 76	323 65 78
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS		--		--
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	15 05 85	-15 05 85	22 15 50	-22 15 50
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	2 41 50		2 12 75	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	1 49 44	92 06	1 12 86	99 89
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	483 05 11		445 51 41	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	18 61 94	464 43 17	10 55 97	434 95 44
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA		56 57 29		111 68 23
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1172 25 36		1281 52 49
जोड़ / TOTAL		3153 00 78		2927 59 65

यथा 31 मार्च, 2013 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	25250 27 02	21962 18 10
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS	163 25 71	430 02 37
III. अन्य / OTHERS	785 41 60	769 10 69
जोड़ / TOTAL	26198 94 33	23161 31 16
अनुसूची 16- परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	3253 56 36	2973 08 52
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	466 12 18	397 30 85
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	30 60 09	30 36 03
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	33 71 35	26 66 99
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	189 68 53	156 88 72
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	96 36	1 15 37
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	32 69 27	34 31 60
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	23 95 32	27 44 23
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	38 02 13	37 09 93
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	152 31 69	149 76 42
XI. बीमा / XI. INSURANCE	276 63 68	285 63 88
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	643 72 03	554 01 80
जोड़ / TOTAL	5141 98 99	4673 74 34

अनुसूची- 17

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(1)(क) लेखांकन की परंपरा:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

ख. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

(2) विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 'फेडार्ड' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडार्ड' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

2.2 विदेशी मुद्रा में भारतीय शाखाओं के लेनदेनों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम हाजिर दर / संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया जाता है।

लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1](a) Basis of Preparation:

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1. Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI). The resultant exchange gain/loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.2. Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations. Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with AS 11 issued by ICAI and as per the guidelines of RBI.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या डिस्काउंट को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक समाप्ति पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडरल दरों के अनुसार किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित' जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में श्रेयों का अंतरण, यदि कोई है तो ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ड) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं और (च) अन्य

3.2 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है :

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी हास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है।

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on premature termination of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

[3] Investments

3.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading', which is decided at the time of acquisition of securities. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are carried at cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

इसी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद पूँजी प्रारक्षति लेखा निवल कर और सांविधिक प्रारक्षति में विनियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के लिए कोई परिशोधन नहीं किया गया। विक्रय में हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत प्रत्येक प्रतिभूति बाजार के लिए अंकित है।

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी (डिरीवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अर्थात् समान अवधि समाप्ति वाली केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादों पर 25 आधार बिन्दू से अधिक अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

गैर एसएलआर प्रतिभूतियाँ जैसी डिबेंचरों / बांडों (अग्रिम के रूप में रहनेवाले डिबेंचरों / बांडों को छोड़कर) का मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है तो बाजार मूल्य पर किया जाता है या एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अवधि समाप्ति वाली केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के उत्पादों पर साख के आधार पर अतिरिक्त आधार अंक को अंकित करने के ज़रिए किया जाता है।

अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाई टी एम दरों / मोचन मूल्य पर किया जाता है।

निर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है।

अनिर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन अद्यतन तुलनपत्र, जो कि पिछले एक वर्ष से पुराना न हो, से ज्ञात विश्लेषित मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा शेयरों का ₹ 1/- प्रति कंपनी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

कोष बिलों, वाणिज्यिक कागजातों तथा जमा प्रमाणपत्रों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन क्रमवार बाजार दर या पुनःखरीद मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्यन किया जाता है। संवितरण से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इसको एएफएस में अंतरित करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुस्सर बाजार के लिए अंकित किया जाता है।

Profit on sale of Investments in this category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the Capital Reserve Account net of taxes and Statutory Reserve. No amortisation is effected for securities sold during the year. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

b) AVAILABLE FOR SALE

The individual securities under 'Available for Sale' category are marked to market.

Central Government Securities and State Government securities are valued at market prices as per prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

Other approved securities are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.

Non SLR securities such as Debentures / Bonds (other than Debentures / Bonds which are in the nature of advance) are valued at market prices, if available, and if not, are valued applying YTM method by marking it up by additional basis points based on credit rating above the yields of Central Government Securities of equivalent maturity as put out by FIMMDA and the methodology suggested by FIMMDA.

Preference Shares are valued at lower of YTM rates / redemption values.

Quoted Shares are valued at market prices.

Unquoted Shares are valued at break up value ascertained from the latest Balance Sheet not earlier than one year or otherwise at ₹1 per Company.

Treasury Bills, Commercial Papers and certificates of deposits are valued at carrying cost.

Units of Mutual Funds are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक उप वर्ग के अंतर्गत मूल्य ह्रास / मूल्य वृद्धि का एकत्रीकरण किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के तहत निवल मूल्य वृद्धि को नकारा जाता है जबकि निवल मूल्यह्रास के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

- ग) व्यापार हेतु धारित
प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक तौर पर बाजार मूल्य पर या एफ आई एम एम डी ए द्वारा घोषित मूल्य पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है।

3.3 निवेश का अभिग्रहण लागत का निर्धारण

- (क) क्रय के समय प्रतिभूतियों के संबंध में दलाली, कमीशन आदि जैसी लागत को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

- (ख) अभिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण प्रपत्रों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

- (ग) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर है।

- 3.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर किया गया है और यदि कोई विक्रय / वसूली की जाती है तो निवेश में से घटाया जाता है और निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर एसएलआर निवेशों में निवेश के लिए लागू मूल्य वर्गीकरण और अन्य मानक, प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश के लिए लागू किया जाता है।

- 3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों को (एनपीआई) नीचे उल्लिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

- (क) प्रतिभूतियाँ / अधिमानी शेयर, जहाँ ब्याज / निर्धारित लाभांश / किस्त (परिपक्वता प्राप्ति) सहित देय हैं और 90 दिनों से अधिक अवधि से अप्रदत्त पड़े हैं।

- (ख) जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा कंपनी का नेटवर्थ नकारात्मक है वहाँ प्रति कंपनी ₹ 1/- मूल्य पर ईक्विटी शेयर को मूल्यांकित किया जाता है।

Securities are valued scrip wise and depreciation/ appreciation under each sub category is aggregated.

Based on the above valuation, net appreciation if any, in each sub category is ignored while the net depreciation is fully provided for.

c) HELD FOR TRADING

The individual securities under Held for Trading category are valued periodically as per RBI guidelines, at market prices as available from the trades/quotes or as per prices declared by FIMMDA. In respect of each classification under this category, net depreciation is provided for and net appreciation is ignored.

3.3. In determining the acquisition cost of investment:

- (a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

- (b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

- (c) Cost of investments is based on the weighted average cost method.

- 3.4. Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale/realisation, if any, is reduced from investment and the net book value is shown.

The valuation, classification and other norms applicable to Investment in Non-SLR securities prescribed by RBI is applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 3.5. Non-Performing Investments (NPI) are identified as stated below, as per the guidelines issued by RBI:

- (a) Securities/Preference Shares where interest / fixed dividend / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

- (b) Equity Shares valued at Re.1 per company, where the latest Balance Sheet is not available or the Net worth of the Company is negative.

(ग) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से ली गई ऋण सुविधा में कोई अनर्जक अग्रिम है तो उसी जारीकर्ता द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाए।

3.6 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

क) रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

ख) एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता में उसको वापस किया जाता है।

(4) व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां इस प्रकार हैं

- बाज़ार के लिए अंकित की जाती है, जहां आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं।
- प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

(5) अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों को निवल बट्टे खाते में डालना, अनर्जक आस्तियों के प्रावधान, साख गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे, पुनः छूट के रूप में बताया गया है।

5.3 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है, घाटे को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला जाता है। यदि विक्रय एनबीवी मूल्य से उच्चतर मूल्य पर है, तो प्रावधान का प्रतिवर्तन नहीं किया जाता है बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय पर हुई घाटे / हानि समायोजित करने के लिए किया जाता है।

(c) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

3.6. Accounting for Repo/Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

(a) The securities purchased/sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are accounted as borrowing/lending.

(b) The securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment account and reversed on maturity.

(4) Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Based on RBI guidelines

a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b. Derivatives used for hedging are

i. marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.

ii. Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

(5) Advances

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI.

5.2 Advances are stated net of write off, provision for non-performing assets, claims received from credit guarantee institutions and re-discount.

5.3 In case of financial assets sold to the SC / RC, if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall is debited to the Profit & Loss Account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision shall not be reversed but will utilized to meet the shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

(6) अचल आस्तियां

6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।

6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

(7) मूल्यहास

7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल आस्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी आस्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।

7.2 पट्टेवाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेवाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

7.3 पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

7.4 अचल / पट्टेवाई परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(8) आस्तियों का अपक्षयन

स्थिर आस्तियों पर हानियों का अपक्षयन, यदि कोई है तो, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एएस- 28 के अनुसार लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

(9) राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

9.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अनुपयोग्य परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगाही की हद तक किया जाता है। "कालातीत ऋण" खातों के मामलों में वसूलियों को मूलधन में समायोजित किया जाता है।

(6) Fixed Assets

6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.

6.2 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

(7) Depreciation

7.1 Fixed Assets excluding Computers are depreciated under Written Down Value Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of RBI, depreciation on Computers is charged at 33.33% on Straight-Line Method.

7.2 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

7.3 Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value Method as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery.

7.4 Depreciation on additions to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

(8) Impairment of Assets

Impairment losses on Fixed Assets, if any, are recognized in Profit & Loss Account in accordance with AS 28 issued by ICAI.

(9) Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis.

9.2 In the case of Non-Performing Assets including Investments, income is recognised to the extent of realisation, in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. In respect of "Loans Past Due" accounts, recoveries are appropriated first towards principal.

9.3 कमीशन, विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराये को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में गणना की जाती है।

9.4 कर वापसी पर ब्याज आय का लेखांकन, पारित निर्धारण आदेशों के आधार पर किया जाता है।

(10) कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित हितलाभ योजनाएं
पेंशन तथा उपदान के प्रति देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है। इन्हीं देयताओं का निधीयन बैंक द्वारा ततह प्रबंधन अलग-अलग न्यासों द्वारा किया जाता है।

10.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ
विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

10.3 परिभाषित अंशदान योजनाएं
परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति अंशदान को कर्मचारी द्वारा सेवाकाल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए प्रदत्त या प्रदेय राशि के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

(11) कराधान

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया जाता है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर "आकस्मिक देयताओं" के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं।

वर्ष हेतु कर व्यय में, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। यह आस्थगित कर संपत्तियाँ समय भिन्नताओं के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है और यह भिन्नता कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच की भिन्नता है जो कि किसी एक अवधि में उत्पन्न होती है और तदुपरान्त एक या अधिक अवधि के दौरान प्रतिवर्तन की क्षमता रखती है।

(12) निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ
बैंक, पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो और उस दायित्व को निभाने के लिए स्रोतों का बहिर प्रवाह हो और जब दायित्व राशि के उचित परिकलन किया जा सकते हो, तभी प्रावधानों को मान्यता देता है।

आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि उनको मान्यता देने से ऐसी आय को मान्यता देना होगा जो कभी उगाही नहीं जाएगी।

9.3 Commission, Exchange, Brokerage and Locker Rent are accounted for as income on receipt basis.

9.4 Interest income on tax refund is accounted based on the assessment orders passed.

(10) Employee Benefits

10.1 Defined benefit schemes
The liabilities towards Gratuity and Pension are recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit credit Method' at each Balance Sheet date. These liabilities are funded by the Bank and are managed by separate trusts.

10.2 Long – term employee Benefit
The Privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit credit Method' at each Balance Sheet date.

10.3 Defined contribution schemes
Contributions to defined contribution schemes are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

(11) Taxation

Provision for Income Tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for, are included under "Contingent Liabilities".

Tax expenses for the year comprise of Current Tax and Deferred Tax. Deferred Tax recognizes, subject to the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets, timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

(12) Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

The Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and when a reasonable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized since this may result in the recognition of Income that may never be realized.

12.2 निम्नलिखितों को "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" के लिए लेखांकन करने के बाद निवल लाभ की गणना की गई है।

- निवेशों पर मूल्यहास
- आय कर तथा संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- कुछेक अनुप्रयोज्य अग्रिमों / निवेशों को बट्टे खाते में डाला जाना
- मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान
- आकस्मिकताओं में अंतरण

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

12.2 Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies":

- Depreciation on Investments
- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision for loan losses
- Write off of certain Non-Performing Advances / Investments
- Provision for Standard Assets
- Other usual and necessary provisions
- Transfer to contingencies

(13) Earning per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18- लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 निवेश:

- यथा 31.03.2013 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 21.29% था (पिछले वर्ष 22.67%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।
- अनुसूची-8 में अनुषंगियों तथा / या भारत के संयुक्त उद्यमों में निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयरों का आबंटन लंबित रहने के कारण शेयर पूंजी के प्रति निवेश की गई अग्रिम ₹29.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.40 करोड़) भी समाहित किया गया है।

2 अंतर- शाखा लेनदेन:

31.03.2013 तक अंतर-शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टि को घटाने के अपने प्रायास को जारी रख रहा है।

3 परिसर:

परिसर में ₹ 223.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 215.70 करोड़) की कुछ संपत्तियां शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंक के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।

बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्य राशि पर निर्धारित है। पुनर्मूल्यंकन की सकल राशि ₹2310.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2310.91 करोड़) तथा निवल मूल्यहास ₹2033.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2065.14 करोड़) है।

4 भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ:

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ों में)

मदें	31.03.2013 बासेल II	31.03.2012 बासेल II
i. सीआरएआर (%)	12.40	13.76
ii. सीआरएआर-टायर I पूंजी (%)	9.77	10.35
iii. सीआरएआर-टायर II पूंजी (%)	2.63	3.41
iv. बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत (%)	67.72	67.72
v. वर्ष के दौरान टायर II पूंजी के ज़रिए गौण ऋण की राशि	शून्य	शून्य
vi. वर्ष के दौरान आई पी डी आई के जारी के ज़रिए प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
vii. वर्ष के दौरान उच्च टायर II लिखतों के जारी के ज़रिए प्राप्त राशि	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1 Investments:

- The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2013 was 21.29% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 22.67%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.
- Investment in Subsidiaries and/or Joint Ventures India in Schedule-8 includes ₹29.40 Crore (Previous year ₹29.40 Crore) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

2 Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions up to 31.03.2013 has been done. However, Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

3 Premises:

Premises include certain properties having original cost of ₹223.27 Crore (Previous year ₹215.70 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending execution.

Certain properties of the bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is ₹ 2310.91 Crore (Previous year ₹2310.91 Crore) and net of depreciation is ₹2033.25 Crore (Previous year ₹ 2065.14 Crore).

4 Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013 Basel II	31.03.2012 Basel II
i. CRAR (%)	12.40	13.76
ii. CRAR – Tier I Capital (%)	9.77	10.35
iii. CRAR – Tier II Capital (%)	2.63	3.41
iv. Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	67.72	67.72
v. Amount of subordinated debts raised as Tier II Capital during the year	Nil	Nil
vi. Amount raised by issue of IPDI during the year	Nil	Nil
vii. Amount raised by issue of Upper Tier II instruments during the year	Nil	Nil

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. निवेश का सकल मूल्य	121350.54	102687.33
क. भारत में	120666.59	102012.58
ख. भारत से बाहर	683.95	674.75
ii. मूल्यहास, एन पी आई और मुद्रा अस्थिरता (*) के लिए प्रावधान	217.71	629.90
क. भारत में	121.93	481.33
ख. भारत से बाहर	95.78	148.57
iii. निवेश का निवल मूल्य	121132.83	102057.43
क. भारत में	120544.66	101531.25
ख. भारत से बाहर	588.17	526.18

(*) मूल्यहास के लिए प्रावधान- ₹91.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹510.39 करोड़), एनपीआई के लिए प्रावधान- ₹114.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹111.81 करोड़) और मुद्रा अस्थिरता - ₹11.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.70 करोड़)

(2) निवेश पर मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. प्रारंभिक शेष	629.90	383.58
ii. जोड़ें : वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान (*)	25.77	325.07
iii. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकन (**)	437.96	78.75
iv. इति शेष	217.71	629.90

(*) मूल्यहास के लिए प्रावधान- ₹2.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹300.49 करोड़), एनपीआई के लिए प्रावधान- ₹11.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹16.88 करोड़) और मुद्रा अस्थिरता - ₹11.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.70 करोड़)

(**) ₹423.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹44.70 करोड़) के मूल्यहास, ₹14.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹34.05 करोड़) के एनपीआई के लिए अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. Gross Value of Investments	121350.54	102687.33
a. In India	120666.59	102012.58
b. Outside India	683.95	674.75
ii. Provisions for Depreciation, NPI and Exchange Fluctuation (*)	217.71	629.90
a. In India	121.93	481.33
b. Outside India	95.78	148.57
iii. Net Value of Investments	121132.83	102057.43
a. In India	120544.66	101531.25
b. Outside India	588.17	526.18

(*) Provision for Depreciation - ₹91.83 Crore (Previous Year ₹510.39 Crore), Provision for NPI- ₹114.10 Crore (Previous year ₹111.81 Crore) and Exchange fluctuation - ₹11.78 Crore (Previous year ₹7.70 Crore)

(2) Movement of Provisions held towards depreciation on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. Opening Balance	629.90	383.58
ii. Add: Provisions made during the year(*)	25.77	325.07
iii. Less: Write back of excess provisions during the year (**)	437.96	78.75
iv. Closing balance	217.71	629.90

(*) Provision for Depreciation of ₹2.81Crore (Previous Year - ₹300.49 Crore), Provision for NPI of ₹11.18 Crore (Previous Year - ₹16.88 Crore), Exchange Fluctuation of ₹11.78 Crore (Previous Year - ₹7.70 Crore)

(**) Write back of excess provision for Depreciation of ₹423.03 Crore (Previous Year - ₹44.70 Crore), Provision for NPI of ₹14.93 Crore (Previous Year - ₹34.05 Crore).

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2013
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.05	311.75	25.22	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	85.00	13063.59	3707.22	4007.63
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions-

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2013
Securities sold under repo				
i) Government Securities	5.05	311.75	25.22	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	85.00	13063.59	3707.22	4007.63
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भा रि बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2013
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	100.00	8000.00	339.73	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	200.00	3600.00	18.36	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2013
Securities sold under repo				
i) Government Securities	100.00	8000.00	339.73	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	200.00	3600.00	18.36	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की जारीकर्ता विन्यासम:

(₹ करोड़ों में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	877.44	124.24	शून्य	शून्य	17.49
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	3477.31	3139.86	शून्य	शून्य	38.31
(iii)	बैंक	11147.69	8554.07	50.97	56.84	35.97
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	2398.25	1937.03	314.66	59.17	59.17
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	709.55	697.17	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	736.95	182.47	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	घटाएं : मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	207.63	--	--	--	--
	कुल	19139.56	14634.84	365.63	116.01	150.94

कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	877.44	124.24	NIL	NIL	17.49
(ii)	FIs	3477.31	3139.86	NIL	NIL	38.31
(iii)	Banks	11147.69	8554.07	50.97	56.84	35.97
(iv)	Private Corporate	2398.25	1937.03	314.66	59.17	59.17
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	709.55	697.17	NIL	NIL	NIL
(vi)	Others	736.95	182.47	NIL	NIL	NIL
(vii)	Less: Provision held towards depreciation and NPI	207.63	--	--	--	--
	Total	19139.56	14634.84	365.63	116.01	150.94

Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
प्रारंभिक शेष	179.95	204.67
1 अप्रैल* के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	79.42	29.77
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	33.61	54.49
इति शेष	225.76	179.95
धारित कुल प्रावधान	201.26	179.95

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Opening balance	179.95	204.67
Additions during the year since 1 st April*	79.42	29.77
Reductions during the above period	33.61	54.49
Closing balance	225.76	179.95
Total Provisions held	201.26	179.95

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण :

एच टी एम वर्ग को / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य यथा 01.04.2012 तक एच टी एम वर्ग धारित निवेश के बही मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sale and transfers of securities to/from HTM category during the year does not exceed five percent of the book value of the investment held in HTM category as on 01.04.2012.

4.3 व्युत्पन्नियाँ:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला बदली:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	3186.00	3003.00
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	336.00	323.00
iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	शून्य	शून्य
iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेंद्रण	शून्य	शून्य
v. विनिमय बही का उचित मूल्य	334.03	319.32

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. The notional principal of swap agreements	3186.00	3003.00
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	336.00	323.00
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	334.03	319.32

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी :

(₹ करोड़ों में)

क्रमांक	व्यौरा	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार)	शून्य
(ii)	यथा 31 मार्च 2013 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2013 (instrument-wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की आस्तियों / देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राजकोष जोखिम प्रबंधन नीति है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, जीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक के पास टायर II बांड भी हैं और यह पूंजी लागत स्थिर दर पर है और इससे बहिर्गमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) और बिलकुल सादा (प्लेन वनिला) कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Treasury Risk Management Policy for using Derivative Instruments to hedge bank's Assets/Liabilities has been approved by the Board of Directors.

A. The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has Tier II bonds hedged for interest rate swaps which do not have exit options. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS (only plain vanilla transactions are permitted). These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वेप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वेप का भी प्रयोग किया जा रहा है। बैंक द्वारा बुक रन्निंग विकल्प प्रारंभ करना बाकी है।

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश संविभाग के ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) में व्युत्पन्नी का प्रयोग नहीं किया है और व्यापार अदला-बदली/मुद्रा व्युत्पन्नी/वायदा दर करार भी नहीं किए।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में निगरानी की जाती है।

ग) लेखांकन नीति बचाव व्यवस्था की स्थिति

- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वेप (आई आर एस) पर आय को राजस्व खाते में माना जाता है।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफआईएमएमडीए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वेप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वेप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वेप को बाज़ार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वेप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS, FRAs, etc for the purpose of hedging Foreign Currency liabilities. Options and Swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis. The Bank is yet to start Option book running.

During the year Bank has not undertaken derivative trades in Interest Rate Swaps (IRS) of the Investment Portfolio and Trading Swaps / Currency Derivative / Forward Rate Agreements (FRA) were also not undertaken.

B. The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on an ongoing basis.

C. Accounting Policy Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense/ income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. Bank has used the FIMMDA pricing method i.e. relevant G SEC yield + corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying Asset/ Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense / income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expense under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	- बचाव व्यवस्था		486.00		3086.00
	- ट्रेडिंग		शून्य		100.00
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	- आस्तियाँ (+)		57.00		336.00
	- देयताएँ (-)		शून्य		(1.97)
3	ऋण जोखिम		शून्य		2
		घरेलू		समुद्रपारीय	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01]-				
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	(7.00)	109.00
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	0.0166	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01				
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	-12,-7	137,109
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	0.0255/0.0161	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव : ₹3.78 करोड़ के लाभ				

II Quantitative disclosure

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging		486.00		3086.00
	- Trading		NIL		100.00
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)		57.00		336.00
	- Liabilities (-)		NIL		(1.97)
3	Credit Exposure		NIL		2
		Domestic		Overseas	
		Currency Derivative	Interest Rate Derivatives	Currency Derivative	Interest Rate Derivatives
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]				
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	(7.00)	109.00
	- on trading derivatives	NIL	0.0166	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	NIL	NIL	-12,-7	137,109
	- on trading	NIL	0.0255/0.0161	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: Gain of ₹3.78 crore.				

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ों में)

विवरण			31.03.2013	31.03.2012
(i)		निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	2.18	1.46
(ii)		एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	क.	प्रारंभिक शेष	4031.75	3137.36
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	5819.30	4589.84
	ग.	वर्ष के दौरान कमी	3590.89	3695.45
	घ.	इति शेष	6260.16	4031.75
(iii)		निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क.	प्रारंभिक शेष	3386.31	2329.91
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	5819.30	4589.84
	ग.	वर्ष के दौरान कमी	3927.54	3533.44
	घ.	इति शेष	5278.07	3386.31
(iv)		एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क.	प्रारंभिक शेष	598.56	756.03
	ख.	विनिमय उतार-चढ़ाव तथा अन्यो के लिए प्रावधान	8.67	8.28
	ग.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1860.99	1294.06
	घ.	बढ़े खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	1535.26	1459.81
	ड.	इति शेष	932.96	598.56

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars			31.03.2013	31.03.2012
(i)		Net NPAs to Net Advances (%)	2.18	1.46
(ii)		Movement of NPAs (Gross)		
	a.	Opening balance	4031.75	3137.36
	b.	Additions during the year	5819.30	4589.84
	c.	Reductions during the year	3590.89	3695.45
	d.	Closing balance	6260.16	4031.75
(iii)		Movement of Net NPAs		
	a.	Opening balance	3386.31	2329.91
	b.	Additions during the year	5819.30	4589.84
	c.	Reductions during the year	3927.54	3533.44
	d.	Closing balance	5278.07	3386.31
(iv)		Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a.	Opening balance	598.56	756.03
	b.	Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	8.67	8.28
	c.	Provisions made during the year	1860.99	1294.06
	d.	Write off / (Write back) of excess provision	1535.26	1459.81
	e.	Closing balance	932.96	598.56

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनःसंरचना तंत्र के तहत				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	26	3	3	2	34	990	1400	4281	3189	9860
		बकाया राशि	2025.81	77.66	133.03	237.69	2474.19	193.73	17.76	120.12	45.17	376.79
		तद्संबंधी प्रावधान	175.89	11.65	53.48	237.69	478.71	9.49	2.78	48.86	45.17	106.30
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	40	2	1	0	43	696	33	17	6	752
		बकाया राशि	2016.87	34.14	29.45	0.00	2080.45	358.75	83.63	1.00	0.05	443.42
		तद्संबंधी प्रावधान	160.83	8.82	23.35	0.00	193.00	12.17	12.85	0.44	0.05	25.51
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	3	-3	0	612	-224	-65	-323	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	238.42	-238.42	0.00	11.31	-9.24	-0.77	-1.29	0.00
		तद्संबंधी प्रावधान	0.00	0.00	217.87	0.00	217.87	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा / या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-3	0	0	0	-3	-278	0	0	0	-278
		बकाया राशि	-218.11	0.00	0.00	0.00	-218.11	-64.07	0.00	0.00	0.00	-64.07
		तद्संबंधी प्रावधान	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-4	4	0	0	0	-233	230	3	0	0
		बकाया राशि	-195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	-31.31	29.57	1.74	0.00	0.00
		तद्संबंधी प्रावधान	0.00	32.39	0.00	0.00	32.39	0.00	5.56	1.74	0.00	7.30
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	4	166	567	390	1127
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
		तद्संबंधी प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	69	3	10	0	82	1297	1393	3920	2592	9202
		बकाया राशि	3511.34	224.32	480.77	0.00	4216.42	479.14	109.08	118.91	51.75	758.88
		तद्संबंधी प्रावधान	408.07	37.35	400.52	0.00	845.94	19.30	17.35	59.32	51.75	147.72

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		UNDER CDR MECHANISM					UNDER SME DEBT RESTRUCTURING MECHANISM				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	26	3	3	2	34	990	1400	4281	3189	9860
		AMOUNT OUTSTANDING	2025.81	77.66	133.03	237.69	2474.19	193.73	17.76	120.12	45.17	376.79
		PROVISION THEREON	175.89	11.65	53.48	237.69	478.71	9.49	2.78	48.86	45.17	106.30
2	FRESH RESTRUCTURING DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	40	2	1	0	43	696	33	17	6	752
		AMOUNT OUTSTANDING	2016.87	34.14	29.45	0.00	2080.45	358.75	83.63	1.00	0.05	443.42
		PROVISION THEREON	160.83	8.82	23.35	0.00	193.00	12.17	12.85	0.44	0.05	25.51
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	3	-3	0	612	-224	-65	-323	0
		AMOUNT OUTSTANDING	0.00	0.00	238.42	-238.42	0.00	11.31	-9.24	-0.77	-1.29	0.00
		PROVISION THEREON	0.00	0.00	217.87	0.00	217.87	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	-3	0	0	0	-3	-278	0	0	0	-278
		AMOUNT OUTSTANDING	-218.11	0.00	0.00	0.00	-218.11	-64.07	0.00	0.00	0.00	-64.07
		PROVISION THEREON	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-4	4	0	0	0	-233	230	3	0	0
		AMOUNT OUTSTANDING	-195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	-31.31	29.57	1.74	0.00	0.00
		PROVISION THEREON	0.00	32.39	0.00	0.00	32.39	0.00	5.56	1.74	0.00	7.30
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0	4	166	567	390	1127
		AMOUNT OUTSTANDING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
		PROVISION THEREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	69	3	10	0	82	1297	1393	3920	2592	9202
		AMOUNT OUTSTANDING	3511.34	224.32	480.77	0.00	4216.42	479.14	109.08	118.91	51.75	758.88
		PROVISION THEREON	408.07	37.35	400.52	0.00	845.94	19.30	17.35	59.32	51.75	147.72

(₹ करोड़ों में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		पुनःसंरचना का प्रकार					अन्य				
	आस्ति वर्गीकरण		आस्ति वर्गीकरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	3455	1234	2276	1226	8191	4471	2637	6560	4417	18085
		बकाया राशि	3826.82	296.09	350.55	82.02	4555.48	6046.36	391.51	603.70	364.89	7406.47
		तदसंबंधी प्रावधान	216.34	46.98	141.01	82.02	486.36	401.72	61.42	243.35	364.89	1071.37
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	3171	166	49	21	3407	3907	201	67	27	4202
		बकाया राशि	11146.42	757.21	58.74	10.85	11973.22	13522.04	874.90	89.26	10.90	14497.10
		तदसंबंधी प्रावधान	94.85	122.40	39.58	10.85	267.68	267.85	144.07	63.37	10.90	486.19
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1277	-1277	269	-269	0	1889	-1501	207	-595	0
		बकाया राशि	34.29	-34.29	36.73	-36.73	0.00	45.60	-43.53	274.38	-276.44	0.00
		तदसंबंधी प्रावधान	0.94	0.00	14.69	0.00	15.63	1.25	0.00	232.56	0.00	233.81
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा / या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-429	0	0	0	-429	-710	0	0	0	-710
		बकाया राशि	-371.23	0.00	0.00	0.00	-371.23	-653.40	0.00	0.00	0.00	-653.40
		तदसंबंधी प्रावधान	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-600	138	311	151	0	-837	364	314	151	0
		बकाया राशि	-187.52	88.68	82.00	16.84	0.00	-414.47	313.89	83.74	16.84	0.00
		तदसंबंधी प्रावधान	0.00	16.96	82.00	16.84	115.80	0.00	54.91	83.74	16.84	155.49
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	13	37	102	75	227	17	203	669	465	1354
		बकाया राशि	0.09	0.01	0.00	0.02	0.12	0.09	0.01	0.00	0.02	0.12
		तदसंबंधी प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	5812	1472	2362	917	10563	7178	2868	6292	3509	19847
		बकाया राशि	14191.29	1052.16	719.05	195.62	16158.11	18181.77	1385.55	1318.71	247.37	21133.41
		तदसंबंधी प्रावधान	574.24	180.06	431.24	195.62	1381.16	1001.61	234.76	891.08	247.37	2374.82

विगत आचरण के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिमों के संबंध में निधिगत ब्याज सावधि ऋण को आय के रूप में माना गया है तथा तदनुसार खातों में निपटारा गया है।

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		OTHERS					TOTAL				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	3455	1234	2276	1226	8191	4471	2637	6560	4417	18085
		AMOUNT OUTSTANDING	3826.82	296.09	350.55	82.02	4555.48	6046.36	391.51	603.70	364.89	7406.47
		PROVISION THEREON	216.34	46.98	141.01	82.02	486.36	401.72	61.42	243.35	364.89	1071.37
2	FRESH RESTRUCTURING DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	3171	166	49	21	3407	3907	201	67	27	4202
		AMOUNT OUTSTANDING	11146.42	757.21	58.74	10.85	11973.22	13522.04	874.90	89.26	10.90	14497.10
		PROVISION THEREON	94.85	122.40	39.58	10.85	267.68	267.85	144.07	63.37	10.90	486.19
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	1277	-1277	269	-269	0	1889	-1501	207	-595	0
		AMOUNT OUTSTANDING	34.29	-34.29	36.73	-36.73	0.00	45.60	-43.53	274.38	-276.44	0.00
		PROVISION THEREON	0.94	0.00	14.69	0.00	15.63	1.25	0.00	232.56	0.00	233.81
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/ OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	-429	0	0	0	-429	-710	0	0	0	-710
		AMOUNT OUTSTANDING	-371.23	0.00	0.00	0.00	-371.23	-653.40	0.00	0.00	0.00	-653.40
		PROVISION THEREON	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-600	138	311	151	0	-837	364	314	151	0
		AMOUNT OUTSTANDING	-187.52	88.68	82.00	16.84	0.00	-414.47	313.89	83.74	16.84	0.00
		PROVISION THEREON	0.00	16.96	82.00	16.84	115.80	0.00	54.91	83.74	16.84	155.49
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	13	37	102	75	227	17	203	669	465	1354
		AMOUNT OUTSTANDING	0.09	0.01	0.00	0.02	0.12	0.09	0.01	0.00	0.02	0.12
		PROVISION THEREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	5812	1472	2362	917	10563	7178	2868	6292	3509	19847
		AMOUNT OUTSTANDING	14191.29	1052.16	719.05	195.62	16158.11	18181.77	1385.55	1318.71	247.37	21133.41
		PROVISION THEREON	574.24	180.06	431.24	195.62	1381.16	1001.61	234.76	891.08	247.37	2374.82

As per the past practice the Funded Interest Term Loan in respect of Restructured Standard Advances is recognized as Income and dealt accordingly in the accounts.

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	लागू नहीं	लागू नहीं
iii. समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. No. of accounts	NIL	NIL
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NA	NA
iii. Aggregate consideration	NA	NA
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
v. Aggregate Gain over Net Book Value	NA	NA

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1 क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
2 क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनःसंरचनाकृत खातों की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1 a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
b. Aggregate consideration	NA	NA
2 a. Of these, number of accounts restructured during the year	NA	NA
b. Aggregate outstanding	NA	NA

ख) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii. समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं
iii. प्राप्त समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.5 मानक आस्ति संबंधी प्रावधान:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1214.70	958.00

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात:

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	9.05	8.94
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.84	0.85
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.56	1.72
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.77	0.95
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलकर) [₹ लाखों में]	1420.17	1374.36
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ लाखों में]	6.96	8.21

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. No. of accounts sold	NIL	NIL
ii. Aggregate outstanding	NA	NA
iii. Aggregate consideration received	NA	NA

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provisions towards Standard Assets	1214.70	958.00

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	9.05	8.94
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.84	0.85
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.56	1.72
iv. Return on Assets (%)	0.77	0.95
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakhs]	1420.17	1374.36
vi. Profit per employee [₹ in lakhs]	6.96	8.21

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	4466.37 (3270.80)	5408.33 (8634.02)	306.94 (350.60)	3054.28 (0.00)	842.73 (772.15)	336.14 (510.26)
2 से 07 दिनों तक	12222.48 (8130.43)	6689.13 (7488.81)	873.88 (3058.59)	108.57 (0.00)	1643.77 (1505.11)	555.29 (940.26)
8 से 14 दिनों तक	6777.22 (4190.14)	7203.89 (7209.16)	528.41 (910.01)	604.42 (0.00)	1208.98 (542.31)	1107.81 (231.77)
15 से 28 दिनों तक	6040.14 (4246.87)	9021.95 (7027.99)	2072.29 (1967.46)	911.33 (518.06)	2304.91 (876.17)	2600.56 (1222.59)
29 दिनों से 3 महीने तक	43194.53 (34055.81)	22667.97 (26996.74)	8987.10 (6485.29)	2149.52 (1613.22)	6722.40 (5994.81)	8136.31 (5976.22)
3 महीने से 6 महीने तक	21281.43 (29491.45)	20930.30 (21003.96)	1557.68 (983.46)	1184.59 (1286.06)	5074.75 (4447.25)	4219.36 (3819.34)
6 महीने से 1 वर्ष तक	79823.87 (93106.69)	39728.83 (32222.77)	1613.55 (1550.50)	1223.99 (25.68)	2793.29 (911.19)	2758.16 (1251.56)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	57729.47 (47384.82)	65415.73 (57403.00)	7672.61 (3715.24)	2199.87 (2511.14)	1380.99 (1175.59)	642.87 (1504.31)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	48627.36 (37999.89)	23289.20 (24790.81)	18699.15 (12838.05)	4932.20 (4956.62)	1565.29 (1143.07)	3789.62 (3107.84)
5 वर्षों से ऊपर	75693.12 (65176.83)	42358.29 (39712.56)	78821.22 (70198.22)	3914.60 (4614.60)	1812.29 (1954.50)	1203.28 (758.00)
कुल	355855.99 (327053.73)	242176.62 (232489.82)	121132.83 (102057.42)	20283.37 (15525.39)	25349.40 (19322.15)	25349.40 (19322.15)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दी गई हैं)

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	4466.37 (3270.80)	5408.33 (8634.02)	306.94 (350.60)	3054.28 (0.00)	842.73 (772.15)	336.14 (510.26)
2 to 7 days	12222.48 (8130.43)	6689.13 (7488.81)	873.88 (3058.59)	108.57 (0.00)	1643.77 (1505.11)	555.29 (940.26)
8 to 14 days	6777.22 (4190.14)	7203.89 (7209.16)	528.41 (910.01)	604.42 (0.00)	1208.98 (542.31)	1107.81 (231.77)
15 to 28 days	6040.14 (4246.87)	9021.95 (7027.99)	2072.29 (1967.46)	911.33 (518.06)	2304.91 (876.17)	2600.56 (1222.59)
29 days to 3 months	43194.53 (34055.81)	22667.97 (26996.74)	8987.10 (6485.29)	2149.52 (1613.22)	6722.40 (5994.81)	8136.31 (5976.22)
3 months to 6 months	21281.43 (29491.45)	20930.30 (21003.96)	1557.68 (983.46)	1184.59 (1286.06)	5074.75 (4447.25)	4219.36 (3819.34)
6 months to 1 year	79823.87 (93106.69)	39728.83 (32222.77)	1613.55 (1550.50)	1223.99 (25.68)	2793.29 (911.19)	2758.16 (1251.56)
1 year to 3 years	57729.47 (47384.82)	65415.73 (57403.00)	7672.61 (3715.24)	2199.87 (2511.14)	1380.99 (1175.59)	642.87 (1504.31)
3 years to 5 years	48627.36 (37999.89)	23289.20 (24790.81)	18699.15 (12838.05)	4932.20 (4956.62)	1565.29 (1143.07)	3789.62 (3107.84)
Over 5 years	75693.12 (65176.83)	42358.29 (39712.56)	78821.22 (70198.22)	3914.60 (4614.60)	1812.29 (1954.50)	1203.28 (758.00)
Total	355855.99 (327053.73)	242176.62 (232489.82)	121132.83 (102057.42)	20283.37 (15525.39)	25349.40 (19322.15)	25349.40 (19322.15)

(Figures in brackets relate to previous year)

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31.03.2013	31.03.2012
क) प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	11324.69	10081.75
आवासीय बंधक	9705.36	8204.55
- आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं।		
- जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	6175.52	6563.64
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1617.88	1875.12
- वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।		
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	1.45	2.08
क. आवासीय	1.45	2.08
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	NIL	NIL
b) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	4445.53	7603.28
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	4445.53	7603.28
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	15770.22	17685.03

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category	31.03.2013	31.03.2012
a) Direct Exposure	11324.69	10081.75
(i) Residential Mortgages	9705.36	8204.55
- lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	6175.52	6563.64
(ii) Commercial Real Estate	1617.88	1875.12
- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.		
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	1.45	2.08
a. Residential	1.45	2.08
b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
b) Indirect Exposure	4445.53	7603.28
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	4445.53	7603.28
Total Exposure to Real Estate Sector	15770.22	17685.03

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2013	31.03.2012
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1119.57	1102.99
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	शून्य	शून्य
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	1063.88	829.80
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपादिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	शून्य	150.00
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	859.88	1346.49
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कापॉरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	शून्य	शून्य
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्यूओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	शून्य	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	शून्य	शून्य
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x.	वेंचर पूँजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूँजी बाजार में कुल जोखिम	348.13	348.82
पूँजी बाजार की कुल ऋण जोखिम		3391.46	3778.10

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2013	31.03.2012
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1119.57	1102.99
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	NIL	NIL
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	1063.88	829.80
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	NIL	150.00
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	859.88	1346.49
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	NIL	NIL
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible -debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	348.13	348.82
Total Exposure to Capital Market		3391.46	3778.10

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31 मार्च 2013 को किसी भी देश को बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा नहीं हुआ है।

(₹ करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2013 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2013 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2012 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2012 को धारित प्रावधान
नगण्य	4447.31	शून्य	3482.75	शून्य
कम	14679.66	शून्य	12364.69	शून्य
सामान्य	927.91	शून्य	107.92	शून्य
उच्च	63.57	शून्य	144.00	शून्य
बहुत ज्यादा	2.32	शून्य	0.83	शून्य
प्रतिबंधित	0	शून्य	शून्य	शून्य
ऑफ- क्रेडिट	3.07	शून्य	2.91	शून्य
कुल	20123.84	शून्य	16103.10	शून्य

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country for which the Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31st March 2013, the net funded exposure to any country has not exceeded the 1% of the total assets of the Bank.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2013	Provision held as at 31.03.2013	Exposure (net) as at 31.03.2012	Provision held as at 31.03.2012
Insignificant	4447.31	NIL	3482.75	NIL
Low	14679.66	NIL	12364.69	NIL
Moderate	927.91	NIL	107.92	NIL
High	63.57	NIL	144.00	NIL
Very High	2.32	NIL	0.83	NIL
Restricted	0	NIL	NIL	NIL
Off-credit	3.07	NIL	2.91	NIL
TOTAL	20123.84	NIL	16103.10	NIL

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)

तथा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण:

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है। तथापि निम्न खातों के मामले में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित पूंजी निधि के 15% ऋण जोखिम सीमा को बढ़ाया गया है।

4.7.4 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
कुल गैर जमानती अग्रिम	42158.81	57021.17
जिसमें से		
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	7858.93	3520.07
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	8165.46	5239.85

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
आयकर हेतु प्रावधान (संपत्ति कर तथा आस्थगित कर सहित)	800.00	800.00

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक विनियम अधिनियम, 1949 या उक्त अधिनियम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी नियम या शर्तों के उल्लंघन या अनुपालन नहीं किए जाने के लिए बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

5 लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for Oil Companies. The exposure ceiling of 15% of Capital Funds has not been exceeded in respect of any borrowers.

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Unsecured Advance	42158.81	57021.17
Out of which		
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	7858.93	3520.07
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	8165.46	5239.85

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provision for Income Tax (including Wealth tax and Deferred tax)	800.00	800.00

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2012-13, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by ICAI, the following information is disclosed:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं।

5.2 लेखांकन मानदंड 9 – राजस्व मान्यता

वित्तीय विवरण की लेखांकन नीति 9 की अनुसूची 17 के अनुसार राजस्व को मान्यता दी गई है। आय के कुछ मदों को उपचय के अलावा किसी अन्य आधार पर मान्यता दी गई है। तथापि, उक्त आय को वस्तु नहीं माना जाता है।

5.3 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items

5.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue is recognised as per accounting policy No.9 of Schedule 17 to the Financial Statement. Certain items of income are recognised on the basis other than accrual. However, the said income is not considered to be material.

5.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15 (Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.

मूलधन बीमांकिक अनुमान

विवरण	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
रियायती दर	8.32%	8.11%	8.32%
आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	8.00%	8.00%	शून्य
वेतन में बढ़ोत्तरी	4.00%	4.00%	4.00%
पेंशन में बढ़ोत्तरी	शून्य	2.50%	शून्य
मृत्यु दर	जी.बी.नि. (1994-96) आधारभूत	जी.बी.नि. (1994-96) आधारभूत	जी.बी.नि. (1994-96) आधारभूत

Principal Actuarial Assumptions

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Discount Rate	8.32%	8.11%	8.32%
Expected Return on Assets	8.00%	8.00%	NIL
Salary Escalation	4.00%	4.00%	4.00%
Pension Escalation	NIL	2.50%	NIL
Mortality	LIC (1994-96) Ultimate	LIC (1994-96) Ultimate	LIC (1994-96) Ultimate

दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

क. परिभाषीकृत दायित्व लाभ में परिवर्तन				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1,473.03	7,741.98	683.51
2	सेवा लागत	30.46	171.91	25.25
3	ब्याज लागत	119.36	648.74	58.48
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	166.52	592.81	(54.34)
5	लाभ भुगतान	(170.25)	(570.51)	(6.89)
6	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1,619.12	8,584.93	706.01

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,376.63	7,480.00	-
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	111.00	579.48	-
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	191.97	97.44	6.89
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	9.83	493.67	-
5	लाभ भुगतान	(170.25)	(570.51)	(6.89)
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,519.18	8,080.08	-

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2013

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1,473.03	7,741.98	683.51
2	Service Cost	30.46	171.91	25.25
3	Interest Cost	119.36	648.74	58.48
4	Actuarial Losses / (Gains)	166.52	592.81	(54.34)
5	Benefit Payments	(170.25)	(570.51)	(6.89)
6	DBO at end of the year	1,619.12	8,584.93	706.01

B Changes in Fair Value of Assets				
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1,376.63	7,480.00	-
2	Expected Return on plan assets	111.00	579.48	-
3	Actual company contributions	191.97	97.44	6.89
4	Actuarial Gain / (Loss)	9.83	493.67	-
5	Benefits payments	(170.25)	(570.51)	(6.89)
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,519.18	8,080.08	-

अनुभवगत इतिहास

(₹ करोड़ों में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की अंत में परिभाषित दायित्व लाभ	1,619.12	8,584.93	706.01
2	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियाँ	1,519.18	8,080.08	-
3	निधीयन स्थिति	(99.94)	(504.86)	(706.01)
4	योजनागत देयताओं में अनुभवगत समायोजन	141.65	32.15	(66.37)
5	योजनागत आस्तियों में अनुभवगत समायोजन	9.83	493.67	-

Experience History

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Defined Benefit Obligation at end of the year	1,619.12	8,584.93	706.01
2	Plan Assets at end of the year	1,519.18	8,080.08	-
3	Funded Status	(99.94)	(504.86)	(706.01)
4	Experience adjustments on plan liabilities	141.65	32.15	(66.37)
5	Experience adjustments on plan assets	9.83	493.67	-

यथा 31 मार्च, 2012 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता

(₹ करोड़ों में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व लाभ का वर्तमान मूल्य	1,473.03	7,741.98	683.51
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,376.63	7,480.00	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(96.40)	(261.98)	(683.51)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(96.40)	(261.98)	(683.51)

Net Asset/Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31st March 2012

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1,473.03	7,741.98	683.51
2	Fair Value of Plan Assets	1,376.63	7,480.00	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(96.40)	(261.98)	(683.51)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(96.40)	(261.98)	(683.51)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ों में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	30.45	171.91	25.25
2	ब्याज लागत	119.36	648.74	58.48
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	(111.00)	(579.48)	-
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	156.70	99.14	(54.34)
5	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	195.51	340.31	29.39

Disclosure of Employer Expense for the year ending 31 Mar 2013

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	30.45	171.91	25.25
2	Interest Cost	119.36	648.74	58.48
3	Expected Return on Plan Assets	(111.00)	(579.48)	-
4	Actuarial Losses / (Gains)	156.70	99.14	(54.34)
5	Total Employer Expense recognized in P&L	195.51	340.31	29.39

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता) – 31 मार्च, 2013

(₹ करोड़ों में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,619.12	8,584.93	706.01
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,519.18	8,080.08	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / (घाटा))	(99.94)	(504.85)	(706.01)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(99.94)	(504.85)	(706.01)

Net Asset/(liability) Recognised in Balance Sheet - 31 Mar 2013

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1,619.12	8,584.93	706.01
2	Fair Value of Plan Assets	1,519.18	8,080.08	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(99.94)	(504.85)	(706.01)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(99.94)	(504.85)	(706.01)

5.4 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:
भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ों में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2013	31.03.2012
(क)	खंड राजस्व		
1	राजकोष परिचालन	10294.45	7826.50
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	9463.97	8338.57
3	थोक बैंकिंग परिचालन	17223.41	17272.11
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित	249.11	341.04
	कुल	37230.94	33778.22
(ख)	खंड परिणाम		
1	राजकोष परिचालन	1115.81	572.72
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1864.14	2031.47
3	थोक बैंकिंग परिचालन	2705.43	3036.11
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	5685.38	5640.30
(ग)	गैर आबंटित आय / व्यय	204.63	302.86
(घ)	परिचालन लाभ	5890.01	5943.16
(ङ)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	2217.91	1860.45
(च)	आय कर	800.00	800.00
(छ)	निवल लाभ	2872.10	3282.71
(ज)	अन्य सूचनाएं		
(झ)	खंड आस्तियां*		
1	राजकोष परिचालन	150904.28	119619.18
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	78711.04	68458.60
3	थोक बैंकिंग परिचालन	171294.18	177113.82
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित आस्तियां	9399.87	6903.46
	कुल	410309.37	372095.06
(ञ)	खंड देयताएं		
1	राजकोष परिचालन	28855.45	42572.21
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	156299.98	139940.75
3	थोक बैंकिंग परिचालन	180253.80	149166.13
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित देयताएं	22055.59	19791.15
6	पूंजी और आरक्षित निधियां*	22844.55	20624.82
	कुल	410309.37	372095.06

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

5.4 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2013	31.03.2012
(a) Segment Revenue			
1	Treasury Operations	10294.45	7826.50
2	Retail Banking Operations	9463.97	8338.57
3	Wholesale Banking Operations	17223.41	17272.11
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	249.11	341.04
	Total	37230.94	33778.22
(b) Segment Results			
1	Treasury Operations	1115.81	572.72
2	Retail Banking Operations	1864.14	2031.47
3	Wholesale Banking Operations	2705.43	3036.11
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	5685.38	5640.30
(c)	Unallocated Income/Expenses	204.63	302.86
(d) Operating Profit		5890.01	5943.16
(e)	Provisions and Contingencies	2217.91	1860.45
(f)	Income Tax	800.00	800.00
(g) Net Profit		2872.10	3282.71
(h)	Other Information		
(i) Segment Assets*			
1	Treasury Operations	150904.28	119619.18
2	Retail Banking Operations	78711.04	68458.60
3	Wholesale Banking Operations	171294.18	177113.82
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	9399.87	6903.46
	Total	410309.37	372095.06
(j) Segment Liabilities			
1	Treasury Operations	28855.45	42572.21
2	Retail Banking Operations	156299.98	139940.75
3	Wholesale Banking Operations	180253.80	149166.13
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	22055.59	19791.15
6	Capital and Reserves*	22844.55	20624.82
	Total	410309.37	372095.06

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख: भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ों में)

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2013	31.03.2012
क	देशी परिचालन		
	राजस्व	36645.47	33264.31
	आस्तियाँ	386312.09	354488.20
ख	विदेशी परिचालन		
	राजस्व	585.47	513.91
	आस्तियाँ	23997.27	17606.86
ग	कुल		
	राजस्व	37230.94	33778.22
	आस्तियाँ*	410309.37	372095.06

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2013	31.03.2012
A	Domestic Operations		
	Revenue	36645.47	33264.31
	Assets	386312.09	354488.20
B	International Operations		
	Revenue	585.47	513.91
	Assets	23997.27	17606.86
C	Total		
	Revenue	37230.94	33778.22
	Assets*	410309.37	372095.06

(* Excluding Revaluation Reserve)

5.5 लेखांकन मानदंड- 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:
संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध –
प्रधान – केनरा बैंक

5.5.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मिक –

- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (11.01.2013 से)
- श्री एस रामन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.09.2012 तक)
- श्रीमती अर्चना एस भार्गव, कार्यपालक निदेशक
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक

5.5 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

5.5.1 Key Management Personnel –

- Shri R K Dubey Chairman & Managing Director (from 11.01.2013)
- Shri S Raman, Chairman & Managing Director (till 30.09.2012)
- Smt. Archana S Bhargava, Executive Director
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director

5.5.2 प्रधान

- i) केनरा बैंक

5.5.3 अनुषंगियां-

- i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

5.5.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को

5.5.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति ग्रामीण बैंक
 - ख) साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक
 - ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक*

(*भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एफ.सं.7/9/2011-आरआरबी (यूपी-1) दिनांक 01.04.2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2013 से केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित श्रेयस ग्रामीण बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आर्य वर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्य वर्त किया गया।)

5.5.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक -
₹47,48,665/-
(पिछले वर्ष: ₹58,92,007/-)

5.5.2 Parent-

- i) Canara Bank

5.5.3 Subsidiaries –

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn.Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

5.5.4 Joint Ventures

- i) Commercial Bank of India LLC., Moscow

5.5.5 Associates –

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Gramin Bank
 - b) South Malabar Gramin Bank
 - c) Shreyas Gramin Bank*

(*Shreyas Gramin Bank sponsored by Canara bank and Arya vartha kshethriya Gramina Bank sponsored by Bank of India were amalgamated as Gramina Bank of Arya Vartha with new sponsored bank, Bank Of India, with effect from 01.04.2013 as per Government of India notification No. F.No.7/9/2011-RRB (UP-1) dated 01.04.2013)

5.5.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

Remuneration to Key Management Personnel
₹47,48,665/-
(Previous Year: ₹58,92,007/-)

5.5.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ
संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम
उधार – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	70.90 (32.70)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	73.20 (32.70)
जमाएं – यथा वर्षांत को बकाया	164.94 (164.90)	968.81 (1840.30)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	175.21 (199.21)	1059.57 (1921.15)
जमाओं का नियोजन – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	118.07 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	118.07 (शून्य)
अग्रिम – यथा वर्षांत को बकाया	423.46 (688.38)	1595.99 (2098.68)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	698.77 (784.98)	2044.66 (2133.68)
निवेश – यथा वर्षांत को बकाया	609.80 (518.13)	99.75 (102.57)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	609.80 (518.13)	99.75 (102.57)
चालू खाता में शेष – यथा वर्षांत को बकाया	10.14 (शून्य)	150.32 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	10.14 (शून्य)	168.38 (शून्य)
अन्य प्राप्य – यथा वर्षांत को बकाया	0.05 (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.05 (शून्य)	शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – जारी किए गए – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	1950.00 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	1950.00 (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – प्रतिभागिता किए गए – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	1950.00 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	1950.00 (शून्य)
कमीशन प्राप्य – यथा वर्षांत को बकाया	3.18 (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	3.18 (शून्य)	शून्य (शून्य)

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दी गई है।
(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

5.5.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and
Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
Borrowings - Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	70.90 (32.70)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	73.20 (32.70)
Deposits- Outstanding as at the year end	164.94 (164.90)	968.81 (1840.30)
Maximum outstanding during the year	175.21 (199.21)	1059.57 (1921.15)
Placement of Deposits – Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	118.07 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	118.07 (NIL)
Advances- Outstanding as at the year end	423.46 (688.38)	1595.99 (2098.68)
Maximum outstanding during the year	698.77 (784.98)	2044.66 (2133.68)
Investments- Outstanding as at the year end	609.80 (518.13)	99.75 (102.57)
Maximum outstanding during the year	609.80 (518.13)	99.75 (102.57)
Balance in current account Outstanding as at the year end	10.14 (NIL)	150.32 (NIL)
Maximum outstanding during the year	10.14 (NIL)	168.38 (NIL)
Other receivable- Outstanding as at the year end	0.05 (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	0.05 (NIL)	NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Issued Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	1950.00 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	1950.00 (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Participated Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	1950.00 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	1950.00 (NIL)
Commission Receivable- Outstanding as at the year end	3.18 (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	3.18 (NIL)	NIL (NIL)

(Figures in brackets relate to previous year)
(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

गैर निधीगत प्रतिबद्धता – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
अन्य देय – यथा वर्षांत को बकाया	0.04 (NIL)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.55 (NIL)	शून्य (शून्य)
पट्टेदारी / किराया खरीद उपभुक्त / उपलब्ध यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
स्थिर आस्तियों का क्रय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
स्थिर आस्तियाँ का विक्रय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
दत्त ब्याज	12.49 (10.64)	159.77 (201.77)
प्राप्त ब्याज	44.24 (63.63)	191.03 (262.58)
प्राप्त लाभांश	8.24 (6.24)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकोती	20.00 (शून्य)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृती	30.00 (शून्य)	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	50.68 (शून्य)	शून्य (शून्य)
सेवा उपलब्ध कराना	37.74 (28.84)	2.38 (0.82)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	21.58 (37.53)	शून्य (0.01)
प्रबंधन संविदाएं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

दिनांक 27.12.2012 से केयर लिमिटेड की सहभागिता को बंद किया गया है। अतः दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए केयर लिमिटेड के साथ हुई संव्यवहारों को उपर्युक्त प्रकटन में शामिल नहीं किया गया है।

कोष्ठकों में पिछले वर्ष की आंकड़े दिए गए हैं

Non Funded Commitments- Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Other payable Outstanding as at the year end	0.04 (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	0.55 (NIL)	NIL (NIL)
Leasing/HP Arrangement availed / provided- Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Purchase of Fixed Assets	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Sale of Fixed Assets	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Interest paid	12.49 (10.64)	159.77 (201.77)
Interest received	44.24 (63.63)	191.03 (262.58)
Dividend received	8.24 (6.24)	NIL (NIL)
Repayment of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	20.00 (NIL)	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	30.00 (NIL)	NIL (NIL)
Premium Paid	50.68 (NIL)	NIL (NIL)
Rendering of Service	37.74 (28.84)	2.38 (0.82)
Receiving for Services	21.58 (37.53)	NIL (0.01)
Management Contracts	NIL (NIL)	NIL (NIL)

CARE Ltd ceased to be an associate with effect from 27.12.2012. Hence, transactions with CARE Ltd are not included in the above disclosure for the year ended 31st March 2013.

Figures in brackets relate to previous year.

5.6 लेखा मानक- 20- प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20- "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

	विवरण	2012-2013	2011-2012
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ों में)	2872.10	3282.71
ख	ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	44.30	44.30
ग	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	44.30	44.30
घ	प्रति शेयर अर्जन (क / ख)(₹)	64.83	74.10
ड	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.7 लेखा मानक- 22- आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2013 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	-	-	656.53	562.02
छुट्टी नकदीकरण	277.35	270.05	-	-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	54.18	36.88	-	-
अन्य	-	-	1.97	8.05
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	331.53	306.93	658.50	570.07

(₹ करोड़ों में)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Interest accrued but not due on securities	-	-	656.53	562.02
Leave Encashment	277.35	270.05	-	-
Depreciation on Fixed Assets	54.18	36.88	-	-
Others	-	-	1.97	8.05
Deferred Tax Asset/ Liability	331.53	306.93	658.50	570.07

यथा 31 मार्च, 2013 को निवल आस्थगित कर देयता: ₹326.97 करोड़ (31 मार्च, 2012 को ₹263.14 करोड़)

5.6 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below.

	Particulars	2012-2013	2011-2012
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	2872.10	3282.71
B	Number of Equity Shares (In Crore)	44.30	44.30
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	44.30	44.30
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	64.83	74.10
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.7 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2013 as under:

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ करोड़ों में)

Net Deferred Tax Liability as on March 31, 2013: ₹326.97 Crores (March 31, 2012: ₹263.14 Crores)

5.8 लेखांकन मानक - 27 - संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹36.57 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

ए एस 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है:

5.8 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include ₹36.57 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. - परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

विवरण	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2012 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2012 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में	अमेरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	34961	189.79	75.91	31537	160.44	64.18
कुल देयताएं	57547	312.39	124.96	46652	237.34	94.93
कुल आस्तियाँ	92508	502.18	200.87	78189	397.79	159.11
कुल आय	7538	41.01	16.40	5884	28.19	11.28
कुल व्यय	3429	18.65	7.46	2307	11.05	4.42
लाभ	4109	22.36	8.94	3577	17.14	6.86

Commercial Bank of India LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2013	Current year ended 31/03/2013	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31/03/2012	Previous year ended 31/03/2012	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	34961	189.79	75.91	31537	160.44	64.18
Aggregate Liabilities	57547	312.39	124.96	46652	237.34	94.93
Aggregate Assets	92508	502.18	200.87	78189	397.79	159.11
Aggregate Income	7538	41.01	16.40	5884	28.19	11.28
Aggregate Expenditure	3429	18.65	7.46	2307	11.05	4.42
Profit	4109	22.36	8.94	3577	17.14	6.86

उक्त आँकड़े निम्नानुसार परिवर्तित किये जाते हैं:

आस्तियाँ तथा देयताएं हाज़िर दर 31.03.2013 यू एस डालर 1= ₹ 54.2850 और 31.03.2012 यू एस डालर 1=₹50.8750

आय तथा व्यय औसत दर 31.03.2013 यू एस डालर 1= ₹ 54.3988 और 31.03.2012 यू एस डालर 1=₹47.9138

उपर्युक्त आँकड़े 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित खातों से लिया गया है।

The above figures have been translated at:

Assets and liabilities: @ Spot rate: 31/03/2013 USD 1= ₹ 54.2850 and 31/03/2012 USD 1=₹50.8750

Income & Expenditure: @ Average rate: 31/03/2013 USD 1= ₹ 54.3988 and 31/03/2012 USD 1=₹47.9138

The above figures are as per audited accounts of the joint venture for the year ended 31/03/2013

5.9 लेखांकन मानक- 28- आस्तियों की क्षति :

प्रबंधन की राय में, 31.03.2013 तक विस्तारित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति नहीं है जिसकी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निबंधन में निर्धारण की जरूरत है।

5.9 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment of its Fixed Asset as at 31.03.2013 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5.10 लेखांकन मानक- 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	01.04.2012 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2013 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	----	93.00	----	93.00

5.10 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2012	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2013
Movement of Provision for Contingent Liabilities	----	93.00	----	93.00

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
निवेश मूल्यहास / एन पी आई के लिए प्रावधान	(371.31)	153.87
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	1860.99	1294.06
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	255.61	171.06
कर के लिए प्रावधान - (आस्थगित कर देयता सहित)	800.00	800.00
अन्य प्रावधान व आकस्मिक देयताएं (निवल)	472.62	241.46
कुल	3017.91	2660.45

6.2 अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(371.31)	153.87
Provision towards NPA	1860.99	1294.06
Provision towards Standard Asset	255.61	171.06
Provision for Tax- (includes deferred tax liability)	800.00	800.00
Other Provision and Contingencies -Net	472.62	241.46
TOTAL	3017.91	2660.45

6.2 Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL

6.3 आरक्षित निधियों से आहरित : शून्य

6.4 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों का गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण :

क) ग्राहक शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	207
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5075
ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	5175
घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	107

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्र.सं.	विवरण	
क)	वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	3
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	37
ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	38
घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2

6.5 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना:

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹17562.93 करोड़ के 2066 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2013 को उक्त पत्रों की संचित स्थिति ₹4379.13 करोड़ के 694 है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये:

वर्ष 2012-2013 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

- शून्य

पहले जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शंघाई शाखा के लिए 2008-09 के दौरान)
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह के लिए 2009-10 के दौरान)
- बहरेन का सेंट्रल बैंक (मनामा शाखा के लिए 2009-10 के दौरान)
- दक्षिण आफ्रीका रिजर्व बैंक (जॉहानेसबर्ग, दक्षिण आफ्रीका में प्रस्तावित शाखा के लिए 2011-12 के दौरान)

6.3 Draw Down from Reserves: NIL

6.4 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints

Sl.No.	Particulars	
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	207
(b)	Number of complaints received during the year	5075
(c)	Number of complaints redressed during the year	5175
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	107

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl.No.	Particulars	
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	3
(b)	Number of Awards received during the year	37
(c)	Number of Awards redressed during the year	38
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	2

6.5 Issuance of Letters of Comfort:

Bank has issued 2066 no. of Letters of Comfort to the tune of ₹17562.93 Crore during the financial year. The cumulative outstanding position of 694 no. of LOC as on 31.03.2013 is ₹4379.13 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators:

LOC issued during the year 2012-2013:

- Nil.

LOC issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (During 2008-09, for Shanghai Branch).
- Central Bank of the UAE (During 2009-10, for Representative Office, Sharjah)
- Central Bank of Bahrain (During 2009-10 for Manama Branch, Bahrain).
- South African Reserve Bank (During 2011-12 for the proposed branch at Johannesburg, South Africa)

वित्तीय प्रभाव:

वर्तमान में यू ए ई का सेंट्रल बैंक (प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह के लिए) तथा दक्षिण आफ्रिका रिज़र्व बैंक (खुलना बाकि है) को जारी किये गये चुकौती आश्वासन पत्रों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

- सिर्फ शंघाई, चीन और मनामा, बहरेन शाखाओं के मामलों में बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र का प्रभाव पड़ा है।
- शंघाई शाखा की कुल बाहरी देयताएं यू एस डी 55.54 मिलियन (₹ 301.49 करोड़) और मनामा शाखा, बहरेन की यू एस डी 412.10 मिलियन (₹ 2237.09 करोड़) है।
- समुद्रपारिय विनियामकों को बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र का कुल प्रभाव यू एस डी 467.64 मिलियन (लगभग ₹2538.58 करोड़) रहा।

6.6 यथा 31.03.2013 तक प्रावधान प्रावरण अनुपात 61.35% रहा (पिछले वर्ष 67.57%)।

6.7 बैंक द्वारा बैंक एश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	आय का प्रकार	31.03.2013	31.03.2012
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	25.90	21.91
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	11.92	10.75
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	4.95	3.32
4	अन्य (ईसीजीसी)	-	0.03
	कुल	42.77	36.01

6.8 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का केंद्रीकरण:

6.8.1 जमाओं का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	58464.15
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	16.43%

6.8.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण:

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल निवेश	34860.09
बैंक के कुल निवेश में से बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के निवेशों का प्रतिशत	14.39%

Financial Impact:

Presently, there is no such financial impact on LOCs issued favoring Central Bank of UAE (for Sharjah Representative Office) & South African Reserve Bank (as branch is yet to open).

- The impact of issue of letter of guarantee/comfort by the Bank exists only in case of Shanghai and Manama branches.
- The total outside liabilities of Shanghai branch is USD 55.54 Mn (₹301.49 crores) and Manama branch, Bahrain is USD 412.10 Mn (₹ 2237.09 crores).
- The total impact of the LOCs issued by the bank to overseas regulators comes to USD 467.64 Mn (approx ₹2538.58 crore).

6.6 Provision Coverage Ratio is 61.35% as on 31.3.2013 (Previous year 67.57%).

6.7 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc.:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2013	31.03.2012
1	For selling Life Insurance Policies	25.90	21.91
2	For selling Non Life Insurance Policies	11.92	10.75
3	For selling Mutual Funds Products	4.95	3.32
4	Other (ECGC)	-	0.03
	TOTAL	42.77	36.01

6.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.8.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	58464.15
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	16.43%

6.8.2 Concentration of Advances:

Total Advances to twenty largest borrowers	34860.09
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.39%

6.8.3 निवेशों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ों में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल निवेश	54128.09
बैंक के कुल निवेश में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के निवेशों का प्रतिशत	10.70%

6.8.4 एन पी ए का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ों में)

प्रथम चार एनपीए खातों का कुल निवेश	1188.16
------------------------------------	---------

6.9 क्षेत्र – वार एन पी ए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
1	कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	2.17
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम व बड़े)	1.96
3	सेवाएं	6.93
4	निजी ऋण	1.88

6.10 एन पी ए का अंतरण:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
यथा 1 अप्रैल 2012 तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	4031.75
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	5819.3
उप – कुल (क)	9851.05
घटाएं :	
(i) अद्यतन	851.64
(ii) वसूलियाँ (अद्यतनित खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	
(iii) बट्टे खाते	1535.26
उप कुल (ख)	3590.89
यथा 31 मार्च 2013 तक सकल एन पी ए (समापन शेष) (क-ख)	6260.16

6.8.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	54128.09
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	10.70%

6.8.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	1188.16
---	---------

6.9 Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.17
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.96
3	Services	6.93
4	Personal Loans	1.88

6.10 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1 st April 2012 (Opening Balance)	4031.75
Additions (Fresh NPAs) during the year	5819.3
Sub-total (A)	9851.05
Less:-	
(i) Upgradations	851.64
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1203.99
(iii) Write-offs	1535.26
Sub-total (B)	3590.89
Gross NPAs as on 31 st March 2013 (closing balance) (A-B)	6260.16

6.11 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	25349.40
कुल एन पी ए : सकल निवल	473.83 299.36
कुल राजस्व	637.10

6.12 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.13 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018-2010-11 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जिन कर्मचारियों ने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना था उन्हें 2010-2011 के दौरान पेंशन विकल्प चुनने के कारण बैंक ने ₹1482.86 करोड़ (31 मार्च 2011 से आरंभ कर 5 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है) की अपरिशोधित देयता पर अनुमान के आधार पर 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹370.71 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹741.44 करोड़ की शेष राशि निपटायी जाएगी।

उपदान लिमिट में बढोत्तरी के कारण ₹ 543.62 करोड़ (31 मार्च 2011 से आरंभ कर 5 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है) की अपरिशोधित देयता पर अनुमान के आधार पर 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹135.90 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹271.82 करोड़ की शेष राशि निपटायी जाएगी।

6.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	25349.40
Total NPAs : Gross Net	473.83 299.36
Total Revenue	637.10

6.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.13 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No.DBOD. BPBC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹370.71 Crore during the year ended 31.03.2013 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹1482.86 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of reopening of pension option during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier. The balance amount of ₹741.44 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

The Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹135.90 Crore during the year ended 31.03.2013 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹543.62 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of enhancement of gratuity limit. The balance amount of ₹271.82 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

6.14 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या*	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

6.14. Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction*	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

6.15 ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस): शून्य

6.15. Credit Default Swaps (CDS): NIL

7. जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनः क्रमबद्ध / पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged / reclassified wherever necessary.

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

जी वी सांबशिव राव
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
एस पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

डी एन भार्गव
साझेदार

ए गोपालकृष्णन
साझेदार

संजीव गुप्ता
साझेदार

एस सी लूकर
साझेदार

प्रदीप कुमार चोपड़ा
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

बेंगलूर
02 मई, 2013

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

K MANICKAM
GENERAL MANAGER

V S KRISHNAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

SUDHA KRISHNAN
DIRECTOR

MEENA HEMCHANDRA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

KHALID LUQMAN BILGRAMI
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SUNIL GUPTA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For
K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For
S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

D N BHARGAVA
Partner

A GOPALAKRISHNAN
Partner

SANJIV GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

PRADEEP KUMAR CHOPRA
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

BANGALORE
MAY 02, 2013

स्तंभ 3 (बासेल II) प्रकटन

प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन:

- क. बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: **केनरा बैंक**
- ख. समूह के अंतर्गत निकायों के संक्षिप्त विवरण सहित लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतरों से संबंधित रूपरेखा
- (i) जो पूर्णतः समेकित हैं। (जैसे समेकित लेखांकन में अनुषंगियाँ हैं, उदाहरण के लिए ए एस 21, जिसका धारण >50 है)
1. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (धारण 100% – वित्तीय निकाय)
 2. केनबैंक फिनांशियल सर्विसेज लि. (धारण 100% – वित्तीय निकाय)
 3. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (धारण 100% – स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी)
 4. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (धारण 70% – वित्तीय निकाय)
 5. केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि. (धारण 69.14% – अन्य)
 6. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (धारण 51% – म्यूचुअल फंड की ए एस सी)
 7. केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (धारण 51% – वित्तीय निकाय)
- (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम हैं, उदाहरण के लिए ए एस 27 जिसका धारण <50% है)
1. कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (धारण 40% – भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम)
- (iii) जिनके संबंध में कटौती की गयी है। (सहबद्ध संस्था – धारण 20% से अधिक व 50% से कम)
1. केनफिन होम्स लि. (धारण 42.35%)
 2. प्रगति ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक – धारण 35%)
 3. साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक – धारण 35%)
 4. श्रेयस ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक – धारण 35%)
- (iv) जिनका न समेकन हुआ है और न ही कटौती की गयी है (उदाहरण के लिए जहां निवेश जोखिम भारित है)
- कंपनी अप्रचलित होने के कारण, फाइनेंशियल्स ऑफ कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लि, एक सहबद्ध संस्थान, जहाँ पर केनरा बैंक को 30% धारण है, इसका समेकन नहीं किया गया है।

Pillar 3 (BASEL II) Disclosures

TABLE DF 1: SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures:

- a. The name of the Bank to which the framework applies: **CANARA BANK**
- b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:
- (i) That are fully consolidated (viz., subsidiaries as in consolidated accounting, e.g. AS 21, having holding > 50%)
1. Canbank Venture Capital Fund Ltd. (Holding 100% - Financial Entity)
 2. Canbank Financial Services Ltd. – (Holding 100% – Financial Entity)
 3. Canara Bank Securities Ltd. (Holding 100% - Stock Broking Company)
 4. Canbank Factors Ltd. (Holding 70% – Financial Entity)
 5. Canara Bank Computer Services Ltd. (Holding 69.14% - Others)
 6. Canara Robecco Asset Management Co. Ltd. (Holding 51% - AMC of Mutual Fund)
 7. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% - Financial Entity)
- (ii) That are pro-rata consolidated (viz. Joint ventures in consolidated accounting, eg. AS 27, having holding < 50%)
1. Commercial Bank of India – (Holding 40% - Joint Venture with SBI)
- (iii) That are given a deduction treatment (Associates – Holding above 20% and below 50%)
1. Canfin Homes Ltd. (Holding 42.35%)
 2. Pragathi Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
 3. South Malabar Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
 4. Shreyas Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
- (iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk weighted)
- The financial of Commonwealth Trust (India) Ltd., an associate, in which Canara Bank has 30% holding, is not consolidated as the company is defunct.

ग) लेखांकन तथा विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतर:

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समेकित बैंक बीमा कारोबार तथा वित्तीय सेवाओं से असंबद्ध कारोबार में लगे हुए समूह कंपनियों को निकाल सकता है। अतः केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (धारण 51% - बीमा कारोबार) को विनियामक उद्देश्य के लिए निकाल दिया है।

परिमाणुत्मक प्रकटन:

ग) सभी अनुषंगियों में पूंजी अपर्याप्तता की समग्र राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है अर्थात् जिनकी कटौती हुई है और उन अनुषंगियों का नाम

शून्य

घ) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (उदाहरण : चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं, उनका नाम, जहां निगमित किया गया है, उस देश का नाम या निवास, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो इन निकायों में मतदान शक्ति का अनुपात।

1. नाम: केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
2. निगमित देश का नाम: भारत
3. स्वामित्व हित: ₹484.50 करोड़ (51%)

प्रकटन प्रपत्र तालिका 2 – पूंजी संरचना:

गुणात्मक प्रकटन:

हमारे बैंक की टायर I पूंजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षित निधियां और नवोन्मेषकारी सतत बांड शामिल हैं।

बैंक द्वारा नवोन्मेषकारी बांड (टायर II) और टायर II पूंजी में शामिल करने हेतु योग्य अन्य बांड भी जारी किये गये। बांडों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें (आई पी डी आई)- टायर I।

विवरण	स्थान	जारी तिथि	सतत व मांग विकल्प	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला I	भारत में	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
श्रृंखला II	भारत में	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	600.00
श्रृंखला III	भारत में	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	749.30
				कुल	1589.60

c. Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes:

In terms of Regulatory guidelines, a consolidated bank may exclude group companies which are engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services. Hence, Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% - Insurance Business) has been excluded for regulatory purpose.

Quantitative Disclosures:

(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries

NIL

(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities.

- 1) Name : Canara HSBC OBC Life Insurance Co.Ltd
- 2) Country of Incorporation: India
- 3) Ownership Interest: ₹ 484.50 Crore (51%)

TABLE DF 2: CAPITAL STRUCTURE:

Qualitative Disclosures:

Our Bank's Tier I Capital comprises of Equity Shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

The Bank has issued Innovative Bonds (Tier II) and also other Bonds eligible for inclusion in Tier 2 Capital. Details of the Bonds are as under:

A) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I

Particulars	Place	Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in crore
Series I	In India	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
Series II	In India	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	600.00
Series III	In India	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	749.30
				TOTAL	1589.60

ख) उच्चतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
श्रृंखला II	भारत में	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	500.00
श्रृंखला III	भारत में	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	1000.00
				कुल	2000.00
विदेशी मुद्रा बांड	भारत से बाहर	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250 मि. यूएस डालर

B) Upper Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹. in crore
Series I	In India	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
Series II	In India	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	500.00
Series III	In India	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	1000.00
				कुल	2000.00
FC BONDS	Out side India	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250mn US \$

ग) निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला IV विकल्प II	भारत में	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
श्रृंखला VI	भारत में	30.09.2004	31.05.2014	6.75%	263.50
श्रृंखला VII	भारत में	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
श्रृंखला VIII	भारत में	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
श्रृंखला IX	भारत में	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	425.00
श्रृंखला IX क	भारत में	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
श्रृंखला X	भारत में	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
श्रृंखला XI	भारत में	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
श्रृंखला XII	भारत में	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00
				कुल	3763.95

C) Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹. in crore
Series IV Opt II	In India	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
Series VI	In India	30.09.2004	31.05.2014	6.75%	263.50
Series VII	In India	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
Series VIII	In India	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
Series IX	In India	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	425.00
Series IX A	In India	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
Series X	In India	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
Series XI	In India	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
Series XII	In India	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00
				Total	3763.95

टायर I पूँजी के तहत नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतों के मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई आईपीडीआई जारी नहीं की है।

इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- ये बिना किसी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के सतत स्वभावी हैं।
- ये लिखतें, माँग वचन पत्र (बांड) की प्रकृति में गैर जमानती अपरिवर्तनीय गौण सतत बांड हैं।
- इन लिखतों को क्रिसिल द्वारा (सी आर आई एस आई एल) एएए (स्थिर) और ब्रिकवर्क रेटिंग द्वारा "बीडब्ल्यूआर एएए" रेटिंग दिया गया है।
- इन लिखतों पर सालाना मीयादी ब्याज दर संदेय है।
- ब्याज संचित नहीं होगा।
- जारी तारीख से 10 वर्ष बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ बैंक इन के लिए क्रय-विक्रय विकल्प दे सकता है।
- 10 वर्ष के समाप्त होने पर बैंक स्टेप-अप विकल्प (लिखत के पूरे जीवनकाल में एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है) कर सकता है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर 2010 के पहले जारी की गई लिखतें बासेल III के तहत पात्र पूँजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

Terms and conditions of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) under Tier I Capital

The Bank has not issued any IPDI during the current financial year.

The important features of these instruments are:

- The debt instruments are perpetual in nature without any specific maturity period.
- The instruments are Unsecured Non Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- Fixed rate of interest is payable on the debt instruments, annually.
- The interest shall not be cumulative.
- The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
- The Bank has step up option (shall be exercised only once during the whole life of the instrument) at the end of 10 years which shall be not more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BPBC. No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step – ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept. 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III.

- ये ऋण लिखतें लॉक-इन खण्ड के अधीन होंगी, जिसके अनुसार, यदि (क) बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाने पर या (ख) ऐसे भुगतानों का परिणाम स्वरूप बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता है या नीचे बने रहने पर बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- सतत स्वभावी होने के कारण, पूंजी पर्याप्तता के लिए ये लिखतें क्रमिक बढ़ते के अधीन नहीं होंगी।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

उच्चतर टायर II बांडों के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई उच्चतर टायर II बांड जारी नहीं की है।

इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- लिखतें वचन पत्रों (बांडों) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अधीनस्थ अपरिवर्तनीय हैं।
- इन ऋण लिखतों को क्रिसिल द्वारा ए ए ए (स्थिर) और ब्रिक वर्क रेटिंग द्वारा बीडब्ल्यूआर ए ए ए रेटिंग दिया गया है।
- जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ बैंक के पास मांग विकल्प है।
- 10 वर्ष की समाप्ति पर बैंक को स्टेप-अप विकल्प है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होना है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर, 2010 के पहले जारी की गई लिखतें बासेल III के तहत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने संसूचना डीबीओडी.बीपी.बीसी. एमओ.16.284/21.06.201/2010-11 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2010 को जारी की गई ₹1000 करोड़ के उच्चतर टायर II श्रृंखला III लिखतों को पूंजी पर्याप्तता कार्य के लिए अनुमान लगाने की विशेष अनुमति प्रदान की है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20%
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
- These debt instruments are not subjected to a progressive discount for capital adequacy purposes since these are perpetual in nature.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

The Bank has not issued Upper Tier II Bond during the current financial year.

The important features of these debt instruments are:

- The instruments are Unsecured Redeemable Subordinated Non-Convertible in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- The Bank has Call Option after 10 years from the date of issue with the RBI's approval.
- The Bank has step up option at the end of 10 years that shall not be more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BP.BC.No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step – ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III. However, RBI has accorded special permission to us vide their communication DBOD. BP.BC.Mo.16.284/21.06.201/2010-11 dated 19 April 2011 to reckon the Upper Tier II Series III instrument of ₹1000 crore issued post Sept 12, 2010 for the purpose of capital adequacy.
- The instruments are subjected to a progressive discount @ 20% per year during the last 5 years

प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।

- अवधि के समाप्त हो जाने से या बैंक क्रय-विक्रय विकल्प करता है तो जारी करने के 10 वर्षों के बाद बंध पत्र का अंकित मूल्य सम मूल्य पर छुड़ाया जा सकता है। इनके छुड़ाये जाने की तारीख के बाद बांड पर ब्याज या अन्यथा कोई राशि अदा नहीं की जाएगी। ये लिखतें रोधात्मक खण्डों से मुक्त हैं और धारक के पहल किये जाने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना इन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता है।
- इन ऋण लिखतों में बंद-खण्ड है जिसके अनुसार (क) बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो, (ख) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो या कम रह जाता हो तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन एस ई) में सूचीबद्ध की गई हैं।

निम्नतर टायर II बांडों के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई निम्नतर टायर II बांड जारी नहीं की है।

- इन बांडों की अवधि 5 से 10 वर्ष की है।
- ये लिखतें पूर्ण रूप से प्रदत्त, अप्रतिभूत और अन्य लेनदारों के दावों के प्रति गौण, प्रतिबंधित खंडों से मुक्त और धारक के प्रस्ताव पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।

of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purpose.

- The face value of the Bond is redeemable at par, on expiry of the tenor or after 10 years from issue if the Bank exercises Call Option. The Bond will not carry any obligation, for interest or otherwise, after the date of redemption. The instruments are free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The main features of Lower Tier II bonds are as follows:

The Bank has not issued Lower Tier II Bonds during the current financial year.

- The Bonds have a tenor ranging from 5 to 10 years.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last 5 years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मर्दे	राशि (रु करोडों में)	
		31.03.2013	31.03.2012
(क)	टायर I पूंजी की राशि जिसमें निम्न प्रकटन है:		
	• प्रदत्त शेयर पूंजी	443.00	443.00
	• आरक्षित निधियाँ	22097.25	20104.15
	• नवोन्मेषी लिखतें (\$)	1589.60	1589.60
	• अन्य पूंजी लिखतें	-	-
	उप जोड़	24129.85	22136.75
	• घटाएं : साख व निवेशों सहित टायर I पूंजी से कटौती की गयी राशियाँ	353.65	307.82
	कुल टायर I पूंजी	23776.20	21828.93
(ख)	टायर II पूंजी की कुल राशि (टायर II पूंजी से निवल कटौती)	6387.99	7178.84
(ग)	उच्चतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें		
	• कुल बकाया राशि	3357.16	2918.86
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	शून्य	शून्य
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	2414.29	2918.86
(घ)	निम्नतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र गौण ऋण		
	• कुल बकाया राशि	3763.95	4103.95
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	-	-
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	1992.70	2680.49
(ङ)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ, अगर कोई हों तो	-	-
(च)	कुल पात्र पूंजी – टायर I + टायर II (क + ख – ङ)	30164.19	29007.77

(\$) समय-समय पर अनुमत नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें तथा अन्य प्रकार के लिखतें

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Items	Amount (₹ in crores)	
		31.03.2013	31.03.2012
(a)	The amount of Tier I Capital, with separate disclosure of		
	• Paid-up Share Capital	443.00	443.00
	• Reserves	22097.25	20104.15
	• Innovative Instruments (\$)	1589.60	1589.60
	• Other Capital Instruments	-	-
	Sub -total	24129.85	22136.75
	• Less amounts deducted from Tier I Capital, including Goodwill and Investments.	353.65	307.82
	Total Tier I capital	23776.20	21828.93
(b)	The total amount of Tier II Capital (net of deductions from Tier II Capital)	6387.99	7178.84
(c)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital		
	• Total amount outstanding	3357.16	2918.86
	• Of which amount raised during the current year	Nil	Nil
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	2414.29	2918.86
(d)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier II Capital.		
	• Total amount outstanding	3763.95	4103.95
	• Of which amount raised during the current year	-	-
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	1992.70	2680.49
(e)	Other deductions from Capital, if any.	-	-
(f)	Total eligible Capital - Tier I+ Tier II (a+b-e)	30164.19	29007.77

(\$) Innovative Perpetual Debt Instruments and any other type of instruments that may be allowed from time to time.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन:

पूंजी के इष्टतमीकरण पर ही नहीं बल्कि लाभ के अधिकतमीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने एक तगड़ी जोखिम प्रबंधन रचना सुस्थिर कायम की है ताकि उपलब्ध पूंजी के सहारे अधिकतम लाभ या प्रतिफल उपलब्ध हो। बैंक बासेल II ढाँचे के अनुरूप, विश्व भर में स्वीकृत ठोस जोखिम प्रबंधन पद्धति का मानक मान रहा है जिससे स्रोतों का अधिक कारगर इक्विटी एवं विवेकपूर्ण आबंटन हो।

बैंक की पूंजी आयोजना प्रक्रिया में निम्न की समीक्षा की जाती है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता

TABLE DF 3: CAPITAL ADEQUACY

QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel II framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank

- कारोबारी रणनीति तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार लक्षित तथा बनाये रखनेलायक पूँजी

पूँजी आवश्यकता और पूँजी इष्टतमीकरणों का पूँजी योजना समिति जिसके सदस्य उच्च कार्यपालकगण हैं, अवधिकतया अनुप्रवर्तन करती है। अग्रिमों में अनुमानित वृद्धि, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश और बासेल II का प्रभाव आदि पर विचार करते हुए पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संचलन की तिमाही संवेदनशील विश्लेषण किया जाता है। यह समिति पूँजी के इष्टतमीकरण के लिए परिदृश्य विश्लेषण को समुचित रूप से दृष्टि में रखकर ब्याज के वृद्धि और पूँजी संरचना के पुनर्निर्माण की सुर में पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखता है।

- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries/ joint ventures etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मर्दे	राशि (₹ करोडों में)	
		31.03.2013	31.03.2012
(क)	• ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	18557.45	16623.40
	• प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम	शून्य	शून्य
(ख)	बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		
	• ब्याज दर जोखिम	1462.58	778.33
	• विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	38.61	6.75
	• ईक्विटी जोखिम	436.15	368.86
(ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	• आधार संकेतक दृष्टिकोण	1406.52	1201.45
(घ)	बैंक के लिए कुल व टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	12.40	13.76
	• टायर I सीआरएआर (%)	9.77	10.35
(ङ)	समेकित समूह के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	12.61	14.02*
	• टायर I सीआरएआर (%)	9.99	10.63*
(फ)	महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह के तहत नहीं हैं, के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
	• टायर I सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं

*पुनर्समूहित आंकड़े

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Items	Amount (₹ in crores)	
		31.03.2013	31.03.2012
(a)	Capital requirements for Credit Risk		
	• Portfolios subject to Standardized Approach	18557.45	16623.40
	• Securitization Exposures	NIL	NIL
(b)	Capital requirements for Market Risk - Standardized Duration Approach		
	• Interest Rate Risk	1462.58	778.33
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	38.61	6.75
	• Equity Risk	436.15	368.86
(c)	Capital requirements for Operational Risk		
	- Basic Indicator Approach	1406.52	1201.45
(d)	Total & Tier I CRAR for the Bank		
	• Total CRAR (%)	12.40	13.76
	• Tier I CRAR (%)	9.77	10.35
(e)	Total & Tier I CRAR for the Consolidated Group		
	• Total CRAR (%)	12.61	14.02*
	• Tier I CRAR (%)	9.99	10.63*
(f)	Total & Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which are not under Consolidated Group		
	• Total CRAR (%)	NA	NA
	• Tier I CRAR (%)	NA	NA

*Figures regrouped.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 4: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक की नीतियाँ सीमित जोखिम उठाने और जोखिम तथा प्रतिफल में स्वस्थ संतुलन को मानती हैं। जोखिम प्रबंधन के अहम लक्ष्य हैं स्वीकार्य मानदंडों के अंदर एवं विनियामक प्राधिकारों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टैक धारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शेयर धारकों के लिए मूल्य अधिकतम बनाना। बैंक के जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सूत्र हैं: विनियामक एवं विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन, जोखिम और प्रतिफल में संतुलन कायम करना, जोखिम क्रिया कलापों की आज़ादी सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन और व्यापारिक लक्ष्यों

DF TABLE 4: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures:

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for share holders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and

का मेल-मिलाप। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शक्तिशाली संगठनात्मक संस्कृति एवं ठोस परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के पथ पर चलती है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, अभिवृत्ति, सक्षमतायें, व्यापारिक ज्ञान साधनों का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावशाली आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजनाओं का समावेश होता है।

बैंक के समग्र साख जोखिम प्रबंधन उद्देश्य निम्नानुसार है:

- क्षेत्रवार संतुलित गुणात्मक के साथ-साथ ही परिमाणात्मक ऋण वृद्धि जिसमें जोखिमों का अधिकतम विविधिकरण हो, सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों और संविभागों पर जारी विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों में निहित विविध प्रकार के जोखिमों का पर्याप्त रूप से मूल्यनिर्धारण।
- सभी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का एकीकृत सिस्टम का निर्माण करना जिसके तहत ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

रणनीतियाँ और प्रक्रियायें:

ऋण जोखिम प्रबंधन के उपर्युक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए बैंक ऋण जोखिम की पहचान, मापन, संवर्ग एवं समुच्चयन तकनीकियाँ, अनुप्रवर्तनों और रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / प्रशमन तकनीकियाँ तथा समस्यामूलक ऋणों / उधारों के प्रबंधन के लिए अनेकानेक पद्धतियाँ निर्धारित करता है। बैंक ने लक्षित बाजार, जोखिम स्वीकार्यता मानक, ऋण अनुमोदन प्राधिकार और ऋण व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया है।

इन रणनीतियों को ऋण जोखिम प्रशमन के लिए विभिन्न उपायों की दृष्टि में रखकर रूपायित किया गया है जिनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा लक्षित बाजारों की पहचान, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों और जोखिम संभालन में बैंक की क्षमता, संकेंद्रक जोखिम और रेटिंग के आधार पर मूल्यन का स्वीकार्य स्तर समाहित हैं।

बैंक समय-समय पर खंडों के प्रकटन तथा अर्थव्यवस्था की माँगों के आधार पर ऋण देने के लिए क्षमता योग्य और उत्पादन क्षेत्रों को पहचानते हैं। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के आधार पर उद्योगों / क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर विकास क्षमता नहीं रहनेवाले क्षेत्रों में बैंक ऋण को प्रतिबंधित रखता है।

ऋण से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर निर्मित हैं और ये आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन हैं।

business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination / maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, minimizing concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors based on the prevailing economic scenario prospects etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

ऋण प्रस्तावों पर समुचित रूप से ध्यान दिये जाने की प्रक्रिया के तौर पर बैंक की व्यापक ऋण जोखिम पहचान प्रक्रिया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन: बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम अधिकारी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- साख जोखिम प्रबंधन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग और साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग होते हैं। साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग में तीन कामकाजी डेस्क हैं जैसे साख जोखिम प्रबंधन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क और उद्योग अनुसंधान डेस्क।
- अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन और साख समीक्षा अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन सिस्टम का कार्यक्षेत्र और प्रकृति:

बैंक की एक समुचित जोखिम मापन और निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का मापन, बैंक द्वारा स्थापित ऋण जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की निर्धारित मंजूरी पूर्व प्रक्रिया से संपन्न होता है। इन जोखिमों में से प्रत्येक के तहत मानदंडों की पहचान के साथ-साथ उन्हें भारित स्कोर निर्धारित करने के लिए और। से VIII के पैमाने में उनकी रेटिंग के लिए बैंक में सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित दिशानिर्देश हैं।

पूँजी परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिमों को जोखिम भारित करने के लिए मान्यताप्राप्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ई सी ए आई) द्वारा दी गई रेटिंग के प्रयोग / मापन के संबंध में बैंक द्वारा नीति रूपायित की गई है।

ऋण जोखिम मापन के लिए समस्त ऋण संविभाग के लिए बैंक ने “मानकीकृत दृष्टिकोण” अपनाया है।

ऋण जोखिम की समीक्षा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से ऋण संविभाग की निगरानी, विश्लेषण करने के लिए सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली की अपेक्षाओं के लिए एक प्रभावी ऋण डाटा संग्रह स्थापित करने, जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यू ए) के परिकलन, ऋण संबंधी विभिन्न

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function: Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)
- Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has well laid down guidelines for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VIII.

The Bank also has a policy in place on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation.

The Bank has adopted ‘Standardized Approach’ for entire credit portfolio for credit risk measurement.

The Bank has embarked upon a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit

रिपोर्टों को तैयार करने के लिए तथा सिस्टम समर्थन प्राप्त करने हेतु बैंक ने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का उपयोग किया है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) और / या जोखिम को कम करने और बचाव व्यवस्था / प्रशमक की सतत प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

ऋण मंजूर करते समय बैंक मुख्यतः उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण को अदा करने की क्षमता पर निर्भर रहता है। चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की ऋणपात्रता के मूल्यांकन के लिए एक विकल्प के रूप में संपार्श्विकों या गारंटियों पर बैंक अत्यधिक निर्भर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ऋण के लिए पात्र के रूप में मूल्यांकित किया गया है, को केवल इस आधार पर ही ऋण अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है कि उनके पास पर्याप्त संपार्श्विक नहीं है।

अपने ऋण जोखिम निवेश का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने ऋण मूल्यांकित और अनुमोदन नीतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाई हैं जिनकी अन्य कामकाजी विभागों से परामर्श करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। ऋण मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्थूलतः ऋण मौलिकीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निपटान में विभाजित किया गया है।

कॉर्पोरेट वित्तीयन और परियोजना वित्तीयन ऋण, विशिष्ट रूप से स्थिर आस्तियों, सामान्यतया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों जैसे विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की गिरवी की प्रतिभूति भी लेता है और जहाँ कहीं संगत हो कॉर्पोरेट गारंटियाँ और वैयक्तिक गारंटियाँ प्राप्त की जाती हैं। कार्यशील पूंजी ऋण चालू आस्तियों, जिनमें स्टॉक और प्राप्य राशियाँ निहित हैं, पर विशिष्ट रूप से प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

संपार्श्विकों पर बैंक के प्रभार की कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

किसी विशिष्ट उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता के अनुमानों के आलोक में और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता को देखते हुए किसी विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में संविभाग विविधिकरण को सुनिश्चित करना और कुल वित्तीयन जोखिम का मूल्यांकन करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों और विशिष्ट रूप से विभिन्न उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के विशिष्ट जोखिमों की निगरानी करता है। औद्योगिक कार्यकलापों को ऋण जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएँ जो उस उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, के अधीन हैं। बैंक के एकल और समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम साथ ही बड़े जोखिम की निगरानी की जाती है और उसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए अनुसार विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के भीतर नियंत्रित किया जाता है।

ऋण व्युत्पत्ति मूल स्तर से होती है जिसकी शाखा तंत्र और अंचल कार्यालय भरपूर मदद करते हैं। प्रगाढ़ मूल्यांकन, समुचित जागरूकता

related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Banks' credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch network and Circle Offices. The

और निर्धारण के आरंभ किये जाने के पहले ही पहचान और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक संविष्ट अंश होती है जो मंजूरी पूर्व अभियान के रूप में उधारकर्ता के अधिदेशात्मक ऋण जोखिम को रेटिंग किये जाने से शुरू होती है। उधारकर्ता के साथ लगा हुआ ऋण जोखिम का माप-तोल, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, क्रिया-कलाप, वर्तमान बाजार व्यवहार, गत व्यवहार, प्रबंधन क्षमतायें, सहयोगी व्यापार निकायों के साथ अनुभव, सुविधाओं का स्वभाव आदि का मूल्यांकन करता है। विभिन्न प्राधिकारियों को उधारकर्ताओं के आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी के आधार पर साख मंजूरी अधिकारों को प्रत्यायोजित किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों में साख अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है। प्रशासनिक इकाइयों (अर्थात् शाखा अधिकार के अलावा) के सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख मंजूरी अधिकारों को वापस लिया गया है तथा समिति दृष्टिकोण को लगाया गया है। बैंक ने चुनिंदा शहरों में ऋण वितरण सरल बनाने के लिए तथा विशेषीकृत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसीकरण केंद्र (सीपीयू), खुदरा आस्ति केंद्र (आरएएच) तथा एसएमई सुलभ सुस्थापित किया गया है।

नियंत्रण कार्य को बढ़ाने के लिए, विशेषीकृत ऋण समीक्षा, समस्या खातों की निगरानी, साख लेखा परीक्षा आदि शुरू करने के लिए, अलग साख प्रशासन व निगरानी विभाग कार्यरत है। इस से ऋणों की मंजूरी उपरांत अनुप्रवर्तन पर अधिक जोर सुनिश्चित किया जा सकता है और ऋण समीक्षा तंत्र संबंधी नीतियों में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

ऋण की प्रभावी समीक्षा के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की है :

- पहचान करने, विश्लेषण करने और समय पर कार्रवाई करने और सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली।
- प्रत्येक मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऋण की समीक्षा उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है।
- एक प्रत्येक सीमा के ऊपर के उधार खातों की मध्यावधि समीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्तरों में विशेष निगरानी खातों के अनुप्रवर्तन। विशेष निगरानी सूची में प्रकट होनेवाले खातों में से ₹1 करोड़ और उससे अधिक ऋणवाले खातों के अनुप्रवर्तन के लिए अंचल / प्रधान कार्यालय में फिसलन प्रबंधन समिति का गठन।

process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i. e. besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Monitoring and Administration Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of special watch accounts at various levels. Formation of Slippage Management Committee at HO / Circles to monitor the accounts with exposure of ₹1 Crore & above, among the list of accounts appearing in SWL

- निगरानी उपाय जैसे ऋण निगरानी फॉर्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक लेखा-परीक्षा, विशेष निगरानी सूची खाते आदि।
- शाखाओं में अनुप्रवर्तन कार्यों के लिए प्रभारी ऋण अनुप्रवर्तन अधिकारी।

कालातीत और अनर्जक ऋण: आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों को अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित करता है, जहां :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और / या मूलधन की किस्त अतिदेय हो।
- अधिविकर्ष / नकद उधार के मामले में खाता “अव्यवस्थित” हो जाता है। बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से लगातार अधिक रहने लगता है तो खाते को “अव्यवस्थित” माना जाता है। परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से कम हो, लेकिन यथा तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं हो या उसी अवधि के दौरान नामे डाले गये ब्याज के लिए राशि पर्याप्त न हो तो इन खातों को “अव्यवस्थित” मानना चाहिए।
- क्रय किए गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जो बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हों।
- कृषि अग्रिमों, ब्याज और / या मूलधन की किस्त के मामले में जो 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) और 1 फसल मौसम (दीर्घावधि फसल के संबंध में) से अतिदेय हो।
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
- किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज जो उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं गया हो।

वर्तमान में बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत साख जोखिम के लिए पूँजी प्रभार का परिकलन करता है। बैंक ने बासेल II के तहत एडवांस्ड दृष्टिकोण में अंतरण के लिए आवश्यक कदम उठाया है तथा साख जोखिम के लिए पूँजी प्रभारों का परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए आशय-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को दर्ज किया है। आगे, बैंक ने एडवांस्ड दृष्टिकोण में अंतरण के लिए आवेदनों को तैयार करने के लिए तथा इसका कार्यान्वयन के लिए एक परामर्शदाता को नियोजित किया है।

- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits, Special Watch List Accounts, etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.

Loans Past due and Impaired: As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains ‘out of order’ in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as ‘out of order’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as ‘out of order’.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

At present Bank is computing capital charge for Credit Risk under Standardized Approach. The Bank has taken steps to migrate to advanced approaches under Basel II and a Letter of Intent for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk was filed with RBI. Further Bank has appointed a Consultant to guide the bank in making applications for moving over to Advanced Approaches and its implementation.

परिमाणात्मक प्रकटन:

(क) कुल सकल ऋण जोखिम

(राशि ₹ करोड़ में)

समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित ऋण जोखिम		गैर – निधि आधारित ऋण जोखिम	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
कुल समग्र ऋण जोखिम (ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक के प्रभावों उदाहरणार्थ संपार्श्विक और समायोजन को ध्यान में रखे बिना प्रयोज्य लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रतिसंतुलन का लेखांकन करने के बाद)	243935.83	233606.79	244969.69	188245.55

Quantitative Disclosures:

(a) Total Gross Credit Exposures

Amount (₹ in crores)

Overall Credit exposure	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Total Gross Credit Exposures (after accounting offsets in accordance with the applicable accounting regime and without taking into account the effects of Credit Risk Mitigation techniques, e.g. collateral and netting)	243935.83	233606.79	244969.69	188245.55

(ख) ऋण जोखिमों का भौगोलिक संवितरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम	निधि आधारित		गैर – निधि आधारित	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
देशी परिचालन	228718.72	222494.35	238054.16	181152.77
विदेशी परिचालन	15217.11	11112.44	6915.53	7092.77

(b) Geographic Distribution of Exposures:

Amount (₹ in crores)

Exposures	FUND BASED		NON-FUND BASED	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Domestic operations	228718.72	222494.35	238054.16	181152.77
Overseas operations	15217.11	11112.44	6915.53	7092.77

(ग) उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का संवितरण (वैश्विक)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित बकाया		एन एफ बी बकाया	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1.1	खनन और उत्खनन	2298	1414	471	325
1.2	खाद्य प्रसंस्करण	5724	4782	350	148
	1.2.1 चीनी	2016	1650	52	24
	1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	206	176	37	34
	1.2.3 चाय	132	190	65	0
	1.2.4 अन्य	3370	2766	196	90
1.3	पेय व तंबाकू	697	562	22	23
1.4	वस्त्र	12396	11155	1492	846
	1.4.1 ऊनी वस्त्र	5203	4482	264	69
	1.4.2 जूट वस्त्र	137	148	10	5
	1.4.3 अन्य वस्त्र	7057	6525	1218	772
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	978	958	69	19
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	388	300	112	91
1.7	कागज़ व कागज़ के उत्पाद	2068	1815	47	90
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	4428	7128	2119	1961
1.9	रसायन और रसायन उत्पाद	4064	2948	530	2008
	1.9.1 उर्वरक	289	196	69	37
	1.9.2 औषध व फार्मास्यूटिकल्स	1661	1442	194	1801
	1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	471	81	28	18
	1.9.4 अन्य	1642	1229	239	152
1.10	रबड़, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	1330	1294	143	111
1.11	शीशा और शीशे का सामान	119	101	3	3
1.12	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	953	939	122	30
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	18388	15598	3731	2644
	1.13.1 लोहा और इस्पात	11975	9517	2816	1641
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	6413	6081	915	1003
1.14	सभी इंजीनियरिंग	6448	7390	5282	5123
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक	1028	685	1005	955
	1.14.2 बिजली	1630	3285	1946	2192
	1.14.3 अन्य	3791	3420	2331	1976
1.15	वाहन, वाहन के पुर्जे और यातायात के उपकरण	3220	2003	567	174
1.16	रत्न और आभूषण	2964	2417	1198	2527
1.17	निर्माण	4563	3884	4117	2138
1.18	आधारभूत संरचना	50462	40757	3982	5021
	1.18.1 ऊर्जा	31270	22788	3469	3937
	1.18.2 दूरसंचार	8004	7297	312	668
	1.18.3 सड़क	6074	5354	157	194
	1.18.4 पत्तन	716	1374	5	80
	1.18.5 अन्य आधारभूत संरचना	4399	3944	39	142
1.19	अन्य उद्योग	21668	38202	717	142
	उद्योग (लघु, मध्यम और बड़ा पैमाने का कुल)	143155	143647	25074	24322

(c) Industry Type Distribution of Exposures (Global)

(₹ in crores)

SL. NO.	INDUSTRY	FUND BASED OUTSTANDING		NFB OUTSTANDING	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1.1	Mining and Quarrying	2298	1414	471	325
1.2	Food Processing	5724	4782	350	148
	1.2.1 Sugar	2016	1650	52	24
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	206	176	37	34
	1.2.3 Tea	132	190	65	0
	1.2.4 Others	3370	2766	196	90
1.3	Beverage & Tobacco	697	562	22	23
1.4	Textiles	12396	11155	1492	846
	2.4.1 Cotton Textiles	5203	4482	264	69
	2.4.2 Jute Textiles	137	148	10	5
	2.4.3 Other Textiles	7057	6525	1218	772
1.5	Leather & Leather Products	978	958	69	19
1.6	Wood and Wood Products	388	300	112	91
1.7	Paper & Paper Products	2068	1815	47	90
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	4428	7128	2119	1961
1.9	Chemicals and Chemical Products	4064	2948	530	2008
	1.9.1 Fertilizer	289	196	69	37
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	1661	1442	194	1801
	1.9.3 Petro Chemicals	471	81	28	18
	1.9.4 Others	1642	1229	239	152
1.10	Rubber, Plastic & their Products	1330	1294	143	111
1.11	Glass and Glassware	119	101	3	3
1.12	Cement and Cement Products	953	939	122	30
1.13	Basic Metal and Metal Products	18388	15598	3731	2644
	1.13.1 Iron and Steel	11975	9517	2816	1641
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	6413	6081	915	1003
1.14	All Engineering	6448	7390	5282	5123
	1.14.1 Electronics	1028	685	1005	955
	1.14.2 Electricity	1630	3285	1946	2192
	1.14.3 Others	3791	3420	2331	1976
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3220	2003	567	174
1.16	Gems & Jewellery	2964	2417	1198	2527
1.17	Construction	4563	3884	4117	2138
1.18	Infrastructure	50462	40757	3982	5021
	1.18.1 Power	31270	22788	3469	3937
	1.18.2 Telecommunications	8004	7297	312	668
	1.18.3 Roads	6074	5354	157	194
	1.18.4 Ports	716	1374	5	80
	1.18.5 Other Infrastructure	4399	3944	39	142
1.19	Other Industries	21668	38202	717	142
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	143155	143647	25074	24322

उद्योगों के ऋण जोखिम जहाँ बकाया जोखिम बैंक के कुल समग्र ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नवत है:

क्रमांक	उद्योग	कुल ऋण जोखिम (₹ करोड़ में)	कुल समग्र ऋण जोखिम का %
1	लोहा व इस्पात	14791	6.06%
2	ऊर्जा	34739	14.24%
3	अन्य उद्योग	22384	9.18%

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

Sl. No.	Industry	Total Exposure (₹. in Crores)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Iron & Steel	14791	6.06%
2	Power	34739	14.24%
3	Other Industries	22384	9.18%

(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विभाजन (वैश्विक)

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्ति
0 से 1 दिन	5408.33 (8634.02)	306.94 (350.60)	842.73 (772.15)
2 से 7 दिन	6689.13 (7488.81)	873.88 (3058.59)	1643.77 (1505.11)
8 से 14 दिन	7203.89 (7209.16)	528.41 (910.01)	1208.98 (542.31)
15 से 28 दिन	9021.95 (7027.99)	2072.29 (1967.46)	2304.91 (876.17)
29 दिन से 3 महीने तक	22667.97 (26996.74)	8987.10 (6485.29)	6722.40 (5994.81)
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	20393.30 (21003.96)	1557.68 (983.46)	5074.75 (4447.25)
6 महीने से अधिक व 1 साल तक	39728.83 (32222.77)	1613.55 (1550.50)	2793.29 (911.19)
1 साल से अधिक व 3 साल तक	65415.73 (57403.00)	7672.61 (3715.24)	1380.99 (1175.59)
3 साल से अधिक व 5 साल तक	23289.20 (24790.81)	18699.15 (12838.05)	1565.29 (1143.07)
5 साल से अधिक	42358.28 (39712.56)	78821.22 (70198.22)	1812.29 (1954.50)
कुल	242176.62 (232489.82)	121132.83 (102057.42)	25349.40 (19322.15)

(प्रत्येक आंकड़े के नीचे कोष्ठक में पिछले साल के आंकड़े दिये हैं)

(d) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets (Global)

(₹. in Crores)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	5408.33 (8634.02)	306.94 (350.60)	842.73 (772.15)
2 to 7 days	6689.13 (7488.81)	873.88 (3058.59)	1643.77 (1505.11)
8 to 14 days	7203.89 (7209.16)	528.41 (910.01)	1208.98 (542.31)
15 to 28 days	9021.95 (7027.99)	2072.29 (1967.46)	2304.91 (876.17)
29 days to 3 months	22667.97 (26996.74)	8987.10 (6485.29)	6722.40 (5994.81)
Over 3 months & upto 6 months	20393.30 (21003.96)	1557.68 (983.46)	5074.75 (4447.25)
Over 6 months & upto 1 year	39728.83 (32222.77)	1613.55 (1550.50)	2793.29 (911.19)
Over 1 year & upto 3 years	65415.73 (57403.00)	7672.61 (3715.24)	1380.99 (1175.59)
Over 3 year & upto 5 years	23289.20 (24790.81)	18699.15 (12838.05)	1565.29 (1143.07)
Over 5 years	42358.28 (39712.56)	78821.22 (70198.22)	1812.29 (1954.50)
Total	242176.62 (232489.82)	121132.83 (102057.42)	25349.40 (19322.15)

(The figures in brackets relate to previous year).

(ड) अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मर्दे	31.03.2013	31.03.2012
क)	सकल एन पी ए	6260.17	4031.75
	अवमानक	4278.71	2444.91
	संदिग्ध 1	782.85	583.34
	संदिग्ध 2	575.20	903.17
	संदिग्ध 3	573.58	52.36
	हानि	49.83	47.97
ख)	निवल एन पी ए	5278.07	3386.31
ग)	एन पी ए अनुपात		
	सकल एन पी ए के प्रति सकल अग्रिम (%)	2.57	1.73
	निवल एन पी ए के प्रति निवल अग्रिम (%)	2.18	1.46
घ)	एन पी ए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	प्रारंभिक शेष	4031.75	3137.36
	संवर्धन	5819.30	4589.84
	कमी	3590.89	3695.45
	इति शेष	6260.16	4031.75
ड)	अनर्जक आस्ति के उतार - चढ़ाव हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	598.56	756.03
	विनिमय अस्थिरता पर समायोजन	8.67	8.28
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1860.99	1294.06
	अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़े खाते / (पुनर्लेखन) में डालना	1535.26	1459.81
	इति शेष	932.96	598.56
च)	अनर्जक निवेश संबंधी राशि	225.76	179.95
छ)	अनर्जक निवेश हेतु धारित प्रावधान संबंधी राशि	201.26	179.95
ज)	निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
	प्रारंभिक शेष	629.90	383.58
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान*	25.77	325.07
	बढ़े खाते में डालना	0.00	0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन*	437.96	78.75
	इति शेष	217.71	629.90

(*) मूल्यहास के लिए प्रावधान - ₹2.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹300.49 करोड़), एनपीआई के लिए प्रावधान - ₹11.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹16.88 करोड़) और मुद्रा अस्थिरता - ₹11.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.70 करोड़)

(**) ₹423.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹44.70 करोड़) के मूल्यहास, ₹14.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹34.05 करोड़) के एनपीआई के लिए अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन।

(e) Non-Performing Assets:

₹. in Crores

Sl. No.	Items	31.03.2013	31.03.2012
a)	Gross NPAs	6260.17	4031.75
	Sub-Standard	4278.71	2444.91
	Doubtful 1	782.85	583.34
	Doubtful 2	575.20	903.17
	Doubtful 3	573.58	52.36
	Loss	49.83	47.97
b)	Net NPAs	5278.07	3386.31
c)	NPA Ratios		
	Gross NPAs to Gross Advances (%)	2.57	1.73
	Net NPAs to Net Advances (%)	2.18	1.46
d)	Movement of NPAs (gross)		
	Opening balance	4031.75	3137.36
	Additions	5819.30	4589.84
	Reductions	3590.89	3695.45
	Closing Balance	6260.16	4031.75
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	Opening Balance	598.56	756.03
	Adjustment towards Exchange Fluctuation	8.67	8.28
	Provisions made during the Year	1860.99	1294.06
	Write-off/(write back) of excess provisions	1535.26	1459.81
	Closing Balance	932.96	598.56
f)	Amount of Non-performing Investments	225.76	179.95
g)	Amount of Provisions held for Non-performing Investments	201.26	179.95
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	Opening Balance	629.90	383.58
	Provisions made during the period*	25.77	325.07
	Write-off	0.00	0.00
	Write Back of excess Provisions**	437.96	78.75
	Closing Balance	217.71	629.90

(*) Provision for Depreciation of ₹2.81 Crore (Previous Year - ₹300.49 Crore), Provision for NPI of ₹11.18 Crore (Previous Year - ₹16.88 Crore), Exchange Fluctuation of ₹11.78 Crore (Previous Year - ₹7.70 Crore)

(**) Write back of excess provision for Depreciation of ₹423.03 Crore (Previous Year - ₹44.70 Crore), Provision for NPI of ₹14.93 Crore (Previous Year - ₹34.05 Crore).

प्रकटन प्रपत्र तालिका 5 – मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों का प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटन:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग के लिए:

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी प्रभागों की परिकलन के लिए ऋण जोखिम का रेटिंग तथा जोखिम भारिता निर्धारण के लिए निम्न साख रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है।

देशी साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- साख विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स (पहले फिच इंडिया)
- एस एम ई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा)

अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- स्टैंडर्ड व पुअर
- मुडीज़
- फिच

एजेंसियों का इस्तेमाल किए गए ऋण जोखिम का प्रकार:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार के ऋण जोखिमों के रेटिंग के लिए अनुमोदित किया गया है।

बैंकिंग बहियों में सार्वजनिक निर्गम संबंधी रेटिंग को तुलनीय आस्ति में अंतरण करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया संबंधी विवरण:

- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रार्थित वैध रेटिंग का उपयोग करता है जिनकी समीक्षा मान्यताप्राप्त तथा बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं के रूप में जाना जानेवाली बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) करती हैं।
- उधारकर्ता की ऋण जोखिम भारिता को पहचानने हेतु बैंक द्वारा, जहाँ कहीं लागू है, सुविधा रेटिंग या बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहाँ जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक बैंक ऋण को विशिष्ट रूप से रेटिंग नहीं किया गया है, तब तक बैंक इस प्रकार के रेटिंग का इस्तेमाल करता है।
- बैंक द्वारा एक ही उधारकर्ता के किसी एक ऋण जोखिम के लिए एक ईसीएआई का और दूसरे ऋण जोखिम के लिए दूसरे ईसीएआई का प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक कि संबंधित ऋण जोखिम का रेटिंग किसी एक चुनिंदा ईसीएआई द्वारा ही किया गया है। आगे, किसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित रेटिंग का, उसी समूह के किसी अन्य संस्था के जोखिम भार के निर्धारण के लिए बैंक प्रयोग नहीं करता है।
- नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं को दीर्घावधी ऋण जोखिम के रूप में माना जाता है और तदनुसार ऐसे ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार का निर्धारण के लिए दीर्घावधी रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।

DF TABLE 5: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

(A) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork),
- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- SME Rating Agency of India Ltd (SMERA).

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH.

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Wherever available, the Bank uses Facility Rating or Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.

- ईसीएआई द्वारा निर्धारित रेटिंग का मापन / लागू करते समय बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शित होता है।
- जहां ऋण जोखिम / उधारकर्ताओं का चुनिंदा ईसीएआई से एक से अधिक रेटिंग प्राप्त हों, वहां बैंक जोखिम भारिता के परिकलन के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है:
 - चुनी हुई ईसीएआई, जो भिन्न जोखिम भारों का मापन करती है, द्वारा दो रेटिंग है तो ऐसी स्थिति में उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - जहाँ चुनी हुई ईसीएआई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है, जो विभिन्न जोखिम भार से जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में 2 निम्नतम रेटिंग की अनुरूपी रेटिंग को लिया जाता है और उन में से उच्चतम जोखिम भार को लागू किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटन:

प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक की बकाया राशि (निर्धारित व अनिर्धारित) – जोखिम प्रशामक (अर्थात् संपार्श्विक) को कम करने के पश्चात् मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत:

- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAs, the Bank is guided by regulatory guidelines/Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

Quantitative Disclosures:

Amount of the Bank's Exposures - Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets - under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि			
		निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1	100% से कम जोखिम भार	121739.85	129132.18	57314.84	74597.80
2	100% जोखिम भार	84082.18	77992.67	51713.19	43818.80
3	100% से ज्यादा जोखिम भार	38113.80	26841.94	18940.82	10436.98
4	कम किया गया (जोखिम प्रशामक)	59319.48	43450.90	3614.32	3284.00
	कुल	184616.34	190155.89	124354.53	125569.58

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Amount			
		FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1	Below 100% Risk Weight	121739.85	129132.18	57314.84	74597.80
2	100% Risk Weight	84082.18	77992.67	51713.19	43818.80
3	More than 100% Risk Weight	38113.80	26841.94	18940.82	10436.98
4	Deducted (Risk Mitigants)	59319.48	43450.90	3614.32	3284.00
	TOTAL	184616.34	190155.89	124354.53	125569.58

प्रकटन प्रपत्र तालिका 6: ऋण जोखिम कम करना – मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया: प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए बैंक को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत

DF TABLE 6: CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosure:

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved

संपाश्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, संपाश्विकों के स्वीकृत प्रकार, उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा निर्धारित करती है। एक सही रूप में लिये गये और प्रबंधन किये गये संपाश्विक और गारंटियां निम्न के लिए सहायक होंगे:

- प्रत्याशित नकद प्रवाह में अपर्याप्तता या किसी अन्यथा ऋण सुविधा की चुकौती के संबंध में उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर चुकौती का दूसरा स्रोत प्रदान करते हुए जोखिम को कम करना।
- चूक होने पर चुकौती के स्रोत पर नियंत्रण पाना।
- उधारकर्ता की गिरती चुकौती क्षमता पर शीघ्र चेतावनी देना और
- जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाना और पर्याप्त रूप से अवशिष्ट जोखिमों का निवारण करना।

बैंक की संपाश्विक प्रबंधन प्रक्रिया और आचरण में, सुरक्षा और संपाश्विक मूल्य की सुरक्षा व संरक्षण, संपाश्विक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन / नियमित निरीक्षण सहित संपूर्ण क्रियाविधि प्रावर्तित हैं।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों को प्रतिभूत करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियां बैंक द्वारा सूचीबद्ध की गई बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता आदि बैंक की नीति संबंधी दिशानिर्देश में उल्लिखित की गयी है। बैंक नियमित अंतरालों में मूल्यांकन के दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

बैंक द्वारा लिये गये संपाश्विकों के प्रमुख प्रकार संबंधी विवरण: जोखिम को कम करने हेतु बैंक द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त प्रमुख संपाश्विक प्रकारों में वस्तु सूची, बही ऋण, संयंत्र और मशीनरी, भूमि और मकान, स्वर्ण आभूषण, वित्तीय संपाश्विक (अर्थात् बैंक जमाएं, डाक विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियां, बैंक द्वारा अनुमोदित लिमिटेड कंपनियों के इक्विटी शेयर, जीवन बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि), विभिन्न प्रकार की चल व अचल आस्तियां / परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

गारंटीकर्ता प्रतिपक्ष और उनकी ऋण – पात्रता के प्रमुख प्रकार: बैंक स्वायत्त संस्थाओं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक व यूरोपीय समिति, बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई सहित स्वायत्त कंपनियों) की गारंटियां प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, ऋण जोखिम को कम करने की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक वैयक्तिक या कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करता है जिसको गारंटीकर्ता के ऊपर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यह शर्त रहित तथा अविकल्पी है। गारंटीकर्ता की साख सामान्यतः उधारकर्ता की

collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Inventories of stocks in trade, Book debts, Plant & Machineries, Land & Building, Gold Jewellery, Financial Collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies approved by the Bank, Life Insurance Policies, Units of Mutual Funds etc.), different categories of moveable & immoveable assets / properties etc.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains / accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by

आर्थिक स्थिति से संबद्ध या प्रभावित नहीं होता है। राज्य / केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी गारंटी को भी बैंक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक प्रावरित सुविधा की पूरी तरह से चुकौती या निपटान या जारी नहीं हो जाता है।

नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम प्रशमन (बासेल II मानक): नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बासेल-II मानक) के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने नकद, बैंक की निजी जमाएं, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को ऋण जोखिम प्रशमन के रूप में मान्यता दी है।

प्रशमन हेतु उठाये गये उपायों के अंतर्गत जोखिम केंद्रीकरण संबंधी सूचना: ऋण जोखिम के प्रबंधन और संपार्श्विक के जोखिम केंद्रीकरण सहित संपार्श्विक प्रबंधन के प्रभावी मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने हेतु बैंक द्वारा एक डाटा वेयर हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

परिमाणात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि	
		31.03.2013	31.03.2012
1	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक के द्वारा प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	34284.19	24297.54
2	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये गारंटियों / ऋण व्युत्पन्नियों से (जहाँ भा.रि.बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत) प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	28649.62	22437.37

प्रकटन प्रपत्र तालिका 7: प्रतिभूतिकरण – मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

वित्त वर्ष 2012-2013 के दौरान बैंक ने किसी प्रकार की ऋण जोखिम का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crores)

SL. NO.	PARTICULARS	AMOUNT	
		31.03.2013	31.03.2012
1	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	34284.19	24297.54
2	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) For each separately disclosed portfolio	28649.62	22437.37

DF TABLE 7: SECURITIZATION – STANDARDIZED APPROACH

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitized any exposure during the financial year 2012-2013.

परिमाणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही

क्रमांक	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	शून्य		

व्यापार बही

क्रमांक	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	शून्य		

वर्ष 2004-05 के दौरान बैंक ने ₹14.31 करोड़ के 6 एन पी ए खातों को अस्ति पुनर्निर्माण कंपनी इंडिया लिमिटेड (ए आर सी आई एल) को बेच दिया और ₹14.31 करोड़ हेतु एस आर प्राप्त किया। यथा 31.03.2013 को बैंक द्वारा 4 खातों में ₹5.76 करोड़ बही-मूल्य की प्रतिभूति आय का धारण करता है, जिसके लिये पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

प्रकटन प्रपत्र तालिका 8 – व्यापारिक बही खाते में बाजार जोखिम – मानकीकृत आशोधित आवधिक दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ: बाजार जोखिम प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य बैंक की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाते हुए तथा सभी प्रकार की बाजार जोखिम घटनाओं में कमी करते हुए बैंक के शोयराधारक के मूल्य में संवृद्धि दर्ज करना है।

- जहाँ एक ओर व्यापक नेतृत्व एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं हमारी कारोबारी इकाइयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे जोखिम उठाने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ तय कर सकें।
- समस्त मुद्दों अथवा पहले से तयशुदा गंभीर किस्म के मामलों को (तथ्यात्मक, आवधिकता, प्रकृति) जोखिम प्रबंधन अनुभाग भेज दिया जाता है, वहाँ इन मामलों को समुचित रूप से निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्संबंधी कार्यवाई तय की जाती है। कारोबारी इकाइयों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि

- बाजार जोखिम गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबंधन की कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करना।
- बाजार जोखिम से संबद्ध सभी संबंधित विधायी प्रावधानों एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- बाजार जोखिम को पहचानने, मापने, उसका प्रबंधन करने, उसकी देखरेख करने, नियंत्रण तथा समीक्षा करने संबंधी नीतियों एवं कार्यविधियों में गुणवत्ता का निरंतर रूप से नियमित विकास करना।

Quantitative Disclosures:

BANKING BOOK

Sl. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
		NIL	

TRADING BOOK

Sl. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
		NIL	

During the year 2004-05, the Bank had sold 6 NPA accounts amounting to ₹.14.31 crore to Asset Reconstruction Company India Limited (ARCIL) and had received Security Receipts for ₹.14.31 crore. As on 31.03.2013 the Bank holds Security Receipts in respect of 4 accounts having a Book Value of ₹ 5.76 crore which is fully provided for.

DF TABLE 8: MARKET RISK IN TRADING BOOK- STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH

Qualitative Disclosures:

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk.
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.

- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम कारकों के लिए ऋण सीमा का ढाँचा और संबंधित सचेतक स्थापित करना।
- मजबूत रिपोर्टिंग ढाँचा स्थापित करते हुए प्रभावी संवीक्षा तंत्र तैयार करना।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र और नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाना।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन: बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र का ढाँचा इस प्रकार है:-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ)
- बाजार जोखिम प्रबंधन समिति
- महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी) – प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का.
 - एकीकृत अंतर्मध्य कार्यालय
 - आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / अथवा इनकी मापन पद्धति की संभावनाएँ एवं प्रकृति:

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न ऋण सीमाओं का निर्धारण किया है, जैसे एक दिवसीय सीमा, अंतरदिवसीय सीमा, समग्र अंतर सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूँजी बाजार ऋण सीमा, उत्पादवार ऋण सीमा, जारीकर्तावार ऋण सीमा इत्यादि।
- बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमाओं की संवीक्षा करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग पद्धति सुस्थापित की गई है।
- जोखिम प्रबंधन अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बाजार के लिए अंकित किये जाने वाली दरों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाता है।
- बैंक की रणनीतियों के अनुसार कार्यनिष्पादन तथा जोखिम की जाँच करने, कारोबारी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग किया जाता है।
- यह रिपोर्टिंग पद्धति समय सीमा, स्वचालन के समय समुचित विशुद्धता, संविभागों में जोखिम की संभावनाओं को उजागर करना सुनिश्चित करती है और इसमें तत्संबंधी लिखित विवरण भी होते हैं।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाती है।
- डीलिंग रूम की गतिविधियाँ केन्द्रीकृत की गई हैं तथा विभिन्न जोखिम सीमाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है।

- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors.
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee
- General Manager-R M Wing (Chief Risk officer)-Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing HO
 - Integrated Mid Office
 - Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.

- रिपोर्टिंग प्रारूपों एवं इसकी आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय जोखिम संवीक्षा, उसके मापन एवं जोखिम को हल्का करने के लिए पर्याप्त है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) तथा / अथवा तत्संबंधी जोखिम कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्थापकों / प्रशामकों को प्रभावी बनाए रखने संबंधी संवीक्षा की रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों को, जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन नीति (देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, काउंटर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति सहित), निवेश नीति, विदेशी मुद्रा लेन-देन व व्यापार परिचालन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम निर्धारण, इनकी पहचान तथा उपाय व रोकथाम, जोखिम ऋण सीमाएँ एवं कारकों, जोखिम संवीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिए एक आधारभूत ढाँचा तैयार करती है।

बैंक ने विभिन्न मापदण्डों जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन इत्यादि के आधार पर देशीय जोखिम रेटिंग के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है जिससे विभिन्न देशों को ऋण सीमा का आबंटन करते समय उनकी जोखिम श्रेणी का ध्यान रखा जा सकता है।

काउंटरपार्टी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बैंक ने विदेशी बैंकों की श्रेणी तय करने के लिए एक अंक तालिका मॉडल विकसित किया है। काउंटरपार्टियों द्वारा अंकतालिका मॉडल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हासिल किए गए अंकों के मद्देनजर विभिन्न ऋण सीमा तय की जाती है।

तरलता जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आकस्मिक निधि योजना बनाते हुए संक्रमण काल में तरलता की स्थिति को सामान्य ही रखा जा सके। प्रत्येक समय सीमा के तहत बढ़ा के स्तरों को भी शामिल किया गया है तथा इसके टूटते ही यह आने वाले तरलता-संकट का संदेश देने लगता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की रशि	
		31.03.2013	31.03.2012
(क)	ब्याज दर जोखिम	1462.58	778.33
(ख)	ईक्विटी स्थिति संबंधी जोखिम	436.15	368.86
(ग)	विदेशी विनिमय जोखिम	38.61	6.75

प्रकटन प्रपत्र तालिका 9: परिचालनात्मक जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ: बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और सुदृढ़ परिचालनात्मक कार्यविधियाँ हैं जिनमें कॉर्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण,

- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management) Investment Policy, Forex Dealing and Trading Operations Policy, Liquidity Risk Management Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc. for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of Foreign banks under Counterparty Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity Risk Management Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

Quantitative disclosures:

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Amount of capital requirement	
		31.03.2013	31.03.2012
(a)	Interest Rate Risk	1462.58	778.33
(b)	Equity Position Risk	436.15	368.86
(c)	Foreign Exchange Risk	38.61	6.75

DF TABLE 9: OPERATIONAL RISK

QUALITATIVE DISCLOSURES:

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures,

सक्षमातायें, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिकता आयोजना शामिल हैं। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये नीतियाँ निर्धारित हैं।

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठनात्मक ढाँचा: बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नवत् है।

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय के महा प्रबंधक (मुख्य जोखिम अधिकारी)
- प्रधान कार्यालय के कार्यात्मक विभागों में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) विशेषज्ञ
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ओआरएमडी), प्रधान कार्यालय
- जोखिम अधिकारी – अंचलों / एकीकृत कोष व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन विभाग में नामित कार्यपालक
- अंचलों / विदेशी शाखाओं में जोखिम प्रबंधन अनुभाग
- शाखाओं / कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अधिकारी (आरएमओ)

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन पद्धतियों का दायरा और प्रकृति: जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं / कार्यालयों में व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम हानि संभावनायें / घटनायें और बाहरी घटनायें शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़े का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त 7 हानि घटना प्रकारों और 8 कारोबार प्रकारों वाले जोखिम मैट्रिक्स की तैयार करने के लिये किया जाता है।

बचाव व्यवस्था और / या जोखिम को कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्था / प्रशमक के निरंतर रूप से प्रभावी होने पर निगरानी की रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ: बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित निम्नांकित नीतियाँ निर्धारित की हैं। नीति ढाँचे में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुएँ जैसे पहचान, प्रबंधन, विधि जोखिम, कारोबार निरंतरता आदि क्षेत्रों में परिचालनात्मक जोखिम की निगरानी व प्रशमन आदि शामिल हैं।

आउटसोर्सिंग क्रियाकलापों में शामिल जोखिमों के लिए बैंक में आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित है।

परिचालनात्मक जोखिम पूँजी मूल्यांकन: परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक ने मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालनात्मक जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी ₹1406.52 करोड़ है।

involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- GM of Risk Management Wing, HO (Chief Risk Officer)
- ORM Specialists in functional Wings, HO
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Risk Officers – The nominated Executive at Circles/ Integrated Treasury Wing
- Risk Management Sections at Circles/Overseas Branches.
- Risk Management Officers (R.M.O) at Branches/ Offices.

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of 7 loss event types and 8 business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Bank has put in place policies for management of Operational Risk Management. The policy framework contain various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas such as legal risk, Business Continuity.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹1406.52 Crores.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बैंक की वित्तीय स्थिति को बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित करती है। विभिन्न परिपक्वता / पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाज़ार व बेंचमार्क दरों जैसे तुलन पत्र के आंतरिक व बाह्य मदों में बैंक द्वारा दरों का धारण होने के कारण विभिन्न मानदंडों में आनेवाली विपरीत परिवर्तन ब्याज दर जोखिम तक पहुँचाते हैं। ब्याज दरों के विपरीत उतार-चढ़ावों के कारण बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम बैंक के अर्जन (अल्पावधि प्रभाव) तथा निवल मूल्य (दीर्घावधि प्रभाव) के प्रभावों का अनावरण करता है।

संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक मंडल / जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम सहिष्णुता के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति का विकास व कार्यान्वयन, सीमाओं, व्यापार रेखाओं तथा कानूनी निकायों के पार विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करना बैंक के आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कर्तव्य है। एएलसीओ बैंक के ब्याज दर दृष्टिकोण को सुस्पष्ट करती है तथा भावी व्यापार रणनीतियों के निर्णय के लिए नींव डालती है। निधीयन नीति के अनुसार आस्तियों के सृजन के लिए स्रोत पर विचार करके देनदारियों का मिश्रण करना इसका दायित्व है। एएलसीओ निदेशक मंडल द्वारा ब्याज दर जोखिम के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करती है तथा सीमाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन के संदर्भ में सुधारात्मक कदम उठाते हैं।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

बैंक अपनी संपत्तियों तथा देनदारियों के मूल्य को उचित परिपक्वता के साथ मिलान करने का प्रयास करता है ताकि परिपक्व हो रहे या पुनर्मूल्यंकित विभिन्न समय श्रेणी के अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन तथा प्रबंधन के लिए अपने वैश्विक आस्तियों, देयताओं तथा बाह्य तुलन पत्र मदों पर, जो दर संवेदनशील हैं, दोनों परंपरागत अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) को अपना रहे हैं।

बैंक अपना ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन, टीजीए तथा डीजीए लागू करके प्रत्येक मुद्रा से उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्तियों / देयताओं / बाह्य तुलन पत्र मदों, जहाँ आस्तियाँ या देयताएं बैंक के वैश्विक आस्ति व वैश्विक देयता से 5 प्रतिशत या ज्यादा हैं, से करते हैं। सभी अन्य अवशिष्ट मुद्राओं के ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन समग्र आधार पर अलग से किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम, पुनर्मूल्यन, उपज परिवर्तन वक्र, आधार जोखिम तथा विकल्प जोखिम से, उत्पन्न होता है। आय परिप्रेक्ष्य व आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में परिपक्वता व पुनर्मूल्यन बेमेलों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को निम्न तंत्रों के द्वारा कब्जा करना बैंक का उद्देश्य है।

DF TABLE 10: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes the bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and networth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates.

Organizational Structure

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the risk tolerance established by the Board of Directors/ Risk Management Committee. The ALCO also articulates the interest rate view of the bank and base its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, its responsibility is to decide on source and mix of liabilities for creation of assets. ALCO monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.

Strategies and Processes

The bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, the bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The bank computes its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches and is measured both from the earnings and economic value perspective using techniques viz.,

अंतर विश्लेषण: ब्याज दर जोखिम को मापने की बुनियादी उपकरण है दर संवेदनशील आस्तियों तथा दर संवेदनशील देयताओं और तुलन पत्र के बाह्य मदों के विभिन्न मदों को अवशिष्ट परिपक्वता या अग्र-पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, तथा निवल अंतर (अर्थात् आरएसए-आरएसएल) पर पहुँचने के बाद विभिन्न समय श्रेणी में समूहन करके ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार करते हैं। एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर से तात्पर्य बाज़ार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल ब्याज आय (एनआईआई) में होनेवाले वृद्धि से है। विपरीततः एक नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर, बाज़ार ब्याज दरों में वृद्धि से बैंक के एनआईआई में होनेवाली गिरावट को सूचित करती है।

जोखिम में अर्जन (ईएआर): जोखिम में अर्जन, एक सकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दर में वृद्धि से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दरों में गिरावट से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नहीं का, संकेतक है। ब्याज दरों में समानांतर बदलाव के कारण अर्जन पर जोखिमों का पुनर्मूल्यन का प्रभाव भिन्न दर आघातों के लिए निर्धारित की है। अर्जन पर प्रभाव को आय वक्र और आधार जोखिम के लिए भी अनुमानित किया जाता है।

ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक के ईक्विटी के बाज़ार मूल्य या निवल मूल्य को लंबी अवधि के लिए प्रभावित करने से बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बैंक के आस्तियों के मूल्य, देयताएं तथा तुलन पत्र के बाह्य स्थितियाँ प्रभावित होती हैं। निर्धारित दर आघात के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में अनुमानित पतन पूरे बैंक के ब्याज दर स्थिति के मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) द्वारा अनुमानित किया गया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

जोखिम पर आय-अर्जन

निम्न सारणी यथा 31.03.2013 को बैंक के निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं की समानांतर बदलाव से, विभिन्न मुद्राओं में एक साल तक हुए प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

(₹ करोड़ में)

मुद्राएं	1 वर्ष तक ब्याज दरों में परिवर्तन	
	- 100 आधार बिंदुएं	+ 100 आधार बिंदुएं
आई एन आर	(499.29)	499.29
यू एस डालर	(32.51)	32.51
अन्य	(11.06)	11.06
कुल	(542.86)	542.86

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य

निम्न सारणी यथा 31.03.2013 को 200 आधार बिंदुओं के आनुमानिक दर के आघातों के संबंध में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 आधार बिंदुएं	+200 आधार बिंदुएं
	5.52%	(5.52%)

Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL). A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates could cause an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

Earnings at Risk (EaR): Earning at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by rise in interest rate by having positive gap or benefit by fall in interest rate by having negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve and basis risk.

Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of change in interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole bank.

Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2013.

(₹. in crore)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	-100 bps	+100 bps
INR	(499.29)	499.29
USD	(32.51)	32.51
Others	(11.06)	11.06
Total	(542.86)	542.86

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2013.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	5.52%	(5.52%)

यया 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2013	31.03.2012
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	2872.10	3282.71
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAX	800.00	800.00
मूल्यहास / DEPRECIATION	189.69	156.89
निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि / LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	15.06	22.15
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR NPAs	2222.45	1531.06
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR STANDARD ASSETS	255.61	171.06
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज / INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	730.56	737.64
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	130.07	12.50
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	0.92	-1.00
अनुषंगियों, संयुक्त अद्यमों आदि में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC.	-56.57	-111.68
निवेश मूल्यहास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION/ (APPRECIATION)	-390.22	145.83
उप कुल / SUB TOTAL	3897.56	3464.45
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN INVESTMENTS	-18608.57	-18631.18
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN ADVANCES	-11887.62	-22691.86
उधारों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN BORROWINGS	5097.98	1513.75
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN DEPOSITS	28802.26	33617.09
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (INCREASE) / DECREASE IN OTHER ASSETS	-1779.72	312.02
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	1248.66	-299.19
	2872.99	-6179.38
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / LESS: ADVANCE TAX PAID	-1100.00	-1400.00
परिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क) / CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	8542.65	-832.22
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और / या संयुक्त अद्यमों में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	56.57	111.68
अनुषंगियों, संयुक्त अद्यमों आदि में निवेश / INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC.	-91.67	-51.00
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निधियों का निवल आगमन / बहिर्गमन / NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	-227.69	-202.24
निवेशक गतिविधियों से सर्जित नकद (ख) / CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-262.79	-141.56
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी / DIVIDEND AND DDT PAID	-674.00	-567.30
पूर्व प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि / INCREASE IN PAID UP SHARE CAPITAL	0.00	0.00
नये इश्यू से प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम / SECURITIES PREMIUM RECEIVED ON NEW ISSUE	0.00	0.00
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज भुगतान / PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	-730.57	-737.64
अपर टायर II बांडों को जारी करने से धनागम / PROCEEDS FROM ISSUE OF UPPER TIER II BONDS	0.00	0.00

सतत बांडों से प्राप्त धनागम / PROCEEDS FROM ISSUE OF PERPETUAL BONDS	0.00	0.00
अधीनस्थ ऋण समाहित बांडों के मोचन पर भुगतान / PAYMENT ON REDEMPTION OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	-340.00	-250.00
वित्तीय गतिविधियों से सर्जित नकद (ग) / CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-1744.57	-1554.94
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि / कमी / NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	6535.29	-2528.71
अथ नकद व नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	28179.41	30708.12
इति नकद व नकद समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	34714.70	28179.41

नोट / Notes:

नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2013	31.03.2012
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	15405.93	17795.14
अल्प नोटिस व माँग पर व बैंकों के साथ शेष / BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	19308.77	10384.27
कुल / TOTAL	34714.70	28179.41

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

रजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

जी वी सांबशिव राव
निदेशक

खालिद लुक्मान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते एस पी चोपड़ा एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते लून्कर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते पी चोपड़ा एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
डी एन भार्गव साझेदार	ए गोपालकृष्णन साझेदार	संजीव गुप्ता साझेदार	एस सी लून्कर साझेदार	प्रदीप कुमार चोपड़ा साझेदार	श्यामल कुमार नायक साझेदार

बेंगलूर
02 मई, 2013

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

K MANICKAM
GENERAL MANAGER

V S KRISHNAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK KUMAR GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R K DUBEY
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

SUDHA KRISHNAN
DIRECTOR

MEENA HEMCHANDRA
DIRECTOR

G V SAMBASIVA RAO
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

KHALID LUQMAN BILGRAMI
DIRECTOR

SUTANU SINHA
DIRECTOR

SUNIL GUPTA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For
K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For
S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

D N BHARGAVA
Partner

A GOPALAKRISHNAN
Partner

SANJIV GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

PRADEEP KUMAR CHOPRA
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

BANGALORE
MAY 02, 2013



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2012-2013

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (समूह) के यथा 31 मार्च, 2013 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ जोड़े गए उस तारीख को समाप्त वर्ष की समेकित लाभ व हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण का और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का परीक्षण किया है, जिसमें शामिल है :
 - हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई केनरा बैंक की लेखा परीक्षित लेखा
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई सात (7) अनुषंगियों, तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम की लेखा परीक्षित लेखा
- हमने सात (7) अनुषंगियों, तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2013 को ₹25664.20 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹1964.28 करोड़ के कुल राजस्वों और तब समाप्त वर्ष के लिए ₹251.50 करोड़ के निवल नकद प्रवाह प्रतिबिंबित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई अन्य वित्त सूचनाओं की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य निकायों के मामले में शामिल की गई राशियों से जहाँ तक संबंध है, हमारा विचार है कि वे अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर नितान्त निर्भर हैं।
- हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (ले मा) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक (ले मा) 23, "समेकित वित्तीय विवरण में सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों का लेखा" और लेखा मानक (ले मा) 27, "संयुक्त उद्यमों में हितों का वित्तीय रिपोर्टिंग" की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Canara Bank

Report on the Financial Statements:

- We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (collectively known as 'the Group') as at 31st March, 2013, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in the financial statements are:
 - Audited Accounts of Canara Bank (herein after referred to 'Bank') audited by us.
 - Audited Accounts of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture audited by other auditors.
- We did not audit the financial statements of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture of the Bank and other financial information which reflects total assets of ₹25664.20 Crore as at 31st March, 2013, total revenues of ₹1964.28 Crore and net cash flows of ₹.251.50 Crore for the year then ended as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.
- We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirement of the Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व:

- ये समेकित वित्तीय विवरण समूह के प्रबंधन का दायित्व है और उन्हें अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।
- लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार:

- हमें दिए गए जानकारियों और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा प्रत्येक वित्तीय विवरणों तथा अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व अन्य संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण, जो उक्त पैरा 2 में उल्लिखित हैं, पर विचार के पश्चात हमारा विचार है कि:

Management's Responsibility for the Financial Statements:

- These Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility:

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

- Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and other financial information of the Subsidiaries, Associates and Joint Venture as referred in para (2) above, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that:

- (i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2013 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
- (ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार समूह के लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और
- (iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
10. समूह के समेकित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं - यह हमारा विचार है।

- i) the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group as at 31st March, 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii) the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit of the Group, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year ended on that date; and
- iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
10. In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 006154एन

इंदरजीत सोनी
साझेदार
स सं. 088694

कृते एस पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 000346एन

पवन के गुप्ता
साझेदार
स सं. 092529

कृते पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 004957एन

राकेश जैन
साझेदार
स सं. 087925

कृते वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 004610एस

वी देवराजन
साझेदार
स सं. 018786

कृते लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 000172डब्ल्यू

एस सी लूकर
साझेदार
स सं. 010135

कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ पं सं. 306109ई

स्वर्णेंद्र चौधरी
साझेदार
स सं. 055439

For H K Chaudhry & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 006154N

Inderjit Soni
Partner
Membership No. 088694

For S P Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

Pawan K Gupta
Partner
Membership No. 092529

For P Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004957N

Rakesh Jain
Partner
Membership No. 087925

For K Venkatachalam Aiyer & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004610S

V Devarajan
Partner
Membership No. 018786

For Loonker & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000172W

S C Loonker
Partner
Membership No. 010135

For A R Das & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 306109E

Swarnendu Chaudhury
Partner
Membership No. 055439

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2013

Place: New Delhi
Date: 29th May, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / CAPITAL	1	443 00 00	443 00 00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	24733 42 66	22600 39 72
अल्पसंख्यक हित / MINORITY INTEREST	2A	232 15 88	161 48 25
जमा / DEPOSITS	3	355684 63 67	326894 04 23
उधार / BORROWINGS	4	20355 08 86	15614 42 29
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	17875 96 21	13369 96 35
जोड़ / TOTAL		419324 27 28	379083 30 84
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	15414 98 97	17813 01 73
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	19364 22 17	10433 72 01
निवेश / INVESTMENTS	8	127533 53 18	106496 61 73
अग्रिम / ADVANCES	9	242435 75 97	232728 74 12
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	2883 99 72	2887 97 04
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	11691 77 27	8723 24 21
जोड़ / TOTAL		419324 27 28	379083 30 84
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	250012 32 29	193129 93 57
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		13997 78 94	12496 51 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

जी वी सांबाशिव राव
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

पी वी मय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
एस पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

इंदरजीत सोनी
साझेदार

वी देवराजन
साझेदार

पवन के गुप्ता
साझेदार

एस सी लूकर
साझेदार

राकेश जैन
साझेदार

स्वर्णेंद्र चौधरी
साझेदार

नई दिल्ली
29 मई, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2012 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	34069 87 17	30815 63 88
अन्य आय / OTHER INCOME	14	3307 64 82	3104 51 10
जोड़ / TOTAL		37377 51 99	33920 14 98
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	26197 74 56	23159 47 13
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	5180 35 24	4818 87 66
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		3047 59 43	2694 53 24
जोड़ / TOTAL		34425 69 23	30672 88 03
सहबद्धों में अर्जन की हिस्सेदारी / SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	42 93 97	58 85 20
अल्पसंख्यक हित हटाने से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		2994 76 73	3306 12 15
घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानी) / LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		25 06 07	(35 57 44)
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		2969 70 66	3341 69 59
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		723 33 10	827 45 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		43 39 70	5 83 78
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		205 00 00	--
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		700 00 00	700 00 00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		576 00 00	487 30 00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		99 82 03	81 34 34
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियों में अग्रेषित शेष / BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		622 15 83	1239 76 47
जोड़ / TOTAL		2969 70 66	3341 69 59
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (SHARE BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		67.04	75.43

V SUKUMAR
Divisional Manager

N SIVASANKARAN
Deputy General Manager

K MANICKAM
General Manager

V S KRISHNAKUMAR
Executive Director

ASHOK KUMAR GUPTA
Executive Director

R K DUBEY
Chairman & Managing Director

SUDHA KRISHNAN
Director

MEENA HEMCHANDRA
Director

G V SAMBASIVA RAO
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

SUTANU SINHA
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

INDERJIT SONI
Partner

V DEVARAJAN
Partner

PAWAN K GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

RAKESH JAIN
Partner

SWARNENDU CHAUDHURY
Partner

New Delhi
MAY 29, 2013

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹ 10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर i) 30,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each held by Central Government	300 00 00	300 00 00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 14,30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others	143 00 00	143 00 00
	443 00 00	443 00 00
अनुसूची 2 आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves	6699 86 88	5971 46 00
II. आरक्षित पूँजी / Capital Reserves	1269 83 25	1226 39 01
III. समेकन पर आरक्षित पूँजी / Capital Reserves on Consolidation	1 76 04	1 76 04
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	2362 33 51	2362 33 51
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	100 19 39	79 41 99
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	2033 24 03	2065 13 95
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	208 22 67	1 20 47
VIII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधियाँ /Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	3500 00 00	2800 00 00
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधियाँ / Revenue and Other Reserves	8557 96 89	8092 68 75
जोड़ / TOTAL	24733 42 66	22600 39 72
अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल – अनुषंगी संबंध आनेवाले दिन का अल्पसंख्यक हित / Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. उत्तरवर्ती वृद्धि/(कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	122 00 76	51 33 13
जोड़ / TOTAL	232 15 88	161 48 25

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	235 93 87	146 41 65
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	14485 85 54	14512 41 21
जोड़ / Total	14721 79 41	14658 82 86
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	71168 18 72	64792 21 94
जोड़ / Total	71168 18 72	64792 21 94
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	12104 88 42	9763 93 30
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	257689 77 12	237679 06 13
जोड़ / Total	269794 65 54	247442 99 43
जोड़ / Total (I, II and III)	355684 63 67	326894 04 23
B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	341931 80 83	315927 66 63
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	13752 82 84	10966 37 60
जोड़ / Total	355684 63 67	326894 04 23
अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	127 18 75
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	3526 13 29	820 76 25
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	7353 55 00	7693 55 00
जोड़ / Total	10879 68 29	8641 50 00
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	8118 24 75	5699 35 35
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1357 15 82	1273 56 94
जोड़ / Total	9475 40 57	6972 92 29
जोड़ / Total	20355 08 86	15614 42 29

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1057 27 60	1105 27 77
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	42 85 26	55 42 41
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1153 11 02	764 86 79
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	310 35 76	251 08 11
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	15312 36 57	11193 31 27
जोड़ / TOTAL	17875 96 21	13369 96 35
अनुसूची 6-भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1137 85 13	1021 09 07
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	14277 13 84	16791 92 66
जोड़ / TOTAL	14277 13 84	16791 92 66
जोड़ / TOTAL	15414 98 97	17813 01 73
अनुसूची 7- बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन / SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	1573 70 21	1222 44 47
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	85 56 28	3 78 32
जोड़ / TOTAL	1659 26 49	1226 22 79
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	860 00 00	--
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	4307 62 91	550 00 00
जोड़ / TOTAL	5167 62 91	550 00 00
जोड़ / TOTAL	6826 89 40	1776 22 79
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	4493 12 62	2855 58 35
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	7247 16 96	5797 48 27
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	797 03 19	4 42 60
जोड़ / TOTAL	12537 32 77	8657 49 22
जोड़ / TOTAL	19364 22 17	10433 72 01

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	126985 85 35	106373 16 26
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	136 08 22	484 43 11
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	126849 77 13	105888 73 15
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / i. GOVERNMENT SECURITIES	103055 41 65	89306 81 65
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / ii. OTHER APPROVED SECURITIES	150 01 06	91 33 81
iii. शेयर / iii. SHARES	4888 22 05	1173 05 86
iv. डिबेंचर और बाण्ड / iv. DEBENTURES AND BONDS	4602 47 26	2817 45 21
v. सहबद्ध संस्थाओं में निवेश / v. INVESTMENTS IN ASSOCIATES	472 87 51	615 50 62
vi. अन्य (एम एफ, वी सी एफ, सी डी, सी पी आदि) / vi. OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	13680 77 60	11884 56 00
जोड़ / Total	126849 77 13	105888 73 15
II. भारत के बाहर निवेश- सकल / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	779 54 74	756 60 70
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	95 78 69	148 72 12
भारत के बाहर निवल निवेश / NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	683 76 05	607 88 58
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	53 47 07	45 45 17
ii. अन्य (बांड आदि) / OTHERS (BONDS ETC.)	630 28 98	562 43 41
जोड़ / Total	683 76 05	607 88 58
जोड़ / Total	127533 53 18	106496 61 73

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	7706 80 04	7992 51 15
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	105055 02 60	107100 07 03
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	129673 93 33	117636 15 94
जोड़ / Total	242435 75 97	232728 74 12
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	191244 76 73	168733 73 30
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	8793 07 00	6756 43 79
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	42397 92 24	57238 57 03
जोड़ / Total	242435 75 97	232728 74 12
C. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	82048 77 57	69270 88 78
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	29096 02 86	34567 59 11
iii. बैंक / iii. BANKS	14 75 78	43 08 27
iv. अन्य / iv. OTHERS	116209 67 79	117821 66 40
जोड़ / Total	227369 24 00	221703 22 56
II. भारत से बाहर / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / i. Due from Banks	10 85 70	20 35 00
ii. अन्यो से देय / ii. Due from Others		
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल/ a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	271 40 13	239 20 71
ख. मीयादी और समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	5087 97 80	4339 39 88
ग. अन्य / c. OTHERS	9696 28 34	6426 55 97
जोड़ / Total	15066 51 97	11025 51 56
जोड़ / Total	242435 75 97	232728 74 12

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)		यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)	
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / I. PREMISES				
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2910 03 95		2890 41 19	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	20 09 38		19 64 04	
	2930 13 33		2910 05 23	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	4 42 46		1 28	
	2925 70 87		2910 03 95	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	485 45 21	2440 25 66	445 97 40	2464 06 55
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	2001 08 55		1841 13 40	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	220 80 30		195 18 65	
	2221 88 85		2036 32 05	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	94 25 90		35 23 50	
	2127 62 95		2001 08 55	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1687 27 58	440 35 37	1582 37 11	418 71 44
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	97 87 17		97 87 17	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	--		--	
	97 87 17		97 87 17	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	46 97		--	
	97 40 20		97 87 17	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	89 50 13		88 78 12	
	7 90 07		9 09 05	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा / LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	5 71 07	2 19 00	6 90 05	2 19 00
IV. प्रगतिरत पूँजीगत कार्य / CAPITAL WORK IN PROGRESS		1 19 69		3 00 05
जोड़ / TOTAL		2883 99 72		2887 97 04

यथा 31 मार्च, 2013 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को As at 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को As at 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED	3370 90 23	2932 14 11
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	2430 83 30	1763 87 78
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	6 93 11	8 37 56
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ / IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33 09	33 09
V. अन्य / V. OTHERS	5882 77 54	4018 51 67
जोड़ / TOTAL	11691 77 27	8723 24 21
अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	4996 30 79	4883 04 23
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	--	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	196249 12 20	138706 01 42
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	23457 86 80	23301 30 12
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	39 40 68	33 18 85
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	23497 27 48	23334 48 97
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	24657 21 61	23636 40 07
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	--	--
ख. अन्य / b. OTHERS	612 40 21	2569 98 88
जोड़ / TOTAL	250012 32 29	193129 93 57

यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)		यथा 31.03.2012 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2012 (₹ '000)	
अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज कटौती / I. INTEREST/ DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS		24339 46 52		23382 12 40
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		9142 29 50		7065 41 75
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		585 52 99		362 68 63
IV. अन्य / IV. OTHERS		2 58 16		5 41 10
जोड़ / TOTAL		34069 87 17		30815 63 88
अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		867 80 65		895 98 81
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	690 91 78		457 38 08	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	9 03 90	681 87 88	133 67 21	323 70 87
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	--		--	
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	15 05 85	(15 05 85)	22 15 50	(22 15 50)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	6 48 77		1 02 35	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	1 57 25	4 91 52	7 24	95 11
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	484 02 57		446 20 25	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	19 29 52	464 73 05	11 04 60	435 15 65
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		54 74 94		110 32 31
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1248 62 63		1360 53 85
जोड़ / TOTAL		3307 64 82		3104 51 10
अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS		25237 82 06		21951 58 40
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS		165 38 95		431 38 83
III. अन्य / OTHERS		794 53 55		776 49 90
जोड़ / TOTAL		26197 74 56		23159 47 13

यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

	यथा 31.03.2013 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2013 (₹ '000)	यथा 31.03.2012 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2012 (₹ '000)
अनुसूची 16- परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	3285 44 47	3003 74 44
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	471 97 12	403 86 85
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	31 01 60	30 80 40
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	33 93 14	26 93 24
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) / V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	191 44 41	159 15 87
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 03 97	1 22 13
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	32 85 01	34 45 76
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	27 70 86	31 76 52
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	39 46 33	38 59 31
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	155 30 45	152 64 31
XI. बीमा / XI. INSURANCE	226 07 60	285 71 08
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	684 10 28	649 97 75
जोड़ / TOTAL	5180 35 24	4818 87 66
अनुसूची 17 - सहबद्ध संस्थाओं में आय का अंश / (हानि) SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD	22 92 02	18 53 23
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--	--
III. ऋण विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड CREDIT ANALYSIS AND RESEARCH LTD	--	27 36 58
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS		
क. प्रगति ग्रामीण बैंक / A. PRAGATHI GRAMIN BANK	21 84 58	4 41 27
ख. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक B. SOUTH MALABAR GRAMIN BANK	(1 82 63)	3 51 75
ग. श्रेयस ग्रामीण बैंक / C. SHREYAS GRAMIN BANK	--	5 02 37
जोड़ / TOTAL	42 93 97	58 85 20

अनुसूची- 18

यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. क. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

बैंक (मूल), इनके अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहबद्ध संस्थाओं (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (7 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी निम्नलिखितों के आधार पर की गई:

क. केनरा बैंक (मूल) के लेखा परीक्षित लेखा

ख. बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

1. (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements:

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Joint Venture and Associates (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2. Consolidation procedure:

2.1 CFS of the Group (comprising of -7- Subsidiaries, -3- Associates and -1- Joint Venture) have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per AS 21 (Consolidated Financial Statements)



लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

ग. सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरण) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

घ. संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूंजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।

3. विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा परिवर्तन:

3.1 विदेशी शाखा के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 – "विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनियम दर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनियम लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

3.2 देशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 – "विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वायदा विनियम संविदाओं, गारंतियों, स्वीकृतियों,

issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the results of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit and Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign currencies:

3.1. Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI). The resultant exchange gain/loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.2. Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations. Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements

पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, अंतिम हाज़िर दर/संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया जाता है।

लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

3.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या डिस्काउंट को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक समाप्ति पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडरल दरों के अनुसार किया गया है।

4. व्युत्पन्न संविदाएं

मूल बैंक ब्याज दर की अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का काम करता है। मूल बैंक की ब्याज दर व्युत्पन्नियां रूपये ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं। मूल बैंक की मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

क. व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यहास की पहचान की गई है जबकि मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की गई है।

ख. प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां इस प्रकार हैं:

- बाज़ार के लिए अंकित की जाती है, जहाँ आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाज़ार के लिए अंकित की गई हैं।
- प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए आय / व्यय का उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

5. निवेश:

मूल बैंक तथा इनके अनुषंगियों के निवेशों को सांविधिक / नियंत्रक मानकों के अनुरूप वर्गीकृत और मूल्यांकित किया गया है।

6. अग्रिम:

फैक्टर ऋण सहित अग्रिम नियंत्रक प्राधिकार द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार प्रावधानों का निवल है।

and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with AS 11 issued by ICAI and as per the guidelines of RBI.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

3.3. Forward Exchange Contracts:

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/Losses arising on premature termination of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

4. Derivative Contracts:

The Parent deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Parent are Options and Currency Swaps.

Based on Reserve Bank of India guidelines:

- Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- Derivatives used for hedging are
 - Marked to Market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
 - Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

5. Investments:

Investment portfolio of the parent and its subsidiaries is classified and valued as per applicable statutory / regulatory norms.

6. Advances:

Advances including factored debts are net of provisions made in accordance with the prudential norms prescribed by the regulatory authorities.

7. अचल आस्तियाँ:

जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों में पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

8. मूल्यहास:

8.1 मूल बैंक:

- कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल आस्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी आस्ति के उपयोग्य जीवन पर प्राकृतिक मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया गया है।
- पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को पाट्टा अवधि के ऊपर प्रभारित किया जाता है।
- पट्टे पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास मूल्य पद्धति के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास प्रभारित किया गया है। स्थिर / पट्टेदारी परिसंपत्तियों के संवर्धन पर मूल्यहास को अधिग्रहण तारीख का ध्यान किये बिना पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। विक्रय / निपटान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।

8.2 अनुषंगियाँ:

- दो अनुषंगियाँ जैसे केनरा एचएसबीसी ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड तथा केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड, जहाँ आस्तियों के आर्थिक उपयोग्य जीवन को ध्यान में रखकर सीधी लाइन पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है, को छोड़कर घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर किया गया।
- सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।
- पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करागों

7. Fixed Assets:

Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. Fixed assets include assets given on lease.

8. Depreciation:

8.1 Parent:

- Fixed Assets of the Parent excluding computer are depreciated under Written Down Value method as per the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation is charged on computers at 33.33% on straight-line method.
- Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value method as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery. Depreciation on addition to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

8.2 Subsidiaries:

- Fixed assets of the domestic subsidiaries are depreciated as per Written Down Value (WDV) method and rates prescribed under the Companies Act, 1956 except in case of two subsidiaries viz. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd and Canbank Computer Services Ltd, where depreciation is provided as per Straight line Method (SLM) considering economic useful life of the assets.
- Intangible assets comprising of software purchase/developed and licensing cost are depreciated on straight-line basis over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.
- In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates

के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानिक कानून के अनुसार किया गया है।

9. आस्तियों की हानि:

अचल आस्तियों पर हानि को, यदि है तो, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान / एनएसीएस द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक (ले मा) 28 – "आस्तियों की हानि" के अनुसार, लाभ-हानि खाते में मान्यता दिया गया है।

10. राजस्व मान्यता:

10.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

10.2 नियंत्रक प्राधिकार के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगाही की हद तक किया गया है।

10.3 कमीशन, विनियम, दलाली, लाभांश तथा लॉकर किराया, प्रोसेसीकरण प्रभार और अन्य सेवा प्रभारों का लेखा प्राप्ति आधार पर आय के रूप में किया गया है।

10.4 जीवन बीमा कंपनी:

क) प्रीमियम:

वसूली की उचित निश्चितता है तो, पॉलिसीधारकों से देय रहने पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दिया गया है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दिया गया है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दिया गया है। प्रीमियम को सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दिया गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दिया गया है।

prescribed under the Companies Act, 1956 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary/secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed assets of the foreign entities is charged as per the local laws.

9. Impairment of Assets

Impairment losses on Fixed Assets, if any, are recognized in Profit & Loss Account in accordance with Accounting Standard (AS) 28 – "Impairment of Assets" issued by ICAI / NACAS.

10. Revenue Recognition

10.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis.

10.2 In the case of Non-Performing Assets including Investments, income is recognized to the extent of realization in accordance with norms prescribed by regulatory authorities.

10.3. Commission, Exchange, Brokerage, Locker rents, Processing charges and Other Service charges of Parent Bank are accounted on receipt basis.

10.4 Life Insurance Company:

a) Premium :

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of service tax. Top-up premium is considered as single premium.

b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

घ) प्रदत्त लाभ(दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों की लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर की जाती है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् क) पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष (1 सितंबर 2010 के पहले जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), ऐसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को वित्तीय वर्ष में देयता के रूप में ले जाया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद भुगतान किया जाता है। ख) पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली की लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

ड) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान की गई कमीशन की वसूली किसी चापलूसी के कारण की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

d) Benefits paid (including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock in period i.e. a) 3 years from the date of issue of policy (in case of policies issued before 1st September 2010), the surrender value of such policies is carried in financials as a liability and is paid to the policyholder on the expiry of the lock in period; b) 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called "UL Discontinued Policy Fund" and is paid to the policyholder on the expiry of the lock in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of clawback of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्व, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बीमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

11. कर्मचारी हित:

क. परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

पेंशन तथा उपदान के प्रति देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है। इन्हीं देयताओं का निधीयन बैंक द्वारा तथा प्रबंधन अलग-अलग न्यासों द्वारा किया जाता है।

ख. दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

ग. परिभाषित अंशदान योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति अंशदान को कर्मचारी द्वारा सेवाकाल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए प्रदत्त या प्रदेय राशि के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

12. कराधान:

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया जाता है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर "आकस्मिक देयताओं" के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं।

वर्ष हेतु कर व्यय में, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। यह आस्थगित कर संपत्तियाँ समय भिन्नताओं के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है और यह भिन्नता कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच की भिन्नता है जो कि किसी एक अवधि में उत्पन्न होती है और तदुपरान्त एक या अधिक अवधि के दौरान प्रतिवर्तन की क्षमता रखती है।

13. प्रति शेयर अर्जन:

बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना

f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA, the Actuarial Practice Standards issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

11. Employee Benefits

a) Defined benefit schemes:

The liabilities towards Gratuity and Pension are recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit credit Method' at each Balance Sheet date. These liabilities are funded by the Parent Bank and are managed by separate trusts.

b) Long – term employee Benefit:

The Privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit credit Method' at each Balance Sheet date.

c) Defined contribution schemes:

Contributions to defined contribution schemes are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

12. Taxation:

Provision for Income Tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for are included under "Contingent Liabilities".

Tax expenses for the year comprise of current Tax and Deferred Tax. Deferred Tax recognizes, subject to the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets, timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

13. Earning per share:

The Parent Bank reports Basic and Diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20 issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the

कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार बैंक, पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो और उस दायित्व को निभाने के लिए स्रोतों का बहिर प्रवाह हो और जब दायित्व राशि के उचित परिकलन किया जा सकते हो, तभी प्रावधानों को मान्यता देता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब संसाधन का बहिर्गमन द्वारा होनेवाली आर्थिक लाभ बहुत कम हो।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि उनको मान्यता देने से ऐसी आय को मान्यता देना होगा जो कभी उगाही नहीं जाएगी।

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची- 19 / SCHEDULE – 19

यथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2013

1. समेकित वित्तीय विवरण केनरा बैंक (मूल) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम है। अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम, अर्थात् 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष, का ही है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2013 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2012 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100.00%	100.00%
2	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	100.00%	100.00%
3	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.	भारत	100.00%	100.00%
4	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70.00%	70.00%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	69.14%	69.14%
6	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%
7	केनरा एचएसबीसी ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2013.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been consolidated based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2013	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2012
1.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	Canbank Financial Services Ltd	India	100.00%	100.00%
3.	Canara Bank Securities Ltd	India	100.00%	100.00%
4.	Canbank Factors Ltd	India	70.00%	70.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%	69.14%
6.	Canara Robecco Asset Management Company Ltd	India	51.00%	51.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	51.00%	51.00%

1.2. सहबद्ध संस्था :

समेकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर उनमें की गई निवेश पर विचार किया गया।

क्रमांक	सहबद्ध संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2013 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2012 को स्वामित्व हित की प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	भारत	42.35%	42.35%
2	प्रगति ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
3	साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Audited Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2013	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2012
1.	Canfin Homes Ltd.	India	42.35%	42.35%
2.	Pragathi Gramin Bank	India	35.00%	35.00%
3.	South Malabar Gramin Bank	India	35.00%	35.00%

- कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहबद्ध संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक का 30% धारण है, इसका वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2011 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। सहबद्ध संस्थान का पहले से निम्न स्तर का परिचालन होने के कारण तथा यथा 31.03.2011 को उपलब्ध अंतिम अपर्याप्त वित्तीय विवरण पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरण में, इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से, कोई प्रभाव नहीं है।
- Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2011. The Associate is having lower level of operations since earlier year/s and considering the unsubstantial financials as per the last available financial statements as at 31.03.2011, there is no material impact of non-inclusion of its investments in the Consolidated Financial Statements.
- भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एफ.सं.7/9/2011-आरआरबी (यूपी-1) दिनांक 01.04.2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2013 से केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित श्रेयस ग्रामीण बैंक, जहाँ मूल बैंक का 35% धारण था, तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आर्य वर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्य वर्त किया गया। तदनुसार मूल बैंक ने सहबद्ध बैंक के धारण को अप्रैल 2013 के दौरान अंकित मूल्य पर बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित किया। अतः समेकन कार्य के लिए श्रेयस ग्रामीण बैंक के निवेशों पर विचार नहीं किया गया है।
- Shreyas Gramin Bank, an Associate in which Parent was holding 35% share and Aryavart Kshethriya Gramin Bank sponsored by Bank of India were amalgamated as "Gramin Bank of Aryavart" with sponsored bank, Bank Of India, with effect from 01.04.2013 as per Government of India Notification No. F.No.7/9/2011-RRB (UP-1) dated 01.04.2013. Accordingly, the Parent has transferred its entire holding in the Associate to Bank of India at Face Value during April, 2013. Consequently the investments of Shreyas Gramin Bank have not been considered for the purpose of consolidation.
- दिनांक 27.12.2012 से साख विश्लेषण व अनुसंधान (केयर) लिमिटेड की सहभागिता को बंद किया गया है, जिसमें बैंक की शेयर धारिता 22.81% था। अतः दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन कार्य के लिए केयर के निवेशों पर विचार नहीं किया गया है।
- Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) in which Parent was holding 22.81% share ceased to be an Associate with effect from 27.12.2012. Consequently the investments of CARE have not been considered for the purpose of consolidation.

1.3 संयुक्त उद्यम:

क. रूस में निगमित कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है, समेकन 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक- 27 "संयुक्त उद्यमों में हिस्से की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:-

क. तुलना पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	43.42	40.70
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	32.49	23.48
जमा	3.77	5.21
उधार	120.68	89.03
अन्य देयताएं व प्रावधान	0.51	0.69
कुल	200.87	159.11
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.54	0.34
बैंकों में शेष तथा माँग पर अल्पसूचना पर धन	35.85	6.46
निवेश	132.16	118.28
अग्रिम	31.70	32.03
अचल आस्तियाँ	0.23	0.25
अन्य आस्तियाँ	0.39	1.75
कुल	200.87	159.11
आकस्मिक देयताएं	शून्य	0.45

1.3 Joint Venture:

a. In respect of Commercial Bank of India LLC., the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2013. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent's share in the said Joint Venture is as under:-

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Capital & Liabilities		
Capital	43.42	40.70
Reserve & Surplus	32.49	23.48
Deposits	3.77	5.21
Borrowings	120.68	89.03
Other Liabilities and Provisions	0.51	0.69
TOTAL	200.87	159.11
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.54	0.34
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	35.85	6.46
Investments	132.16	118.28
Advances	31.70	32.03
Fixed Assets	0.23	0.25
Other Assets	0.39	1.75
TOTAL	200.87	159.11
Contingent Liabilities	Nil	0.45

ख. लाभ और हानि खाता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
आय		
अर्जित ब्याज	12.91	10.63
अन्य आय	3.49	0.65
कुल	16.40	11.28
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.15	1.38
परिचालन व्यय	3.27	2.70
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	2.04	0.34
कुल	7.46	4.42
लाभ	8.94	6.86

1.4. वर्ष के दौरान प्रधान द्वारा निम्नलिखित अनुषंगियों में अतिरिक्त पूँजी लगाया गया:-

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	राशि
केनरा एच एस बी सी ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	76.50
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	15.17

2. अनुषंगियाँ व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व प्रवृत्ति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रही हैं जो संबंधित कारोबारी आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है कि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है जिसे समेकित वित्तीय विवरण में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूँजी आरक्षित निधियां / (साख) का अलग विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2013	31.03.2012
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	1.52	1.52
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.24	0.24
निवल पूँजी आरक्षित निधियां	1.76	1.76

4. अंतर शाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण:

31.03.2013 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से मूल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। तथापि, मूल बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान, निकासी और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Income		
Interest Earned	12.91	10.63
Other Income	3.49	0.65
TOTAL	16.40	11.28
Expenditure		
Interest Expended	2.15	1.38
Operating Expenses	3.27	2.70
Provision and Contingencies	2.04	0.34
TOTAL	7.46	4.42
PROFIT	8.94	6.86

1.4. During the year, the Parent has infused additional capital in the following Subsidiaries:-

(₹ in Crore)

Name of Subsidiary	Amount
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	76.50
Canara Robecco Asset Management Company Ltd.	15.17

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry/business requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2013	31.03.2012
Canbank Factors Limited	1.52	1.52
Canbank Computer Services Ltd.	0.24	0.24
Net Capital Reserve	1.76	1.76

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Parent for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2013 has been done. However, Parent is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

कुछ अनुबंधियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. स्थिर आस्तियाँ

परिसर में मूल बैंक के ₹223.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹215.70 करोड़) मूल लागत युक्त कुछ संपत्तियाँ भी शामिल हैं जिसके संबंध में हस्तांतरण प्रलेख निष्पादन के लिए लंबित हैं।

मूल बैंक की कुछ संपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर निर्धारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹2310.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2310.91 करोड़) तथा पुनर्मूल्यांकन राशि में निवल ह्रास ₹2033.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2065.14 करोड़) है।

6. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए और गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान में परिवर्तित करने के लिए समय को 31.01.2015 तक बढ़ा दिया है। तथापि, 31.01.2015 तक अनुमत की गई विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिना के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. कर्मचारी लाभ:

परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा उन मौजूदा कर्मचारियों, जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना था, उनके लिए 2010-11 के दौरान पेंशन विकल्प दुबारा खोलने के कारण ₹1482.86 करोड़ की अपरिशोधित देयता (31 मार्च 2011 से आरंभ होकर 5 वर्षों से परिशोधित) के लिए 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹370.72 करोड़ लाभ हानि लेखा में नामे किया है। ₹741.43 करोड़ की शेष राशि का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

आनुतोषिक सीमा में बढोत्तरी के कारण वर्ष 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹543.62 करोड़ की अपरिशोधित देयता (31 मार्च 2011 से आरंभ होकर 5 वर्षों से परिशोधित) के लिए ₹135.91 करोड़ की राशि लाभ व हानि खाते में नामे

In some of the Subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

Premises include certain properties of the Parent having original cost of ₹223.27 Crore (previous year: ₹215.70 Crore) in respect of which the conveyance deeds are pending execution.

Certain properties of the Group are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is ₹2310.91 Crore (Previous year ₹2310.91 Crore) and net of depreciation is ₹2033.25 Crore (Previous year ₹2065.14 Crore).

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, as per the extension permitted by Reserve Bank of India, CANFINA has either to dispose off all its financial assets and to convert into Non Banking Non Financial Company or to wind up prior to 31.01.2015. However, considering the extension permitted upto 31.01.2015 for conversion as Non Banking Non Financial Company, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Employee Benefits:

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Parent has debited Profit & Loss Account a sum of ₹370.72 Crore during the year ended 31.03.2013 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹1482.86 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of reopening of pension option during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier. The balance amount of ₹741.43 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

The Parent has debited Profit & Loss Account a sum of ₹135.91 Crore during the year ended 31.03.2013 on proportionate basis towards unamortized liability of ₹543.62 Crore (being amortized over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of enhancement of gratuity limit. The balance amount

की है। ₹271.81 करोड़ की शेष राशि का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

8 संबद्ध पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध-मूल – केनरा बैंक

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (11.01.2013 से)
- श्री एस रामन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.09.2012 तक)
- श्रीमती अर्चना एस भार्गव, कार्यपालक निदेशक
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक

8.1.2 मूल–

- केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ–

- केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा रोबेको आस्तित प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- केनरा एचएसबीसी ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

8.1.4 संयुक्त उद्यम

- कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को

8.1.5 सहबद्ध संस्थाएं

- केनफिन होम्स लिमिटेड
- कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - प्रगति ग्रामीण बैंक
 - साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक
 - श्रेयस ग्रामीण बैंक*

(*भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एफ.सं.7/9/2011-आरआरबी (यूपी-1) दिनांक 01.04.2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2013 से केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित श्रेयस ग्रामीण बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त किया गया।)

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक: ₹47,48,665/-
(पिछले वर्ष: ₹58,92,007/-)

of ₹271.81 Crore will be dealt as per guidelines of RBI.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Parent – Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel –

- Shri R K Dubey, Chairman & Managing Director (from 11.01.2013)
- Shri S Raman, Chairman & Managing Director (till 30.09.2012)
- Smt. Archana S Bhargava, Executive Director
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director

8.1.2 Parent -

- Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries –

- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Financial Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corporation Ltd)
- Canbank Factors Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.

8.1.4 Joint Venture -

- Commercial Bank of India LLC., Moscow

8.1.5 Associates –

- Canfin Homes Ltd.
- Commonwealth Trust (India) Ltd.
- Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - Pragati Gramin Bank
 - South Malabar Gramin Bank
 - Shreyas Gramin Bank*

(*Shreyas Gramin Bank sponsored by Canara bank and Aryavart Kshethriya Gramin Bank sponsored by Bank of India were amalgamated as new bank "Gramin Bank of Aryavart" sponsored by Bank Of India, with effect from 01.04.2013 as per Government of India Notification No. F.No.7/9/2011-RRB (UP-1) dated 01.04.2013)

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

Remuneration to Key Management Personnel: ₹47,48,665/- (Previous Year: ₹58,92,007/-)

8.1.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यम
उधार-		
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य	70.90
	(शून्य)	(32.70)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य	73.20
	(शून्य)	(32.70)
जमा-		
वर्ष के अंत तक बकाया	164.94	968.81
	(164.90)	(1840.30)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	175.21	1059.57
	(199.21)	(1921.15)
जमा का नियोजन-		
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य	118.07
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य	118.07
	(शून्य)	(शून्य)
अग्रिम-		
वर्ष के अंत तक बकाया	423.46	1595.99
	(688.38)	(2098.68)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	698.77	2044.66
	(784.98)	(2133.68)
निवेश-		
वर्ष के अंत तक बकाया	609.80	99.75
	(518.13)	(102.57)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	609.80	99.75
	(518.13)	(102.57)
चालू खाते में शेष		
वर्ष के अंत तक बकाया	10.14	150.32
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	10.14	168.38
	(शून्य)	(शून्य)
अन्य प्राप्त -		
यथा वर्षांत को बकाया	0.05	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	0.05	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र - जारी किए गए-		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	1950.00
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य	1950.00
	(शून्य)	(शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र- प्रतिभागिता किए गए-		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	1950.00
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य	1950.00
	(शून्य)	(शून्य)
कमीशन प्राप्त -		
यथा वर्षांत को बकाया	3.18	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	3.18	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)

8.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Venture
Borrowings -		
Outstanding as at the year end	NIL	70.90
	(NIL)	(32.70)
Maximum outstanding during the year	NIL	73.20
	(NIL)	(32.70)
Deposits-		
Outstanding as at the year end	164.94	968.81
	(164.90)	(1840.30)
Maximum outstanding during the year	175.21	1059.57
	(199.21)	(1921.15)
Placement of Deposits -		
Outstanding as at the year end	NIL	118.07
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL	118.07
	(NIL)	(NIL)
Advances-		
Outstanding as at the year end	423.46	1595.99
	(688.38)	(2098.68)
Maximum outstanding during the year	698.77	2044.66
	(784.98)	(2133.68)
Investments-		
Outstanding as at the year end	609.80	99.75
	(518.13)	(102.57)
Maximum outstanding during the year	609.80	99.75
	(518.13)	(102.57)
Balance in current account		
Outstanding as at the year end	10.14	150.32
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	10.14	168.38
	(NIL)	(NIL)
Other receivables-		
Outstanding as at the year end	0.05	NIL
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	0.05	NIL
	(NIL)	(NIL)
Inter Bank Participation Certificate - Issued		
Outstanding as at the year end	NIL	1950.00
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL	1950.00
	(NIL)	(NIL)
Inter Bank Participation Certificate - Participated		
Outstanding as at the year end	NIL	1950.00
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL	1950.00
	(NIL)	(NIL)
Commission Receivable-		
Outstanding as at the year end	3.18	NIL
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	3.18	NIL
	(NIL)	(NIL)

गैर निधीगत प्रतिबद्धता- यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
अन्य देय- यथा वर्षांत को बकाया	0.04 (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	0.55 (शून्य)	शून्य (शून्य)
पट्टेदारी / किराया खरीद उपभुक्त / उपलब्ध- यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
स्थिर आस्तियों का क्रय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
स्थिर आस्तियाँ का विक्रय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
दत्त ब्याज	12.49 (10.64)	159.77 (201.77)
प्राप्त ब्याज	44.24 (63.63)	191.03 (262.58)
प्राप्त लाभांश	8.24 (6.24)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकोती	20.00 (शून्य)	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृती	30.00 (शून्य)	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	50.68 (शून्य)	शून्य (शून्य)
सेवा उपलब्ध कराना	37.74 (28.84)	2.38 (0.82)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	21.58 (37.53)	शून्य (0.01)
प्रबंधन संविदाएं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

(प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत और लेखा परीक्षकों द्वारा अवलंबित के अनुसार)

कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं

दिनांक 27.12.2012 से साख विश्लेषण व अनुसंधान (केयर) लिमिटेड की सहभागिता को बंद किया गया है, जिसमें बैंक की शेयर धारिता 22.81% था। अतः दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए केयर लिमिटेड के साथ हुई संव्यवहारों को उपर्युक्त प्रकटन में शामिल नहीं किया गया है।

Non Funded Commitments- Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Other payable Outstanding as at the year end	0.04 (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	0.55 (NIL)	NIL (NIL)
Leasing / HP Arrangement availed / provided- Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Purchase of Fixed Assets	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Sale of Fixed Assets	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Interest paid	12.49 (10.64)	159.77 (201.77)
Interest received	44.24 (63.63)	191.03 (262.58)
Dividend received	8.24 (6.24)	NIL (NIL)
Repayment of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	20.00 (NIL)	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/ Certificate of deposits	30.00 (NIL)	NIL (NIL)
Premium Paid	50.68 (NIL)	NIL (NIL)
Rendering of Service	37.74 (28.84)	2.38 (0.82)
Receiving for Services	21.58 (37.53)	NIL (0.01)
Management Contracts	NIL (NIL)	NIL (NIL)

(As complied and certified by the Management and relied upon by the Auditors.)

Figures in brackets relate to previous year.

Credit Analysis and Research Ltd (CARE) in which bank was holding 22.81% share ceased to be an Associate with effect from 27.12.2012. Consequently the transactions with CARE are not included in the above disclosure for the year ended 31st March, 2013.

9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2012-2013	2011-2012
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	67.04	75.43

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2012-2013	2011-2012
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹)	2970 करोड़	3342 करोड़
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	44.30 करोड़	44.30 करोड़
ग	यथा 31 मार्च, 2013 को बकाया शेयरों की संख्या	44.30 करोड़	44.30 करोड़
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	67.04	75.43
ड	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10/-	10/-

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2012-2013	2011-2012
Basic and Diluted EPS (₹)	67.04	75.43

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2012-2013	2011-2012
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹)	2970 Crore	3342 Crore
B	Weighted Average Number of Equity Shares	44.30 Crore	44.30 Crore
C	No. of Shares outstanding as on 31 st March 2013	44.30 Crore	44.30 Crore
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	67.04	75.43
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2013 को निवल आस्थगित कर देयता ₹310.36 करोड़ थी (यथा 31.03.2012 को ₹251.08 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
उपचित ब्याज परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	656.53	562.07
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	277.53	270.21	शून्य	0.02
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	54.32	36.97	0.74	1.19
एफडीआर पर ब्याज का प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	17.12	13.06	2.06	8.04
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	348.97	320.24	659.33	571.32

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Liability computed as on 31.03.2013 amounted to ₹310.36 Crore (₹251.08 Crore as on 31.03.2012).
The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	656.53	562.07
Leave Encashment / Gratuity	277.53	270.21	NIL	0.02
Depreciation on Fixed Assets	54.32	36.97	0.74	1.19
Provision for Interest on FDR	NIL	NIL	NIL	NIL
Others	17.12	13.06	2.06	8.04
Deferred Tax Asset / Liability	348.97	320.24	659.33	571.32

11. वर्ष के दौरान बनाई गई प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
निवेश व एन पी आई में मूल्यहास के लिए प्रावधान	(371.31)	153.87
एन पी ए के प्रति प्रावधान	1871.12	1309.03
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	255.61	171.23
कर के लिए प्रावधान (निवल आस्थगित कर)	819.56	818.94
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं- निवल	472.62	241.46
कुल	3047.60	2694.53

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(371.31)	153.87
Provision towards NPA	1871.12	1309.03
Provision towards Standard Asset	255.61	171.23
Provision for Tax-(Net of Deferred Tax)	819.56	818.94
Other Provision and Contingencies –Net	472.62	241.46
TOTAL	3047.60	2694.53

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग
भाग- क – कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2013	31.03.2012
I	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	10294.45	7826.50
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	9463.97	8338.57
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	17223.41	17272.11
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	395.69	482.97
	कुल	37377.52	33920.15
II	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	1115.81	572.72
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1864.14	2031.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2705.43	3036.11
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	0.00	0.00
	कुल	5685.38	5640.30
III	गैर आबंटित आय / (व्यय)	314.04	301.50
IV	परिचालन लाभ	5999.42	5941.80
V	प्रावधान और आकस्मिकताएं	2228.03	1875.59
VI	आय कर	819.56	818.94
VII	असाधारण मद	0.00	0.00
VIII	वर्ष के लिए निवल लाभ	2951.83	3247.27
IX	जोड़ें: सहबद्ध संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	42.94	58.85
X	घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	25.06	(35.57)
XI	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ	2969.71	3341.69
	अन्य सूचना		
XII	खण्ड आस्तियाँ*		
क	राजकोषीय परिचालन	150904.28	119619.18
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	78711.04	68458.60
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	171294.18	177113.82
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियाँ	16381.53	11826.57
	कुल	417291.03	377018.17
XIII	खण्ड देयताएं		
क	राजकोषीय परिचालन	28855.45	42572.21
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	156299.98	139940.75
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	180253.80	149166.13
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित देयताएं	28738.61	24360.82
च	पूँजी और आरक्षित निधियाँ*	23143.19	20978.26
	कुल	417291.03	377018.17

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

12. Consolidated Segment Reporting
Part A-Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	Year ended	
		31.03.2013	31.03.2012
I	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	10294.45	7826.50
b	Retail Banking Operations	9463.97	8338.57
c	Wholesale Banking Operations	17223.41	17272.11
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	395.69	482.97
	Total	37377.52	33920.15
II	Segment Results		
a	Treasury Operations	1115.81	572.72
b	Retail Banking Operations	1864.14	2031.47
c	Wholesale Banking Operations	2705.43	3036.11
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	0.00	0.00
	Total	5685.38	5640.30
III	Unallocated Income/ (Expenses)	314.04	301.50
IV	Operating Profit	5999.42	5941.80
V	Provisions and Contingencies	2228.03	1875.59
VI	Income Tax	819.56	818.94
VII	Extraordinary Items	0.00	0.00
VIII	Net Profit for the Year	2951.83	3247.27
IX	Add:-Share of Earnings in Associates	42.94	58.85
X	Less:-Minority Interest (Net Loss)	25.06	(35.57)
XI	Consolidated Profit for the Year attributable to the Group	2969.71	3341.69
	Other Information		
XII	Segment Assets*		
a	Treasury Operations	150904.28	119619.18
b	Retail Banking Operations	78711.04	68458.60
c	Wholesale Banking Operations	171294.18	177113.82
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	16381.53	11826.57
	Total	417291.03	377018.17
XIII	Segment Liabilities		
a	Treasury Operations	28855.45	42572.21
b	Retail Banking Operations	156299.98	139940.75
c	Wholesale Banking Operations	180253.80	149166.13
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	28738.61	24360.82
f	Capital and Reserves*	23143.19	20978.26
	Total	417291.03	377018.17

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग- ख भौगोलिक खण्ड

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2013	31.03.2012
क	घरेलू परिचालन		
	राजस्व	36775.65	33394.96
	आस्तियां	393092.93	359252.19
ख	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		
	राजस्व	601.87	525.19
	आस्तियां	24198.10	17765.98
ग	कुल		
	राजस्व	37377.52	33920.15
	आस्तियां*	417291.03	377018.17

(* पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹24733.43 करोड़ है जिनमें से ₹24434.79 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के ₹298.64 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹22600.40 करोड़ जिसमें से ₹22246.95 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹353.45 करोड़ अनुषंगियां संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के थे)

14. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरण का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटित नहीं किया है।

15. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि:

प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदीय लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक (एएस) 28 के अनुसार यथा 31.03.2013 को वास्तविक आधार पर मान्यता की आवश्यकतायुक्त स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

Part B – Geographical Segment:

	Particulars	Year ended	
		31.03.2013	31.03.2012
a	Domestic Operations		
	Revenue	36775.65	33394.96
	Assets	393092.93	359252.19
b	International Operations		
	Revenue	601.87	525.19
	Assets	24198.10	17765.98
c	Total		
	Revenue	37377.52	33920.15
	Assets*	417291.03	377018.17

(* Excluding Revaluation Reserve)

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹24733.43 Crore of which ₹24434.79 Crore relate to the Parent and the balance ₹298.64 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹22600.40 Crore of which ₹22246.95 Crore relate to the Parent and the balance ₹353.45 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment of its Fixed Assets as at 31.03.2013 requiring recognition in terms of Accounting Standard (AS) 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

16. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

16. Previous Year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी सांबशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

पी वी मय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
एस पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
लूकर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

इंदरजीत सोनी
साझेदार

वी देवराजन
साझेदार

पवन के गुप्ता
साझेदार

एस सी लूकर
साझेदार

राकेश जैन
साझेदार

स्वर्णेंद्र चौधरी
साझेदार

नई दिल्ली
29 मई, 2013

V SUKUMAR
Divisional Manager

N SIVASANKARAN
Deputy General Manager

K MANICKAM
General Manager

V S KRISHNAKUMAR
Executive Director

ASHOK KUMAR GUPTA
Executive Director

R K DUBEY
Chairman & Managing Director

SUDHA KRISHNAN
Director

MEENA HEMCHANDRA
Director

G V SAMBASIVA RAO
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

SUTANU SINHA
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

INDERJIT SONI
Partner

V DEVARAJAN
Partner

PAWAN K GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

RAKESH JAIN
Partner

SWARNENDU CHAUDHURY
Partner

New Delhi
May 29, 2013

यया 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31.03.2013	31.03.2012
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	2969 70 66	3341 69 59
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	819 55 74	818 94 39
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	(576 31 74)	60 50 50
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Advances	1871 11 57	1309 03 55
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	255 60 81	171 21 78
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / Provisions for Contingencies and Others	472 63 04	241 46 34
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	191 44 41	159 15 87
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	15 05 85	22 15 50
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	730 56 11	737 64 06
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Investments	(681 87 89)	(323 70 87)
निवेशों के बिक्री पर लाभ / हानि / Profit / loss on sale of Fixed Assets	(4 91 52)	(95 11)
उप कुल / Sub total	6062 57 04	6537 15 60
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits	28790 59 44	33636 13 47
उधारों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings	4484 25 46	1569 42 00
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(20073 42 16)	(19805 40 74)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(9707 01 85)	(22589 27 16)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	(1844 83 58)	(396 34 36)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions	1351 22 75	1895 68 41
अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	70 67 63	12 32 01
कराधान के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह /		
Cash Flow from Operating Activity before taxation	9134 04 73	859 69 23
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1123 69 48	1584 18 07
परिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क) / Cash generated from Operating Activities (A)	8010 35 25	(724 48 84)
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
सहबद्ध संस्थाओं में निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in Investments in Associates	(91 67 25)	(44 12 19)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(214 45 49)	(195 96 10)
अन्य आरक्षित निधियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in Other Reserve	(149 73 19)	(68 29 29)
निवेशक गतिविधियों से सर्जित नकद (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	(455 85 93)	(308 37 58)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूँजी / Share Capital	--	--
शेयर प्रीमियम / Share Premium	--	--
अधीनस्थ बांडों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Subordinated Bonds	256 41 12	(250 00 00)
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(730 56 11)	(737 64 06)
तदपश्चात प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	(568 64 34)	(568 55 28)
वित्तीय गतिविधियों से सर्जित नकद (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	(1042 79 33)	(1556 19 34)
विनिमय उतार चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव के आरक्षित निधि / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	20 77 41	64 14 01
विनिमय उतार चढ़ाव से सर्जित नकद (घ) / Cash generated on account of Exchange Fluctuation (D)	20 77 41	64 14 01
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग+घ) में निवल वृद्धि / (कमी) /		
Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	6532 47 40	(2524 91 75)

अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	28246 73 74	30771 65 49
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	34779 21 14	28246 73 74

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है तथा आवश्यकतानुसार आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। / The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been regrouped wherever necessary.
- नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2013	31.03.2012
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	15414 98 97	17813 01 73
अल्प नोटिस व माँग पर व बैंकों के साथ शेष Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	19364 22 17	10433 72 01
कुल / Total	34779 21 14	28246 73 74

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
महा प्रबंधक

वी एस कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुधा कृष्णन
निदेशक

मीना हेमचंद्रा
निदेशक

जी वी सांबशिव राव
निदेशक

जी वी मणिमारेन
निदेशक

खालिद लुक्मान बिलग्रामी
निदेशक

सुतानु सिन्हा
निदेशक

पी वी मय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते एस पी चोपड़ा एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते लूकर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते पी चोपड़ा एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
इंदरजीत सोनी साइनदार	वी देवराजन साइनदार	पवन के गुप्ता साइनदार	एस सी लूकर साइनदार	राकेश जैन साइनदार	स्वर्णेंद्र चौधरी साइनदार

नई दिल्ली
29 मई, 2013

V SUKUMAR
Divisional Manager

N SIVASANKARAN
Deputy General Manager

K MANICKAM
General Manager

V S KRISHNAKUMAR
Executive Director

ASHOK KUMAR GUPTA
Executive Director

R K DUBEY
Chairman & Managing Director

SUDHA KRISHNAN
Director

MEENA HEMCHANDRA
Director

G V SAMBASIVA RAO
Director

G V MANIMAREN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

SUTANU SINHA
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

For S P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For LOONKER & Co.
Chartered Accountants

For P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

INDERJIT SONI
Partner

V DEVARAJAN
Partner

PAWAN K GUPTA
Partner

S C LOONKER
Partner

RAKESH JAIN
Partner

SWARNENDU CHAUDHURY
Partner

New Delhi
May 29, 2013



प्रधान कार्यालय, बेंगलूर - 560 002
Head Office, Bangalore - 560 002

प्रिय शेयरधारक

हमारे बैंक के आप जैसे सम्मानीय शेयरधारक के रूप में आपसे बात करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आप जैसे लोगों के ही संबल और सहायता से हमारा (आपका) बैंक मज़बूती के साथ दिनोदिन स्थिर रूप से संवर्धित हो रहा है।

आप इस बात से अवगत हैं कि खरीद-फरोख्त करने या बंधक रखने के लिए शेयरों का डी-मैट रूप में होना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, डी-मैट रूप में शेयरों का खरीद-फरोख्त करने के लिए निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डी-मैट खाता होना भी ज़रूरी होता है। निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में हम आपको निक्षेपागार सेवायें भी सप्रसन्न उपलब्ध कराएंगे।

हमारे रिकार्डों में यह देखा गया है कि आपके पास बैंक के शेयर अब भी भौतिक रूप में हैं। अतः डी-मैट खाता खोलने के लिए हमारी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु हम पुनः इस अवसर का सदुपयोग करेंगे।

निक्षेपागार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नामोद्दिष्ट शाखाओं की सूची आपकी जानकारी के लिए इसके साथ संलग्न की गई है। आपका मूल्यवान डी-मैट खाता खोलने के लिए आप इनमें से किसी भी शाखा में पदार्पण कर सकते हैं।

उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करना। घोषित लाभांश का समय पर जमा होने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युतानी समाशोधन सेवा का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं जिससे आपको लाभांश राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने में मदद मिलती है। यदि आपने कथित सेवाओं का विकल्प नहीं दिया है तो आप विद्युतानी समाशोधन सेवा अध्यादेश दे सकते हैं जिसे डी-मैट खाता खोलने के साथ-साथ निक्षेपागार प्रतिभागी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

हमेशा उत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हुए धन्यवाद...

आपका,

राजीव किशोर दुबे
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Dear Shareholder,

It gives us immense pleasure to reach you as our esteemed Shareholder of our Bank. It is with the support and help of people like you, (y)our bank has been growing steadily day by day with strong basics.

You are kindly aware that holding of shares in DEMAT form is a must for trading or pledging the same. Further, it is necessary to have a DEMAT Account with any of the Depository Participant (DP) for trading the shares in the DEMAT form. We, as one of the Depository Participants, are glad to extend the Depository Services also.

It is observed from our records that you are still holding the bank's shares in physical form. Hence, we once again take this opportunity to extend to you our services for opening the Demat Account.

A List of Designated Branches for Depository Services is attached for your information. You may approach any of these Branches for the purpose of opening of your valuable Demat Account.

Equally important aspect is that receiving the returns on your investment. For ensuring the timely credit of the dividends declared, we request you to use Electronic Clearing Service (ECS) which indeed helps you to get the dividend amount credited to your bank account directly without any hassles. In case you have not opted for the said service, you may avail the services of ECS Mandate, which is extended simultaneously by the Depository Participant while opening the Demat Account.

Thanking you and assuring you of our best services always...

Yours sincerely,

R K Dubey
Chairman & Managing Director

निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची- 2012-13 / LIST OF DP SERVICE CENTRES – 2012-13

क्र	अंचल कार्यालय का नाम	निक्षेपागार सेवा केन्द्र
1	आगरा	1. एम जी रोड
2	अहमदाबाद	1. आश्रम रोड, अहमदाबाद
3	बेंगलूर	1. बेंगलूर केन्द्रीय डी पी - स्टॉक एक्सचेंज टावर, जे सी रोड क्रॉस, बेंगलूर 2. विजयनगर - बेंगलूर
4	भोपाल	1. अरेरा कॉलोनी - भोपाल
5	कोषिकोड	1. वेस्ट हिल - कालीकट 2. बिग बज़ार - पालक्काड
6	चंडीगढ़	1. 17-सी - चंडीगढ़ 2. बीएमसी चौक - जालंधर
7	चेन्नई	1. हबीबुल्ला रोड - चेन्नई 2. तेनामपेट - चेन्नई 3. अण्णानगर पूर्व - चेन्नई
8	कोयंबतूर	1. आर एस पुरम - कोयंबतूर 2. अलगापुरम - कोयंबतूर 3. पार्क रोड - ईरोड
9	दिल्ली	1. कनाॅट सर्कस - दिल्ली 2. हाऊज़ खास - दिल्ली 3. आर के पुरम - दिल्ली
10	गुवाहाटी	1. दिसपुर - गुवाहाटी
11	गोवा	1. मडगाँव - गोवा
12	हबली	1. ट्रैफिक आईलैंड - हबली
13	हैदराबाद	1. नारायणगुडा - हैदराबाद
14	जयपुर	1. अरविंद मार्ग - जयपुर
15	करनाल	1. गल्लेरिया मार्किट - गुडगाँव
16	कोलकाता	1. एल सी रोड - कोलकाता
17	मदुरै	1. ग्रैंड सेंट्रल - मदुरै
18	मंगलूर	1. हम्पनकट्टा - मंगलूर 2. मारुति वीथिका - उडुप्पी
19	मुंबई	1. एन एस ई शाखा - मुंबई 2. घाटकोपर (प) - मुंबई 3. एस एस बी अंधेरी - मुंबई 4. विले पार्ले - मुंबई
20	मैसूर	1. नज़रबाद - मैसूर 2. मुख्य शाखा - हासन
21	नागपुर	1. इटवारी - नागपुर
22	पटना	1. बुद्ध मार्ग - पटना
23	पुणे	1. कैप - पुणे
24	राँची	1. डोरंडा - राँची
25	शिमोगा	1. नेल्ली सौधा - शिमोगा
26	तिरुवनंतपुरम	1. ब्रॉडवे - एरणाकुलम 2. कंटोन्मेंट - तिरुवनंतपुरम
27	तिरुच्ची	1. तिल्लै नगर - तिरुच्ची
28	विशाखपट्टणम	1. दाबा गार्डन - विशाखपट्टणम

Sl. No.	Name Of The Circle	DP Service Centre
1	Agra	1. Agra - M G Road
2	Ahmedabad	1. Ashram Road, Ahmedabad
3	Bangalore	1. Bangalore Central DP - Stock Exchange Tower, JC Road Cross, Bangalore 2. Vijayanagar - Bangalore
4	Bhopal	1. Arera Colony- Bhopal
5	Calicut	1. West Hill - Calicut 2. Big Bazaar - Palakkad
6	Chandigarh	1. 17-C - Chandigarh 2. BMC Chowk - Jalandhar
7	Chennai	1. Habibulla Road - Chennai 2. Tenyampet-Chennai 3. Annanagar East - Chennai
8	Coimbatore	1. R.S.Puram - Coimbatore 2. Alagapuram - Salem 3. Park Road - Erode
9	Delhi	1. Connaught Circus - Delhi 2. Hauz Khas - Delhi 3. RK Puram - Delhi
10	Guwahati	1. Dispur - Guwahati
11	Goa	1. Margoa - Goa
12	Hubli	1. Traffic Island - Hubli
13	Hyderabad	1. Narayanguda - Hyderabad
14	Jaipur	1. Arvind Marg - Jaipur
15	Karnal	1. Galleria Market - Gurgaon
16	Kolkata	1. L C Road - Kolkata
17	Madurai	1. Grand Central - Madurai
18	Mangalore	1. Hampanakatta - Mangalore 2. Maruthi Vetika - Udupi
19	Mumbai	1. NSE Branch - Mumbai 2. Ghatkopar (West)- Mumbai 3. SSB Andheri - Mumbai 4. Vile Parle - Mumbai
20	Mysore	1. Nazarabad - Mysore 2. Main - Hassan
21	Nagpur	1. Itwari - Nagpur
22	Patna	1. Budh Marg - Patna
23	Pune	1. Camp - Pune
24	Ranchi	1. Daronda Ranchi
25	Shimoga	1. Nelli Soudha - Shimoga
26	Trivandrum	1. Broadway - Ernakulam 2. Cantonment - Trivandrum
27	Trichy	1. Thillai Nagar - Trichy
28	Vishakapatnam	1. Daba Gardens - Vishakapatnam

नामांकन पत्र

सेवा में,
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय: बेंगलूर
प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके नोटिस दिनांक 10-6-2013 के संदर्भ में, मैं चुनाव में भाग लेने के लिए यथा शुक्रवार, 21 जून 2013 अर्थात् आंतरिक अंतिम तिथि को केनरा बैंक के प्रति ₹ 10/- के ईक्विटी शेयरों का शेयरधारक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में सोमवार, 22 जुलाई, 2013 को बैंक शेयरधारकों की 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चुने जाने के लिए के निवासी श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी को एतद्वारा नामांकित करता हूँ ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकृत हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (भौतिकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

- नैगम निकाय का नामांकन है तो नामांकन के साथ जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए ।
- प्रत्याशी का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों को बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए ।
- उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड़ दिए जाने से ब्यौरे को गलत पाए जाने से नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
CANARA BANK
Head office: Bangalore.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated 10-6-2013, I, _____ a shareholder of Canara Bank holding _____ equity shares of ₹10/- each as on Friday, the 21st June 2013 (i.e.) the Internal Cut-Off date for participating in the Election do hereby nominate Sri/ Smt. _____ son/daughter/wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the 11th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Monday, the 22nd July 2013.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती निवासी
..... एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि:

- क. मैं निर्वाचन में भाग लेने के लिए यथा शुक्रवार, 21 जून 2013 अर्थात् आंतरिक अंतिम तिथि को बैंक के प्रति ₹ 10/- के
ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ, तथा
- ख. *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या
..... (भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक को उपयोगी होनेवाला विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है) और अधिनियम की धारा
9 की उप धारा 3 के अनुसार जमाकर्ताओं व किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में
मैं एतद्वारा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता / करती हूँ; और
- ग. मैं संख्यक नामांकनों को स्वीकृत करता / करती हूँ; और
- घ. मैं केनरा बैंक के निदेशक के लिए चुनाव में भाग लेना चाहूँगा / चाहूँगी; और
- ङ. मुझे बैंकिंग अधिनियम, योजना, विनियम के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अयोग्य
नहीं बनाया गया; और
- च. मैं न तो किसी लाभदायक पद में हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत
गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 द्वारा परिभाषित अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी
हूँ; और
- छ. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न करता / करती हूँ जो मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के मुताबिक सही और संपूर्ण है; और
- ज. मैं इस घोषणा के बाद घटित होनेवाली घटनाओं के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को पूर्णतया सूचित रखने और बैंक के
निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकृत हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (भौतिकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित

अधिकारी या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी या केनरा बैंक या उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए
कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर ।

*जो लागू हो उस पर ✓ करें ।

हस्ताक्षर व मुहर – दिनांक सहित

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son / daughter / wife of Shri / Smt. _____
_____, a resident of _____ hereby confirm that:

- I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on Friday, the 21st June 2013 i.e., the Internal Cut-Off date for participating in the elections, and
- I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- I accept the nominations numbering _____ and
- I am willing to contest for the election of Directors of Canara Bank, and
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and
- I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India, Canara Bank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

*Tick whichever is applicable

Signature and Seal with Date



प्रत्याशी के जीवनवृत्त का प्रारूप

(व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचन पत्र)

प्रत्याशी का फोटो
चिपकाएं

I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत ब्यौरा		
क	पूरा नाम पिता का नाम	
ख	जन्म तिथि	
ग	शैक्षणिक योग्यता	
घ	संबद्ध पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
ङ	स्थायी पता	
च	वर्तमान पता	
छ	ई-मेल पता / दूरभाष संख्या	
ज	आय कर अधिनियम के तहत स्थायी लेखा संख्या तथा आय कर सर्कल का नाम व पता	
झ	संबद्ध ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
ञ	बैंक के निदेशक के लिए संबद्ध कोई अन्य सूचना	
II. निदेशक के संबद्ध रिश्तेदारी		
क	प्रत्याशी के रिश्तेदारों की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों। (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए का संदर्भ लें)	
ख	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को हितैषी माना जाता है (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300 का संदर्भ लें)	
ग	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5(एन ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक माना जाता है।	
घ	बैंक का नाम जिसमें प्रत्याशी बोर्ड का सदस्य हो या रहा हो (पदधारण की अवधि का ब्यौरा दें)।	
ङ	प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों में से संप्रति उपभुक्त निधि और निधितर सुविधाएं।	



FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

(Personal Information, Declaration and Undertaking)

Affix
Candidate's
photo here

I. Personal details of director		
a.	Full name	
	Father' Name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II. Relevant Relationships of director		
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	

च.	बैंक या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्याशी या उपर्युक्त (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकाय चूककर्ता हों या पहले रहे हों।	
III. व्यावसायिक उपलब्धियों के कीर्तिमान		
क.	संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV. प्रत्याशी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो तो		
क.	प्रत्याशी किसी व्यवसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय/पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है।	
ख.	आर्थिक विधियों और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रत्याशी या / और उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराया गया है तो उनका ब्यौरा।	
ग.	निदेशक के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराये गये आपराधिक मामलों का ब्यौरा।	
घ.	प्रत्याशी कंपनी अधिनियम 1966 की धारा 274 में रूपायित अनुसार अयोग्य ठहराया जा सकता है।	
ङ.	सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध कोई जाँच पड़ताल की गई।	
च.	प्रत्याशी को सीमा शुल्क / उत्पाद कर / आयकर / विदेश विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकारों द्वारा नियमों / विनियमों / विधार्थ अपेक्षाओं का उल्लंघन का दोषी पाया गया? हाँ तो ब्यौरा दें।	
छ.	प्रत्याशी कभी भी सेबी, आई आर डी ए, डी सी ए आदि जैसे नियंत्रकों का प्रति दृष्टिपात हुआ? (यद्यपि किसी प्रत्याशी के लिए विनियामकों द्वारा की गई आदेशों तथा जांचों को जिन्हें बाद में पूरी तरह से वापस ले लिया गया हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तथापि वैसे वापसी जो तकनीकी कारण जैसे सीमित या क्षेत्राधिकार की कमी इत्यादि के कारण हो तथा योग्यता के आधार पर नहीं हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक होगा। यदि विनियामकों का आदेश अस्थायी रूप से आस्थगित किया गया है तथा अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है तो उसका वर्णन किया जाना चाहिए।)	
V.	उपर्युक्त I से III तक की मदों से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना और योग्य व उचित मानी संबद्ध अन्य सूचना।	

f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III. Records of professional achievements		
a.	Professional achievements relevant	
IV. Proceedings, if any, against the director		
a.	If the director is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise / income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars.	
g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. (Though it shall not be necessarily for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto., it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	



घोषणा:		
<p>मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे विश्वास के हद तक सही व पूर्ण है। इस घोषणा के बाद घटित होनेवाली घटनाओं के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को पूर्णतया सूचित रखने का वचन देता / देती हूँ।</p> <p>मैं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसविदा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता / देती हूँ।</p>		
स्थान :		प्रत्याशी के हस्ताक्षर
दिनांक :		

अनुलग्नक : 1. जहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर सूचना अनुलग्नक के तौर पर कालक्रमानुसार उचित संदर्भों के साथ प्रदान करें।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) पर प्रत्याशी हस्ताक्षर करें।

नामांकन समिति के टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ

नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :

	Undertaking	
	<p>I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.</p> <p>I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by the directors of the Bank.</p>	
	Place :	Signature of the Candidate
	Date :	

Enclosures : 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. Each pages (including annexure) are required to signed by the Candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee

Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member
Place : Date :	Place : Date :	Place : Date :



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

उपस्थिति पर्ची
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 22-07-2013
(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वारा पर दे दें)

दिनांक:	समय:
स्थान: बेंगलूर	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजी पत्रा	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी.
(अभौतिकृत हो तो)	(भौतिकृत हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	



इधर से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

प्रवेश पास
(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डीपीआईडी सं ग्राहक आईडी सं
	(भौतिकृत हो तो)
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



इधर से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

(मतदान पत्र जारी कराने के लिए मतदान कार्ड पर प्रस्तुत करें)

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजी पत्रा	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी.
(अभौतिकृत हो तो)	(भौतिकृत हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	



Head Office, Bangalore- 560 002

ATTENDANCE SLIP - 22.07.2013
11th ANNUAL GENERAL MEETING
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place: Bangalore			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID & Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

----- ✂ ----- cut here ----- ✂ -----



Head Office, Bangalore- 560 002

ENTRY PASS
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio		DPID No.	
(if not dematerialised)		Client ID No.	
		(if dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

----- ✂ ----- cut here ----- ✂ -----



Head Office, Bangalore- 560 002

(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID & Client ID	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 22-07-2013

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को ज्ञानज्योति सम्मेलन हॉल, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर में दिनांक सोमवार 22 जुलाई, 2013 को पूर्वाह्न 10.00 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2013 माह के दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फोलियो सं. /

ग्राहक आई डी :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:

कृपया 15 पैसे
का राजस्व स्टाम्प
चिपकाएं

.....
प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - एक नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् बुधवार 17 जुलाई, 2013 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिवीय प्रभाग, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर में जमा किया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण का दिनांक उल्लिखित करना होगा।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BANGALORE - 560 002

Eleventh Annual General Meeting – 22.07.2013

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Monday the 22nd July 2013 at 10.00 a.m. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2013

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Signature of Proxy

Name & Address:.....

Please affix
15 Paise
Revenue Stamp





Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, 4th Floor, Head Office 112, J C Road Bangalore – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday, the 17th July, 2013.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

Form A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the Stock Exchanges

1	Name of the Company	Canara Bank
2	Annual Financial Statements for the year ended	31 st March 2013
3	Type of Audit observation	Unqualified Report
4	Frequency of observation	NIL
5	To be signed by –	
	• CEO / Managing Director	 (R K Dubey)
	• CFO	 (K Manickam)
	• Auditor of the Company	 M/s. K Venkatachalam Aiyer & Co. Thiruvananthapuram (Representing all the six Statutory Central Auditors)
	• Audit Committee Chairman	 (Khalid Luqman Bilgrami)